अष्टम माला, खंड 7, अंक 9

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985
11 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

54
1/4/87

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985/11 श्रावण, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

ोषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 17, "वापस दिया गया" के स्थान पर
वापस लिया गया" पढ़िये।

ष्ठ 13, पंक्ति 21, "श्री अरफराज अहमद" के स्थान पर "श्री सरफराज अहमद
ढ़िये।

ष्ठ 31, पंक्ति 17, "नियन्त्रण कपड़े" के स्थान पर "नियंत्रित कपड़े" पढ़िये।

ष्ठ 44, पंक्ति नीचे से 6, "बताने भी" के स्थान पर "बताने की" पढ़िये।

ष्ठ 53, पंक्ति नीचे से 6, "जले" के स्थान पर "दरभंगा जिले" पढ़िये तथा
ीचे से पंक्ति 3 में "जिलें" के पश्चात "के" अंतःस्थापित करिये।

ष्ठ 56, पंक्ति नीचे से 2, "श्री लाला राम जैन" के स्थान पर "श्री लाला
ाम केन" पढ़िये।

ष्ठ 69, पंक्ति 12, "श्री चित्ता मोहन" के स्थान पर "श्री चिन्ता मोहन"
ढ़िये।

ष्ठ 81, पंक्ति 13, ""वाणिस्य" के स्थान पर "वाणिज्य" पढ़िये।

ष्ठ 86, पंक्ति 14, "श्री मानिक सन्याल" के स्थान पर "श्री मानिक सान्याल
ढ़िये।

ष्ठ 91, पंक्ति नीचे से 7, "परिवर्तनन" के स्थान पर "परिवर्तन" पढ़िये।

ष्ठ 96, पंक्ति 16, "(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

ष्ठ 122, अंतिम पंक्ति, "(श्री जनार्दन पुशारी)" के स्थान पर "श्री जनार्दन
जारी" पढ़िये।

ष्ठ 172, प्रथम पंक्ति, "राज्य मंस्त्र" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये।

ष्ठ 191, पंक्ति 20, "जो", के स्थान पर "अब" पढ़िये।

ष्ठ 233, पंक्ति 24, "कू" के स्थान पर "कू" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985/11 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 162, 164 से 167, 170 और 172	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—197
तारांकित प्रश्न संख्या : 163, 168, 169, 171, 173 से 182	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1602 से 1619, 1621 से 1666, 1668 से 1727, 1729 से 1734, 1736 से 1767, 1769 से 1797, 1799 से 1822 और 1824 से 1837	30—191
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	197—200
सभा का कार्य	200—205
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला कंपनियों के लिए खरीदी गई मशीनरी के सम्बन्ध में दिनांक 20 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर में शुद्धि करने तथा इसमें इस शुद्धि में विलम्ब होने के कारणों को बताने वाला वक्तव्य	205—206
श्री वसंत साठे	
समिति के लिए निर्वाचन	207
राजभाषा समिति	
कार्य मंत्रणा समिति	207
नवां प्रतिवेदन	
मूल्यों में भारी वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा	208—236
श्री एम० रघुमा रेड्डी	208
श्री गिरधारी लाल डोगरा	209
श्री हरीश रावत	211

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
डा० ए० के० पटेल	213
श्री मानवेन्द्र सिंह	214
श्री चित्त महाटा	216
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	217
श्री पीयूष तिरकी	218
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	219
श्री गिरधारी लाल व्यास	220
श्री तम्पन थामस	221
श्री अब्दुल रशीद काबुली	222
श्री इन्द्रजीत गुप्त	224
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	226
दंड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक	236
विचार करने के लिए प्रस्ताव (असमाप्त)	
श्री के० पी० सिंह देव	236
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	236—237
दूसरा प्रतिवेदन	
सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता देने संबंधी संकल्प—वापस लिया गया	237—267
श्री गिरधारी लाल व्यास	237
श्री गदाधर साहा	240
श्री मूल चन्द डागा	242
श्री भरत सिंह	244
श्री हरीश रावत	245
श्री नारायण चौबे	247
श्री नारायण चन्द्र पराशर	249
श्री राम प्यारे पनिका	251
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	253
श्री जैनुल बशर	254
श्री एस० बी० सिदनाल	255
प्रो० सैफुद्दीन सोज	256
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	257
श्री जुझार सिंह	258
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	259
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि	259
श्री बूटा सिंह	260
श्री जनक राज गुप्ता	266
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प	268—269
श्री हरीश रावत	268
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	269—270

लोक सभा

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985/11 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत रूस व्यापार

*162. श्री रामस्वरूप राम† :
डा० ए० के० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस व्यापार का 90 प्रतिशत भाग भारत में गैर-सरकारी पार्टियों के साथ किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यात के कतिपय मामलों में गैर-सरकारी पार्टियों की तुलना में विभिन्न राज्यों में स्थापित सरकारी अभिकरणों की भी उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) क्या सोवियत संघ के साथ व्यापारिक सौदे करने की अनुमति केवल सरकारी अभिकरणों का ही देने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) गैर सरकारी पार्टियों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किये गये आयात-निर्यात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं । अत: गैर सरकारी पार्टियों द्वारा किये जा रहे भारत-रूस व्यापार की प्रतिशतता बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था—क्या यह सच है कि भारत-रूस व्यापार का 90 प्रतिशत भाग भारत में गैर-सरकारी पार्टियां के साथ किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने इसका जो जवाब दिया है वह जवाब एकदम असंतोषजनक है । इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में एक कहावत है कि एक रोगी किसी डाक्टर के पास गया और कहा कि हमारा इलाज 'हरे' दवा से करो, डाक्टर ने उसे 'वहेड़ा' दे दिया । तो इस प्रश्न के उत्तर से मुझे वही कहावत याद आ जाती है । जो रोगी को असल रोग था उसका इलाज न करके

जैसे डाक्टर असल रोग से दूर हट गया वैसे ही हमारे मंत्री जी भी प्रश्न से दूर हट गये। इन्होंने अपने उत्तर में कहा हैं—"गैर-सरकारी पार्टियों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किये गये आयात-निर्यात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं।"

हमारा जो सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता हुआ है उसमें यही प्रस्ताव है कि सोवियत संघ से 90 प्रतिशत हमारा आयात-निर्यात स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से होगा। लेकिन मंत्री जी अपने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं कर सके कि भारत में कितनी मात्रा में आयात-निर्यात स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से होता है और कितनी मात्रा में प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों में भारत ने कितनी वस्तुओं का आयात-निर्यात किया उनमें से कितना गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किया गया, कितना गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा किया गया और कितना सरकारी अभिकरणों द्वारा किया गया? इस आयात-निर्यात से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह वताना बहुत कठिन है कि प्राइवेट पार्टियों द्वारा कितना प्रतिशत व्यापार किया जाता है। अब विभिन्न सरकारी उपक्रम अपना रिकार्ड स्वयं रखते हैं किंतु अन्ततः ये सभी रिकार्ड एक सरकारी एजेंसी, डी० जी० सी० आई० एस० के पास जाते हैं। आंकड़ों को संकलित करते समय वे प्राइवेट पार्टियों और सरकार के लिए आंकड़ अलग-अलग नहीं रखते।

निश्चय ही, यदि हम सभी संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हमें अंतिम आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। किन्तु प्रश्न भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार माल की कुल बिक्री, जिसमें आयात-निर्यात शामिल है, से संबंधित है। अब जहां तक आयात का संबंध है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सोवियत संघ 90 प्रतिशत आयात राज्य व्यापार एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। मैं 1983 का आंकड़ा उद्धृत करता हूं। सोवियत संघ से किए गए कुल 1700 करोड़ रुपए के आयात में से 1655 करोड़ रुपए का आयात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया था।

जहां तक निर्यात का संबंध है, मेरे विचार में अधिकांश निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। लेकिन मेरे पास सही आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं?

श्री पी० ए० संगमा : यह हमारे द्वारा अनुमति देने या न देने का प्रश्न नहीं है। यह आयात करने वाले देश की पंसद का प्रश्न है। यदि सोवियत संघ प्राइवेट पार्टियों से आयात करना अथवा खरीदना चाहता है तो हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि उन्हें सरकारी क्षेत्र से खरीदना चाहिए। यह निर्णय लेना उन पर निर्भर है कि वह किससे खरीदे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : यह शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि प्राइवेट पार्टियों के

माध्यम से जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है और घटिया सामान सप्लाई कर दिया जाता है इसकी रिपोर्ट बराबर मिलती रहती है, अखबारों में भी रोज पढ़ने को मिलता रहता है। क्या इस तरह की शिकायतें मिली हैं जिनसे देश की बदनामी होती है और क्या इसके लिए सरकार प्राइवेट पार्टियों पर प्रतिबंध लगाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमें कभी कुछ शिकायतें मिली थीं और जब कभी कुछ विशेष शिकायतें मिलती हैं, हम उन पर विचार करते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष शिकायत है तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं।

डा० ए० के० पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को 16 जुलाई, 1982 के 'आनलुकर' में प्रकाशित तथा 25 जून, 1985 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इन समाचारों की जानकारी है कि निजी व्यापारी करार में उल्लिखित महंगे बासमती चावल के स्थान पर रूस को सेला या परमल चावल की सप्लाई करके प्रतिवर्ष 24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि कमा रहे थे और ये निजी व्यापारी देश में अवांछनीय गतिविधियों के लिए इस धन को कुछ तत्वों को दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है या नहीं।

श्री पी० ए० संगमा : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : उनकी जानकारी में यह बात पहली बार आयी है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है क्या वह सच है कि सोवियत संघ को निर्यात करने के लिए सरकारी एजेंसियों की अपेक्षा गैर-सरकारी एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाती है ? क्या यह सच है कि वे इसे प्राथमिकता देते हैं ? मंत्री महोदय को इस संबंध में क्या कहना है ? निस्सन्देह मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि शिकायतें हैं, उदाहरण के लिए, कलकत्ता में टेक्सटाइल्स मिल बदनाम है जो रूस को कपड़े के नमूने भेजती है लेकिन नमूना कुछ होता है और जो वस्त्र निर्यात किए जाते हैं वे नमूनों से भिन्न होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन शिकायतों की जांच की गई है और इन्हें दूर किया गया है ?

श्री पी० ए० संगमा : (क) जी हां महोदय, वे गैर-सरकारी क्षेत्र से व्यापार करना पसन्द करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हम अपनी ओर से उनसे आयात नहीं कर सकते। यह उनकी पसन्द है। (ख) जब कमी किस्म आदि के बारे में कोई शिकायत होती है सर्वप्रथम वे खुद उसका पता लगाने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि समस्या क्रेता और विक्रेता के बीच है।

प्रो० मधु दंडवते : यह तो सोवियत संघ पर आक्षेप करना होगा कि वह प्राइवेट पार्टियों को प्राथमिकता देता है।

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, वह उन्हें ही प्राथमिकता देता है। मैं सच बता रहा हूं। यदि वह उन्हें प्राथमिकता देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनकी अपनी पसन्द है।

डा० ए० के० पटेल : मेरे प्रश्न का आपने क्या उत्तर दिया है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : जिस समय हमारे प्रधान मंत्री सोवियत संघ की यात्रा पर गए, वहां रूस ने अभूतपूर्व सद्भावना प्रदर्शन करते हुए इस देश को 1 बिलियन रूबल का ऋण देने की पेशकश की, जो 1200 करोड़ रुपए के बराबर है। इस बात पर भी सहमति हुई कि सोवियत संघ इस देश की औद्योगिक और सिविल संगठनों को वहां परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति देगा और उस देश में रूस और भारत की संयुक्त परियोजनाएं होंगी । (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में यह करार लागू होगा क्या उनमें अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर सदन में पहले ही दिया जा चुका है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : इसका उत्तर नहीं दिया गया है और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर दिया जाए।

श्री पी० ए० संगमा : किसी भी तरह से इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह प्रशासनिक मंत्रालयों का काम है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उनसे संबंध नहीं है।

श्री थम्पन थामस : केरल से रूस को मुख्यत: दो वस्तुओं काजू और नारियल जटा का निर्यात किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि निजी व्यापारियों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार के अधीन दो संगठन हैं—केरल राज्य काजू विकास निगम बनाया गया है और नारियल जटा बनाने वाली इकाइयों के लिए सहकारी समितियां भी हैं। इन दोनों को सरकार की सहायता प्राप्त नहीं है। इसके बजाय गैर-सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इन सरकारी संस्थाओं की कीमत पर वे निर्यात कर रही हैं। सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इन काजू कारखानों तथा नारियल-जटा कारखानों में काम नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार विदेशों, विशेषकर सोवियत संघ को ऐसी वस्तुओं के निर्यात करने के संबंध में अपनी नीति को सरल और कारगर बनाएगी।

श्री पी० ए० संगमा : हमारी नीति गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का समर्थन करने की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी सरकार की क्या नीति है और वह किसे तरजीह देती है। उदाहरण के लिए, सब जानते हैं कि सोवियत संघ भारत से चाय खरीदता है तथा मेरे विचार में मात्रा और मूल्य दोनों के ही अनुसार वह हमारा सबसे बड़ा खरीददार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत और सोवियत संघ के बीच इन व्यापार समझौतों के लिए होने वाली वार्ताओं के दौरान हमारे प्रतिनिधियों अर्थात भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने कभी इस बात पर दबाव डाला है कि कम से कम चाय के मामले में इसका कुछ भाग या पर्याप्त भाग उनके राज्य व्यापार निगम द्वारा बेचा जाएगा। निश्चय ही, यदि वे किन्हीं गैर-सरकारी व्यापारियों से कुछ भाग लेना चाहते हैं, जिनके साथ उनके व्यापार संबंध हैं तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। वह सही है। लेकिन चाय और इस तरह की कुछ अन्य वस्तुओं के मामले में क्या हमारे लोगों ने कभी इस बात में रुचि दिखाई है कि वे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अच्छे किस्म का माल नियमित रूप से सप्लाई, आदि करने के लिए तैयार हैं? अथवा क्या ऐसी बात है कि इस तरह की पेशकश करने का हममें आत्मविश्वास नहीं है?

श्री पी० ए० संगमा : हम किसी विशेष देश पर केवल यह प्रभाव डाल सकते हैं कि उन्हें हमारे देश से वस्तु खरीदने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम रूस अथवा अमरीका या किसी अन्य देश को यह नहीं बताते कि उन्हें अमुक क्षेत्र से खरीद करनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें इतना ही कह सकते हैं कि वे हमारे देश से खरीदें जो सामान्यतः हम करते ही हैं। हम निर्यात के क्षेत्र में अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन, मैं समझता हूं अन्ततः यह उनकी पसन्द पर निर्भर है, यदि वे किसी संगठन अथवा कुछ लोगों के साथ सौदा करना अच्छा समझते हैं तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जहां तक चाय का संबंध है, सोवियत संघ केवल नीलामी के द्वारा चाय खरीदता है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अफीम की अवैध खेती

*164. **श्री जुझार सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटा और झालावाड़ जिलों में अफीम की अवैध खेती होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच-पड़ताल के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और जांच-पड़ताल चल रही है।

श्री जुझार सिंह : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री को पहली बार शिकायत फरवरी में की गई थी और उस समय फसल खेतों में खड़ी थी। दूसरी शिकायत मार्च के महीने में की गई और उस समय भी फसल खेतों में खड़ी हुई थी। और तीसरी शिकायत अप्रैल में की गई जबकि फसल काटी जाने वाली थी और उस समय समुचित जांच पड़ताल की जा सकती थी—यदि हां, तो जांच पड़ताल में इतनी देरी करने के क्या कारण हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : पहली शिकायत 27-1-85 को की गई थी। दूसरी शिकायत मार्च, 1985 में की गई और तीसरी शिकायत 12-4-85 को की गई। पहली शिकायत के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि नार्कोटिक डिवीजन (मादक द्रव्य प्रभाग) के अधिकारियों द्वारा अफीम के लाइसेंसों के नवीकरण में कृषकों का शोषण किया गया है। उस शिकायत की जांच की गई और संसद सदस्य से अनुरोध किया गया कि आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुछ विशेष उदाहरण दें क्योंकि प्रारम्भिक जांच के दौरान आरोप निराधार पाया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्च, 1985 में दूसरी शिकायत मिली। उस शिकायत के लिए भी सभी तीनों पत्रों के संबंध में जांच का काम सतर्कता शाखा को सौंपा गया। तीसरी शिकायत के मामले में मैंने विस्तृत जांच के आदेश दिए और उन्हें गवाहों से बयान लेने के लिए कहा। मैंने माननीय सदस्यों से भी जांच में सहायता देने के लिए कहा। हम निश्चय ही उन शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे। हम दोषी पाये गए किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे।

श्री जुझार सिंह : यह मादक द्रव्य विभाग (नार्कोटिक डिपार्टमेंट) के कार्यालय के भ्रष्टा-

चार का मामला है । इस विभाग के कार्यालयों द्वारा कृषकों से प्रति बीघा 2,000 रुपए लेकर उन्हें अफीम की अवैध खेती करने के लिए उकसाया गया और प्रोत्साहित किया गया और इस तरह उस क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पर अवैध खेती की गई । यह बहुत गंभीर मामला है ।

महोदय, एक अन्य मुद्दा है । कुछ लोगों के आवेदन पत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि मादक द्रव्य विभाग ने सैंकड़ों कृषकों से घूस ली और उनमें से कुछ कृषकों को किसी-न-किसी कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए । ये कृषक कलक्टर के पास गए और कलक्टर ने मादक द्रव्य विभाग से कृषकों से घूस में लिया गया धन लौटाने के लिए कहा । झालावाड़ के कलक्टर के आदेश से वहां के विधायक और कृषकों की उपस्थिति में यह धन वापस लौटाया गया ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपसी समझौता क्या था ?

श्री जुझार सिंह : बात यह है कि यह एकस्पष्ट मामला है कि कलक्टर के आदेश से सैंकड़ों कृषकों तथा विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैसा वापस किया गया था। ऐसा स्पष्ट प्रमाण मिलने पर भी विभाग इतने लम्बे अर्से तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। यह सचमुच गम्भीर मामला है, जिसके बारे में सब चिंतित हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, सरकार को मामले की जानकारी है। हमने इसे बड़ी गम्भीरता से लिया है और कार्यवाही की जायेगी । इसीलिए मैं माननीय सदस्य से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इसका साक्ष्य मिलने पर इसे रिकार्ड किया जाएगा । दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री अमिताभ बच्चन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अफीम का एक रसायनिक विकल्प तैयार होने के कारण तथा अन्य देशों में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती होने के कारण विदेशों में भारतीय अफीम की मांग अब कम हो गई है और हमारे देश में उत्पादित अतिरिक्त अफीम को अब हिरोइन जैसी खतरनाक औषध के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया है ? इस पर नियंत्रण करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में सही कहा है कि उत्पादन में कमी आई है । 1977 में लगभग 64,000 हैक्टर क्षेत्र में उत्पादन हुआ था। अब यह क्षेत्र कम होकर 25,000 हैक्टर रह गया है । अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार केवल भारत ही ऐसा देश है जिसको इसका निर्यात करना होता है । महोदय, अब अन्य देश भी इसका उत्पादन अपनी घरेलू खपत के लिए कर रहे हैं । इसलिए इसकी कीमत में गिरावट आई है । टर्की, अमरीका, फ्रांस और अन्य देश भी इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे देश में इसका भण्डार बढ़ गया है और दो या तीन फैक्ट्रियों में इसका भण्डार बढ़ने के कारण हमें इसके उत्पादन पर नियंत्रण करना पड़ा है । उत्पादन कम हो गया है । जब तक इसे तथा इसके दुरुपयोग का नियंत्रण करने का सम्बन्ध है उसके लिए हम एक व्यापक विधान ला रहे है । अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जायेगा । विधान यथाशीघ्र लाया जाएगा और इस पर रोक लगाई जायेगी ।

श्री अजय मुशरान : महोदय, हम सब जानते हैं कि चाहे यह हेरोइन, स्मेक या ब्राऊन शूगर

है ये सभी अफीम से बनती हैं। अफीम की खेती चाहे कम हुई है या बढ़ी है वस्तुस्थिति वही है कि चाहे राजस्थान के जिलों में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में ही इसकी अवैध खेती की जा रही है। दवाईयों के दुरुपयोग की वृद्धि का मुख्य कारण अफीम की अवैध खेती है। महोदय, इस बारे में बहुत से वक्ताओं ने आपको बताया है और आप इस विषय पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस बारे में व्यापक विधान लाने से पहले कौन से उपाय किए जा रहे हैं? चूंकि व्यापक विधेयक लाने के लिए उनके अपने वित्त मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय जैसे अन्य कई मंत्रालय इससे सम्बद्ध होंगे और इन सभी मंत्रालयों को इसे समझने में लगभग एक वर्ष लग सकता है तो क्या ऐसे व्यापक विधेयक की प्रतीक्षा किए बिना क्या ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है जिसके माध्यम से अवैध खेती करने वालों को न केवल गिरफ्तार किया जाये बल्कि उसके परिणामस्वरूप दवाई के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर दम उठाए जा सकते हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : केन्द्रीय सरकार इसकी खेती, खेती की निगरानी और निर्यात बाजार पर नियंत्रण करती है।

(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : परन्तु जब भी विशेष उदाहरण होते हैं और जब भी उन्हें हमारे ध्यान में लाया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाती है और यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सूचना देने की स्थिति में हैं तो मैं इसे निजी तौर से देखूंगा, ध्यान दूंगा और इन शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करूंगा।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता क्योंकि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है। परन्तु जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय से पूछताछ करनी होगी, उन्हें गृह मंत्रालय से पूछताछ करनी चाहिए और तब पूरी तरह तैयार होकर सदन में आना चाहिए।

विद्युत चालित करघा क्षेत्र के अनुचित व्यापारिक व्यवहार

*165. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने सरकार का ध्यान विद्युत चालित करघा क्षेत्र द्वारा किए जा रहे अनेक अनुचित व्यापारिक व्यवहारों की ओर आकर्षित कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये शिकायतें और इनके उपचारात्मक उपाय भ्रामक चिन्हों और धोखे वाले मुद्रांकण से संबंधित हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का अपने प्रयासों को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने का विचार है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है।

विवरण

विद्युत-चालित करघा क्षेत्र द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यापार व्यवहारों के सम्बन्ध में उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद से एक शिकायत प्राप्त हुई है। केन्द्र ने इस शिकायत में बताया कि उन्होंने सूती और ब्लेन्डेड वस्त्रों के ऐसे 42 विभिन्न नमूने एकत्र किए हैं जिनमें विनिर्माता के नाम तथा अथवा प्रयुक्त यार्न की किस्म सम्बन्धी जाली छाप पाये गये हैं। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि जाली और गलत छाप उपभोक्ता को भ्रम में डालने के लिए लगाए जाते हैं और उन्होंने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, 1948 के अधीन कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया है।

वस्त्र आयुक्त के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने इस सम्बन्ध में मार्च, 1985 में बाजार का एक सर्वेक्षण किया जिसमें यह पाया गया कि कतिपय व्यापारियों/डीलरों द्वारा बड़ पैमाने पर भ्रामक छाप लगाए गए जिनमें वे उत्पादक के नाम के बाद "मिल्स" जोड़ रहे थे। यद्यपि जबकि माल विद्युत चालित करघों पर विनिर्मित था, तब भी इसका जिक्र नहीं किया जा रहा था। प्रतिष्ठित मिलों के नामों का भी ऐसा ही प्रयोग किया गया। चूंकि यह मामला व्यापार तथा वाणिज्य मार्क अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधीन आता है, अतः प्रभावित मिलों को उस अनुरूप चलने के लिए कहा जा रहा है।

नई वस्त्र नीति में उपभोक्ता सन्तुष्टि और उपभोक्ता संरक्षण दोनों प्रदान करने के उद्देश्य से विपणन तथा वितरण की एक और कुशल प्रणाली तैयार करने पर बल देती है। इस प्रयास में सरकार सार्वजनिक संगठनों से सहायता का स्वागत करेगी।

डा० जी० विजय रामाराव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि अहमदाबाद के वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय ने एक सर्वेक्षण किया था और उन्होंने पाया कि कुछ व्यापारियों और डीलरों द्वारा बड़ पैमाने पर भ्रामक छापे लगाए गए हैं और उन्होंने मिल को सलाह दी है कि व्यापार तथा वाणिज्य मार्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें। उत्तर में बताया गया है कि इस बारे में विस्तृत भ्रष्टाचार तथा शोषण हुआ है। व्यापारी और डीलर, जैसा कि वे शोषण के द्वारा अधिक लाभ उठा रहे हैं, भविष्य में मिल मालिकों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं और मिल मालिक फिर चुपचाप बैठ सकते हैं। अतः इस व्यवहार को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : प्रश्न क्या है? मैं आपके प्रश्न के विषय को वास्तविक रूप से समझ नहीं सका हूं। फिर भी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा पूरे क्षेत्र की जांच की गई थी और वे इस निष्कर्ष पर आए कि इस तरह की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश व्यापक रूप से पर्याप्त नहीं है और इन शिकायतों पर अन्य अधिनियम अर्थात व्यापार तथा वाणिज्य मार्क अधिनियम के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए तथा इस बारे में कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार आयुक्त प्राधिकरण है। गुजरात सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। हमारे पास वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

डा० जी० विजय रामाराव : क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कपड़े के प्रत्येक मीटर पर थोक बिक्री मूल्य के स्थान पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जाए?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इसे सी० टी० सी० ओ० के अनुसार किया जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : तथ्यों का पता लगाने के लिए क्या सरकार जांच समिति का गठन करनेपर विचार कर रही है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने पहले से ही तथ्यों का पता लगा लिया है ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : किसी भी जांच समिति की आवश्यकता नहीं है । सर्वेक्षण पहले से ही बताते हैं कि इसे कुछ एजेंसियों और उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है जो गुप्त ढंगों से दूसरों के चिन्हों का उपयोग करते हैं और उन पर कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया है तथा इस बारे में गुजरात सरकार को सूचित कर दिया गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई के कार्यालय से रकम का गुम हो जाना

***166. डा० गौरी शंकर राजहंस† :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है जिनके अन्दर 8 जुलाई, 1985 को भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के भूमि तल (ग्राउण्ड फ्लोर), कार्यालय से 7.72 लाख रुपये गायब हो गए;

(ख) क्या इसका कोई सुराग मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस धन का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक और रेल मंत्रालय से प्राप्त सबसे हाल की सूचना के अनुसार, 8 जुलाई, 1985 को मध्य रेलवे के 7 खजांची 10 चैकों की रकम लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई में आये । 6 खजांचियों के पास एक-एक चैक था और उन्हें एक-एक टोकन जारी कर दिया गया । एक खजांची के पास 4 चैक थे और उसे भी एक टोकन जारी किया गया । इन खजांचियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल के 5 गार्ड थे जिनमें से बिना हथियारों के दो गार्ड भारतीय रिजर्व बैंक की इमारत के अन्दर गये और सशस्त्र तीन गार्ड कैश वेन में बाहर रहे । 6 खजांचियों ने सामान्य नीति से 9 चैकों के बदले रकम प्राप्त की, रकम की जांच की और रोकड़ को सम्बद्ध बक्सों में रख दिया । बिना हथियार वाले रेलवे सुरक्षा बल के ये गार्ड इन बक्सों की रक्षा कर रहे थे । जब सातवें खजांची को अन्तिम चैक की रकम दी जाने ही वाली थी तब उसने देखा कि इन बक्सों में से एक बक्सा, जिसमें पहले एक अन्य खजांची द्वारा रकम प्राप्त कर ली गयी थी और जो रेलवे सुरक्षा बल की रक्षा में था, गायब है । बताया जाता है कि उस बक्से में एक चैक के बदले 6,72,502.50 रुपये की नकद रकम थी । खजांची के अनुरोध पर अलार्म बजाया गया और बाहर जाने के रास्ते बन्द कर दिए गए तथा पुलिस द्वारा परिसर की तलाशी ली गयी । बक्सा नहीं मिला । पुलिस ने जांच के लिए चोरी का मामला दर्ज कर लिया है । अब तक यह रकम बरामद नहीं हुई लेकिन पुलिस ने 9 जुलाई, 1985 को खाली बक्सा बरामद कर लिया है ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब उचित रूप से नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सुराग मिला है और यदि हां तो धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है और संबंधित पैसा भी वसूल नहीं किया जा सका है। यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। यह राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह कार्यवाही करे। उन्हें इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी होगी।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस समय आर० बी० आई० के परिसर में नौसेना के किसी अधिकारी से पूछताछ की गई थी ?

श्री जनार्दन पुजारी : वहां कोई नौसेना का अधिकारी नहीं था। यह बताया गया था कि नौसेना अधिकारी को धक्का दिया गया था और जो पैसा वह ले रहा था नीचे गिर गया था। यह आरोप है। यह कोषाध्यक्ष उसे उठाने के लिए मौके पर गए उसी बीच वह बक्सा वहां से उड़ा दिया गया। यह घटना इस प्रकार हुई।

अब महोदय हम स्थिति से पूीर तरह खुश नहीं हैं। कार्यवाही की जा रही है और रेल विभाग के कुछ लोग तथा वे व्यक्ति जो इन बक्सों की सुरक्षा के लिए वहां थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि यदि इसी तरह यह हो रहा है तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। मैंने इन लोगों से कहा कि इस तरह के उत्तर से संसद संतुष्ट नहीं होगी। हम पूरी जांच कर रहे हैं और ठोस कार्यवाही की जाएगी। सदन में आने से पहले मैंने उन्हें अपनी बात स्पष्ट कही थी कि इस तरह की कार्यवाही से सरकार सन्तुष्ट नहीं होगी।

श्री सुरेश कुरूप : मैं जानना चाहता हूं कि 1980 से कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं और कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मेरे पास 1980 से आकड़े नहीं है पर 1983 से मेरे पास आकड़े हैं। वर्ष 1983 में बैंकों में लूटपाट और डकैती की 100 घटनायें हुई थीं। वर्ष 1984 में ऐसे मामलो की संख्या 96 थी तथा वर्ष 1985 में यह संख्या 53 है। जहां तक मुकदमा चलाने, ऐसे मामलों में पता लगाने और दोषसिद्धि का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकार से आकड़े प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करने की मौजूदा पद्धति से यह जानकारी प्राप्त करने में सफलता ही मिली है। यह राज्य सरकार का विषय है। मैंने विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह तो 7 लाख रुपए का मामला है, मैं यह जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक में जो करोड़ों रुपए के पुराने नोट जमा होते हैं, जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग हो रहा है, लोग-बाग खा रहे हैं, उसके संबंध में आप क्या व्यवस्था कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : खा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न से संबंधित है।

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, आप हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या यह अच्छी बात है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस तरफ से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री एस० एम० भट्टम : आपने केवल एक ही सम्पूरक प्रश्न की अनुमति दी है। हम यह रोज देख रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो।

श्री एस० एम० भट्टम : आप लगातार हमारी उपेक्षा कर रह हैं। आप अपना हाथ इस तरह रखते हैं कि पूरा विरोधी दल छिप जाता है। आप हमें सही अवसर नहीं देना चाहते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भट्टम जी जल्दी नाराज हो जाते हैं, इनको ठंडा पानी पिलवाकर रखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय, मैं अपना पूरक प्रश्न करने से पहले अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य अधिक चिल्ला सकते हैं और जो सदस्य अधिक लंबे हैं उन सभी को अध्यक्ष की ओर से प्राथमिकता दी जा रही है। डाक्टरी सलाह के कारण मैं चिल्ला नहीं सकता हूं और मेरी ऊंचाई भी बहुत अधिक नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कविता कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : इसलिए मैं अध्यक्ष पीठ महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमें बोलने का मौका दें।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : सर, कविता में लम्बाई की बात नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, इसलिए मुझे डर नहीं था।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : पिछले दो या तीन वर्षों में बहुतसी बैंक डकैतियों की घटनाएं हुई हैं। और विशेषरूप से दिल्ली शहर से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा है और अतिरिक्त सावधानियां बरतने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं? इसके अलावा बहुत से मामलों का पता नहीं लगाया गया है। इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि डकैतियों में अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि हुई है, लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1982 में आकड़े 1 40,48,000 रुपए थे।

1985 में ये आकड़े 86.79 लाख रुपए थे, जबकि 70,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। लेकिन हम इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम मामलों पर नजर रखे हुए हैं और हममें इस पर गंभीरता से विचार किया है। अब, जो कदम हमने उठाए है मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं कि एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी। जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और उनकी सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंकों, सभी वाणिज्य बैंकों तथा सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के पास भेज दी गई हैं।

महोदय, जैसा मैं बता चुका हूं कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। हमें अपने तंत्र को मजबूत बनाना है। जिन स्थानों पर बैंक की शाखायें स्थित हैं खतरा हो सकता है, वहां हमने गार्डों की नियुक्ति की है। बहुत से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हमने बहुत पहले चर्चा की थी और मेरे ख्याल से हम इस बात पर सहमत थे कि प्रत्येक शाखा में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाए। लेकिन पिछली बार कुछ बैंकों में कोई गार्ड नहीं था। इस बारे में एक परिपत्र जारी किया जाना चाहिए कि कोई भी बैंक ऐसा न हो जहां सुरक्षा प्रबंध न हों।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, देश भर में लगभग 48,128 शाखाएं हैं। जहां खतरा ज्यादा है···

अध्यक्ष महोदय : हर बैंक में खतरा है।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक किए गए उपायों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि वे अभी तक संतोषजनक नहीं हैं। पिछले हफ्ते मैं खुद कुछ शाखाओं में गया था। मैं कुछ शाखाओं में कुछ कुछ सुरक्षा प्रबंध भी करा रहा हूं। महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केबिन में घुसने के तत्काल बाद वे उसे बंद कर लें। लेकिन बहुत-सी शाखाओं में बैंक कर्मचारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना होगा। ये उपाय किए जा रहे हैं। महोदय, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, मंत्री जी को अपने विभाग से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। अगर ऐसा है तो सदन में औपचारिक चेतावनी देने के अलावा अपने विभाग द्वारा असंतोषजनक उत्तर भेजने पर वे उसके खिलाफ क्या ठोस उपाय करने का विचार कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : विभाग के अनुसार ये उत्तर संतोषजनक हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे विचार से ये संतोषजनक नहीं हैं। मंत्री के रूप में मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। सारी जिम्मेवारी मेरी है। इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ठोस उपाय किए जाएंगे। हम न केवल उपाय कर रहे हैं बल्कि उन पर निगरानी भी रख रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा आपसे अनुरोध है कि विभाग को बीच में लाया जाय। जहां तक इस सदन का संबंध है, मंत्री तथा विभाग एक ही इकाई के अंग हैं। अपने को विभाग से अलग मत करिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं खुद संतुष्ट नही हूं। मैं तो केवल सदन के ध्यान में ये तथ्य ला रहा हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आगे और कार्रवाही करके अपनी तसल्ली करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनके ध्यान में यह बात लाई है कि उनका काम संतोषजनक नहीं है और जहां जरूरी हो वहां कार्रवाई की जाए। हर तीन महीने बाद बैंक अधिकारियों को एक कार्य-योजना भी दी जाती है। वित्त मंत्री जी तथा मैं भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जहां जरूरी होगा वहां कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों को हथियार देना

*167. **श्री सरफराज अहमद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1985 को जनसत्ता में "आयकर अधिकारी हथियारों से लैस होंगे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार के हथियारों से लैस किया जायेगा ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है जो सही नहीं है।

(ख) तथापि, तलाशी और अभिग्रहण ड्यूटी के दौरान आयकर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अरफराज अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इनकम टैक्स आफिसरों के लिए अभिग्रहण ड्यूटी के दौरान पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है—यही अच्छी बात है, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : हम तलाशी तथा जब्ती पर जाने वाले अधिकारियों को प्रतिक्षण देने के पूरे मसले की जांच कर रहे हैं। कई जगह इन अधिकारियों को जान से मार देने की धमकियां दी गईं। कई जगह उन पर हमले भी किए गए। इस स्थिति से निपटने के लिए हम कुछ प्रशिक्षित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने तथा इन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं ताकि मौका पड़ने पर वे अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन इस समय सरकार का विचार उन्हें हथियारों से लैस करने का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि इन अधिकारियों के लिए, तलाशी तथा जब्ती ड्यूटी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले चार-पांच सालों में इनकम टैक्स अफसरों पर हमलों की कितनी घटनाएं हुई उनमें क्या मुआवजा दिया गया और किस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : सूचना उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने इन कामों में आत्मरक्षा के लिए स्वयं शस्त्र मांगे हैं—इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है ? तथा कितने आदमी शस्त्र चलाने की योग्यता रखते हैं और समय आने पर उनको चला सकते हैं—यह भी बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। लेकिन सरकार समस्या के प्रति जागरूक है 'इसलिए हम आत्म सुरक्षा के लिए इन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : मैं मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा कि अभी सूरत में इन अधिकारियों ने जो रेड की वहां उन अधिकारियों पर हमला किया गया तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : वह आयकर वालों का छापा नहीं था। वह तो उत्पाद-शुल्क वालों का छापा था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उत्पाद-शुल्क वालों का छापा ही सही। लेकिन जिन अधिकारियों ने छापा मारा था उनके साथ सरकार ने यह किया कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया और आप जानकारी नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी नहीं दे सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही है या नहीं। मैं यह सूचना चाहता हूं। इन सबके पीछे कौन है ? आप डींगें मार रहे हैं और कहते हैं कि आप यह कह रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्हें किसी आरोप के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है। ये स्थानांतरण सामान्य रूप से किये गये हैं। हम डींगें नहीं मार रहे। इस बारे में हम बहुत गम्भीर हैं और हम कार्यवाही······*

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप उनकी खिंचाई करिए ना ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा । मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । कृपया सुनिए······(व्यवधान) आप इसको सुन सकते हैं । यही मैं कह रहा हूं । माननीय सदस्यो, मैं चाहता हूं कि सदस्य तथा मंत्री दोनों ही पूछे गए प्रश्न तक ही सीमित रहें । मुझे यही कहना है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर ठीक समझें तो आप इस बात पर विचार करें कि उत्तर देने में असमर्थ होने पर मंत्री लोग पश्चिम बंगाल सरकार की आड़ न लिया करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल-जवाब के दौरान कभी-कभी ऐसा हो जाता है । ऐसा व्यंग्यात्मक रूप से नहीं कहा जाता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तब हम संतुष्ट हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सरकार है !

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : पुजारी जी ने थोड़ा-सा प्रसाद बांटा तो इनको परेशानी हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी पचता नहीं है ।

कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात

*170. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के कृषि पर आधारित उत्पादों का वर्षवार निर्यात किया गया;

(ख) क्या इस उद्योग के संवर्धन को और कृषि पर आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं;

(ग) क्या इसके संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जारा है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान मुख्य कृषक तथा कृषि आधारित उत्पादों (वस्त्र सामान को छोड़कर) निर्यातों के मूल्य निम्न प्रकार से थे :

(मूल्य करोड़ रु० में)

1981-82	1982-83 (अनन्तिम)	1983-84 (अनन्तिम)
2376	2295	2463

(ख) से (घ) जी हां। भारत से कृषि आधारित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने की गुंजाइश है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली ने कतिपय कुछ चुनिन्दा वस्तुओं के संबंध में सर्वेक्षण किए हैं, सरकार ने उनके निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे कि नकद प्रतिपूर्ति सहायता, पंजीकृत नियतिकों को आयात-प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता, मूल्यवर्धित पैकों में निर्यातों को प्रोत्साहन निर्यात योग्य कृषि सम्बन्धी तथा कृषि आधारित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य के कृषि उत्पाद निर्यात आयुक्तों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श आदि। कृषि आधारित उत्पादों के निर्यातों के संवर्धन के लिए कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए० पी० ई० डी० ए०) और मसाला बोर्ड की स्थापना जैसे संस्थागत करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह जवाब के लिए तो ठीक है लेकिन किसान के लिए जो मेहनत करके उपज लेता है उसके लिए फायदा बांटने की बात वह नहीं बतला रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान जो जगत का "तात" माना जाता है वह इस तरह से तात नहीं रह पायेगा, उसका फायदा पहुंचाने के लिए वह कृषि निर्यात में क्या नया संशोधन करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मेरे ख्याल से निर्यात से किसानों को सहायता मिलेगी लेकिन मेरे लिए हर चीज का पूरा लेखा-जोखा देना संभव नहीं है। मैं केवल कुछ उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए कॉफी उत्पादकों को लीजिए। हमने 'पूलिंग सिस्टम' शुरू किया है। इससे कॉफी उत्पादकों को निश्चय ही सहायता मिलेगी। रंगा जी को यह जानकर खुशी होगी कि तम्बाकू के लिए हमने नीलामी की प्रणाली शुरू की है। अतः हमारे द्वारा किए जाने वाले इन उपायों से किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता

है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र छोटा उदयपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन इस साल जो कपास के भाव किसानों को मिले हैं, उससे किसान टूट गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों को कपास के निर्यात के लिए छूट दे रहे हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में यह प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : कच्चा माल होने के कारण यह वाणिज्य मंत्रालय के अतर्गत आता है। कपास का आयात इसके अन्तर्गत नहीं आता······

श्री पी० ए० संगमा : इससे हमारा कुछ संबंध है। महोदय, मैं जानता हूं कि आपने मामले में हस्तक्षेप किया था।

अध्यक्ष महोदय : तब कम से कम कपास का आयात तो न करिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, वर्ष 1983-84 में दस लाख टन शुगर ढ़ाई रु० किलो के भाव से एस० टी० सी० के द्वारा क्या एक्सपोर्ट की गई है ? यदि सरकार एक्सपोर्ट न करके देश में ही बफर-स्टाक बनाती तो शायद देश में यह हालत न पैदा होती। सरकार क्या बफर स्टाक बनाने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मिश्र।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संगमा जी, क्या आपने उनका प्रश्न समझ लिया। वे चीनी की बात कर रहे हैं। हम चीनी का निर्यात नहीं कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या अब आप इसका निर्यात नहीं कर रहे ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हम निर्यात नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब नहीं दो साल पहले करते थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कहते हैं कि हमने इन सालों में नहीं किया है। पुराने में किया होगा। अब नहीं किया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरे पास सारे फीगर्स हैं। सन् 1983-84 में रुपये 210.92 करोड़ रुपये की शुगर 2,578 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से 8.18 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमने 209.06 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी निर्यात की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कभी होता है, कभी नहीं होता है। यह तो व्यापार में चलता रहता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में खाड़ी के देशों को वेजीटेबल और फ्रूट्स का एक्सपोर्ट हमारे देश से बहुत बढ़ा है। जो कंटेनर इन वेजीटेबल और फ्रूट्स को लेकर जाते हैं उनकी जो इनर शीट है वह जापान से इम्पोर्ट की जाती है और इस वजह से वह बहुत महंगी पड़ती है। क्या कामर्स मिनिस्ट्री में ऐसा कोई सेल स्थापित किया गया है जो देश की एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन को देश में ही इसे तैयार करने के लिए मदद देने को कहे जिससे कि वह शीट्स देश में ही तैयार हो सकें और जो ग्रीन वेजीटेबल और फूट हम एक्सपोर्ट करते हैं वह दूसरे देशों के मुकाबले हम सस्ता भेज सकें और यहां के किसान को उससे फायदा हो सके?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में हमारे पास अपना अनुसंधान संस्थान है। फिलहाल हम इन सभी को देखते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि अल्यूमीनियम और टीन सामग्री की उपलब्धता न होने, जो कन्टेनरों के लिए अपेक्षित है, के कारण आम के गूदे की यूनिटों को गूदे के निर्यात में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार आवश्यक उपाय करेगी ताकि इन यूनिटों को जो आम के गूदे के उत्पादन में लगी हुई हैं और अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं, उन्हें उत्पादों की डिब्बाबन्दी के लिए आवश्यक टीन सामग्री की सप्लाई की जाए? क्या सरकार यूनिटों को सीधे टीन सामग्री की सप्लाई के लिए आवश्यक कदम उठायेगी?

श्री पी० ए० संगमा : उनकी समस्या कितनी बड़ी है, यह मैं नहीं जानता हूं, परन्तु कभी-कभी इस तरह की समस्यायें होती हैं जो हमारे ध्यान में आती हैं। जहां तक इस विशेष समस्या का सम्बन्ध है, कच्चा सामान इस्पात और खान मंत्रालय उपलब्ध कराता है। हम उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे और संबंधित मंत्रालय के साथ मामला उठाएंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जब सरकार द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : यदि आप मुझे ब्यौरे दें तो मैं इस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मिश्र उपस्थित नही हैं। अतः प्रश्न संख्या 172.

मसालों का उत्पादन और निर्यात

*172. **श्री टी० बशीर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में हुए मसालों के उत्पादन, उनके निर्यात तथा उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 में केरल में मसालों की प्रमुख मदों का उत्पादन और भारत से उन मदों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिये गए हैं।

(ख) मसालों के निर्यात को संवर्धन के लिए विचारित कदमों में निर्यात विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु एक मसाला बोर्ड की स्थापना, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल कटाई-पश्चात् प्रौद्योगिकी, मूल्य वर्धन और नये उत्पादों तथा बाजारों का विकास शामिल हैं।

विवरण

केरल में प्रमुख मसालों का उत्पादन और भारत से उनका निर्यात

मात्रा : टन
मूल्य करोड़ रुपए

वर्ष	केरल में उत्पादन	भारत से निर्यात	
	मात्रा	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
काली मिर्च			
1981-82	28500	20608	27.98
1982-83	25700	22592	29.39
1983-84	22030	25787	41.35
इलायची			
1981-82	3300	2321	30.17
1982-83	1900	1032	16.37
1983-84	1900	258	5.44
लाल मिर्च (सूखी)			
1981-82	1100	4659	4.21
1982-83	1100	12888	12.35
1983-84	1100	10610	8.78

1	2	3	4
अदरक (सूखा)			
1981-82	32000	4718	3.95
1982-83	32700	3955	5.88
1983-84	32890	4629	11.90
हल्दी			
1981-82	6100	11986	5.17
1982-83	5200	7595	4.24
1983-84	5200	10892	11.06

श्री टी० बशीर : केरल मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि मसालों के विपणन और विकास के लिए मसाले बोर्ड के गठन पर सरकार विचार कर रही है। एक इलायची बोर्ड है जो इलायची के विपणन और विकास के बारे में कार्य करता है। इलायची बोर्ड को बनाये रखने और बाकी सभी मसालों के लिए दूसरे बोर्ड के गठन के बारे में केरल के लोगों ने अनुरोध किया है। मैं कहना चाहता हूं कि काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जायफल जैसे 35 से अधिक मसाले केरल में पाए जाते हैं। अतः सरकार क्या करने जा रही है। क्या यह इलायची बोर्ड के उसी रूप में रख रही है जिस रूप में यह पहले का और इलायची के अतिरिक्त मसालों के लिए दूसरे बोर्ड का गठन कर रही है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। इस बारे में घोषणाएं हुई हैं। अतः एक मसाला बोर्ड स्थापित करने के बारे में आप कब तक निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : मसालो में से एक मसाला इलायची है और यह हमारी इच्छा है कि नए मसाला बोर्ड में इलायची बोर्ड को शामिल कर लिया जाए जिसका हम गठन करने जा रहे हैं और इलायची बोर्ड जो इस समय बना हुआ है तब वह नहीं रहेगा। यह मसाला बोर्ड के साथ मिल जाएगा।

श्री टी० बशीर : यह इलायची के लिए लाभदायक नहीं होगा। अन्य मसालों के विपणन और विकास के लिए एक अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। अतः मैं माननीय मंत्री को दूसरे बोर्ड के गठन का सुझाव देता हूं। दिए गए आंकड़ों में 1981-82 में इलायची का उत्पादन 3300 टन था। अतः इलायची का उत्पादन कम हुआ है। 1983-84 में यह 1900 टन था और जहां तक निर्यात का संबंध है, 1981-82 में 30.17 करोड़ रुपए के मूल्य की 2321 टन इलायची का निर्यात किया गया था। 1983-84 में 5.44 करोड़ रुपए मूल्य का केवल 258 टन का निर्यात किया गया था। इलायची के निर्यात और इसके उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक इलायची का संबंध है, सरकार ने इसे मसाला बोर्ड के साथ मिलाने का निर्णय बहुत समझ-बूझकर लिया है। और मसाला बोर्ड उन सभी कार्यों का

निष्पादन करेगा जो अभी तक इलायची बोर्ड द्वारा किए जाते थे। अत: मैं नहीं समझता कि सरकार इस पर पुनः विचार करने जा रही है। हम ईस पर बहुत दृढ़ हैं। जहां तक इलायची के उत्पादन का संबंध है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे बहुत अधिक जानते हैं। कुछ वर्षों में सूखे की स्थिति रही और भयंकर सूखा पड़ने के कारण इलायची के उत्पादन में कमी आई है। परन्तु उत्पादन का स्तर फिर ऊंचा उठाने के लिए हमने अब विभिन्न कदम उठाए हैं और मैं समझता हूं कि इस संबंध में प्रगति हो रही है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : माननीय मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वह इलायची बोर्ड को बनाये रखने के बारे में पुनः विचार नहीं करेंगे। क्या यह इसलिए कि मसाला बोर्ड वास्तविक रूप से केवल इलायची का कार्य कर और अन्य मसालों को नहीं देखे? क्या यह इस तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं है कि वे वास्तव में अन्य मसालों के निर्यात की स्थिति में सुधार करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और केवल इलायची के मसाले को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। इलायची उनमें से एक है। इसके बाद हमारे पास काली मिर्च, मिर्च और राई है। सरकार प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग बोर्ड नहीं बना सकती है चूंकि ये सभी मसालों के निर्यात की संभावना बहुत है इसलिए हमने सोचा है कि यह ज्यादा अच्छा है कि उनकी देखभाल करने के लिए हमारे पास एक ही बोर्ड है।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या सरकार उन मसालों का आयात कर रही है जिनका उत्पादन हमारे देश में किया जाता है तथा जिसके परिणामस्वरूप इस देश में उन मसालों की खेती में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि काली मिर्च बहुत दुर्लभ मसाला है परन्तु आप मलेशिया से उसका आयात कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उस प्रकार के मसाले उत्पादकों की स्थिति खराब हो रही हैं।

श्री पी० ए० संगमा : देश की आवश्यकता और देश के उत्पादन पर विचार करने के बाद ही आयात नीति बनाई जाती है। इस तरह की कई चीजें हैं जिनका हम अपने देश में उत्पादन करते हैं लेकिन यदि हमारे पास उत्पादन की अपेक्षा मांग अधिक है तब हमें आयात का सहारा लेना पड़ता है।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। जब देशी उत्पादकों को बर्बाद किया जा रहा है तो यह किस प्रकार की नीति है?

श्री पी० ए० संगमा : हम विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : वे सलाहकार देशी उत्पादकों को बर्बाद करने के लिए नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी जांच करानी चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : यदि वहां कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कि उत्पादकों को कष्ट हो रहा है और कीमतें गिर रही हैं तब हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि आपकी आयात नीति से उत्पादकों की स्थिति खराब हो रही है तो क्या आपको उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विभिन्न किस्मों की कपास का आयात/निर्यात

*163. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न किस्मों की कपास के आयात/निर्यात का ब्यौरा क्या है और यह मात्रा किस आधार पर निर्धारित की गई थी ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : रुई परामर्शी बोर्ड द्वारा दिये गये नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार देश में चालू रुई मौसम के दौरान छोटी मध्यम रेशे की रुई तथा लम्बी के अधिशेष/अत्याधिक लम्बे रेशे की रुई की कमी की सम्भावना है । सरकार ने निर्यात के लिये लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की रुई की 2.95 लाख गांठें रिलीज की हैं तथा चालू रुई मौसम के दौरान मध्य रेशे वाली रुई की एक लाख गांठों का आयात करने का विनिश्चय किया है ।

[हिन्दी]

बस्तर (मध्य प्रदेश) में उद्योग स्थापित करना

*168. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में लौह अयस्क/चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट निक्षेपों पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी. नहीं; परन्तु विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में डोलोमाइट के निक्षेपों का दोहन करने के लिए इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । परन्तु पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) उद्देश्यों के कारण राज्य सरकार के परामर्श से कारखाने के स्थल के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए कृषि संबंधी ऋण

*169. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए कृषि कार्यों संबंधी ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन शर्तों पर तथा किन परिस्थितियों में अल्पावधि से मध्यावधि ऋण में बदला जाता है;

(ख) क्या मई और जून, 1985 में समुद्री तूफान, बवंडर और ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से दलवा (रबी) की फसल को हुए भारी नुकसान को देखते हुए उड़ीसा सरकार से अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए सभी बैंकों के नाम मार्गनिर्देश जारी किये हैं। उन उपायों में अल्पावधिक ऋणों को सावधि ऋणों में बदलने की सुविधा भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा अन्नेवारी की घोषणा में देर किए जाने की सूरत में ऋणों के रूपांतरण की सुविधाओं की मंजूरी पर उस स्थिति में भी विचार किया जा सकता है यदि जिला कलक्टर यह प्रमाणित कर दे कि उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से भी कम है। रूपांतरित सावधि ऋण की वापसी अदायगी की अवधि ऋणकर्ता की समूची भुगतान क्षमता और फसल की हानि के परिमाण को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। एक के बाद एक प्राकृतिक विपत्तियों की हालत में बैंक रूपांतरित ऋणों की अवधि लम्बी भी कर सकते हैं।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी बैंकों के लिए रूपांतरित ऋणों के 60 प्रतिशत तक की सहायता की व्यवस्था करता है। शेष राशि की व्यवस्था सम्बद्ध राज्य सरकार, राज्य सरकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा की जाती है।

3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को जून, 1985 के महीने में उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें कुल 14 करोड़ रुपए के अल्पावधिक ऋण को बदलने का प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 13.96 करोड़ रुपये तक के रूपांतरण का अनुमोदन कर दिया है।

4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार से अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनियों पर आय-कर की बकाया राशि

*171. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 68 कम्पनियों पर एक करोड़ रुपये से अधिक की आय-कर की राशि बकाया थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) 31 मार्च, 1985 को कितनी धनराशि वसूल हो गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार, 312 करोड़ 81 लाख रुपये की आय-कर-मांग 68 कम्पनियों की तरफ

बकाया थी। इसमें से 266 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान वसूल की गई/कम की गई थी। 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार, ऐसे मामलों में बकाया मांग केवल 46 करोड़ 73 लाख रुपये की है।

कोयले के दुरुपयोग के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं को दण्डित करने और उन्हें इस बारे में शिक्षित करने की योजना

*173. **श्री अजय बिश्वास :**
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भण्डारण, रख-रखाव, परिष्करण और जलाने की अवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण लगभग 80 लाख टन कोयले के दुरुपयोग के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं को दंडित करने और इस बारे में उन्हें शिक्षित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए दिनांक 17-8-1984 को सचिव, कोयला विभाग, की अध्यक्षता में एक "ईंधन-सदुपयोग समिति" का गठन किया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है, कोयले के उपयोग में अनुसंधान और विकास, ईंधन की बचत करने वाली प्रकियाओं को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को तकनीकी सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना, आदि। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। प्रथम चरण में, निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं :—

(1) "भारतीय कोयला—इसके संरक्षण के लिए बेहतर सूझबूझ"

(2) "कोल-इम्प्रूव्ड टेक्निक्स फार स्टोरेज एंड प्रिपरेशन"—और

(3) "कोल-इम्प्रूव्ड टेकिनक्स फॉर एफिशिसन्सी इन कोल कम्बस्शन"।

इन प्रकाशनों का कोयला उपभोक्ताओं में व्यापक वितरण किया जा रहा है। इन उपभोक्ताओं से उनके संगठनों के जरिए भी संपर्क किया जा रहा है, जैसे—वाणिज्य मंडल, विभिन्न उद्योगों के ऐसोसिएशन, आदि।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज की खरीद

*174. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा ऐसे समय पर जबकि अखबारी कागज के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है, दीर्घावधि सौदों के आधार पर अखबारी कागज की खरीद का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा 425 डालर एफ० ए० एस० कनाडा बन्दरगाह की दर पर 15,000 टन अखबारी कागज खरीदने का सौदा करने का क्या औचित्य था जबकि उस समय 405 डालर का अंतर्राष्ट्रीय भाव था;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को काफी कम मूल्य पर मिले बिक्री प्रस्तावों को एकदम रद्द कर दिया गया था और दीर्घावधि ठेका धारकों से किए गए सौदों के आधार पर ऊंचे मूल्य पर खरीद की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने चालू बाजार भाव को ध्यान में रख कर उन ठेका धारकों से मूल्यों में कटौती के लिये बातचीत क्यों नहीं की ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 1978-79 के दौरान दीर्घावधि संविदाएं कीं जबकि बाजार में गंभीर पूर्ति दबाव था और कीमतों में कठोरता का रुख था।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने अमरीकी डालर 425 प्रति मी० टन एफ० ए० एस० कनाडियाई पत्तन पर 1500 एस० टी० के लिए संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए।

(ग) तथा (घ) 1978-79 के दौरान सम्पन्न और मार्च, 1984 में पुनः तय की गई दीर्घावधि संविदाओं के आधार पर संविदात्मक वचनबद्धताओं के संदर्भ में 41,000 एम० टी० अखबारी कागज की न्यूनतम मात्रा 1985-86 के दौरान उठाना अपेक्षित था। इस मात्रा के लिए मूल्य के बारे में पुनः वार्ता की गई और 30 वे दिन के ब्याज मुक्त उधार के साथ अमरीकी डालर 410 प्रति मे० टन एफ० ए० एस० पर 1985-86 के लिए दीर्घावधि पूर्तिकर्ताओं के साथ प्रबन्ध किए। इस ब्याज तत्व को ध्यान में रखते हुए निवल मूल्य अमरीकी डालर 404 प्रति मे० टन एफ० ए० एस० बनता है।

कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बकाया धनराशि

*175. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी धनराशि बकाया है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें जून, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की बकाया रकमों का राज्य-वार विवरण दिया गया है।

विवरण

(राशि लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बकाया राशि
1	2
उत्तरी क्षेत्र	14648.07
हरियाणा	3336.49
हिमाचल प्रदेश	573.10
जम्मू और कश्मीर	423.51
पंजाब	5445.63

1	2
राजस्थान	3943.74
चण्डीगढ़	503.25
दिल्ली	422.35
पूर्वोत्तर क्षेत्र	812.41
असम	427.30
मणिपुर	64.18
मेघालय	136.93
नागालैंड	32.21
त्रिपुरा	141.51
अरुणाचल प्रदेश	6.01
मिजोरम	3.36
सिक्किम	0.91
पूर्वी क्षेत्र	11873.43
बिहार	4135.66
उड़ीसा	2906.06
पश्चिम बंगाल	4824.32
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.39
मध्य क्षेत्र	17096.03
मध्य प्रदेश	5906.55
उत्तर प्रदेश	11189.48
पश्चिमी क्षेत्र	19435.00
गुजरात	6733.30
महाराष्ट्र	12181.70
दादर और नगर हवेली	2.70
गोवा दमन और दीव	517.30
दक्षिणी क्षेत्र	40271.44
आंध्र प्रदेश	15462.98
कर्नाटक	10929.88
केरल	3189.21

1	2
तमिलनाडु	10352.19
लक्षद्वीप	0.59
पांडिचेरी	336.64
अखिल भारतीय	104136.38

उच्च अधिकार प्राप्त निपटान समिति

*176. **श्री मूल चन्द्र डागा :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च अधिकार प्राप्त निपटान समिति ने कितनी अवधि तक काम किया;

(ख) सरकार द्वारा उक्त समिति पर कुल कितना खर्च किया गया; और

(ग) समिति ने अब तक कुल कितने माल का निपटान किया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) समिति ने दि० 9-4-84 से 4-4-85 तक कार्य किया। तथापि, पूरी समिति दि० 25-7-84 को ही अपनी स्थिति में आई थी।

(ख) सरकार द्वारा इस समिति पर 9,12,188.37 रुपए का खर्च किया गया था।

(ग) इस समिति का गठन, बड़ी मात्रा में जमा युद्ध सम्बन्धी अधिशेष सामान के निपटान के लिए किया गया था, जो कि अनुमानतः 36,000 टन था। समिति के विचार-विमर्श के दौरान, यह पाया गया कि अधिकतर अधिशेष घोषित सामान को निर्यात किया जा सकता है, और इसलिए इन मदों के निपटान की संभावना के बारे में पहले रक्षा मंत्रालय के निर्यात संवर्धन सैल द्वारा छानबीन की जा रही थी। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने 110 वायुयान, एयरो इंजनों के 37 नग, विभिन्न अतिरिक्त पुर्जों की मदों के 27,535 नग तथा 87,500 कि० ग्रा० स्क्रैप को उच्च अधिकार प्राप्त निपटान समिति द्वारा निपटाने के लिए रिपोर्ट की थी। चूंकि अधिकतर वायुयानों और एयरों इंजनों को सुरक्षा संबंधी कारणों तथा विशेष धातु मिश्रण सामग्री होने के कारण, उन्हें मूल रूप में निपटाया नहीं जा सकता था, इसलिए समिति ने उनके निपटान के कार्य को करने के लिए, मैसर्स मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ एक करार किया था। उच्च अधिकार प्राप्त निपटान समिति के समाप्त हो जाने पर, भविष्य में इसे कार्यान्वित करने के लिए यह करार रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों में घाटा

*177. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश मिलें भारी घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन अक्षम मिलों को बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उन कर्मचारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनकी छंटनी होने की सम्भावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत 125 मिलें हैं अर्थात 103 राष्ट्रीयकृत मिलें और 22 प्रबन्धित मिलें। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों को वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 168 करोड़ रुपए की हानियां हुई।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम सीमित साधनों के द्वारा राष्ट्रीयकृत मिलों के चुनिन्दा आधुनिकीकरण, आरक्षित बिजली में वृद्धि करने आदि के माध्यम से क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भारी हानियां उठाने वाली मिलों की सम्भाव्य सक्षमता पर सरकार विचार कर रही है। चूंकि उन्हें सक्षम बनाने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा रहा है । इसलिए मिलों के बन्द करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आयातित स्क्रैप पोतों के वितरण में अनियमितताएं

*178. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप की नियंत्रक एजेंसी, धातु स्क्रैप व्यापार निगम द्वारा बेकार करार दिए गए आयातित स्क्रैप पोतों के कबाड़ को बाजार में वितरण करने में अनियमितताओं और पक्षपात की शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार को अलंग में जहाज तोड़ने वालों से मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें जहाजों के आबंटन में पक्षपात करने तथा अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप जहाज तोड़ने के कार्य में लगी कुछ इकाइयों को बड़े आकार के जलयान आबंटित करने से संबंधित हैं। छोटे जलयानों की सीमित उपलब्धता के कारण वर्ष 1984-85 के अन्त में संयुक्त रूप से बड़े आकार के जलयान दो इकाइयों को आजमाइश के तौर पर आबंटित किए गए थे। जहाज तोड़ने के उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की बेसिक एल्यूमिनियम के मूल्य बढ़ाने की सिफारिश

*179. **श्री अमल दत्त** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने मूल्य वृद्धि के लिए उद्योग की प्रतिपूर्ति

करने हेतु बेसिक एल्यूमिनियम के मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग से लागत कम करने के उपाय करने की सिफारिश करते समय यह कार्यवाही करने की आवश्यकता थी;

(ग) क्या उक्त सिफारिशों की पुनरीक्षा किये जाने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सिफारिशों की दूसरी पुनरीक्षा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सन् 1970 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एल्यूमिनियम नियंत्रण आदेश जारी करने के साथ ही एल्यूमिनियम के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण है। सरकार द्वारा समय-समय पर एल्यूमिनियम उद्योग के लागत विन्यास के अध्ययन का कार्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंपा जाता है। ब्यूरो की भूमिका केवल एक सलाहकार की है। ब्यूरो विभिन्न आदान सामग्रियों की खपत के मानक निर्धारित करता है, मुख्य आदान सामग्री की लागत तथा उद्योग द्वारा अपनाए गए लागत कटौती उपायों पर भी विचार करता है। इन सभी संगत आंकड़ों और मानकों को ध्यान में रख कर एल्यूमिनियम की उत्पादन लागत निर्धारित की जाती है, उसके आधार पर ब्यूरो सरकार को सलाह देता है कि धातु का उचित मूल्य क्या रखा जाए।

ब्यूरो ने 1982 में एल्यूमिनियम उद्योग का लागत अध्ययन किया था तथा अपनी रिपोर्ट 1983 में पस्तुत की थी। एल्यूमियिम मूल्यों में गत संशोधन 9 मई, 1984 को किया गया था। तब से आदान सामग्रियों की लागत में कुछ वृद्धि होती रही है तथा इन सभी में महत्वपूर्ण बिजली दरों की वृद्धि है। ब्यूरों से धातु की उत्पादन लागत पर बिजली दरों में वृद्धि के प्रभाव के सीमित पैमाने पर आकलन के लिए कहा गया था। ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है, जो विचाराधीन है।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

*180. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित नई कपड़ा नीति के अनुसार नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की सारी जिम्मेदारी हथकरघा क्षेत्र को सौंपते समय संगठित मिल तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्रों की क्षमता विस्तार सम्बन्धी समस्त प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इससे एक ओर हथकरघा क्षेत्र और दूसरी ओर मिल तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्रों के बीच अवांछनीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जायेगी और इससे हथकरघा क्षेत्र में रुग्णता पैदा हो जायेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 6 जून, 1985 को सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति के अधीन अक्तूबर, 1978 में घोषित नीति द्वारा मिलों पर लगाए गए नियंत्रित कपड़ा और जनता कपड़ा के उत्पादन के वित्तपोषण सम्बन्धी भार मिल क्षेत्र पर जारी रहेगा जो पहले की तरह अतिरिक्त कर की प्रक्रिया द्वारा निधियां प्रदान करता है। हथकरघा क्षेत्र के इन निधियों से आर्थिक सहायता की इस क्षेत्र द्वारा विनिर्मित जनता कपड़े के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार हथकरघा क्षेत्र को नियंत्रित कपड़े के सम्पूर्ण

उत्पादन के अन्तरण से हथकरघा क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन के लिए सुअवसर बढ़ेंगे और निष्क्रिय करघों के पुनरुद्धार में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आधा मिलियन कार्यों का सृजन होगा। इसके अलावा इस नीति में हथकरघा बुनकरों के भाग्योद्धार के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है। इस नीति में सभी क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए स्थानीय समितियां

*181. **श्री एन० डेनिस :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष-तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों अथवा व्यापार को ऋण देने के लिए सिफारिशें करने हेतु स्थानीय समितियों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आर्थिक रूप से सक्षम नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*182. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री नारायण चौबे :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी नए इस्पात एकक संयंत्र की स्थापना के लिए उसे "आर्थिक रूप से सक्षम एककों" के मापदण्डों का ठोस आधार पर पूरा करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में इस निर्णय का क्या परिणाम होगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत सरकार की यह नीति रही है कि परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले इस्पात कारखाने की आर्थिक दृष्टि से सक्षमता सहित सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाए।

(ख) जहां तक विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना परियोजना का संबंध है, परियोजना के बारे में पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय परियोजना की आर्थिक रूप से सक्षमता पर विचार किया गया था। हाल में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने ने परियोजना की पूंजीगत लागत का पुनः अनुमान लगाया है। इस अनुमान पर भी विचार करते समय इस परियोजना की आर्थिक रूप से सक्षमता पर भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

इस्पात और कोयले के मामले में भाड़ा समीकरण योजना समाप्त करना

1602. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात और कोयला उद्योगों के मामले में भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में इस्पात की वस्तुओं और कोयले के मूल्यों तथा उनकी उपलब्धता पर इस प्रकार के प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस्पात संयंत्रों और कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों के कार्य निष्पादन और कार्यकरण पर उक्त परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के आधार पर लोहे तथा इस्पात से सम्बन्धित भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने के बारे में सरकार ने सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है । फिर भी इसे उचित समयावधि में समाप्त करना होगा ताकि मूल्यों में समायोजन करने के लिए सम्बन्धित उद्योगों को पर्याप्त समय मिल सके । इससे उपभोक्ताओं की इस्पात की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, भाड़ा समीकरण योजना अभी लागू ही नहीं की गई है और इसलिए उसको वापस लेने/रद्द करने का प्रश्न उत्पन नहीं होता ।

(ग) इस परिवर्तन का इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण पर कोई खास असर पड़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि भाड़ा लोहा तथा इस्पात उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है, इस्पात संयंत्रों द्वारा नहीं ।

कपड़ा मिलों द्वारा नियन्त्रण कपड़े का उत्पादन

1603. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलें स्टैंडर्ड कपड़े का उत्पादन करने के बजाए जुर्माना देना पसंद करती हैं और क्या सरकार समाज के गरीब वर्ग के लोगों को नियंत्रित कपड़ा वितरित करने हेतु कम प्रतिशत नियंत्रित कपड़ा उत्पादन करने हेतु मिल मालिकों को विवश करने में विफल हुई है;

(ख) क्या समाज के गरीब वर्ग के लोगों को नियंत्रित कपड़ा वितरित करने हेतु हथकरघा क्षेत्र यह मांग पूरी करने में समर्थ है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र को कोई विशेष सुविधा सुलभ की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1978 से कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन न करने के लिए कोई बाध्यता अथवा जुमाने का कोई प्रावधान नहीं रहा है । सभी मिलों द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामित अभिकरणों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े की लागत में इमदाद के लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना अपेक्षित है। इस समय, कन्ट्रोल के कपड़े के एक अंश का उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में किया जा रहा है और शेष का हथकरघा क्षेत्र में किया जा रहा है । हथकरघा क्षेत्र आगामी पांच वर्षों के दौरान एक क्रमबद्ध ढंग से कुछ उत्पादन संभालने की क्षमता रखता है । इससे हथकरघा क्षेत्र इमदाद का हकदार होगा जिससे कपड़ा उपभोक्ता के लिए अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है । इस उत्पादन के हथकरघा क्षेत्र को अंतरण से हथकरघा क्षेत्र में कम से कम आधा मिलियन नौकरियों का सृजन होगा और निष्क्रिय

करघों को पुनः काम में लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकरों को अतिरिक्त आय कराने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

बैलाडिला (मध्य प्रदेश) में पेलेटाइजेशन सन्यन्त्र की स्थापना

1604. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बैलाडिला में लौह-अयस्क कणों पर आधारित पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने वर्ष 1981 में बैलाडिला में पेलेट बनाने का संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया था। पेलेट बनाने के संयंत्र की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाजार का सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण से पता चला कि बैलाडिला में पेलेट बनाने के नए सन्यन्त्र को चालू करने के लिए बाजार की परिस्थितियों अनुकुल नहीं हैं। अतः इस प्रस्ताव को त्याग दिया गया।

[अनुवाद]

औद्योगिक गृह जिनके शेयर अनिवासी भारतीय खरीदना चाहते हैं

1605. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने भारत में निवेश करने के लिए भारी संख्या में आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख औद्योगिक गृहों का ब्यौरा क्या है जिनके शेयर अनिवासी भारतीय खरीदना चाहते हैं; और

(ग) इस प्रकार के अनुरोधों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और अनिवासी भारतीय कुल कितनी राशि का निवेश करने के लिए तत्पर हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय कम्पनियों के शेयरों की खरीद के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वर्तमान नीतियों और मार्गनिर्देशों के अनुसार, विचार किया जाता है। वास्तविक खरीदारी हो जाने से पहले, खरीदारियों का ब्यौरा, अर्थात कम्पनियों के नाम, खरीदारियों की राशियां आदि दिए जाने की प्रथा नहीं है -

कच्चे पटसन के भाव गिरना

1606. **श्री नारायण चौबे** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन के दाम गिरकर

लगभग 215 रुपए के समर्थन मूल्य के स्तर पर आ गये हैं तथा अगस्त के अन्त तक उनको 200 रुपए से नीचे जाने का डर है; और

(ख) यदि हां, तो पटसन उगाने वालों को लाभकारी स्तर पर कच्चे पटसन की कीमत स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के दौरान अच्छी पटसन फसल के परिणामस्वरूप कलकत्ता में कच्चे पटसन की डब्ल्यू 5 किस्म की कीमत, पहली ऊंची कीमत, जो कि गत मौसम के दौरान 1,000 रु० के शीर्ष को पार कर गई थी, गिरकर 450 रु०, 500 रु० प्रति क्विंटल रह गई। तथापि कलकत्ता तथा ग्रामीण बाजारों में कीमत अभी भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत से ऊपर चल रही हैं।

सरकार ने 1985-86 (जुलाई-जून) पटसन मौसम के लिए कच्चे पटसन तथा मेस्टा की न्यूनतम सांविधिक कीमत की पहले ही घोषणा कर दी है। जहां तक आवश्यक हो भारतीय पटसन निगम को कीमत समर्थन कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विभिन्न पटसन तथा मेस्टा उपजकर्ता राज्यों में भारतीय पटसन निगम द्वारा चलाए जा रहे 183 खरीद केन्द्र और सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे अन्य 240 केन्द्र हैं जिन्हें जब कभी आवश्यक हो, अधिप्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारतीय पटसन निगम ने खरीद कार्य आरम्भ करने के लिए इन सभी केन्द्रों में अपने आप को मानव, मशीन तथा धन से तैयार कर लिया है।

[हिन्दी]

देश में कपड़ा मिलों का बंद होना और बेरोजगार हुए श्रमिक

1607. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री अमल दत्त :

क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इन मिलों के बन्द होने के कारण कितने श्रमिक और अन्य कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 30-6-1985 तक देश में 70 सूती वस्त्र मिलें बन्द हुईं। ये एकक विभिन्न श्रमिक अशांति, वित्तीय कठिनाइयों तथा अप्रचलित प्लांट और मशीनरी के होने के कारणों से बन्द हुए। इन बन्द पड़ी मिलों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इन बन्द पड़ी मिलों की पूंजी में लगभग 95,000 कामगार हैं।

(ग) इस समय इन बन्द पड़े एककों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत सम्भावित सक्षम रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्वास पैकेज की जांच की जा रही है। जो एकक सम्भावित सक्षम नहीं हैं, उनका सरकार द्वारा अधिग्रहण अथवा रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण, रुग्णता की समस्या का हल नहीं है तथा सरकार नियमानुसार ऐसे मामलों में दखल नहीं देगी।

विवरण

30-6-1985 को बन्द पड़ी सूती कपड़ा मिलें

क्रमांक राज्य	मिलों की सं०
1. आन्ध्र प्रदेश	5
2. बिहार	1
3. गुजरात	20
4. हरियाणा	2
5. कर्नाटक	2
6. महाराष्ट्र	8
7. उड़ीसा	2
8. राजस्थान	4
9. तमिलनाडु	17
10. उत्तर प्रदेश	4
11. पश्चिम बंगाल	4
12. पांडिचेरी	1
योग	70

दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करना

1608. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रकार की दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त नीति कब तक तैयार किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(घ) अभी नीति तैयार की जा रही है और आशा है कि यह काम सितम्बर, 1985 तक या इसके आस-पास पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स मोदीनगर

1609. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर के प्रबन्धकों ने अपनी मिलों में वर्ष 1979 से आधुनिकरण पर पूंजी निवेश की उपेक्षा करके और खातों में अत्यधिक हानि दिखाकर रुग्ण होने दिया है;

(ख) क्या कम्पनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान भारी हानि बताकर अपनी तीन कपड़ा मिलें बन्द कर दी हैं और 10,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई कपड़ा नीति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स को लम्बे समय से चल रही श्रमिक अशांति और वस्त्र उद्योग में मंदी की स्थितियों के कारण 1980-81 से हानियां हो रही हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तीन सहायक कम्पनियां उनके सामने दी गई तारीखों से बन्द पड़ी हैं :

मोदी टैक्सटाइल्स लि०	9-7-1984
विशाल सिन्टेक्स लि०	3-10-1984
माडर्न स्पिनर्स	5-8-1983

इन एककों में कामगारों की संख्या लगभग 5,000 थी।

(घ) सरकार ने बन्द पड़ी मिलों की समस्याओं के लिए अधिकारियों का एक समूह नियुक्त किया है। समूह को इन मिलों की समस्याओं के बारे में जानकारी है।

स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत धन का वितरण

1610. **श्री राम स्वरूप राम : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों को स्व-रोजगार योजना

के अंतर्गत आगामी दो महीनों में 200 करोड़ रुपए वितरित करने हेतु निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने बेरोजगार युवक लाभान्वित हुए तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 28 मई, 1985 को हुई सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में ऋण मंजूर किए गए मामलों में राशियों के तुरन्त संवितरण पर जोर दिया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है जिन्हें वर्ष 1984-85 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत ऋण मंजूर किए गए थे।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 1985 तक बैंकों द्वारा मंजूर आवेदनों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13,084
2.	असम	7,642
3.	बिहार	14,806
4.	गुजरात	3,392
5.	हरियाणा	5,452
6.	हिमाचल प्रदेश	2,011
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	1,119
8.	कर्नाटक	12,810
9.	केरल	11,907
10.	मध्य प्रदेश	18,065
11.	महाराष्ट्र	18,667
12.	मेघालय	313
13.	मणिपुर	1,015
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	7,599

1	2	3
16.	पंजाब	12,212
17.	राजस्थान	15,382
18.	सिक्किम	49
19.	तमिलनाडु	22,500
20.	त्रिपुरा	707
21.	उत्तर प्रदेश	32,733
22.	पश्चिम बंगाल	22,965
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101
24.	अरुणाचल प्रदेश	60
25.	चंडीगढ़	300
26.	दादरा और नगर हवेली	68
27.	गोवा, दमन और दीव	337
28.	मिजोरम	202
29.	पांडिचेरी	400
	जोड़	2,25,898

स्रोत : डी० सी० (आई० एम० आई०) का कार्यालय/उद्योग मंत्रालय आंकड़े अनन्तिम हैं।

दिल्ली और बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोने तथा हशीश का पकड़ा जाना

1611. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1984-85 में दिल्ली और बम्बई में अब तक सोना, हशीश तथा अन्य सामान पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सीमा शुल्क समाहर्तालयों, दिल्ली, बम्बई और सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 और अप्रैल जून, 1985 की अवधि के दौरान अभिगृहीत की गई मुख्य-मुख्य निषिद्ध मदों का मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त है :—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

समाहर्तालय/ सीमा शुल्क	सोना	घड़ियां	सिंथेटिक फैब्रिक	खतरनाक औषध-द्रव्य	मुद्रा	अन्य	कुल	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985								
बम्बई	10.05	3.09	4.56	1.21	1.95	12.14	33.00	838
दिल्ली	2.12	0.87	0.38	3.04	0.36	1.95	8.72	226
अप्रैल-जून, 1985								
बम्बई	8.02	0.57	1.12	0.99	0.37	1.62	12.69	120
दिल्ली	1.78	0.04	2.14	—	0.11	0.69	2.79	53

आंकड़े अनन्तिम हैं।

जीवन बीमा निगम के लिए दावा न्यायाधिकरण और अपील दावा-न्यायाधिकरण गठित करना

1612. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यहां यह सच है कि उपभोक्ता संरक्षण संगठन जीवन बीमा निगम के लिए दावा न्यायाधिकरण और अपीलीय दावा न्यायाधिकरण गठित करने हेतु सरकार पर दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का जीवन बीमा निगम के लिए एक अन्तर्निमित उपचारात्मक प्रणाली के रूप में एक निर्धारण समिति (रेटिंग कमेटी) और पालिसीधारक सलाहकार परिषद गठित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार जीवन बीमा निगम को निवेश करने की शक्तियों पर लगाए गए प्रतिबन्धों से मुक्त करेगी; और

(ङ) क्या सरकार का निरन्तर समीक्षा और संशोधन के लिए एक मृत्यु-दर सारणी संबंधी समिति को गठित करने का भी प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद नामक एक संगठन है जो जीवन बीमा निगम द्वारा अस्वीकृत मृत्यु दावों के मामलों की जांच करने के लिए दावा अधिकरणों के गठन का समर्थन कर रहा है।

जीवन बीमा निगम के सेवा प्रदायी कार्यालयों द्वारा अकाल मृत्यु दावों की जांच की जाती है ताकि धोखाधड़ी वाले दावों के भुगतान की संभावना से बचा जा सके जो कि अन्ततः पालिसीधारिकों के लिए अहितकर प्रमाणित होंगे। कुल मृत्यु दावों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अस्वीकृत दावों का प्रतिशत नगण्य है और इसे देखते हुए इस प्रयोजन के लिए दावा अधिकरणों की स्थापना करने का कोई औचित्य साबित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, एक दावा समीक्षा समिति है जो दावेदारों से प्राप्त अपीलों पर सभी अस्वीकृत दावों के ब्यौरों की जांच पड़ताल करती है।

(ग) जीवन बीमा निगम की पहले ही मंडलीय कार्यालय स्तर पर पालिसीधारी परिषदें और क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड हैं।

(घ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27-क के उपबन्ध, जो जीवन बीमा निगम पर लागू होते हैं, और उसके अन्तर्गत बनाए गए निवेश सम्बन्धी नियमों के अधीन जीवन बीमा निगम को निवेश करने की शक्ति प्राप्त है।

(ङ) जी, नहीं।

मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा प्रकाशित तथा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाएं

1613. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय में मुख्य आयात तथा निर्यात नियन्त्रक द्वारा सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र में जारी तथा प्रकाशित की जाती है;

(ख) क्या सरकार को प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अनुसरण में बनाये गये सामान्य विरम के नियम तथा आदेशों को इन सार्वजनिक सूचनाओं से जारी किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के किन उपबन्धो के अन्तर्गत सरकार को इस प्रकार की सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने की शक्तियां दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचनाएं पूर्णतया प्रशासनिक स्वरूप की होती हैं न कि निगम जैसी, ताकि जनता के इच्छुक वर्गों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन द्वारा सरकार की नीति और सम्बद्ध प्रक्रिया तथा प्रशासनिक मामलों की जानकारी हो सके।

(ग) सार्वजनिक सूचनाएं और आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्यकारी शक्ति साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 14 और 21 के साथ पठित आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (विशेष रूप से धारा 3, 4, 4-ए से पी तक) से दी गई हैं।

पौंड स्टर्लिंग के सम्बन्ध में रुपए के मूल्य में गिरावट

1614. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के 31 प्रतिशत अवमूल्यन होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16.45 रुपये प्रति पौंड की दर निर्धारित करने पर भारतीय रुपये का 9 जुलाई, 1985 को ब्रिटिश पौंड के संबंध में और अवमूल्यन हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इतने बड़े उतार-चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) भारतीय रुपये के मूल्य में सुधार करने और उसका और अवमूल्यन रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

(घ) रुपये के विनियम मूल्य का निर्धारण भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों की करेंसियों की डाली के मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार रुपये तथा अन्य विभिन्न करेंसियों की विनिमय दर में वृद्धि अथवा गिरावट, इन करेंसियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। इस प्रकार, मुक्त विनिमय दरों के युग में रुपये के विनिमय मूल्य में ऐसे प्रायः होने वाले परिवर्तन, एक सामान्य घटना बन गई है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादन क्षमता का उपयोग

1615. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 जून, 1985 को राउरकेला में यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 90 लाख टन है जबकि उन्होंने दोषपूर्ण आयोजन के कारण गत वर्ष इस्पात का केवल 56 लाख टन उत्पादन किया था और यदि हां, तो आयोजना में दोषों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा प्रत्येक संयंत्र द्वारा उत्पादित इस्पात में से बिक्री योग्य इस्पात की मात्रा कितनी थी और अपनी क्षमता से कम उत्पादन किए जाने के लिए उत्तरदायी आयोजन के दोषों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षमता से कम उत्पादन करने के कारण, गत एक वर्ष में कितना घाटा हुआ है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता क्या है और उसमें से प्रत्येक संयंत्र द्वारा उत्पादित बिक्री योग्य इस्पात की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) दिनांक 25 जून, 1985 के "स्टेट्समैन" में मंत्री महोदय के वक्तव्य का सही रूपान्तर नहीं दिया गया है। उन्होने कहा था कि हमने देश का योजनागत विकास करने का रास्ता अपनाया है, इसके बावजूद, अन्य देशों की तुलना में भारत में इस्पात की खपत कम है।

(ख) से (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कारखानों की विक्रेय इस्पात की क्षमता तथा पिछले तीन वर्षों में इन कारखानों द्वारा किए गए उत्पादन और वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादन की बनायी गई योजना और अप्रैल-जून, 1985 के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

किसी भी औद्योगिक उपक्रम के वित्तीय परिणाम बहुत अधिक कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें क्षमता का उपयोग शामिल है। केवल एक कारक के आधार पर लाभ अथवा हानि की गणना करना उचित नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982-83 से 1985-86 (अप्रैल-जून) की अवधि में "सेल" के कारखानों की विक्रेय इस्पात की क्षमता तथा उत्पादन

(हजार टन)

मद/कारखाना	स्थापित क्षमता	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86 (वर्ष के लिए)		अप्रैल-जून 1985 की तिमाही के लिए			
		वास्तविक	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	वास्तविक	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	वास्तविक	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	योजना	स्थापित क्षमता का प्रतिशत	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की पूर्ति लक्ष्य	लक्ष्य की पूर्ति स्थापित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
विक्रेय इस्पात													
भिलाई इस्पात कारखाना	1965	1838	94	1574	80	1810	90*	2040	89*	422	408	97	76*
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1239	813	66	602	49	621	50	720	58	128	153	119	49
राउरकेला इस्पात कारखाना	1225	992	81	862	70	1013	83	1000	82	175	104	59	34
बोकारो इस्पात कारखाना	1971	1529	78	1288	65	1459	74	1720	87	386	296	77	60
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	800	500	63	444	55	380	48	480	60	99	119	121	60
सेल	7200	5672	7[illegible]	4771	66	5283	73*	5960	79*	1210	1080	89	58*

*भिलाई इस्पात कारखाने में 25 लाख टन चरण के सम्बन्ध में ।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात सम्भावनाओं का सर्वेक्षण

1616. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के साथ समझौता किया गया है; और

(ख) इसके परिणाम क्या हैं और निर्यात की संभावना वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन चल रहा है। क्षेत्रीय जांच पड़ताल पूरी होने पर अध्ययन के अन्तर्गत मुख्य निष्कर्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र से चुनिन्दा मदों के निर्यातों के संवर्धन के उपायों पर सुझाव शामिल होंगे।

मारुति कारों की बिक्री की जांच

1617. **श्री सनत कुमार मंडल** : यया **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान मारुति कारों को प्रति-कार 40 हजार से 50 हजार रुपये के बीच लाभ पर बेचने के बारे में उनके द्वारा दिए गए जांच आदेश का क्या परिणाम प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि व्यापारियों के अलावा डीलरों गैर-सरकारी और सरकारी कर्मचारियों (रक्षा सेवा के कर्मचारियों सहित) ने शुरू-शुरू में इन कारों की बिक्री से 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का लाभ कमाया था; और

(ग) अवैध रूप से जमा किए गए धन का पता लगाने और उस पर "गैर-अर्जित आय" के रूप में कर लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारी, मूल आबंटितियों द्वारा मारुति वाहनों के किए गए कुछ अन्तरणों की केवल जांच कर रहे थे ताकि इस प्रकार के लेन-देनों में लेखा बाह्य राशियों के निवेश का पता लगाया जा सके। चूंकि ऐसे मामलों में ग्रस्त कर निर्धारण कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित हैं, इसलिए कर-निर्धारितियों के पास अपनी विवरणियां 31-8-85 तक दाखिल करने का समय है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में यात्री चैकों का उपयोग

1618. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ते हुए आन्तरिक पर्यटन और व्यापार के साथ-साथ नकदी साथ ले जाने के जोखिम को देखते हुए यात्री चैक जनता के लिए एक उपयोगी सुविधा है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक कमीशन को कम करके या इसे पूर्णतः समाप्त करके जनता को कोई प्रोत्साहन दे जिससे इस सुविधा का उपयोग हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को यात्री चैकों की सुविधा दी जाती है। उस दिशा में ग्राहकों को शिक्षित करने और यात्री चैकों को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते रहते हैं। कर्मचारियों की प्रवृत्ति ग्राहक सेवा का एक अंग है, जिसे उच्च प्राथमिकता दी जा रही हैं। एक या दो अपवादों को छोड़कर, सामान्यतः भारतीय बैंक रुपया यात्री चैकों पर कोई कमीशन नहीं लेते।

एल्यूमीनियम की खानें

1619. **श्री बी० बी० रामैया** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल्यूमीनियन की खानों का ब्यौरा क्या है और वह स्थान/राज्य कौन से हैं जहां यह एल्यूमीनियम खानें स्थित हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ खानों के मुख्यालय इन खानों से बहुत दूरी पर हैं जिससे प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो इन खानों के मुख्यालयों का ब्यौरा क्या है और कार्य के वास्तविक स्थान से बहुत दूरी पर इन मुख्यालयों की स्थापना करने के कारण क्या हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए निम्नलिखित बाक्साइट खानें हैं :—

एल्यूमीनियम उत्पादक/कम्पनी	खान का नाम	स्थान/राज्य	खान से खान कार्यालय की दूरी	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय
1	2	3	4	5
बाल्को	1. अमरकंटक	अमरकंटक (म० प्र०)	खनन स्थल के समीप	नई दिल्ली
बाल्को	2. फुटकापहाड़	फुटकापहाड़ (मध्य प्रदेश)	खनन स्थल के निकट	नई दिल्ली
माल्को	1. येरकाड	येरकाड (तमिलनाडु)	"	मेटूर डैम
	2. कोलिमलाई	कोलिमलाई (तमिलनाडु)	"	मेटूर डैम
हिंडालको	1. श्रेंगडाग	श्रेंगडाग (बिहार)	80 कि० मी०	बम्बई
	2. मेदानपेट	मेदानपेट (बिहार)	55 कि० मी०	बम्बई
	3. रुदनीपाट	रुदनीपाट (बिहार)	40 कि० मी०	बम्बई
	4. अमरकंटक	अमरकंटक (म० प्र०)	6 कि० मी०	बम्बई

1	2	3	4	5
नाल्को	1. पंचपटमाली	पंचपटमाली (उड़ीसा)	14 मि० मी०	भुवनेश्वर
इंडाल	1. लोहारडागा	लोहारडागा (बिहार)	खनन स्थल के निकट	कलकत्ता
	2. चान्दगढ़	चान्दगढ़ (महाराष्ट्र)	खनन स्थल के निकट	कलकत्ता

खानों का प्रशासन खानों के निकट स्थान से चलाया जाता है। एल्यूमीनियम कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय बड़े/महानगर शहरों में स्थित हैं, क्योंकि उन्हें, केवल खानों की देखभाल ही नहीं बल्कि एल्यूमिना शोधनशाला, प्रद्रावक और देश के विभिन्न भागों में उत्पादों के विपणन आदि की भी देखभाल करनी होती है।

बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स

1621. **श्री अनिल बसु** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल काटन मिल्स ने एक नई मशीन खरीदी थी जो काफी लम्बे समय से बिना इस्तेमाल हुए पड़ी है;

(ख) यदि ऐसा है, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मशीन को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका इस्तेमाल कब से किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मशीन का इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े का उत्पादन लक्ष्य

1622. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने यी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े और जनता करड़े के उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि अतिरिक्त उत्पादन हथकरघा क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या मिल भी नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े का उत्पादन कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में मिलों और हथकरघों का कितना-कितना योगदान है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) सरकार ने कन्ट्रोल के कपड़े और जनता कपड़े के उत्पादन लक्ष्य को 650 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़ाकर 700 मिलियन वर्ग मीटर करने का विनिश्चय किया है। अतिरिक्त उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को आबंटित किया गया है।

कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा किया जाता है जबकि जनता कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में किया जाता है। वर्ष 1985-86 के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों और हथकरघा क्षेत्र का भाग क्रमशः 280 तथा 420 मिलियन वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

हाथकरघा बुनकरों के लिये वर्कशेड एवं आवास योजना

1623. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के लिये वर्कशेड एवं आवास योजना के प्रथम चरण में देश भर में 35,000 वर्कशेडों का निर्माण करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में, इस प्रकार की कितनी वर्कशेडों का निर्माण किथा जायेगा; तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 35,000 वर्कशेडों पर अनुमानतः कितना धन व्यय किया जायेगा;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिए सारी धनराशि उपलब्ध करायेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जायेगी और बकाया धनराशि की कौन व्यवस्था करेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत सरकार ने "बुनकरों के लिये वर्कशेड-सह-हाउसिंग योजना" नामक एक केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना को लागू करने का विनिश्चय किया है, जिसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना में 35,000 वर्कशेडों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जून, 1985 में राज्य सरकारों से वर्कशेडों की संख्या बताने का अनुरोध किया गया है, जिनका सम्बन्धित राज्य सरकारें निर्माण करना चाहती हैं। राज्यवार, ब्यौरे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) 10.50 करोड़ रु०।

(घ) जी नहीं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार 35,000 वर्कशेडों के निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के

रूप में दे रही है शेष लागत राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी, ऐसा योजना में राज्य सरकारों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित अधिकांश अन्य हथकरघा योजनाओं के लिए अपनायी गई सहायता प्रणाली के अनुरूप है।

(च) प्रति वर्कशेड की 3,000 रु० की कुल लागत में से 1,500 रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा और 1,500 रु० योजना को कार्यान्वित करने वाली अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा दिये जाएंगे।

[हिन्दी]

बिहार में बैंक शाखाएं खोलना

1624. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में 1100 बैंक शाखाएं खोलने के लिए 1 मार्च, 1985 का लक्ष्य रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि निर्धारित अवधि में केवल 400 शाखाएं खोली गयीं;

(ग) यदि हां, तो इतनी कम संख्या में शाखाएं खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में नई शाखाएं खोलने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिग नीति में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1981 की जन-गणना के अनुसार 17 हजार की आबादी के पीछे मार्च, 1985 तक एक बैंक कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिहार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1106 बैंक कार्यालय खोले जाने का अनुमान लगाया गया था। इसके मुकाबले विभिन्न बैंकों को 1151 नए केन्द्र आबंटित किये गये।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1985 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंकों ने बिहार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 833 नई शाखाएं खोली हैं। बैंकों को लम्बित लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों के आधार पर शाखाएं खोलने के लिए 30 सितम्बर, 1985 तक समय दे दिया गया है।

(घ) बिहार तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नए बैंक कार्यालय खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के वास्ते शाखा लाइसेंसिग नीति के अनुरूप विचार किया जायेगा। इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में काफी की खेती लोकप्रिय बनाना

1625. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में काफी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये उनके

मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा में काफी बोर्ड का एक शाखा कार्यालय खोला है; और

(ग) उड़ीसा में काफी के विकास के लिए उड़ीसा सरकार तथा उनके मंत्रालय ने वर्ष 1985-86 के लिये कितनी निधि की व्यवस्था की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) काफी बोर्ड उन्नत किस्म के काफी बीज, विस्तार सेवाएं, अनुसंधान तथा प्रदर्शन फार्मों की स्थापना के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ काफी उगाने के लिये उपदान भी देता है।

(ख) जी हां। कोरापुट में काफी बोर्ड के वरिष्ठ सम्पर्क अधिकारी का एक कार्यालय स्थित है।

(ग) काफी बोर्ड अखिल भारतीय आधार पर काफी के विकास के लिए ऋण तथा उपदान योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि प्रदान करता है। उड़ीसा में अलग-अलग उपजकर्ता और साथ ही राज्य सरकार एजेंसियां, जो काफी बागान में लगी हैं, किये गये काम की सीमा तक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। इसके अतिरिक्त काफी बोर्ड ने वर्ष 1985-86 के लिये उड़ीसा में बोर्ड के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 2.50 लाख रु० अलग से निर्धारित किये हैं। ऐसे पता चला है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए काफी के लिए 11.72 लाख रु० की राशि प्रदान की है।

कोलार स्वर्ण खान के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्यायें

1626. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण खान के 30,000 मजदूरों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ख) अभी तक किन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तथा (ख) कोलार गोल्ड फील्ड खानों के 13,000 (लगभग) कामगारों की मुख्य समस्याएं आवास और भविष्य में रोजगार को लेकर हैं। इन समस्याओं के हल के लिए कंपनी की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के दबाव के बावजूद, प्रयास अभी भी जारी हैं। कम्पनी को अयस्क ग्रेडों में गिरावट, घटते हुए अयस्क भंडारों, बढ़ती हुई उत्पादन लागत और अन्य ऊपरी खर्चों के कारण, हर वर्ष लगातार घाटा (वर्ष 1984-85 में 10.66 करोड़ रुपए) हो रहा है।

चोरी और उठाईगीरी के कारण भिलाई संयंत्र को हो रही हानि

1627. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में चोरी और उठाईगीरी के कारण वर्षवार कितनी हानि हुई है;

(ख) चोरी गए सामान की कितनी मात्रा बरामद हुई है और कितने मामलों में मुकदमा किया गया;

(ग) इस कदाचार और मामले में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हैं;

(घ) चोरी और उठाईगीरी के मामलों में वृद्धि हो रही है अथवा कमी; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं नटवर सिंह) : (क) से (घ) जानकारी नीचे दी गई है :—

(i) पिछले तीन वर्ष में चोरी तथा उठाईगीरी के कारण भिलाई इस्पात कारखाने में हुई हानि का ब्यौरा चीचे दिया गया है :—

वर्ष	चोरी तथा उठाईगीरी का मूल्य (लाख रुपये)
1982-83	8.72
1983-84	1.94
1984-85	1.83

(ii) बरामद हुए माल की मात्रा तथा चलाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	बरामद हुए माल का मूल्य (लाख रुपए)	चलाए गए मामलों की संख्या
1982-83	8.43	80
1983-84	1.18	86
1984-85	1.81	85

(iii) इन मामलों में शामिल कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	मामलों में शामिल कर्मचारियों की संख्या	चलाये गये मामलों की संख्या
1982-83	11*	10
1983-84	13	12
1984-85	7	6

*एक कार्यपालक अधिकारी सहित ।

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलेगा कि चोरी तथा उठाईगीरी के कारण हुई हानि में काफी कमी हुई है।

(ङ) कारखाने में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :—

(i) प्रवेश तथा बाहर जाने के सभी महत्वपूर्ण द्वारों (संवेदनशील स्थानों) पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात किये गये हैं और दिन तथा रात को गश्त की जाती है;

(ii) परिमापी दीवार के साथ रोशनी की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जब कभी आवश्यक होता है इनकी मरम्मत की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होगा कांटेदार तार लगाने की व्यवस्था की जा रही है;

(iii) कीमती सामान, ढके हुए शेडों तथा अल्मारियों में ताला लगा कर रखा जाता है;

(iv) अपराधियों के कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस से नियमित सम्पर्क बनाये रखा जाता है। उस क्षेत्र में अपराध तथा अपराधियों की समस्याओं पर विचार करने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा दी गई चेतावनी का सामना करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा पुलिस की आवधिक बैठकें की जाती हैं। इस क्षेत्र की बस्ती में पुलिस की संयुक्त गश्त करने की प्रक्रिया लागू की गई है;

(v) अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए गेट-पास की कड़ाई से जांच-पड़ताल की जाती है;

(vi) गेट पर सुरक्षा स्टाफ द्वारा इस्तेमाल के लिए 20 मेटल डिटेक्टर खरीदे गये हैं।

लघु बचत जमा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दिए गए प्रोत्साहन

1628. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों तथा बैंकों में "लघु बचत जमा" को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाने वाले जिलों तथा राज्यों को कोई पुरस्कार भी दिए जाते हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या प्रत्येक राज्य/जिले के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) क्या इस योजना को ब्लाक स्तर पर भी शुरू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस तिथि से किया जाएगा; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/जिलों के निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं तथा पुरस्कार विजेताओं के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) किसी राज्य के निवल अल्प बचत संग्रह का दो-तिहाई भाग उस राज्य को दीर्घावधिक ऋण के रूप में दे दिया जाता है। इस

ऋण की वापसी की अवधि, 5 वर्षों की प्रारंभिक आस्थगन अवधि सहित, 25 वर्षों की होती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी राज्य में सफल संग्रह की तुलना में निवल संग्रह का अनुपात, सकल और निवल संग्रह के बीच अनुपात के अखिल भारतीय औसत से ऊंचा हो, तो अखिल भारतीय प्रतिशतता की तुलना में राज्य के सकल और निवल संग्रह के बीच के प्रतिशत अनुपात में प्रत्येक 5 प्रतिशत वृद्धि के लिए निवल संग्रह के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ऋण दिया जाता है।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जिलों और राज्यों को कोई पुरस्कार नहीं दिए जाते। केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य/जिले अथवा खंड के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं

1629. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयत्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में (राज्य-वार) विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष, 1969 में बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय से ही भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की रही है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के खोले गए कार्यालयों की राज्यवार/जनसंख्या-समूहवार संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दी गई है।

विवरण

अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 (दिसम्बर, 1984) तक की अवधि के दौरान खोले गए वाणिज्यिक बैंकों में कार्यालयों की राज्यवार/जनसंख्या-समूहवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय/पत्तन नगर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	662	39	63	57	821
2.	असम	180	32	5	—	217
3.	बिहार	633	43	43	—	719

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	328	27	45	35	435
5.	हरियाणा	119	20	32	—	171
6.	हिमाचल प्रदेश	100	2	—	—	102
7.	जम्मू और काश्मीर	96	3	15	—	114
8.	कर्नाटक	581	56	64	62	763
9.	केरल	74	105	27	7	213
10.	मध्य प्रदेश	823	71	57	—	951
11.	महाराष्ट्र	600	30	75	76	781
12.	मनीपुर	15	—	1	—	16
13.	मेघालय	41	4	2	—	47
14.	नागालैंड	12	3	—	—	15
15.	उड़ीसा	298	40	28	1	367
16.	पंजाब	201	20	46	—	267
17.	राजस्थान	461	44	55	—	560
18.	सिक्किम	10	2	—	—	12
19.	तमिलनाडु	380	61	73	68	582
20.	त्रिपुरा	13	3	1	—	17
21.	उत्तर प्रदेश	1502	87	107	30	1726
22.	पश्चिम बंगाल	282	63	21	55	421
23.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	—	—	—	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	14	2	—	—	16
25.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—
26.	चण्डीगढ़	7	—	10	—	17
27.	दिल्ली	7	1	—	100	108
28.	गोवा, दमन और दीप	10	1	—	2	13
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	18	2	—	—	20
31.	पांडिचेरी	3	1	—	3	7
	कुल	7471	762	770	496	9499

आंकड़े अनन्तिम हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला संसाधनों का सन्दोहन

1630. **श्री बाजु बन रियान** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी मात्रा में कोयला संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र का विकास करने के लिए इन संसाधनों का सन्दोहन करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संसाधनों के सन्दोहन के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अनेक कोयला क्षेत्रों में कुल 894 मि० टन कोयले के भंडारों का अनुमान लगाया है। कोयला स्रोतों में अधिकांश दृढ़ कोयला सीमों की शकल में है और इसलिए इन स्रोतों का अधिकांश भाग अनुपयुक्त रहता है। कोयले का दोहन कोल इंडिया लि० द्वारा असम के माकुम और दिल्ली-जयपोर कोयला क्षेत्रों में किया जा रहा है। नमचिक कोयला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और दारांगिरी कोयला क्षेत्र तथा मेघालय के स्रोतों का दोहन करने के लिए कोल इंडिया लि० योजना बना रहा है। कोयले के दोहन की दृष्टि से विकास करने के पांच और खानों को निर्दिष्ट किया गया है।

"आपरेशन केतु" के अन्तर्गत मारे गए छापे

1631. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सीमा शुल्क की भारी चोरी और सीमा शुल्क नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए राजस्व गुप्तचर विभाग के महानिदेशालय ने "आपरेशन केतु" के अन्तर्गत हाल में कितने छापे मारे;

(ख) छापों के दौरान पकड़े गए आर्थिक अपराधों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) अधिवक्ताओं और गैर-सरकारी चिकित्सकों, जैसे आयकर वंचकों सहित आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह में राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और बंगलौर में ऐसी कार्यवाही की गई थी और इस कार्यवाही के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के संबंध में 134 परिसरों पर छापे मारे गए थे।

(ख) लगभग 4.40 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया था तथा अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए थे जिनसे विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी लेन-देन का पता चलता है और जिसमें बहुत बड़ी राशि ग्रस्त है।

(ग) आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित उपायों में, निषिद्ध माल के पकड़ने, जब्त करने और सम्बन्धित व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाने सहित अपराधों का न्याय

निर्णयन करना है। गंभीर अपराधों के मामलों में अपराधियों के खिलाफ अदालतों में मुकद्दमा चलाया जाता है। प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनरों और अधिवक्ताओं सहित आयकर अपवंचकों के विरुद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऐसी ही कार्रवाई की जाती है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था

1632. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज विरोधी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ में बचाव के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने की विचार है;

(ख) क्या संयंत्र के औद्योगिक सुरक्षा कर्मचारी लगातार कई वर्षों से एक ही जगह तैनात हैं और उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की समान रूप से स्थानान्तरण नीति नहीं अपनाई गई है;

(ग) औद्योगिक सुरक्षा संगठन के परामर्श से कर्मचारियों की समय-समय पर बारी-बारी से बदली करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या गृह मंत्रालय के औद्योगिक सुरक्षा दल ने सुरक्षा-व्यवस्था के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं और क्या प्रबन्धकों द्वारा उनका पालन किया जाता है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त नियंत्रण, महत्वपूर्ण स्थापना के स्थान पर दिन-रात के लिए गार्ड की तैनाती, चल गश्त, अपराध आसूचना का संकलन तथा अनुवर्ती कार्रवाई आदि कार्रवाई करके सुरक्षात्मक उपाय करने पर जोर दिया गया है।

(ख) और (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने की औद्योगिक सुरक्षा का काम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है। निर्धारित नीति के अनुसार कारखाने में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की बदली नियमित अन्तराल पर की जाती है।

(घ) गृह मंत्रालय के आसूचना ब्यूरो के औद्योगिक सुरक्षा दल ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं। औद्योगिक सुरक्षा दल की कुछ सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

जले ग्रामोद्योग केन्द्र बिहार स्थित इंडियन बैंक की शाखा द्वारा किसानों को दिया गया ऋण

1633. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले ग्रामोद्योग केन्द्र स्थित इंडियन बैंक शाखा में राज सहायता की कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) उपर्युक्त बैंक द्वारा मार्च, 1985 तक सिंचाई के ट्यूबवैल लगाने के लिए कितने

किसानों को धन दिया गया है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक किसान को कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या इन किसानों को राज सहायता की राशि भी मिल गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर दी जाएगी।

[अनुवाद]

आयकर के लम्बित मामले

1634. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1984 को 25,000 रुपए तक के आयकर के कितने मामले लम्बित थे;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान आयकर के कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) 31 मार्च, 1985 को कितने मामले लम्बित थे और उसके लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जिसको उपलब्ध होते ही यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

गैर-सरकारी गृह निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों की स्थापना

1635. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक मात्र रूप से गैर-सरकारी गृह निर्माण के लिए ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक स्थापित करने का है और क्या सरकार को उनमे लाभ होने की संभावना है;

(ख) उक्त बैंकों में पूंजी निवेश में केन्द्रीय सरकार का अंश कितना होगा; और

(ग) क्या ऐसे बैंक सभी राज्यों में स्थापित किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसे बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को पश्चिम बंगाल के चाय बागानों से ऋण के लिए मिले आवेदन पत्र

1636. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ब्याज राज सहायता योजनाओं के

अंतर्गत पश्चिम बंगाल के कुछ चाय बागानों से ऋण के लिए आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में, ऐसे चाय बागानों के लिए, जिनमें रुग्णता के लक्षण दिखाई दिए हैं, मंजूर की गयी और/अथवा मंजूरी की संभावना वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित ऐसे आवेदन पत्रों में कितना वित्तीय परिव्यय शामिल है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को चाय बागानों से वित्तीय सहायता के लिए 41 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 28 योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। 3 और योजनाएं सभी प्रकार से पूरी हैं। बाकी प्रस्तावों में से 8 योजनाएं अभी वित्तीय बैंकों द्वारा प्रायोजित की जानी हैं और 2 योजनाओं में संशोधन किया जाना है।

(ग) चाय बोर्ड की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दार्जीलिंग जिले के चाय बागानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दी जा रही सहायता को छोड़कर, पश्चिम बंगाल में उन चाय बागानों की सहायता करने के लिए, जिनमें रुग्णता के चिह्न दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इन 28 स्वीकृत योजनाओं के लिए वित्तीय बैंकों द्वारा 7.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और इसके बदले राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 6.60 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करायी जानी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के संशोधित वेतनमान

1637. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संघ ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1.73 लाख अधिकारियों के संशोधित वेतनमानों की घोषणा की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने भारतीय बैंक संघ और बैंक अधिकारी संघ की सहमति से निर्धारित वेतनमान संशोधित कर दिए हैं और उनके लागू होने की तारीख भी बदल दी है;

(ग) क्या इससे वेतन निर्धारण में विषमतायें उत्पन्न होंगी;

(घ) क्या उपरोक्त विषमताओं के कारण बैंक अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त है और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय बैंक संघ (आई० बी० ए०) ने अधिकारियों के संशोधित वेतनमान सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में परिचारित कर दिए हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन संशोधन का मामला अधिकारियों के

संघ के साथ बातचीत या समझौते का मुद्दा नहीं है। फिर भी परम्परा के अनुसार भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य यूनियनों के साथ परामर्श किया था और उनकी सिफारिशों को सरकार के पास भेज दिया था। सरकार ने भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों तथा अन्य सम्बद्ध बातों का ध्यान रखते हुए संशोधित वेतनमानों पर अंतिम निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमानों के लागू हो जाने पर अधिकारियों के वेतन बिल में लगभग 13.5 प्रतिशत अर्थात् प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

(ग) सरकार को बताया गया है कि संशोधित वेतनमानों से विशेष विषमताएं पैदा नहीं होंगी।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

कोकिंग कोल का आयात

1638. **श्री विमल कान्ति घोष : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० पौलेंड से आयातित कोकिंग कोल का भुगतान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आस्ट्रेलिया से आयातित कोकिंग कोल के लिए भुगतान किये गए मूल्य की तुलना में काफी ऊंची दर पर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा पौलेंड से ऊंची दरों में कोकिंग कोल खरीदने के क्या कारण हैं;

(घ) पौलेण्ड और आस्ट्रेलिया को कोकिंग कोल के मूल्यों में अन्तर होने के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को कितनी धनराशि अधिक खर्च करनी पड़ी; और

(ङ) भारत में उपलब्ध कोकिंग कोल के मूल्य (भाड़े सहित) की तुलना में आयातित कोकिंग कोल के मूल्य कितने हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को पोलैण्ड से कोककर कोयले के बारे में एक पेशकश प्राप्त हुई है जो आस्ट्रेलिया से निम्नतम मूल्य की पेशकश वाले निविदाकर के कोककर कोयले की लागत से मामूली अधिक है। होलैण्ड को अभी कोई आर्डर नहीं दिया गया है। कोककर कोयला सहित पोलैण्ड से वस्तुओं की खरीद करने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है क्योंकि भुगतान रुपयों में होता है।

(ङ) वर्ष 1985-86 में भिलाई इस्पात कारखाने (जहां आयातित कोयले की अधिकांश मात्रा इस्तेमाल में लायी जाती है) में आयातित कोयला उतरने पर प्रति टन आयातित कोयले की औसत लागत लगभग 1225 रुपये होने की संभावना है जबकि भिलाई इस्पात कारखाने में प्रति टन देशीय कोककर कोयले की लागत लगभग 683 रुपये बैठती है।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी के लिए गिरफ्तारी

1639. **श्री लाला राम केन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशों से अवैध रूप से सोना लाने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार

किया गया है और अब तक कुल कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया है; और

(ख) पकड़े गये उक्त सोने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ अथवा हानि होने की संभावना है ?.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान पकड़े गए सोने की कुल मात्रा तथा उसका मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1984	551	10.24
1985 (जून तक)	1360	27.82

(वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं।)

सोने की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देश-भर में तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसमें सोने की तस्करी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या भी शामिल है, निम्नोक्त है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984	2345
1985 (जून तक)	1235

(वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) अभिग्रहणों की कार्यवाही से, सोना अवैध बाजार में नहीं आ पाता है और काले धन, सट्टेबाजी, आदि को बढ़ावा नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

देश के बाजारों में कमी होने के बावजूद वस्तुओं का निर्यात

1640. **श्री चिंता मोहन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुख्य वस्तुओं के निर्यात में सुधार हुआ है और यदि हां, तो कच्चे कृषि उत्पादों, अयस्क जैसी अपरिष्कृत वस्तुओं और निर्मित सामान के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मछली, मांस, सब्जियों, फल और अन्य संरक्षात्मक खाद्य वस्तुओं जैसी कुछ वस्तुओं का देश के बाजारों में भारी कमी होने के बावजूद निर्यात किया जा रहा है और

यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी नीतियां की पुनरीक्षा करने का है जिनसे कुपोषण हो रहा है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 1984-85 के प्रथम 9 महीनों और इसकी तुलना में गत वर्ष की उसी अवधि के लिए कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों, अयस्क तथा खनिज और विनिर्मित माल की चुनिन्दा प्रमुख मदों के सम्बन्ध में भारतीय निर्यात मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) सरकार का मूल उद्देश्य अधिकाधिक मात्रा में निर्यातों को बढ़ाना है परन्तु वह इस प्रकार कि जिससे देश में आवश्यक रूप से अपेक्षित मदों के अविनियमित निर्यातों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। अतः ऐसी कुछेक मदों के सम्बन्ध में निर्यात नियन्त्रण का प्रयोग किया जाता है जिनकी पूर्ति स्थिति से यह अपेक्षा होती है कि उनके निर्यात देश के अधिकाधिक हित में विनियमित किये जाएं। इस सम्बन्ध में नीतियों की आवश्यकतानुसार, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों, अयस्क तथा खनिजों और विनिर्मित माल की चुनिन्दा प्रमुख मदों के भारतीय निर्यात

(मूल्य : करोड़ रु०)

सं०	मदें	अप्रैल-दिसम्बर 1983-84 (अनन्तिम)	अप्रैल-दिसम्बर 1984-85 (अनन्तिम)	प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर 1984-85/अप्रैल-दिसम्बर 1983-84
1	2	3	4	5
(1)	**कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद**			
1.	चाय तथा मेट	370.20	535.04	+44.5
2.	काफी तथा काफी प्रतिस्थापन वस्तुएं	154.40	150.71	—2.4
3.	तम्बाकू अविनिर्मित	128.74	132.98	+3.3
4.	चीनी तथा चीनी से तैयार वस्तुएं	106.08	16.26	—84.7
5.	काजू गिरी	129.08	138.56	+7.3
6.	सब्जियां तथा फल (काजू गिरी के अतिरिक्त)	103.67	105.14	+1.4

1	2	3	4	5
7.	खाली	91.68	88.32	—3.7
8.	मसाले	69.55	122.21	+75.7
9.	समुद्री उत्पाद	243.71	238.01	—2.34
10.	मांस तथा मांस से तैयार वस्तुएं	47.00	52.08	+10.8
11.	चावल	56.63	67.47	+19.1
12.	कपास	130.87	52.64	—59.8
	उल्लिखित कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों का योग	**1631.61**	**1699.42**	**+4.2**
(2)	**अयस्क तथा खनिज**			
13.	लौह अयस्क	273.63	273.16	—0.2
14.	मैंगनीज अयस्क	14.65	9.72	—33.7
15.	अभ्रक	23.43	14.30	—39.0
16.	अयस्क, लौह अयस्क मैंगनीज तथा अभ्रक के अलावा खनिज	22.39	34.98	+56.2
	अयस्कों तथा खनिजों की उल्लिखित मदों का योग	**334.10**	**332.16**	**—0.6**
(3)	**विनिर्मित माल**			
17.	सूती यार्न	12.87	19.32	+50.1
18.	सूती वस्त्र	192.79	292.92	+51.9
19.	सिलेसिलाए वस्त्र	365.96	497.73	+36.0
20.	पूर्णतया अथवा मुख्यतया सूती तैयार माल	59.71	60.32	+1.0
21.	मानव निर्मित रेशे के वस्त्र	22.15	15.79	—24.2
22.	रेशमी वस्त्र	28.03	35.16	+25.5
23.	जूट उत्पाद	137.82	214.69	+55.8
24.	कयर तथा कयर उत्पाद	17.34	6.76	—3.3
25.	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद (फुटवियर के अलावा)	235.31	344.44	+46.38

1	2	3	4	5
26.	फुटवियर	13.70	20.78	+51.7
27.	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	190.91	275.82	+44.5
28.	रतन तथा आभूषण	938.56	887.75	—5.4
29.	हस्तनिर्मित कालीन	143.71	159.02	+10.7
30.	कलाकृतियां	88.63	101.62	+14.7
31.	धातु उत्पाद (लोहा तथा इस्पात के अलावा)	144.20	145.85	+1.1
32.	मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	367.97	398.53	+8.3
33.	लोहा तथा इस्पात (उत्पादों सहित)	35.60	46.16	+29.7
	विनिर्मित माल की उल्लिखित मदों का योग	2995.26	3533.66	+18.0
	कुल योग (अन्य मदों सहित)	8887.32	8146.17	+18.8

टिप्पणी : (अ) वस्तुवार आंकड़े अनन्तिम और संशोधन के अध्यधीन हैं ।

स्रोत : वाणिज्यक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज सहायता प्राप्त दरों पर कोयले के आबंटन का प्रस्ताव

1641. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को, जहां रेल सुविधाएं नहीं हैं, राज सहायता प्राप्त दरों पर कोयले का आबंटन करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में कोयले आदि जैसा वैकल्पिक ईंधन सप्लाई करके वहां जलाने की लकड़ी की भारी कमी को पूरा करने का पहले से कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों की कोयले की जरूरत कोल इंडिया लि० पूरी करेगा। परन्तु, कोयले का परिवहन सड़क से करना पड़ेगा और उपभोक्ताओं को समुचित वितरण का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों को करना पड़ेगा ।

मुक्त मुद्रा क्षेत्र पश्चिमी देशों को अभ्रक का निर्यात

1642. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से मुक्त मुद्रा क्षेत्र (पश्चिमी देशों) को 1984-85 के दौरान अभ्रक का कुल कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सामान्य मुद्रा क्षेत्र को संसाधित अभ्रक के निर्यात, जोकि माइका ट्रैडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मार्गीकृत है, 1984-85 के दौरान निगम द्वारा अनन्तिम रूप से 14405 मै० टन निर्धारित किए गए हैं जिसका मूल्य अनुमानतः 7.18 करोड़ रु० है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

1643. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे समान उत्पादों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र को इस मामले में समुचित निदेश जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि/महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों जैसे कोयला, इस्पात आदि की उस मूल्य वृद्धि से है जिसके लिये सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है । इनके लिये सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य-वृद्धि मुख्यतः काम में आने वाली सामग्री की लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिये है न कि इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये है । अतः इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि अपरिहार्य हो जाती है, हालांकि उसका विश्व बाजार में उत्पादों की स्पर्धात्मक स्थिति पर भी असर पड़ता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए (ख) का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्रीलंका के तमिलों से सोने के बिस्कुट जब्त करना

1644. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव से दिनांक 19 तथा 20 मई, 1985 को विमान द्वारा त्रिवेन्द्रम तथा त्रिची आने वाले श्रीलंका के तमिलों से सोने के बिस्कुट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो निषिद्ध माल का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) क्या इससे देश में होने वाली तस्करी की गतिविधियों में एक और नया आयाम जुड़ गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 36 व्यक्तियों को

और उनके धन्धे में सहभागी उनके दो साथियों को त्रिवेंद्रम और मदुरै में रोका गया था और उनके पास से 97.10 लाख रुपये के मूल्य की दस-दस तोले वजन की सोने की 386 छड़ें बरामद की गई थीं। उपर्युक्त 36 व्यक्ति माले से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के जरिये 17 और 18 मई, 1985 को आये थे। पकड़े गये 32 व्यक्ति श्रीलंका के राष्ट्रिक थे।

(ग) माले से आए अनेक विदेशी राष्ट्रिकों से एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी का सोना पकड़े जाने की यह एक नई घटना है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के उच्चाधिकारियों की आस्तियों का मूल्यांकन

1645. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के उच्चाधिकारियों की चल और अचल सम्पत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा किस एजेंसी का;

(ग) क्या सरकार की इन दो प्रमुख भुजाओं के अधिकारियों को अपनी चल और अचल सम्पित्तियों के स्रोतों की घोषणा करने को कहा जाएगा;

(घ) क्या मूल्यांकन में उनकी पत्नियों, लड़कों, लड़कियों और अन्य सम्बन्धियों द्वारा संचित सम्पत्तियों को भी शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली) के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, अपनी पहली नियुक्ति के समय अपनी परिसम्पत्तियां, देनदारियों की विवरणी प्रस्तुत करनी होती है जिसमें पैतृक स्वामित्व की अथवा उसके द्वारा प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी को अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण-पत्र भी दाखिल करना होता है। जहां तक चल सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 2,000 रु० से अधिक की चल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण अथवा निपटान के लिए जैसी भी स्थिति हो, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है अथवा सरकार को सूचित करना होता है। सम्पत्ति के वार्षिक विवरणियों तथा चल तथा अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण अथवा निपटान के सम्बन्ध में प्राप्त दरख्वास्तों तथा ऐसे अधिग्रहण के स्रोत की संवीक्षा का कार्य स्वयं विभाग में ही किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ) चल तथा अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा निपटान के बारे में उपर्युक्त नियम सरकारी कर्मचारी के/की पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री तथा नियमों में यथापरिभाषित परिवार के दूसरे सदस्यों पर लागू होते हैं।

कोलार सोना खानों का बन्द होना

1646. **श्री बी० पापी रेड्डी :**

श्री जी० भूपति :

श्री हरि कृष्ण शास्त्री :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबसे पुरानी सोना खानें अर्थात कोलार सोना की खानें बन्द हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोलार गोल्ड माइन्स को तत्काल बन्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन कोलार में स्वर्ण खनन 3,000 मीटर से भी अधिक गहराई तक पहुंच गया है तथा शेष सीमित भंडारों से लम्बे समय तक स्वर्ण उत्पादन नहीं किया जा सकता।

श्रीनिवासपुर, जिला कोलार, कर्नाटक में सोने का पता लगाने के लिए किया गया सर्वेक्षण

1647. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासपुर, जिला कोलार, कर्नाटक में सोने का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) कितना सोना मिलने का अनुमान है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अब तक के सर्वेक्षणों से क्षेत्र में आर्थिक महत्व के किन्ही स्वर्ण निक्षेपों का पता नहीं चला है।

जीवन बीमा निगम का विभाजन

1648. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** जीवन बीमा निगम के विभाजन के निर्णय के बारे में 3 मई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के विभाजन का विचार पूरी तरह से त्याग देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय जीवन बीमा निगम के विभाजन से सम्बन्धित विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने के प्रश्न की सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी। अब यह निर्णय किया गया है कि इस मामले में और आगे कारंवाई न की जाए।

निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं का निर्यात

1649. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी व्यापारियों को गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्यात करने वाले अनेक देशों की तुलना में भारतीय गेहूं ज्यादा महंगा है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात के लिए राज सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) प्राइवेट व्यापारियों द्वारा अभी तक किसी निर्यात की सूचना नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खान कुटुम्ब पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के लाभों को उदार बनाना

1650. **श्री वी० तुलसी राम :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कुटुम्ब पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के लाभों को उदार बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला खनिक के परिवार को दी जाने वाली पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है; और

(घ) देश के कोयला खान लाभग्राहियों के अनुमानित संख्या क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधीन देय लाभों को उदार बनाने के लिए जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं उसमें यह बातें शामिल हैं :—

(1) मासिक परिवार पेंशन की दरों में वृद्धि,

(2) वर्तमान पेंशन भोगियों की पेंशन राशि में वृद्धि,

(3) परिवार पेंशन निधि में शामिल होने की उम्र का परिवार पेंशन की राशि और जीवन बीमा लाभों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए,

(4) अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के भुगतान को युक्तिपूर्ण बनाना; और

(5) परिवार पेंशन, सदस्य की मृत्यु के दूसरे दिन से ही देय हो।

(ग) न्यूनतम परिवार पेंशन = रु० 60 प्रतिमाह
अधिकतम परिवार पेंशन = रु० 320 प्रतिमाह

(घ) कोयला खान परिवार पेंशन योजना के अधीन लाभ पाने वालों की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) पेंशन भोगियों की संख्या 4,800 लगभग

(2) जीवित सदस्यों की संख्या 6.75 लाख (लगभग)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को अनुदानों का आबंटन

1651. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अनुदान के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि में ऋण के रूप में उसको कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) ऋण तथा अनुदान की राशियों का अनुपात क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1982-85 के दौरान मध्य प्रदेश को जारी की गई राज्यीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ऋण	अनुदान	केन्द्रीय सहायता का जोड़
1982-83	143.11 (72.31)	54.79 (27.69)	197.99
1983-84	166.57 (68.47)	76.69 (31.53)	243.26
1984-85	198.21 (70.00)	84.95 (30.00)	283.16

ब्रेकिट में दिए गए आंकड़े वर्ष के दौरान जारी की गई कुल राशि में ऋणों तथा अनुदानों के भाग के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान पटसन उत्पादों का निर्यात

1652. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान पटसन उत्पादों का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष में पटसन उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना के दौरान जूट उत्पादों के निर्यात के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) उद्योग द्वारा सदृश निष्पादन के आधार पर जूट कालीन अस्तर कपड़े तथा घन के लिए अधिक नकद मुआवजा सहायता देना;

(2) उत्तर अमरीका को कालीन अस्तर कपड़े का निर्यात करने के लिए 50 : 50 का भागीदार होने के आधार पर एस० टी० सी० जूट उद्योग के साथ संघ बनाना;

(3) आर० एण्ड डी० के प्रयासों के माध्यम से निर्यात योग्य उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना;

(4) आर० एण्ड डी० प्रयासों को और निर्यात संवर्धन को बढ़ाने के लिए जूट उपकर की आय में से नयी जे० एम० डी० सी० जूट निधि बनाना,

(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने की व्यवस्था करना और समय-समय पर बाजारोन्मुख व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को प्रायोजित करना।

(ख) 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के दौरान जूट सामानों के निर्यात का अनुमान 3 लाख मी० टन है।

कोयले की कमी के कारण उद्योगों का बंद होना

1653. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मुख्य उद्योगों सहित देश भर में उद्योगों को कोयले की कमी के कारण, जो गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं, उद्योगों को बंद करने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है अथवा उन्हें अपना कार्य काफी सीमा तक कम करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि उद्योगों को कोयले की सप्लाई इस वर्ष जनवरी से घटा दी गयी है, किन्तु गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए निर्धारित कोयले के बहुत से रेक ताप विद्युत केन्द्रों को भेज दिए जाने के कारण मई में स्थिति बेहद खराब हो गई; और

(ग) यदि हां, तो उद्योगों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) अधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए कोयले का उत्पादन गत वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कोयले का परिवहन रेल के जरिए हो। चालू वर्ष के दौरान रेल द्वारा कोयले के लदान में सराहनीय वृद्धि हुई है जोकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

कोयला और कोयला उत्पादों का औसत दैनिक लदान
(चार पहियों वाले वैगन प्रतिदिन के अनुसार)

	अप्रैल-जून, 1984	अप्रैल-जून, 1985
कोल इंडिया लि०	9795	10413
अखिल भारतीय	11410	12429

रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में, अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को उच्चतर प्राथमिकता मिलती है। कुछ कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिन इकाईयों को कम अग्रता मिलती है उन्हें यह सुविधा है कि वे रेल ढुलाई से कमी होने पर सड़क द्वारा कोयला ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लें।

इसके अलावा, कोल इंडिया लि० ने 7 मिलियन टन से अधिक मात्रा में कोयला सड़क से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है। यह कोयला, कोयले के वितरण को उदार बनाने की योजना के अधीन उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अधीन कोई भी उपभोक्ता किसी प्रकार के प्रायोजन के बिना निर्दिष्ट कोलियरियों से एक बार में 500 टन तक कोयला ले सकता है।

कभी-कभी, असाधारण परिस्थितियों में, औद्योगिक उपभोक्ताओं को जाने वाले कुछ कोयला रैक रेलवे द्वारा ऐसे ताप बिजली घरों की ओर मोड़ दिए जाते हैं जहां कोयले का स्टाक बहुत कम होता है। यह कार्रवाई उन बिजली घरों को बंद होने से बचाने के लिए की जाती है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को बाद में कोयला पहुंचा कर उनकी कमी पूरी कर दी जाती है।

जुलाई से अक्तूबर तक के महीनों में कम अग्रता प्राप्त क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी रेल से अधिक कोयला मिलेगा।

निरीक्षण निदेशालय में स्वीकृत पद

1654. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निरीक्षण निदेशालय और अनुसंधान सांख्यिकी तथा जन सम्पर्क विभाग में सम्पर्क विभाग में सहायक, प्रधान लिपिक, कार्यक्रम सहायक, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक के कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं;

(ग) क्या आरक्षित पदों के स्थान पर बहुत से पद सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों के लिए रोस्टर नीति को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) स्थिति इस प्रकार है:—

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या		
		सामान्य	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	2	3	4	5
सहायक	12	9	2	1
प्रधान लिपिक	10	7	2	1
प्रोग्राम सहायक	2	1	—	—
आशुलिपिक				
विशेष ग्रेड	3	3	—	—
वरिष्ठ ग्रेड	9	7	—	—
साधारण ग्रेड जिसमें हिन्दी के लिए एक पद भी शामिल है	14	5	—	—
प्र० श्रे० लि०	59	46	9	3

(ग) से (ङ) अ० जा०/अ० ज० जा० के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियों को अनारक्षित किया गया था और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया था। तथापि आरक्षण अनुवर्ती भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाए जा रहे हैं। आरक्षित रिक्त पद अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों द्वारा भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

"डेड बर्न्ट मैग्नेजाइट" का आयात

1655. **श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ने "डेड बर्न्ट मैग्नेजाइट" आयात करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस उत्पाद के भारतीय उत्पादकों से इस निर्णय के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, क्योंकि अधिकतम शुद्धता का डेड बर्न्ट मैग्नेजाइट सामान्यत: देश में उपलब्ध नहीं होता है।

(ख) जी हां।

(ग) जब तक अधिकतम शुद्धता का डेड बर्न्ट मैग्नेजाइट स्वदेश में उपलब्ध होता है, तब तक इस मद का आयात बन्द करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में उच्चतम स्तर के रिक्त पद

1656. **श्री बी० एस० बसवराजू :**
श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :

क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की विभिन्न सहयोगी कम्पनियों में पदावधि पूरी हो जाने के कारण अथवा विद्यमान पदधारी के त्यागपत्र देने के कारण चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशकों के कुल कितने पद रिक्त हैं अथवा रिक्त होने की सम्भावना है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कुछ सिद्धहस्त व्यक्तियों का चयन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस समय दो पद अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त एन० टी० सी० के एक सहायक निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक ने त्यागपत्र देने के अपने आशय का नोटिस दिया है। इस वर्ष अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबन्धकों की कार्यकाल अवधि बढ़ाने के निर्णयों पर निर्भर करेगी।

(ग) रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उचित उम्मीदवारों के चयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्यवाही योजना बनाना

1657. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1985 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंको के लिए एक कार्यवाही योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बैंकों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और वे इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 28 मई, 1985 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलायी थी। बैंकों के कार्य को सुधारने के विचार से यह निर्णय लिया गया था कि बैंक, प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकें अपनायें और सेवा की गति और क्वालिटी में सुधार लाने के वास्ते, कम्प्यूटरों तथा आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल आरम्भ करें। मुख्य कार्यपालकों से अनुशासन लागू करने और जन-

शक्ति की क्वालिटी के स्तर को ऊंचा करने के लिए भी कहा गया। ठोस कार्रवाई करने के लिए जिन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया उनमें सुव्यवस्थित रखरखाव, खासकर, लेखा बहियों को संतुलित करना और अन्तर-शाखा/अन्तर बैंक लेनदेनों का समाधान शामिल है। बैंकों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित योजना तैयार करने की सलाह दी गयी जिनके निष्पादन में कमियां पाई गई थीं।

उक्त बैठक में लिए गये अनेक निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

बैंक डकैतियां

1658. **श्री श्रीहरि राव :**
श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :
कुमारी पुष्पा देवी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बैंक डकैतियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में 1983 में हुई बैंक डकैतियों की संख्या की तुलना में 1984 में हुई बैंक डकैतियों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें कुल कितनी धनराशि लूटी गयी और अब तक कितनी राशि बरामद कर ली गई है;

(घ) क्या सरकार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाया है/सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इन उपायों के कार्यान्वयन से 1985 की पहली तिमाही के दौरान बैंक डकैतियों की संख्या में कमी आयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष, 1973 और 1984 में बैंक डकैती/लूटपाट की वारदातों की संख्या, उनमें अंतर्ग्रस्त राशि और बरामद कर ली गयी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े अन्नतिम)

वर्ष	बैंक डकैती/लूटपाट की वारदात	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)	बरामद कर ली गई राशि (लाख रुपये)
1983	100	लगभग 126.79 लाख रुपये, और लगभग 43.04 लाख रुपये के मूल्य का सोना और लगभग 1492.5 ग्राम वजन का सोना/गहने	लगभग 38.40 लाख रुपये और लगभग 6 लाख रुपये मूल्य का सोना
1984	96	लगभग 153.60 लाख रुपये और 11 लाख रुपये के मूल्य का सोना/गहने और 4 पार्सल	लगभग 47.24 लाख रुपये और एक पार्सल

(घ) और (ङ) सरकार ने बैंकों में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए और इस व्यवस्था को मजबूत और दोषरहित बनाने के लिए और उपायों का सुझाव देने के वास्ते अगस्त, 1982 में एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया था। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट कार्यान्वित किए जाने के लिए अगस्त, 1983 में बैंकों को भेज दी गयी थी। इस कार्यकारी दल द्वारा की गयी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(च) वर्ष 1985 की पहली तिमाही में बैंकों में डकैती और लूटपाट की 27 वारदातें हुईं जबकि 1984 की इस तिमाही में इनकी संख्या 28 थी।

विवरण

बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल द्वारा की गयी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. प्रत्येक बैंक में एक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार और सक्षम कर्मचारी हों और इनका प्रमुख अधिकारी एक मुख्य अधिकारी हो जिसे पर्याप्त अनुभव हो और वह काफी वरिष्ठ हो। यह अधिकारी सुरक्षा उपायों के संबंध में प्रबन्धकों के वास्ते सलाहकार का काम करे और शीर्षस्थ प्रबन्ध के पास उसकी हर समय सीधी पहुंच हो।

2. सुरक्षा तंत्र क्षेत्रोन्मुख हो और मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अलावा इसमें आंचलिक और क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी भी हो।

3. बैंक अपने-अपने केन्द्रीय कार्यालय और अंचलों तथा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए स्थायी समितियां स्थापित कर सकते हैं।

4. शाखा स्तर पर सुरक्षा कर्मचारी शाखा प्रबन्धक के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य कर सकते हैं।

5. सुरक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों पर सुरक्षा कार्यों से भिन्न-भिन्न काम का बोझ नहीं लादा जाना चाहिए।

6. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डकैती या लूटपाट की सूरत में कम से कम हानि हो।

7. बैंक ब्यौरा बताए बिना कुछ चुने हुए निवारक उपायों का प्रचार कर सकते हैं ताकि कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा हो और आम जनता में विश्वास पैदा हो।

8. सुरक्षा प्रणाली में कमजोर स्थलों का पता लगाया जाना चाहिए और उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

9. मार्गस्थ रोकड़ की भेद्यता को कम से कम किया जाना चाहिए।

10. बैंकों को वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बैंकों को यह भी चाहिए कि वे एक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए सामूहिक सुरक्षा किस्म की कोई सुरक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव करें।

11. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों के रूप में बैंकों की अचानक जांच करनी चाहिए, सशस्त्र गार्डों आदि की अदला-बदली की जानी चाहिए।

12. बैंकों के बोर्डों और मुख्य कार्यपालकों को बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की बराबर समीक्षा करनी चाहिए।

13. बैंक प्रबन्ध को आवश्यक और सुरक्षा से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के सभी तर्कसंगत व्यय की मंजूरी देनी चाहिए।

14. कानून और व्यवस्था की एजेंसियों का बैंक प्रबन्ध के साथ व्यापक और निकट सहयोग होना चाहिए।

15. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और बैंकों को बैंकों के अन्तर सुरक्षा व्यवस्था के कारगर समन्वय और प्रयत्नों के आयोजन के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों को संस्थागत रूप देना चाहिए ताकि इससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।

16. राज्य पुलिस को चाहिए कि वह ैंक डकैती और लूटपाट के संबंध में विशेष आसूचना कक्ष स्थापित करे जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सूचना दे सके ताकि बैंक लुटेरों और डाकुओं द्वारा अपनाये जाने वाले आधुनिक तरीकों का मुकाबला करने की स्थिति में हो सकें।

17. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को तेजी से दण्ड देने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया और तन्त्र का निर्माण करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण और जमा राशि का अनुपात

1659. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण और जमा राशि का अनुपात क्या था; और

(ख) इन अनुपातों का किस आधार पर निर्धारण किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1982, दिसम्बर, 1983 और जून, 1984 के अन्तिम शुक्रवार को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) का ऋण: जमा अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण : जमा अनुपात
अन्तिम शुक्रवार को

राज्य	दिसम्बर 1982 (%)	दिसम्बर 1983 (%)	दिसम्बर 1984 (%)
1	2	3	4
1. महाराष्ट्र	85.2	91.8	94.8

1	2	3	4
2. तमिलनाडु	90.9	89.7	96.8
3. गुजरात	53.3	51.4	50.3
4. आंध्र प्रदेश	71.3	70.9	75.9
5. कर्नाटक	78.9	80.3	84.8
6. पश्चिम बंगाल	60.3	57.4	57.3

(ख) ऋण: जमा अनुपात किसी तारीख विशेष को किसी क्षेत्र में जुटाई गई जमाराशियों और मंजूर किए गए अग्रिमों के बीच गणितीय संबंधों का परिचायक होता है।

[हिन्दी]

रेशमी तथा गर्म कपड़ों का निर्यात

1660. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के दौरान सिल्क तथा गर्म कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) (1) सिल्क कपड़े :

वर्ष 1984-85 के दौरान रेशमी परिधानों के निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में रेशमी परिधानों के निर्यात 1983-84 में 1607.84 लाख रुपये से बढ़कर 1984-85 में 2413.54 लाख रु० के हुए। इस मद का निर्यात और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) रेशम मदों के निर्यात संवर्धन संबंधी कार्य की देखभाल करने के लिए अनन्य तौर पर भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद नामक अलग से एक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है। परिषद ने महत्वपूर्ण आयातक देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन तथा सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(2) निर्यात के लिए माल के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सुविधाएं, नकद प्रतिपूर्ति सहायता आदि निर्यातकों को बराबर उपलब्ध हैं।

(3) रेशम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए उसकी क्वालिटी को सुधारने

के कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

2. ऊनी वस्त्र :

1984-85 के दौरान ऊन परिधानों तथा निटवियर के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है।

परिधानों तथा निटवियर के, जिनमें ऊनी परिधान शामिल हैं, निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) परिधान तथा होजरी बनाने की 114 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इन मशीनों में से 97 को रियायती शुल्क भुगतान पर आयात करने की अनुमति है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक 31 मदों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(2) अनिवार्य कच्चे माल के आयात के लिए आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत पात्रता का उदार बनाया गया है। अनिवार्य कच्चे माल को निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति भी है।

(3) सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को ऊनी निटवियर के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता भी उपलब्ध है। सरकार ने अतिरिक्त निर्यात निष्पादन पर अधिक नकद मुआवजा सहायता की घोषणा की है।

(4) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों की एक योजना संचलन में है जिसमें ऊनी, सिलेसिलाए परिधानों सहित वस्त्रों को अनेक मदें शामिल हैं।

(5) निर्यात के लिए सिलेसिलाए परिधानों की जांच प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

(6) सरकार संवर्धनात्मक गतिविधियों को प्रायोजित कर रही है और उसके लिए धन-राशि दे रही है जैसे बाजार अध्ययन, क्रेता विक्रेता सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना ताकि निर्यातों में वृद्धि तथा विविधीकरण किया जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में "बम्बई समाशोधन" व्यवस्था का कार्यकरण

1661 **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में थाना जिले के कल्याण नगर निगम क्षेत्र में प्रायः सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में "बम्बई समाशोधन" व्यवस्था कार्य कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था अभी हाल में बन्द कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए फिर से कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने

सूचित किया है कि थाणे जिले का कल्याण नगर निगम क्षेत्र बंबई क्लीयरिंग हाउस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि कल्याण नगर निगम की कुछ बेंक शाखाएं पहले अनधिकृत रूप से चैक प्रस्तुत कर क्लीयरिंग हाउस नियमों के खिलाफ उन्हें पास करवाती रही हैं। चूंकि इसे बंद कर दिए जाने के विरोध में जनता से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इसलिए क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष ने बंबई क्लीयरिंग हाउस का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है।

[हिन्दी]

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार

1662. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने सोवियत संघ से गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं का आयात किया और इनका कितना मूल्य है;

(ख) इसी अवधि के दौरान सोवियत संघ को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना है; और

(ग) भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सोवियत संघ से आयात की मदों में मशीनरी, उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जे, कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद, रसायन तथा भेषजीय उत्पाद, उर्वरक, इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, अखबारी कागज और अन्य विविध उत्पाद शामिल हैं।

भारत से सोवियत संघ को निर्यात की मदों में कृषि उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, वस्त्र तथा इंजीनियरी माल और अन्य विविध मदें शामिल हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच कुछ व्यापार कारोबार नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रु० में)

	1982-83	1983-84	1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर)
निर्यात	1558.30	1305.30	1125.28
आयात	1513.44	1658.58	1236.19

(ग) व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार निरन्तर विभिन्न कदम उठाती रही है। इनमें व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना, वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल का आदान-प्रदान, वार्षिक संलेख और पंचवर्षीय व्यापार योजनाएं, जो सोवियत

संघ के साथ ब्यौरेवार विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए और जिन पर अन्तः सरकारी संयुक्त आयोग के मंच पर समय-समय पर आगे भी समीक्षा की जाती है, शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण

1663. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिये हैं कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को समय-समय पर ऋण दिया जाए;

(ख) शिक्षित बेरोजगारों को अपना कार्य शुरू करने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित बैंक वास्तविक शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने से इन्कार कर रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की भूमिका क्या है और शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को अधिक से अधिक 25,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मंजूर की जाने वाली राशि अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग होती है और कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की योजना आर्थिक सहायता समर्थित योजना है और इसलिए किसी एक वर्ष विशेष में निश्चित संख्या में मामलों की मंजूरी दी जा सकती है और निर्धारित लक्ष्य से कम या अधिक मामलों को मंजूर करना सम्भव नहीं। वर्ष 1985-86 के दौरान सरकार ने इसे योजना के अन्तर्गत 2.5 लाख और लाभार्थियों को ऋण मंजूर करने का फैसला किया है।

संचालनगत प्रकृति की परिणामी रिक्तियों का भरने के लिए प्रतिबन्ध का लागू होना

1664. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न औद्योगिक एककों जैसे प्रेस, सरकारी समूह डिपो तथा अन्य ऐसी एककों आदि में सरकार के उत्पादन कार्य सम्बन्धित संचालनगत प्रकृति की परिणामी रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लागू नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले पर अपने सम्बन्धित मन्त्रालयों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं; और

(ग) इस मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ

कर दी गई थी, वर्तमान रिक्तियों (प्रचलनात्मक या गैर-प्रचलनात्मक) को न भरने की सलाह के सम्बन्ध में जनवरी, 1984 में जारी किये गये अनुदेश मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के भाग के रूप में थे। तथापि, अपवाद-स्वरूप अनुकम्पा के आधार पर मृत व्यक्तियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों को एकमात्र पदोन्नति द्वारा भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। तथापि, संगठन की प्रचलनात्मक कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। वर्तमान अनुदेशों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत करघों और हथकरघों के लिए "स्टेपल यार्न"

1665. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विद्युत करघों और हथकरघों की जिला-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक की स्टैपल यार्न की मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार बुनकरों को उनके आवश्यकतानुसार उचित दाम पर (स्टैपल) यार्न सप्लाई कर रही है और यदि हां, प्रत्येक जिले को कितने "स्टैपल यार्न" की सप्लाई की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार बुनकरों को "स्टैपल यार्न" सप्लाई करने की किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में हथकरघों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। उत्तर प्रदेश में जिलावार बिजलीकरघों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस राज्य में वैध परमिटों से काम कर रहे बिजली करघे लगभग 24584 हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टैपल यार्न फैजाबाद जिले में टाण्डा, जलालपुर, बाराबंकी, मालावान (हरदोई), गोरखपुर, आजमगढ़, एटा और मेरठ में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। हथकरघों और बिजली करघों, दोनों के लिए स्टैपल यार्न की अनुमानित मासिक खपत 100 किलोग्राम वाली 18,000 से 20,000 गांठों के लगभग है। बड़ी संख्या में राज्य हथकरघा एजेंसियों और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम हथकरघा बुनकरों को यार्न (स्टैपल यार्न सहित) की सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत करघा उद्योग को उचित दरों पर स्टैपल यार्न की सप्लाई करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1972-73 के अनुमानों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जनपदवार हथकरघे

क्रम संख्या	पद का नाम	हथकरघों की संख्या
1	2	3
1.	वाराणसी	68,091
2.	आजमगढ़	53,412

1	2	3
3.	बिजनौर	44,338
4.	मेरठ एवं गाजियाबाद	36,210
5.	बस्ती	24,216
6.	मुरादाबाद	23,770
7.	बाराबंकी	23,155
8.	फैजाबाद	17,945
9.	सीतापुर	15,218
10.	गोरखपुर	11,899
11.	अलीगढ़	11,537
12.	मुजफ्फर नगर	11,078
13.	बरेली	10,035
14.	बुलन्दशहर	10,009
15.	कानपुर	9,684
16.	सहारनपुर	9,688
17.	बदायूं	9,095
18.	गाजीपुर	8,265
19.	इटावा	7,297
20.	हरदोई	7,741
21.	आगरा	6,622
22.	फर्रुखाबाद	6,541
23.	झांसी/ललितपुर	6,508
24.	एटा	6,328
25.	प्रतापगढ़	6,053
26.	जौनपुर	5,925
27.	मथुरा	5,216
28.	रामपुर	4,816
29.	पीलीभीत	4,766
30.	शाहजहांपुर	4,341
31.	देवरिया	4,305

1	2	3
32.	इलाहाबाद	3,962
33.	उन्नाव	3,913
34.	मिर्जापुर	3,835
35.	मैनपुरी	2,885
36.	लखीमपुर-खीरी	2,752
37.	बलिया	2,746
38.	हमीरपुर	3,365
39.	जालौन	1,920
40.	सुल्तानपुर	1,522
41.	गोंडा	1,512
42.	नैनीताल	1,414
43.	फतेहपुर	1,261
44.	अल्मोड़ा	1,252
45.	बांदा	619
46.	देहरादून	588
47.	उत्तर काशी	540
48.	लखनऊ	482
49.	चमोली	340
50.	टेहरी-गढ़वाल	325
51.	बहराइच	277
52.	रायबरेली	262
53.	पौडी गढ़वाल	194
54.	पिथौरागढ़	—
	योग	5,09,400

निर्यात की औसत वृद्धि दर

1666. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की औसत वृद्धि दर क्या है;

(ख) इस दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के कुछ निर्यातों में वृद्धि औसतन लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक है जोकि 1982-83 में 14.1 प्रतिशत, 1983-84 में 10.8 प्रतिशत और 1984-85 में 20.4 प्रतिशत है; 1984-85 के आंकड़े उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित हैं जिनमें संशोधन हो सकता है ।

(ख) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए नीति उपाय बराबर किये जा रहे हैं । इसमें उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने तथा अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं के संसाधन करने के उपाय शामिल हैं । इस उद्देश्य के लिए सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न नीति साधनों का उपयोग किया जा रहा है और जब आवश्यक होता है समायोजन किया जाता है । अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए हाल ही में अप्रैल, 1985 में घोषित की गई आयात तथा निर्यात नीति निर्यातों की मांग बढ़ाने के साथ-साथ प्रभावी आयात, प्रतिस्थापन्न वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है । महत्वपूर्ण बाजारों जैसे सं० रा० अमरीका, फ्रांस आदि में निर्यात संवर्धन गतिविधियां तथा वाणिज्यिक प्रचार को तेज करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि परम्परागत और साथ ही गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि की जा सके ।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए 11,736 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय निगमों की विकासशील देशों में पूंजी लगाने में अरुचि

1668. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात से अवगत कराया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की विकासशील देशों में, जिसमें भारत शामिल है, पूंजी लगाने में रुचि नहीं है और वे प्रबन्ध संबंधी तकनीकी तथा विपणन जैसे वित्तीय संसाधन देने तक ही स्वयं को केन्द्रित कर रहे हैं तथा इस प्रकार की पूंजी निवेश संबंधी खतरे को संबंधित देशों पर ही डाल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत के संदर्भ में उनको नई पूंजी निवेश नीति को अच्छी तरह समझा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी नीति अपनाने पर विचार कर रही है जिसके अनुसार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को ऋणदाता के रूप में न रख कर भागीदार के रूप में रखा जाये; और

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनाई गई पूंजी निवेश की यह नई प्रवृति भारत और अन्य विकासशील देशों को उच्च प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में बाधक है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को बहु-राष्ट्रिक निगमों की ओर से अपनाई गई ऐसी किसी नीति की जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) सरकार की विदेशी निवेश नीति चयनात्मकता पर आधारित है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि पूंजी का ऐसा निवेश उन क्षेत्रों में किया जाए जिससे देश के

आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले हमारे अपने प्रयास सुदृढ़ हो सकें इसलिए हम विदेशी निवेश की अपेक्षा ऐसे क्षेत्रों के लिए करते हैं जिनमें अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता हो अथवा जहां पर उत्पादन की क्रान्तिक कमी हो अथवा जहां हमारी निर्यात सम्भाव्यता के विकास में मदद मिले। हम विदेशी निवेश को विदेशी पूंजी प्राप्त करने की एक तरकीब मानने की बजाए अत्यावश्यक अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के एक साधन के रूप में ज्यादा मानते हैं। इसे बात को 1983 के प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी दोहराया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल की सप्लाई के लिए करार

1669. **श्री जनकराज गुप्ता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के किन-किन देशों के साथ 1983-84 और 1984-85 के वर्षों में चावल की सप्लाई करने के लिए करार किए; और

(ख) राज्य व्यापार निगम को उक्त अवधि के दौरान चावल की सप्लाई से कितना लाभ या हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम के बासमती चावल के निर्यात के लिए कोई संविदा नहीं की। 1984-85 के दौरान निगम ने बासमती चावल के निर्यात के लिए आबुधाबी, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब तथा फ्रांस के साथ संविदाएं की हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम एफ० ओ० बी० तथा सी० एण्ड एफ० मूल्य का, जैसी भी स्थिति हो, 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक ग्राहक सेवा प्रभार लेता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों/अध्यक्षों की नियुक्ति

1670. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए कितने गैर-सरकारी निदेशक अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं;

(ख) निदेशकों के कार्य क्या हैं और उनकी कार्यावधि क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ निदेशक अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय/दिशानिर्देश जारी किये हैं कि नये अध्यक्ष/निदेशक अपने अधिकारियों का दुरुपयोग न करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल का एक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल में नौ पदों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और

1980 के उपबंधों के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सामान्य देख-रेख, निदेश और प्रबंध उसके निदेशक मण्डल में निहित होता है। निदेशक का कार्यालय उक्त योजना के उपबंधों के अनुसार नियंत्रित होती है, जिसमें यह व्यवस्था है कि गैर-सरकारी निदेशक केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार अपने पद पर रहेंगे और इस शर्त पर उन्हें तीन वर्ष से अनधिक अवधि के वास्ते, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के भूतपूर्व निदेशक मण्डलों के गैर-सरकारी निदेशकों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उनकी जांच की गयी थी और जहां कहीं आवश्यक समझा गया, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की गयी थी। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित व्यक्ति की नियुक्ति अधिसूचित करने से पहले उसके पूर्ववृत्त की आयकर तथा प्रवंतन स्रोतों से जांच करवाई जाए।

निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा

1671. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1985 से जून, 1985 के अन्त कितना गेहूं निर्यात किया गया है और गेहूं आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : 1 अप्रैल, 1985 से जून, 1985 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत संघ को 105846 एम० टी० गेहूं तथा सोमालिया, सूडान, इथोपिया, कीनिया एवं तंजानिया को 40492 एम० टी० गेहूं निर्यात किया। अफ्रीकियाई देशों को 40492 एम० टी० का निर्यात उपहार के रूप में दिया गया जिसमें से एक लाख मैं० टन गेहूं से प्रभावित अफ्रीकियाई देशों में दिया गया।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम को बिहार, उडीसा क्षेत्र में खान मालिकों द्वारा अयस्क की सप्लाई

1672. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार उड़ीसा क्षेत्र के खान मालिकों ने खनिज एवं धातु व्यापार निगम को 1 जून, 1985 से अयस्क की सप्लाई करना बन्द कर दिया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या इस संकट के कारण हमारे निर्यातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) लौह अयस्क खान मालिकों ने, अधिप्राप्ति कीमत पर चल रही बातचीत को अन्तिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा करते हुए, जून, 1985 में लगभग 10 दिन के लिए सप्लाई रोक दी थी। अब यह विषय तय हो चुका है और निगम ने जून, 1985 में निर्यात के लिए 0.76 लाख मै० टन मात्रा की अधिप्राप्ति की।

(घ) जी नहीं।

पालिसी धारकों के दावों का निपटान

1673. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीत जीवन बीमा निगम विभिन्न पालिसीधारिकों या इनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के दावों को बेबुनियाद कारणों से नहीं निपटा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दावों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) जी नहीं। जीवन बीमा निगम विभिन्न पालिसी धारकों या उनके नामजद व्यक्तियों के दावों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाता रहा है।

(ग) दावों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जीवन बीमा निगम ने कई कदम उठाए हैं। उठाए गए मुख्य कदम हैं : (I) डिस्चार्ज वाउचरों को पहले ही जारी करना; (II) एक खास सीमा तक सीमित राशि के लिए आयु प्रमाण देने में छूट; (III) दावेदारों से आवश्यक दस्तावेज मंगवाने के लिए डाक द्वारा तथा व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करना; (VI) जायज मामलों में दावे की एक विशेष राशि तक पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में छूट देना और (V) परिपक्व दावों को निपटाने के लिए शाखा कार्यालयों को शक्तियां प्रदत्त करना।

रुग्ण औद्योगिक एककों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की धनराशि

1674. **श्री मुरली देवरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े तथा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी धनराशि रुकी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार उद्योगों के वित्त पोषण के मामले में अब तक के अनुभव के आधार पर औद्योगिकी एककों को ऋण देने सम्बन्धी अपनी ऋण नीति को फिर तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) रुग्ण उद्योगों में रुकी पड़ी धनराशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1984 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों की बड़े, मध्यम और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के नाम 3143.86 करोड़ रुपये की ऋण राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) औद्योगिक एककों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली करना बैंकों का काम है। औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में बैंकों के सम्बद्ध एकक की अर्थक्षमता का निर्धारण करने और अर्थक्षम एकक का पोषण करके उसे फिर से खड़ा करने की अपेक्षा की जाती है ताकि अन्ततोगत्वा उनकी रकमें वसूल हो सकें। गैर अर्थक्षम एकक के सम्बन्ध में बैंक अपने अग्रिमों की

मांग कर सकते हैं और वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल औद्योगिक एककों को दिए जाने वाले ऋणों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को फिर तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

केरल के मसालों के लिए नये बाजार

1675. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए नये बाजार खोजने हेतु कोई उल्लेखनीय प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले एक वर्ष के दौरान इन मसालों के निर्यात में वृद्धि हुई है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात में वृद्धि करने में व्यापारिक शिष्टमण्डल और मिशन उपयोगी भूमिका अदा करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मसालों के लिए नये बाजारों का पता लगाने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं : विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, सम्बन्ध व संवर्धन कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों से प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत आदि।

(ख) 1984-85 के दौरान भारत से मसालों का, इलायची सहित, निर्यात लगभग 210 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ जबकि 1983-84 के दौरान 116 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) व्यापार प्रतिनिधिमण्डल कवर होने वाले दशों को मसालों के निर्यात के विकास में सहायक रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका, रूस तथा जापान के साथ भारत व्यापार सन्तुलन

1676. **श्री पी० पेंचलैया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका, रूस तथा जापान के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन कितना है;

(ख) इन देशों से वार्षिक निर्यात तथा आयात कितना होता है;

(ग) क्या इन देशों में से कोई देश रुपयों में भुगतान स्वीकार करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारत के अमरीका, सोवियत संघ और जापान को निर्यात तथा इनसे आयातों के आंकड़े और व्यापार शेष इस प्रकार हैं :—

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	1982-83*	1983-84*	1984-85*
अमरीका			
निर्यात	950.25	1394.71	1252.40
आयात	1370.66	1790.86	1105.78
व्यापार शेष	420.41	—396.15	+146.62
सोवियत संघ			
निर्यात	1558.40	1305.30	1125.28
आयात	1513.44	1658.58	1236.19
व्यापार शेष	+44.86	—353.28	—110.91
जापान			
निर्यात	794.63	825.63	755.47
आयात	1069.98	1455.53	787.48
व्यापार शेष	—275.35	—629.90	—32.01

*उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं तथा संशोधनाधीन हैं ।

टिप्पणी : इन देशों के उपर्युक्त आंकड़ों में कच्चे तेल के निर्यात शामिल नहीं हैं ।

(ग) इन तीन देशों में से केवल सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार द्विपक्षीय रुपये भुगतान व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है ।

(घ) भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़े ऊपर दिए गए हैं ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में निवेश के बारे में भारतीय दूतावासों द्वारा सूचना

1677. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में उनके द्वारा धन निवेश के बारे में उचित जानकारी प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) सरकार द्वारा, भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में निवेश के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या उन लोगों के विदेशों, विशेषकर खाड़ी के देशों से भारत पहुंचने पर धन की उचित व्यवस्था के लिए सरकार पर्याप्त प्रबन्ध करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की भारत में पूंजी निवेश के लिए जो अवसर उपलब्ध हैं उन अवसरों की सूचना हमारे राजदूतावासों को मुहैया की जाती है और वे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को यह सूचना देते हैं।

(ग) और (घ) विदेशों से लौटते समय भारतीय जो धनराशि ले आते हैं, वह उनकी निजी सम्पत्ति होती है, अपनी इच्छा के अनुसार, जिसका निवेश करने अथवा उपयोग करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। फिर भी, सरकार अनिवासी भारतीयों को कुछ एक सुविधाएं देती हैं, अर्थात् धन कर से छूट की सुविधा, जो कि उनके भारत लौटने की तारीख के बाद आने वाले निर्धारण वर्ष से शुरू होकर उत्तरोत्तर सात निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है। यह छूट उस धनराशि पर, जो अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थायी रूप से भारत लौटने पर लाई गई हो और इसके साथ ही उनके अपने अनिवासी (बाह्य) खातों में रखी गई धनराशियों पर भी दी जाती है।

चाय उद्योग की वित्तीय आवश्यकता की जांच के लिए उप-समिति का गठन

1678. **श्री मानिक सन्याल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उप समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उप समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) चाय उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चाय उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उसने कोई उप समिति गठित नहीं की थी। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982 में सतत आधार पर चाय उद्योग की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, चाय बोर्ड और चाय संघों के प्रतिनिधियों की 22 सदस्यीय संस्थागत वित्त सम्बन्धी एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया था। चाय उद्योग की वित्तीय और ऐसी अन्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, जो उसे विचारार्थ भेजी जाएं, इस समिति की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं।

(घ) चाय उद्योग की वित्तीय आवश्यकताएं वाणिज्यिक बैंकों से लिए जाने वाले ऋणों, उद्योग के आन्तरिक स्रोतों और चाय बोर्ड की विभिन्न योजनाओं (ऋण और आर्थिक सहायता) से पूरी की जाती हैं।

राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों का पता लगाया जाना

1679. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने जुलाई, 1985 में देश में कार्यवाही के

दौरान व्यापारिक गृहों पर छापा मारा था और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की छानबीन की थी और लगभग 30 करोड़ रुपये के आर्थिक अपराधों का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रकार के अपराधों को पता लगाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह में अभिग्रहण के सिलसिले में की गयी एक कार्यवाही में लगभग 4.40 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया/रोका गया और उसके अतिरिक्त, दस्तावेज भी पकड़े नये, जिनसे करोड़ों रुपये के "हवाला" के सौदों, बीजक में की गयी हेरा-फेरी आदि का पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की गयी विशेष कार्यवाही के परिणामतः अतिरिक्त असबाब पर 1.14 करोड़ रुपये का सीमाशुल्क वसूल हुआ।

(ख) वर्ष 1985 के पहले छः महीनों के दौरान, अभिगृहीत किए गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य लगभग 83.68 करोड़ रुपये है। प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) ने जनवरी से जून, 1985 तक की अवधि में 1.18 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा और 54.79 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा पकड़ी थी।

[हिन्दी]

बैंकिंग सेवा आयोग का गठन

1680. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की भर्ती के लिए बैंकिंग सेवा आयोग का गठन कब किया गया था और इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कब की गई थी और उन्होंने कब अपना कार्य शुरू किया था;

(ख) इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें क्या हैं और क्या सभी सदस्य इन शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है और क्या इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकिंग सेवा आयोग के गठन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और आयोग के प्रधान कार्यालय के स्थान के सम्बन्ध में अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी माल का विज्ञापन

1681. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में कैनन और मिनोल्टा कैमरों, नेशनल पैनासोनिक और सोना

जैसे विदेशी उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक उपकरणों का भारी विज्ञापन किया जाता है हालांकि इनका न तो भारत में निर्माण होता है और न ही भारत में इनकी बिक्री होती है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में इनकी मांगें वृद्धि होने से तस्करी आदि अवांछनीय प्रवृत्ति को बल मिल रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसी विदेशी उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकीय मदों का विज्ञापन समाचार पत्रों में किया जाता है।

(ख) उक्त विज्ञापन विश्वव्यापी नीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से विदेशी-निर्माताओं को उनके उत्पादों के सिलसिले में प्रोत्साहन दिया जाता है और विदेशों में जाने वाले भारतीय पयर्टकों सहित उपभोक्ताओं की पसन्दगी को प्रभावित किया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति

1682. **श्री चित्त महाता** : **क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति टाटा कम्पनी, आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के विशेषज्ञों में से करने की सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) ऐसा प्रस्ताव है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया जाए ताकि इसमें औद्योगिक प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। पुनर्गठित निदेशक मंडल के गठन के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा।

कोयला कार्बनीकरण उपोत्पाद निगम की स्थापना का प्रस्ताव

1683. **श्री सुधीर राय** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कार्बनीकरण उपोत्पाद निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात योग्य चाय के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

1684. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के गिरते दामों को रोकने के लिए हाल में चाय उत्पादकों के एक अन्तर-

सरकारी (अन्तर्राष्ट्रीय) ग्रुप की रोम में बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्णय क्या थे; और

(ग) चाय के दामों में गिरावट को रोकने के लिए क्या निर्यात-योग्य चाय के उत्पादन पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एफ० ए० ओ० के तत्वावधान में अन्तःसरकारी समूह (उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले) की चाय के सम्बन्ध में एक बैठक 1 से 4 जुलाई, 1985 को रोम में हुई थी। जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें शामिल हैं वर्तमान चाय स्थिति, दीर्घावधि सम्भाव्यताएं, चाय व्यापार में अवरोध, उत्पादकों द्वारा संसाधित चायों का निर्यात तथा चाय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही। एक सर्वमत यह था कि हाल में हुई कीमत में कमी, सामान्य तौर पर बेचे जाने वाली चाय की क्वालिटी से निचली क्वालिटी की चाय की अधिक सप्लाई के कारण आयी। इस बात पर सहमति हुई कि बाजार के रुख सम्बन्धी अधिक जानकारी की आवश्यकता है और उत्पादक देश आई० एस० ओ० 3720, न्यूनतम क्वालिटी को तत्काल आधार पर लागू करने के लिए आम तौर पर सहमत थे। चाय के उत्पादन तथा निर्यात की मात्रा को सीमित करने के उपायों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श नहीं हुआ।

[हिन्दी]

सट्टेबाजी के कारण शेयरों की दरों में वृद्धि

1685. **श्री शांन्ति धारीवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आर्थिक और औद्योगिक और औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में घोषणा किये जाने के परिणामस्वरूप शेयर बाजारों में सट्टेबाजी के कारण शेयरों की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सट्टेबाजी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विगत में सरकार ने कम्पनियों को शेयर बाजारों के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया था;

(ग) यदि हां, तो इन दिनों देश में शेयर बाजारों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या व्यापक कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि ऐसे कोई कदम नहीं उठाये गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सामान्य शेयरों की कीमतों से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक के सूचक अंक (1970-71 = 100) में, जो कि 16 मार्च, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह में 240.7 था, 45.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अंक 3 जुलाई, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह में मुख्य रूप से भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान अनेक अनुकूल परिस्थितियों के कारण बढ़कर 351.0 हो गया।

(ख) कुछ अर्सा पहले सरकार ने ऐसी कम्पनियों को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बनने के लिए पात्रता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया था, जिनका निगमन

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 322 के उपबन्धों के अनुपालन में हो चुका हो और जिनके समस्त निदेशकों का दायित्व अमर्यादित रहा हो। तथापि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध सट्टेबाजी की रोकथाम करने से नहीं था।

(ग) तथा (घ) स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों का कारोबार स्टाक-एक्सचेंजों की उप-निधियों तथा विनिमयों के अनुसार शासित होता है। प्रतिभूतियों के लेनदेनों के निर्विवाद निपटाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए उपविधियों तथा विनियमों के अधीन स्टाक एक्सचेंजों ने विभिन्न प्रकार के नियामक उपाय जैसे कि विभिन्न प्रकार की मार्जिन राशियों को लागू करने तथा स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के अशोधित व्यापारिक कारोबार पर अंकुश रखने आदि के उपाय अपने आप और सरकार के कहने पर भी किए हैं। सरकार स्टाक एक्सचेंजों के कार्यचालन पर बराबर नजर रखे हुए है।

[अनुवाद]

बुनकरों की सेवाओं का शोषण

1686. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्यावर-विजय-नगर (राजस्थान) में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में प्रति हजार तकुए श्रमिक उपलब्ध होने के बावजूद, स्थानीय प्रबन्धक, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के बजाय उनका शोषण करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अपनी प्रत्येक मिल में हानियों को समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकार हानि उठाने वाले एककों को अनिश्चित काल तक नहीं चलते रहने दे सकती। अन्य बातों के साथ-साथ हानियों को समाप्त करने के लिए कार्य-भार मानदण्डों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यह आशा की जाती है कि कामगार इस सम्बन्ध में सहयोग देंगे। एन० टी० सी० के कामगारों के कल्याण के बारे में जहां सरकार स्वामी होने के नाते ध्यान रखती है उनके शोषण का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल वन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को वन लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाना

1687. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल वन विकास निगम ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को, हाल ही में वन रोपण, सड़कों का निर्माण और नवीकरण तथा भवन और शेड निर्माण के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव में मुलम्मा चढ़ाने का एकक, एक कत्था एकक और पार्टिकल बोर्ड एकक भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निर्णय क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव उक्त संगठन द्वारा पास कर दिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता और सतत आधार पर इस कच्चे माल के स्रोतों के संबंध में कतिपय आवश्यक सूचना के अभाव में राष्ट्रीय बैंक द्वारा यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा सका। निगम से यह ब्यौरा देने का अनुरोध किया जा रहा है।

मसाला बोर्ड का गठन

1688. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसाला बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या वर्तमान इलायची बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को इलायची बोर्ड को समाप्त किए जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मसाला बोर्ड गठित करते समय इलायची बोर्ड को भी बनाये रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान इलायची बोर्ड प्रस्तावित मसाला बोर्ड में मिला दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्तावित मसाला बोर्ड उन सभी कार्यों को करेगा जो इस समय इलायची बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं।

आयातित स्क्रैप पोतों के वितरण में पूर्ण परिवर्तनन की योजना

1689. **श्री रेणुपद दास** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप की नियंत्रक एजेंसी धातु स्क्रैप व्यापार निगम द्वारा कबाड़ी बाजार में आयातित स्क्रैप पोतों के वितरण की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को शीघ्र करने हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं, परन्तु जहाजों के स्क्रैप के लिए वर्ष 1985-86 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में 24 महीने की अवधि में जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को एक समान टन भार का वितरण करने की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में जहाज तोड़ने वाली प्रत्येक इकाई को तोड़ने के लिए एक जहाज देने की व्यवस्था थी, परन्तु जहाज का आकार जहाज तोड़ने वाली इकाई स्थल पर ड्राफ्ट जैसी प्राकृतिक सुविधाओं के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-अरब व्यापार का विस्तार

1690. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-अरब व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : भारत-अरब व्यापार बढ़ाने के लिए किए गए विस्तृत उपाय ये हैं :—

(1) संयुक्त उद्यम परियोजना निर्यातों, प्रचालन और रखरखाव सेवाओं आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए क्षेत्र अभिज्ञात करना;

(2) विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(3) व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान;

(4) चुनिन्दा क्षेत्रों और चुनिन्दा उत्पादों में बाजार सर्वेक्षण करना;

(5) द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं करना;

(6) ऐसे उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें निर्यात करने की अधिक संभाव्यता हो।

नई दिल्ली में 1 से 4 मई, 1985 तक भारत-अरब सेमिनार हुआ। इसे भारतीय निर्यात संगठनों की फैडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय की सक्रिय सहायता लेकर आयोजित किया। इस सेमिनार में विचार-विमर्शों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक सहायता, अवस्थापना, परामर्श, निर्माण और परियोजना निर्यातों के क्षेत्रों सम्बन्धी मुद्दे शामिल थे।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत-पाकिस्तान समझौता

1691. **श्री काली प्रसाद पाण्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक संयुक्त आयोग की हाल की बैठक में भारत और पाकिस्तान दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे संगठनों का पता लगाने और उन तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए सम्पर्क स्थापित करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और गिरफ्तार किये गये तस्करों

के नाम क्या हैं और नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे उन संगठनों के क्या नाम हैं जिनका पता लगाया गया है और जिन पर छापे मारे गये हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस समझौते को किस तारीख से कार्यान्वित किया जाएगा और चालू वर्ष के दौरान इस पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की 2 से 4 जुलाई, 1985 को हुई दूसरी बैठक में इस बात पर समझौता हुआ था कि दोनों देशों की सूचना तथा प्रवर्तन एजेंसियां उचित कार्यवाही हेतु नारकोआटिक दृश्यों के अधिग्रहण, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों तथा अन्य संगत ब्यौरों से सम्बन्धित सूचना का परस्पर आदान-प्रदान करेंगी और बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा स्थल-मार्गों के जरिए पाकिस्तान और भारत के बीच नारकोटिक-द्रव्यों की तस्करी के धंधे में कार्यरत संदिग्ध तस्करों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करेंगी।

इस सम्बन्ध में सूचना के आदान-प्रदान की पद्धति तैयार किए जाने तथा उस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने के बाद ही सूचना का आदान-प्रदान शुरू किया जाएगा। इस वर्ष में इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

500 रुपयों का करेंसी नोट जारी करना

1692. **श्री पी० ए० एंटोनी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 रुपये का करेंसी नोट जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब से जारी किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां। 500 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट के लिए उपयुक्त डिजाइन तैयार करने का काम हाथ में ले लिया गया है। चूंकि बैंक नोटों का मुद्रण अत्यधिक तकनीकी विषय है, और इनके मुद्रण की तैयारी से संबंधित विभिन्न चरणों में काफी समय लगता है इसलिए इस प्रकार के नोटों की 1986-87 के उत्तरार्ध में जारी किए जाने की संभावना है।

कते रेशम/नोइल यार्न का उत्पादन

1693. **डा० ए० कलानिधि : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कते रेशम और नोइल यार्न की कितनी मिलें हैं और उनकी स्थापित क्षमता और उत्पादन कितना है;

(ख) क्या मांग की तुलना में उत्पादन कम है;

(ग) यदि मांग, उत्पादन की तुलना में कम है तो उनके आयात को अनुमति क्यों दी जाती है; और

(घ) क्या आयात किए गए कते रेशम/नोइल यार्न का उचित क्षेत्र में उपयोग करने के बारे में सरकार का कोई नियंत्रण है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) स्पन सिल्क और उनकी प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन इस प्रकार है :—

(टन)

मिल का नाम	प्रतिस्थापित क्षमता		उत्पादन (84-85)	
	स्पन सिल्क यार्न	नोइल यार्न	स्पन सिल्क यार्न	नोइल यार्न
1. चाम्नापटना स्पन सिल्क मिल्स (कर्नाटक)	150	72	41	37
2. असम स्पन सिल्क मिल्स (असम)	24	27	30	10
3. बिहार स्पन सिल्क मिल्स (बिहार)	24	30	8	26
4. स्पन सिल्क इंडिया लि० (कर्नाटक)	120	100	11	5
	(सितम्बर, 84-मार्च, 85) सितम्बर, 1984 में उत्पादन शुरू किया ।			
5. आरको स्पन सिल्क मिल्स (कर्नाटक)	51	15	(अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है)	
6. एच० जे० एस० स्पन सिल्क मिल्स (कर्नाटक)	20	—	—वही—	
कुल	389	245	90	78

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत इन मदों के आयात की अनुमति आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत है जिनमें विशेष मदों के निर्यातों पर शुल्क मुक्त आर० ई० पी० लाइसेंस शामिल हैं । ए० आर० ई० पी० लाइसेंस निर्यात उत्पाद में प्रयोग के आधार पर निर्यात उत्पाद में प्रयो। की गई मद की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किए जाते हैं । चूंकि, आयात केवल निर्यात उत्पाद में पहले ही प्रयोग की गई सामग्री की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमेय हैं इसलिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के आधार पर नहीं हैं । वास्तव में, इस कारण से सभी आर० ई० पी० लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं । इन मदों को शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी किये गए अग्रिम लाइसेंस के आधार पर आयात की भी अनुमति है । इस योजना के अंतर्गत तैयार उत्पाद के निर्यात दायित्व के साथ तैयार माल के आयात की अनुमति है जिसका मूल्य आयातित सामग्री पर अधिप्राप्त किए गए मूल्य वर्धन पर आधारित है । निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यातक को निर्यातक के स्तर के आधार पर बैंक गारंटी के साथ एक बांड भरना अथवा कानूनी करार करना अपेक्षित है ।

यदि निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जाता तो निर्यातक पर बांड/कानूनी करार लागू किया जाता है जिसमें उसे कच्चे माल पर आयात शुल्क और उस पर ब्याज का भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक के विरुद्ध आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।

आयात्त-निर्यात नीति, 1985-88 के पैरा 204 में लोचशीलता उपबंधों के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातकों को उनके द्वारा विनिर्मित चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों के आधार पर जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंसों को इन मदों के आयात के लिए जिनका मूल्य निर्यातक के निर्यात निष्पादन पर निर्भर है, पृष्ठांकित किया जा सकता है। यह इस पृष्ठांकन की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के आधार पर है। व्यापारी निर्यातक/व्यापार सदन भी इस शर्त के आधार पर कि इस प्रकार आयात किया गया माल वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के आधार पर यह विनिर्माताओं को दिया जाएगा, वह पृष्ठांकन प्राप्त कर सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आयातों के उपयोग को आयात-निर्यात, क्रियाविधि पुस्तक, 1985-88 के पैरा 238 की शर्तों में संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि वास्तविक प्रयोक्ता आयातित माल की खपत और उपयोग का सही और उचित लेखा रखेंगे। इन लेखों का प्रायोजक प्राधिकरणों, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रण, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों अथवा आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जांच और सत्यापन किया जा सकता है।

बाराबंकी में निर्यात और आयात के मुख्य नियंत्रण कार्यालय खोलना

1694. **श्री श्याम लाल यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बनारसी साड़ियों तथा कालीनों के निर्यातकों की सहायता के लिए वहां निर्यात तथा आयात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय खोलने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को कब तक पूरा किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इस अनुरोध को, मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात संगठन के पुन: गठन करने तथा अन्य कार्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित अध्ययन दल को भेज दिया गया है।

सीमाओं पर तस्करी

1695. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रथम 6 मास के दौरान हमारी सीमाओं पर कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए और उनसे बरामद माल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन तस्करों द्वारा हथियारों की भी भारी मात्रा में तस्करी की गई;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बरामद किए गये हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तस्करी रोकने के लिए हमारी सीमाओं को बन्द करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में पदों और शाखाओं का श्रेणीकरण

1696. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में पदों और शाखाओं के श्रेणीकरण के बारे में सरकार ने हाल ही में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों के जारी किए जाने से पहले आल इंडिया कन्फेड्रेशन आफ बैंक आफीसर्ज आर्गनाइजेशन, दि इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा अन्य यूनियनों से परामर्श किया गया था;

(घ) क्या इन दिशानिर्देशों से पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे;

(ङ) क्या उपरोक्त सभी यूनियनों ने उक्त दिशानिर्देशों का विरोध किया था;

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई आपत्तियों का स्वरूप क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकारी सेवा विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, सरकार द्वारा अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार, शाखाओं का छोटी, बीच की और बड़ी के रूप में वर्गीकरण किया जाना होता है । सरकार ने पहले कतिपय मार्गनिर्देश जारी किए थे जिनमें शाखाओं का वर्गीकरण करने के लिए मापदण्डों का संकेत किया गया था । हाल ही में इन मापदण्डों में संशोधन कर दिया गया है और नये मार्गनिर्देश जारी कर दिये गये हैं जिनके अतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कारबार की राशि के मापदण्ड को बढ़ा दिया गया है ।

(ग) बैंकिग उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर सरकार और भारतीय बैंक संघ के बीच विचार-विमर्श निरंतर चलता रहता है । ये मार्गनिर्देश सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर जारी किए गए थे ।

(घ) से (छ) आल इंडिया कम्फेड्रेशन आफ बैंक आफिसर्स आर्गेनाइजेशन ने अपने परिपत्रों में शाखाओं के वर्गीकरण के मापदण्ड में किये गये संशोधनों पर इस आधार पर आपत्ति की है कि इससे बहुत बड़ी संख्या में पदों के स्तर को नीचा करना होगा और परिणामतः पदोन्नति के अवसर बहुत कम हो जाएंगे । सरकार इस मामले में भारतीय बैंक संघ के विचारों की प्रतीक्षा कर रही है ।

खानों के मुहानों के पास और अधिक एल० टी० सी० संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1697. **श्री पूर्ण चन्द मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुहानों के पास और अधिक "लो टैम्प्रेचर कार्बोनाइजेशन" संयंत्र

स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसे संयंत्र लगाना आर्थिक लाभकारिता पर निर्भर करती है और यह लाभकारिता संयंत्र की क्षमता और गैस के कुल उपयोग पर निर्भर करता है।

पश्चिम बंगाल में "फाइनर केबल" कारखाने की स्थापना

1698. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड को प्रस्तावित फाइबर केबल कारखाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से दो स्थानों के लिए पेशकश मिली है;

(ख) यदि हां, तो वे दोनों स्थान कौन से हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आबूधाबी में चावल भेजने में राज्य व्यापार निगम की असफलता

1699. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपना वचन पूरा न करने के कारण आबू धाबी ने 10,000 टन बासमती चावल सप्लाई करने का अपना आर्डर रद्द कर दिया है;

(ख) मूल मूल्य अनुसूची के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा माल न भेजने की असफलता के क्या कारण हैं, क्या इस मूल्य के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ग) क्या भारत द्वारा अन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव की सम्भावना का जायजा ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या निकला, तथा इस स्थिति का सामना करने तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक दायित्वों को निभाने के लिए राज्य व्यापार निगम को किस प्रकार से गतिशील बनाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य व्यापार

निगम (एस० टी० सी०) ने आबूधाबी नगरपालिका के साथ दिनांक 6-3-1985 को 10,000 एम० टी० भारतीय बासमती चावल के निर्यात के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार एस० टी० सी० द्वारा की जाने वाली 7500 एम० टी० की पक्की वचनबद्धता है और प्रथम पोतलदान के 30 दिन के भीतर 2500 एम० टी० का पोतलदान ऐच्छिक रूप से किया जाएगा। यह संविदा इसलिए क्रियान्वित नहीं हुई क्योंकि विदेशी खरीदारों ने निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि आफर किया गया चावल उनके विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है और तब संविदा रद्द कर दी गई। जो अधिकारी आफर की गई संविदा का संचालन कर रहा था उसे निगम से अलग हो जाने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) एस० टी० सी० ने बासमती चावल के निर्यात हेतु एक नई संविदा करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए आबूधाबी को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विनिश्चय किया है।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम कम्पनियों की परिसम्पत्तियां

1700. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** भारत से बाहर पूंजी लगाने वाली भारतीय कम्पनियों के बारे में 17 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 26 औद्योगिक घट घरानों (जिसमें ताज, ओबराय तथा अन्य होटल भी शामिल हैं) की 43 भारतीय कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किये हुए हैं; सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं, इन कम्पनियों की (नकदी तथा शेयरों में पूंजी की हिस्सेदारी तथा भारत से निर्यात जानकारी और संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण संबंधी कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं) मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत भेजा गया लाभांश कितना है;

(ख) भारतीय कम्पनियों के निदेशकों तथा अधिकारियों द्वारा व्यापार में उन्नति करने के लिए किये गये विदेशी भ्रमणों के दौरान विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है; और

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया गया है कि लाभांश की कमाई गई पूरी राशि वापस भेजी जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983 में 3422.19 करोड़ रु० की कुल आस्तियों के साथ भारत में 43 कम्पनियों के नाम जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं और जिन देशों में उनके संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इक्विटी के रूप में इन भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश 88.60 करोड़ रु० का है। इसमें से 64.05 करोड़ रु० का अंशदान मशीनरी आदि के निर्यातों के जरिए, 2.61 करोड़ रु० का जानकारी के पूंजीकरण के जरिए, 4.68 करोड़ रु० का नकद प्रेषण के जरिए, 13.55 करोड़ रु० का बोनस शेयरों के जरिए तथा 3.71 करोड़ रु० का अन्य तरीकों द्वारा किया गया। इन संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांशों के रूप में प्रत्यावर्तित राशि अब तक लगभग 5.23 करोड़ रु० है।

(ख) और (ग) अनुमोदनों के जारी किए जाने के समय लगाई गई शर्तों में से एक सावधि

रिपोर्ट प्रस्तुत करने से सम्बन्धित है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी संयुक्त उद्यमों की निदेशक रिपोर्ट के साथ तुलन पत्रों और लाभ तथा हानि लेखे की प्रमाणीकृत प्रतियां और भारतीय सहभागी को देय लाभांश आदि की राशियां कैसे तय की गई है यह उल्लेख करते हुए विदेशी. लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र मांगता है। व्यवसाय संवर्धन के संबंध में भारतीय कम्पनियों के निदेशकों तथा कार्यपालकों द्वारा विदेशों के अपने दौरों के दौरान विदेशी मुद्रा के व्यय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य विदेशी मुद्रा विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	इंडस्ट्रियल हाउस का नाम	इंडियन कंपनी का नाम	देश
1	2	3	4
1.	ओबराए	ओबराए होटल (इंडिया) प्रा० लि०	आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, नेपाल, मिस्र
2.	बिरला	सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्यु० कं० लि०	इंडोनेशिया, मलयेशिया
		दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० कं० लि०	इंडोनेशिया, थाईलैंड,
		भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०	इंडोनेशिया
		हैदराबाद एसबेस्टोस सीमेंट प्रोडक्ट	नाइजीरिया
		ओरीएण्ट पेपर मिल्स लि०	केन्या
		बिरला ब्रदर्ज प्रा० लि०	नाईजीरिया (पोर्ट होर-कोर्ट) तथा (लागोस) थाईलैण्ड
		बिरला जूट मैन्यु० कं लि०	उगान्डा
		ईस्ट्रन स्पिनिंग मिल्स लि०	फिलीपीन्स
3.	थापर	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०	इंडोनेशिया, मलयेशिला, थाईलैण्ड तथा नाइजीरिया
		जे० जी० ग्लास इंडस्ट्रीज लि०	मलेशिया
		करमचन्द थापर एंड ब्रदर्ज लि०	नाईजीरिया
4.	किर्लोस्कर	किर्लोस्कर ब्रदर्ज लि०	केन्या, ब्रिटेन, सं० रा० अ०, मारीशस
		किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०	मलयेशिया (सिलेंगोर तथा कुआलालम्पुर)

1	2	3	4
5.	टाटा	दि टाटा आयल मिल्स कं० लि०	मलयेशिया
		टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिक कं० लि०	मलयेशिया, सिंगापुर
		टाटा एक्सपोर्टस लि०	ओमान
		वोल्टास इंटरनेशनल लि०	ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका
6.	गोदरेज	गोदरेज एंड बोयस मैन्यु० कं० (प्रा०) लि०	इंडोनेशिया, मलयेशिया सिंगापुर
		गोदरेज सोपस लि०	मलयेशिया
7.	गजरा गियर्ज	गजरा गियर्स (प्रा०) लि०	मलयेशिया
8.	एशियन पेंट्स	एशियन पेंटस इंडिया लि०	फिजी, टोंगा
9.	एम० ए० चितम्बरन	फर्स्ट लीजिंग कं० आफ इंडिया लि०	सिंगापुर
10.	अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज	एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लि०	नाईजीरिया
11.	सिंगी लार्ज हाऊस	सदर्न पैट्रो-केमीकल लिमिटेड	सीनेगल
12.	श्री राम	जै इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	श्रीलंका
13.	बैस्ट एंड क्राम्पटन	बैस्ट एंड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लि०	नाईजीरिया
14.	मोहन मीकिन	मोहन मीकिन्स लि०	नेपाल
15.	बजाज	बजाज आटो लि०	सं० रा० अ०
16.	जे० के० सिंघानिया	रेमंडस वूलन मिल्स लि०	इंडोनेशिया, केन्या
17.	उषा मार्टिन बलेक	उषा मार्टिन बलेक	थाइलैण्ड
18.	गोकक पटेल	गोकक पटेल वोलकार्ट लि०	इंडोनेशिया
19.	नौरोजी वाडिया	बम्बे डाईंग एंड मैन्यु० कं० लि०	इंडोनेशिया
20.	गामोन इंडिया	गामोन इंडिया लि०	सं० अ० अ०
21.	ईसर बल्क कैरियर	ईसर बल्क कैरियर्ज लि०	सिंगापुर
22.	निलहंट शिपिंग	जे० थामस एंड कं (प्रा०) लि०	सिंगापुर
23.	सिंघे लार्ज	कलर केम लि०	श्रीलंका

1	2	3	4
24.	सिम्पसन	इंडिया पिस्टन्ज लि०	मलयेशिया
25.	खटाऊ	फोनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्ज (प्रा०) लि०	सं० अरब अमीरात
26.	मफतलाल	पोलीओलीफिन इंडस्ट्रीज लि० इंडियन डाइस्टफ इंडस्ट्रीज लि०	मलयेशिया थाईलैंड

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन के लिए वित्तीय आबंटन

1701. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के उत्पादन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुमुखी विकास को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयले की उपलब्धता में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(राशि रु० करोड़ में)

क्रम सं०	कम्पनी	वर्ष 1985-86 के लिए आबंटन
1.	को० इं० लि०	851.50
2.	सि० को० कं लि०	72.00
3.	अन्य (विज्ञान और तकनालाजी सहित)	5.00
	कुल :	928.50

सातवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय आबंटन का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन और सातवीं पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित है :—

कम्पनी का नाम	वर्ष 1984-85 (छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) में उत्पादन	वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन-लक्ष्य
		(मिलियन टनों में)
को० ई० लि०	130.84	186.00
सिं० को० कं० लि०	12.33	24.00
अन्य	4.26	6.00
	147.43	216.00

रबड़ से बनी वस्तुओं का निर्यात

1702. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कुल कितनी रबड़ से बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रबड़ के निर्यात में वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्ष के दौरान कितने मूल्य के रबड़ का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को हुआ रबड़ माल का निर्यात नीचे दिया गया है :—

(मिलियन रु० में)

वर्ष	निर्यात
1982-83	501.0
1983-84	608.0
1984-85	881.0

(ख) और (ग) सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रबड़ माल का निर्यात बढ़ाने का विचार है। निर्यातों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग पर निर्भर करेगा।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में प्राकृतिक रबड़ उपदान योजना के अन्तर्गत सहायता, नकद मुजावजा सहायता एवं आयात प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

दो कोयला उत्पादक क्षेत्रों को कोल इंडिया लि० की एक पृथक सहायक कंपनी के नियंत्रणाधीन लाने का प्रस्ताव

1703. **श्री हरिहर सोरन :**
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि दो कोयला उत्पादक क्षेत्रों को "कोल इंडिया लि०" को एक प्रथक सहायक कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाया जाए जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा के कोयला संसाधनों के व्यवस्थित और शीघ्र विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) इस समय उड़ीसा सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि उड़ीसा के दो कोयला उत्पादक क्षेत्रों को कोल इंडिया लि० की एक अलग सहायक कंपनी के नियंत्रण में किया जाए।

इस समय उड़ीसा के कोयला क्षेत्र दो कोयला कंपनियों अर्थात् सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधीन हैं। यह दोनों कंपनियां एक ही धारक कंपनी अर्थात् कोल इंडिया लि० के अधीन हैं। तालचेर कोयला क्षेत्र और इब घाटी कोयला क्षेत्र का विकास कार्य कोल इंडिया लि० के कुल विकास कार्यक्रम के अनुसार ही, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। विभिन्न कोयला क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाते समय विभिन्न राज्यों और वहां स्थित उद्योगों के हित को भी, समग्र राष्ट्रीय हित के दायरे में, ध्यान में रखा जाता है। इस समय उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों का उत्पादन अकेला इतना नहीं है कि उनके लिए एक अलग कोयला कंपनी बनाना जरूरी हो।

सामान्य बीमा निगम को हुई हानि

1704. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में भारतीय सामान्य बीमा निगम को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष में सामान्य बीमा निगम को कितनी हानि हुई;

(ग) इस भारी हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। 31 दिसम्बर,

1984 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षिक खातों के अनुसार भारतीय साधारण बीमा निगम ने 12.89 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है।

(ख) से (घ) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते हैं।

इटली के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

1705. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इटली के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इटली के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापारिक समझौते किए गए हैं;

(ग) इस समय इटली को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) 1959 में दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार हुआ था।

तथापि, भारत तथा इटली के बीच वर्तमान व्यापार सम्बन्ध 1976 में स्थापित आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत इटली संयुक्त समिति द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संयुक्त समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) तथा (घ) भारत तथा इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अन्य मदों के साथ-साथ जो मदें हमारे द्वारा इटली को निर्यात की जाती हैं, उनमें शामिल हैं—चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, वस्त्र मदें, काफी, लौह-अयस्क तथा इंजीनियरी मदें। जो मदें हमारे द्वारा इटली से आयात की जाती हैं, उनमें शामिल हैं—दूरसंचार उपकरण तथा हिस्से, मशीनी औजार, रासायनिक उर्वरक तथा वस्त्र मशीनें।

कच्चे पटसन का उत्पादन

1706. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में कच्चे पटसन के उत्पादन का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे पटसन की खरीद की जाएगी;

(घ) शेष कच्चे पटसन का क्या होगा;

(ङ) क्या सरकार भारतीय पटसन निगम से पटसन उत्पादकों से सीधे सारा कच्चा

पटसन खरीदने के लिए अनुरोध करेगी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) यद्यपि, 1985-86 पटसन फसल के आकार का सही अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, तथापि चालू अनुमान 85 लाख गांठों के लगभग लगाया गया है।

(ग) चूंकि भारतीय पटसन निगम पटसन उपजकर्ताओं के हित में मूल्यसमर्थन कार्य संचालन करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, अतः यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम संविधिक कीमत पर इसे आफर किए जाने वाले कच्चे पटसन की समस्त मात्रा की खरीद करता है। भारतीय पटसन निगम के कार्य संचालन की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में राष्ट्रीय पटसन उत्पाद निगम और अन्य राज्याधीन मिलों की सम्पूर्ण आवश्यकता की खरीददारी के लिए भी व्यवस्था करता है।

(घ) शेष कच्चे पटसन की उद्योग तथा व्यापार द्वारा खरीदे जाने की आशा है।

(ङ) नीति के अनुसार, भारतीय पटसन निगम की कुल खरीद सीधे उत्पादकों से की जाती है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1707. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के 18 क्षेत्रों मे अब तक क्षेत्रीय बैंक स्थापित नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों में कब तक क्षेत्रीय बैंक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय बिहार में 38 जिलों से 37 जिलों में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। केवल धनबाद का जिला बचा है जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

भारत और सोवियत संघ के बीच नया व्यापारिक समझौता

1708. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच कोई नया व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विषय सूची क्या है; और

(ग) भारत को उससे क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सोवियत संघ के साथ व्यापार करार को 1986-1990 की अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए विचार-विमर्श जारी है और इन विचार-विमर्शों के पूरा होने पर एक नए व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[अनुवाद]

दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास

1709. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के कारण कुल कितने परिवार विस्थापित हुए और उसके प्राधिकारियों द्वारा कितनों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा मुआवजे, पुनर्वास और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण को कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) क्या पुनर्वास समिति ने आवास निर्माण लागत को आठ हजार रुपए तक बढ़ाने का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो "नाल्को" अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना से 581 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। अब तक 192 परिवार विस्थापित हुए हैं ? उनमें से 77 को पक्के मकान दे दिये गये हैं और शेष परिवारों को, पक्के मकान बनने तक, अस्थायी (ट्रांजिट) शेडों में रखा गया है। प्रत्येक विस्थापित परिवार के काम करने योग्य एक व्यक्ति को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया है। अब तक 96 विस्थापित व्यक्तियों को सीधे रोजगार और अन्य 298 विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न ठेकेदारों के साथ काम दिया जा चुका है। इसके अलावा 44 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें कालांतर में नाल्को में नियमित पदों पर रोजगार दिया जा सके।

(ख) नाल्को ने इस परियोजना के लिए ली गई भूमि के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1.57 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। कंपनी ने विस्थापित परिवारों के लिए मकान बनाने हेतु उड़ीसा सरकार को भी 5 लाख रुपये दिये हैं। 146 विस्थापित परिवारों को 2,500 रुपये प्रति विस्थापित परिवार की दर से 3.65 लाख रुपये की अनुग्रह राहत राशि दी गई है। इसके अलावा, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए पक्के मकानों के निर्माण पर 60 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

(ग) तथा (घ) जी हां, चूंकि पुनर्वास समिति द्वारा प्रति मकान निर्माण के लिए प्रस्तावित

8,400 रु० की लागत की तुलना में नाल्को द्वारा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए निर्मित प्रत्येक मकान की लागत 14,500 रु० के लगभग है

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मारे गए छापे

1710. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 में राजस्व आसूचना निदेशालय ने छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) छापों के दौरान कुल कितने मूल्य का माल पकड़ा गया; और

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां।

(ख) 134 परिसरों की तलाशियां ली गई थीं और 35 व्यक्ति पकड़े गए थे।

(ग) लगभग 4.40 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया था तथा अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए थे जिससे विदेशी मुद्रा में अवैध लेनदेन का पता चलता है और जिसमें बहुत बड़ी रकम अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए प्रशासनिक कानूनी तथा संस्थागत सभी उपाय किये जाते हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों में केप्टिव जैनरेटरों की स्थापना

1711. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आने वाली सभी राष्ट्रीयकृत मिलों तथा प्रबन्धाधीन मिलों में केप्टिव जेनरेटर हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन मिलों के नाम बताइये जिनमें केप्टिव जेनरेटर नहीं हैं;

(ग) क्या इन मिलों में केप्टिव जेनरेटर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये कब लगाए जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूर्ति क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की विद्युत आवश्यकता तथा केप्टिव जेनरेटरों की क्षमता क्या है;

(च) इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा इन मिलों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ) के अधीन 18 राष्ट्रीयकृत मिलों तथा एक प्रबंधित मिल में से 16 राष्ट्रीयकृत मिल तथा प्रबन्धित मिल में आरक्षित जनरेटर हैं।

(ख) निम्नलिखित दो राष्ट्रीयकृत मिलों में आरक्षित जेनरेटर नहीं है :—

1. एसोसियेटेड इन्डस्ट्रीज, असम।
2. उड़ीसा काटन मिल्स, कटक।

(ग) तथा (घ) एसोसियेटेड इन्डस्ट्रीज (आसाम) में आरक्षित जनरेटिंग क्षमता प्रतिष्ठापित करने संबंधी प्रस्ताव एन० टी० सी० (धारक कम्पनी) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, उड़ीसा काटन मिल्स के लिए डीजल जनरेटिंग सेटों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एन० टी० सी० (धारक कम्पनी) के विचाराधीन है।

(ङ) तथा (च) बिजली की आवश्यकताओं और प्रत्येक मामले में आरक्षित जेनरेटरों की स्थापित क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	मिल का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता पर अधिकतम भाग (के० वी० ए०)	प्रतिष्ठापित बिजली क्षमता (के० वी० ए०)
1.	आरती काटन मिल्स	1237	800
2.	सेन्ट्रल काटन मिल्स	3606	1290
3.	बंगाल फाइन नं० 1	1589	800
4.	श्री महालक्ष्मी मिल्स	1798	1000
5.	रामपुरिया काटन मिल्स	3716	1250
6.	सौदपुर काटन मिल्स	700	600
7.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	986	860
8.	कानोरिया इन्डस्ट्रीज	675	360
9.	बंगारसी काटन मिल्स	1918	800
10.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	1690	790
11.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	3480	1360
12.	मनिन्द्रा मिल्स	522	400
13.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	500	200
14.	बंगाल फाइन नं० 2	752	500
15.	एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	1044	—
16.	विनार को-ओप्रेटिव	822	500
17.	गया काटन एंड जूट मिल्स	2700	500
18.	उड़ीसा काटन मिल्स	1000	—
		28795	12010
19.	मोहिनी मिल्स (प्रबंधित)	3028	500
	कुल योग	31823	12510

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड सम्बन्धी के० एस० आर० चारी का प्रतिवेदन

1712. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में के० एस० आर० चारी का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या टिप्पणियां की गई हैं और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र

1713. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों के कितने कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं:

(ख) ये प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाली लागत का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक लेक्चर पर आने वाली लागत का निर्धारण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागत में पर्याप्त कमी करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परियोजना निर्यात कक्ष की स्थापना

1714. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परियोजना निर्यात कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को कब लागू किया जा रहा है;

(ग) उक्त परियोजना निर्यात कक्ष के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए और क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) पहले से ही एक परियोजना निर्यात प्रकोष्ठ है जिसे विदेशी परियोजना प्रकोष्ठ कहते हैं जोकि परियोजना निर्यातों के विस्तार तथा विविधीकरण से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर कार्यवाही करता है।

सोवियत संघ से ऋण

1715. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो किस कार्य के लिए; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सोवियत संघ से कितनी राशि का ऋण प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार ने 22 मई, 1985 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ की सरकार ने भारत सरकार को, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आवश्यक सोवियत वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 100 करोड़ रूबल (लगभग 1,100 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है :

1. 840 मेगावाट की क्षमता वाले कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण।

2. दो अभितटीय द्रोणियों (आन-शोर बेसिन्स) में, दो क्षेत्रों में, जो पारस्परिक सहमति से तय किये गये हैं, सोवियत उपस्कर और विशेषज्ञों की सहायता से हाइड्रोकार्बन्स की गहन और समन्वित रूप में खोज।

3. निम्नलिखित का निर्माण :

(क) झरिया कोयला क्षेत्र के खंड 5 में कोयला धोने के संयंत्रों सहित 100 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली विवृत (ओपनकास्ट) खान;

(ख) लगभग 100 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली मोहेर विवृत खान और कुल 100 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली खड़िया विवृत खान जिसमें से 40 लाख टन की वार्षिक क्षमता सिंगरौली क्षेत्र में, पावर ग्रेड कोयले दौर में होगी; और

(ग) सितनाला भूमिगत कोयला खान जिसकी झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला धोने के संयंत्रों सहित वार्षिक क्षमता 25 लाख टन कोककारी कोयले की होगी।

4. निम्नलिखित की स्थापना :—

(क) कोयला सज्जीकर संयंत्रों (बेनीफिकेशन प्लांट्स) के डिजाइन तैयार करने के लिए एक संस्थान; और

(ख) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लिमिटेड में कोयला परियोजनाओं के विस्तृत डिजाइन तैयार करने के लिए संस्थान का एक प्रभाग।

5. पाथरडीह कोयला धोने के कारखाने (वाशरी) का आधुनिकीकरण; और

6. ऐसी सहयोग परियोजनाओं में, जो पारस्परिक सहमति से तय की गई हों, लौह धातुकर्म और मशीन निर्माण के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करना।

करार में यह व्यवस्था भी की गई है कि परियोजनाओं की उपर्युक्त सूची में दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से परिवर्तन किए जा सकते हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी और डकैतियां

1716. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री विष्णु मोदी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान डकैती के कितने मामले हुए;

(ग) उपर्युक्त दोनों मामलों में पृथक-पृथक कितनी राशि की धोखाधड़ी और डकैतियां हुईं;

(घ) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(ङ) कितने मामलों में बैंकों के कर्मचारी शामिल पाए गए;

(च) इस अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई; और

(छ) उपर्युक्त मामलों में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी सूचना के अनुसार वर्ष, 1982, 1983 और 1984 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1982	2065	19.44
1983	2360	29.62
1984	2410	38.39

वसूल की गई राशि से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है क्योंकि राहत के रूप में उचित राशि प्राप्त करने के लिए बैंक दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर करते हैं। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त राशि अनिवार्यतः बैंकों को हुई हानि की द्योतक नहीं होती क्योंकि इन राशियों के कवच के रूप में बैंकों के पास प्रतिभूतियां होती हैं।

वर्ष, 1982, 1983 और 1984 के दौरान हुई बैंक डकैतियों/लूटपाट की वारदातों की संख्याओं से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्तर्ग्रस्त और वसूल की गई राशि नीचे दी गई हैं।

वर्ष	डकैती/लूटपाट की कुल सं०	अन्तर्ग्रंत राशि (लाख रुपए)	वसूल की गयी राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1982	77	140.48 (लगभग) और लगभग 16.36 लाख	40.04 (लगभग) और 3.6 कि० ग्रा० (लगभग)

1	2	3	4
		रुपए मूल्य का सोना	वजन का सोना/स्वर्ण आभूषण
1983	100	126.79 (लगभग) और लगभग 43.04 लाख रुपए का सोना तथा लगभग 1492.5 ग्राम वजन का सोना/सोने के आभूषण	38.40 (लगभग) और लगभग 6 लाख रुपए का सोना
1984	96	153.60 लाख रुपए (लगभग) और 11 लाख रुपए का सोना/सोने के आभूषण तथा 4 पार्सल	47.24 (लगभग) और एक पार्सल

(ङ) और (च) धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त स्टाफ के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष, 1982, 1983 और 1984 (30.6.84 तक) के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्तता के कारण दण्डित अधिकारियों की संख्या क्रमशः 528, 609 और 338 थी। दिनांक 30 जून, 1984 को 473 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे लंबित थे और 1283 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित थी।

(छ) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखाओं के फार्मों के अनुसार बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का, जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक प्रावधान कर लिया जाता है, ब्यौरा प्रकट न करने के सम्बन्ध में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती।

योजना आयोग से सातवीं योजना में कोयले और लिग्नाइट के विकास के लिए नियत राशि में वृद्धि का आग्रह

1717. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से सातवीं योजना में कोयले और लिग्नाइट के विकास के लिए नियत की गई धनराशि में वृद्धि करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की प्रगति का अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में उपायों की सिफारिश करने तथा सुझाव देने के लिए नियुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशें क्या हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट के कार्यकारी ग्रुप ने कोयले और लिग्नाइट क्षेत्रों के लिए रुपए 1<419.4 करोड़ के परिव्यय की सिफारिश की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना

के परिव्यय पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है । इस मामले की जांच योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से जा की रही है ।

कृषि क्षेत्र को मिलने वाले ऋण का हिस्सा

1718. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र को मिलने वाले ऋण के हिस्से को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि कार्यों के सम्बन्ध में विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त ऋण दिए जायें, सरकार ने क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च, 1985 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राशि सकल बैंक ऋणों का 14.2 प्रतिशत थी । बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह अनुपात मार्च, 1987 तक 16 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए ।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की काफी संख्या में शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं । बैंकों को यह कहा गया है कि वे शाखा प्रबंधकों को कमजोर वर्गों से प्राप्त प्रस्तावों को उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के बिना मंजूर करने के पर्याप्त विवेकानुसार शक्तियां प्रदान करें । छोटे ऋणकर्ताओं को बैंक ऋण सुलभ कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य मुख्य उपायों में आवेदन फार्मों का सरलीकरण, जमानत की शर्तों तथा मार्जिन की अपेक्षाओं में रियायत देना शामिल है ।

विदेशों से छोटे सिक्कों का आयात

1719. **श्री नारायण चौबे** :
श्री कमल नाथ :
श्री अमर रायप्रधान :
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :
श्री सरफराज अहमद :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से छोटे सिक्कों का आयात करने की निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए क्रयादेश दे दिए गए हैं;

(ग) अंकित मूल्यवार प्रत्येक के कितने और मूल्य के सिक्के आयात किए जाएंगे और किन-किन देशों से;

(घ) हमारे देश में सिक्कों की औसतन आवश्यकता कितनी है; और

(ङ) हमारी टकसालों की क्षमता कितनी है और वर्ष 1982, 1983 और 1984 में हमारे टकसालों ने वस्तुत: कितने छोटे सिक्कों का निर्माण किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सूचना नीचे दी गई है :

मूल्य वर्ग	संख्या करोड़ अददों में	रुपयों में अंकित मूल्य	टकसाल/फर्म और देश का नाम
एक रुपया	50	50 करोड़	मैसर्स बिरमिंघम मिंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यू० के०
एक रुपया	50	50 करोड़	मैसर्स रायल मिंट, यू० के०
50 पैसे	75	37.5 करोड़	मैसर्स हापुड़ाई कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया
25 पैसे	25	6.25 करोड़	मैसर्स रायल कैनडियन मिंट कनाडा

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1983-84 से 1992-93 की अवधि के दौरान सिक्कों की अनुमानित आवश्यकता के सम्बन्ध में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार देश को प्रति वर्ष औसतन 277 करोड़ मदद सिक्कों (सभी सिक्कों) की जरूरत होगी।

(ङ) प्रति सप्ताह प्रति पारी 54 घण्टों और प्रति दिन की दो पारियों के आधार पर वर्ष 1985-86 के लिए 200 करोड़ अद्द सिक्कों के उत्पादन की क्षमता सूचित की गई है। पिछले तीन बित्तीय वर्षों के दौरान सिक्कों (सभी सिक्कों) का उत्पादन निम्नलिखित हुआ है।

वर्ष	दस लाख अदद में उत्पादन
1982-83	660.00
1983-84	1063.19
1984-85	1355.69

बिहार सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता का वापस किया जाना

1720. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने

तक उपयोग न की गई वर्षवार कितनी धनराशि केन्द्र को वापस की है और उन मदों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या धनराशि वापस करने से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किये जाने को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले पांच वर्षों में सामान्य आबंटित केन्द्रीय सहायता और जारी की गई वास्तविक सहायता को दर्शाने वाला एक बितरण संलग्न है ।

(ख) राज्य द्वारा अभ्यर्पित राशि इतनी कम है कि राज्य के विकासात्मक प्रयासों पर उसका कोई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान सामान्य आबंटित केन्द्रीय सहायता और वास्तव में जारी की गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आबंटित केन्द्रीय सहायता	वास्तव में जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1980-81	239.62	239.35
1981-82	241.89*	240.96
1982-83	267.27	26[illegible].96
1983-84	302.76	302.76
1984-85	350.13	350.13

*3.01 करोड़ रुपए की अग्रिम योजनागत सहायता के समायोजन के बाद ।

सहकारी चीनी मिलों द्वारा शुल्क की अदायगी के बिना चीनी की बिक्री

1721. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सहकारी चीनी मिलें उत्पादन शुल्क की अदायगी किए बिना अवैध रूप से चीनी बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपनाये गये भ्रष्ट तरीको की जांच कराने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं पर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में चीनी मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क के अपवंचन का उल्लेख किया गया है। सम्भवतया प्रश्न का सम्बन्ध महाराष्ट्र राज्य में सहकारी चीनी मिलों द्वारा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन से है। इन मिलों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी किए बिना चीनी की निकासी किए जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की जांच करवाए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

पटसन का समर्थन मूल्य

1722. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने उत्पादकों से पटसन की खरीद और वसूली के लिए इस वर्ष पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) देहातों तथा कलकत्ता बाजारों के लिए भारत सरकार ने 1985-86 (जुलाई-जून) के जूट मौसम के लिए कच्चे जूट और मेस्टा की न्यूनतम कानूनी कीमतें पहले ही निर्धारित कर दी हैं। जे० सी० आई० पर यह उत्तर-दायित्व डाला गया है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमत पर आफर की गई कच्चे जूट/मेस्टा की पूरी मात्रा की अधिप्राप्ति करे।

(ख) असम में 1985-86 के मौसम के लिए कच्चे जूट के डब्ल्यू-5 ग्रेड की न्यूनतम कानूनी कीमत 215 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। सामान्य बाजार अन्तरों को ध्यान में रखते हुए अन्य किस्मों और ग्रेडों की कीमतें निर्धारित की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय का उत्पादन लक्ष्य

1723. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त तक चाय के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजना अवधि में देश में चाय बागानों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का विचार है; और

(ग) उस योजना अवधि में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाय उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चाय उद्योग के सम्बन्ध में सातवीं योजना के मसौदे में योजना अवधि के अन्त तक 760 एम किग्रा० के उत्पादन लक्ष्य की व्यवस्था है। कुल अपेक्षित निवेश 900 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। अल्पावधि,

मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि उपायों के माध्यम से, जिनमें नए पौध-रोपण पुनर्रोपण, नवीकरण, उन्नत विकास जल तथा सिंचाई सुविधाएं उन्नत बागान सम्बन्धी कार्य शामिल हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करने का विचार है।

आयात और निर्यात की स्थिति

1724. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों की वर्ष-वार आयात और निर्यात स्थिति क्या है; और

(ख) सातवीं योजना अवधि में देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के आयात तथा निर्यात की स्थिति नीचे दिये अनुसार है;

वर्ष	निर्यात	आयात
1982-83	8907.75	14355.76
1983-84	9872.10	15762.95
1984-85*	11395.98	16591.86

*अनन्तिम, अप्रैल, 1985 तक शामिल।

(ख) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर नीति उपाय तैयार किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत उत्पादन को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने के उपाय, हमारे निर्यातों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, हमारे उत्पादों के लिए नये बाजार खोजना तथा अधिक मूल्य वसूली के लिए वस्तुओं का संसाधन करना शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास उपलब्ध विविध तरीकों का उपयोग किया जा रहा है और जब आवश्यक हो, इनका समायोजन किया जाता है। अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए, हाल ही में अप्रैल, 1985 में घोषित आयात तथा निर्यात नीति, निर्यातों को अत्यधिक बढ़ावा देने और साथ ही कार्यक्षम आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। परम्परागत तथा गैर-परम्परागत उत्पादों के हमारे निर्यातों को बढ़ाने हेतु अमरीका, फ्रांस आदि जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में निर्यात संवर्धन गतिविधियों और वाणिज्यिक प्रचार में तेजी लाने के उपाय भी किये जा रहे हैं।

कच्चे कृषि माल का आयात

1725. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार तिलहन, रेशम, चीनी, रबड़ आदि जैसे सभी कच्चे कृषि माल (कृषि उत्पादों) के आयात सम्बन्धी अपनी नीति का पुर्नविलोकन करने तथा इनमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करना सुनिश्चित करने का है, क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या कृषि उत्पादन में लगी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : सरकार की आयात नीति की उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरन्तर समीक्षा की जाती है।

सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले

1726. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमा मुल्क अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 1985 से कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों के आस्तियों के विवरण नियमित रूप से प्राप्त किए जाते है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन तथा दिल्ली के सीमा शुल्क समाहर्ताओं से सूचना प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमा शुल्क अरिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 1985 से 4 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) समूह "क" तथा "ख" अधिकारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

एन० टी० सी० मिलों के लिये प्रवूषण विरोधी मशीन

1727. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों के लिए प्रदूषण विरोधी मशीनें खरीदी हैं;

(ख) इस खरीद में कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) क्या इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन मशीनों को क्यों खरीदा गया है तथा इस खरीद के लिये कौन व्यक्ति अथवा अधिकारी उत्तरदायी है; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने का कोई विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० डी० एण्ड ओ०) लि० कलकत्ता ने 91.18 लाख रु० की लागत में ऐसी 3600 मशीनें खरीदी हैं।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० के अन्तर्गत, मिलो में 3600 एककों में से 609 एकक प्रस्थापित किए गए हैं । बाकी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(घ) खरीद, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० एण्ड ओ०) के निदेशक मंडल के अनुमोदन से वातावरण प्रदूषण से निपटने के लिए की गयी।

(ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम नियंत्रक कम्पनी को उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

देश पर आन्तरिक और बाहरी ऋण

1729. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश पर 1 अप्रैल, 1985 को कुल आन्तरिक और बाहरी ऋण कितना था तथा आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष ब्याज सहित कितना भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

आन्तरिक ऋण :

पहली अप्रैल, 1985 को आन्तरिक ऋण की बकाया राशि 58494 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थी। केन्द्रीय सरकार के आन्तरिक ऋणों में बाजार ऋण, राजकोषीय हुंडियां, प्रतिपूरक तथा अन्य बांड और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियां शामिल हैं। राजकोषीय हुंडियों को 91 दिनों की समाप्ति पर छुड़ाया/नवीकृत किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रत्याभूतियों की मांगने पर वापसी अदायगी करनी पड़ती है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बाजार ऋणों तथा अन्य आन्तरिक ऋणों की वर्षवार वापसी अदायगियों के अनुमानों की राशियां, जिन्हें आगामी पांच वर्षों में ब्याज प्रभारों सहित वापस करने का कार्यक्रम है, इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वापसी अदायगियों की राशि	ब्याज अदायगी
1985-86	844	2317
1986-87	1046	2285
1987-88	1080	2243
1988-89	695	2231
1989-90	796	2202

विदेशी ऋण :

पहली अप्रैल, 1985 को देश के विदेशी ऋणों की कुल अनुमानित राशि सरकारी ऋणों के संबंध में 24004 करोड़ रुपए और गैर-सरकारी ऋणों के संयंध में 758 करोड़ रुपए है। 1980-81 से 1984-85 तक विदेशी वाणिज्यिक ऋणों तथा संभरक ऋणों के संबंध में 7259 करोड़ रुपए की राशि के और अनुमोदन भी दिए गए हैं। किन्तु, इस प्रकार के विदेशी ऋणों का उपयोग भविष्य में कई वर्षों का उपयोग भविष्य में कई वर्षों में हो पाएगा जबकि ऋणों की वास्तव में निकासी/उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुविधाओं के अन्तर्गत की गई निकासियों के सम्बन्ध में 4887 करोड़ रुपए की पुन: खरीद करने की बकाया देनदारी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भिन्न भारत की ऋण सम्बन्धी वापसी देनदारियों और ब्याज की अदायगी के मौजूदा अनुमान इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वापसी अदायगी	ब्याज अदायगी
1985-86	1438	1405
1986-87	1987	1469
1987-88	2355	1483
1988-89	2596	1449
1989-90	2610	1181

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

1730. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है जैसा कि 4 जुलाई, 1985 के "इकानोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे कि कम्प्यूटर लगाने से कार्य और अकुशलता नहीं बढ़ेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरीकरण कार्य को क्रमिक रूप से लागू करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्थायी लेखा संख्या आबंटित करने तथा विभिन्न दूसरे प्रयोजनों के लिए दिल्ली में एक माइक्रो कम्प्यूटर को पहले से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। इस समय चारों महानगरों में अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास प्रत्येक में, निम्नलिखित कार्यों के लिये एक-एक मिनी कम्प्यूटर स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(i) अधिक राजस्व देने वाले मामलों में करों की मनुष्य द्वारा की गई संगणना की परिशुद्धता की निगरानी करना;

(ii) विभाग की केन्द्रीय कार्य योजना की तिमाही समीक्षा करना;

(iii) प्रमुख क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के आंकड़ों का संकलन करना;

(iv) आयुक्त प्रभारों के केन्द्रीय कोषागार एकक में प्राप्त चालानों पर कार्यवाही करना;

(v) स्थायी लेखा संख्या (पी० ए० एन०) आबंटित करना;

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 80 द० द० क० के अन्तर्गत भारत से बाहर सेवा करार की शर्तों के अनुमोदन के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करना;

(vii) वेतन रोल तथा सम्बद्ध प्रयोग;

(viii) स्रोत पर कर की कटौती ।

(ख) कम्प्यूटरीकरण करने का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यदक्षता में सुधार लाना, डाटा प्रोसेसिंग में तीव्रता तथा परिशुद्धता सुनिश्चित करना तथा कर्मचारियों को कारबार किए जाने वाले नीरस स्वरूप के कार्यों से राहत दिलाना है । अत: कार्य तथा अकुशलता में वृद्धि होने का प्रश्न उठता है ।

(ग) जी, हां ।

पटना, बिहार में राष्ट्रीय वस्त्र निगम का सहायक कार्यालय

1731. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, बिहार में राष्ट्रीय वस्त्र निगम का एक सहायक कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य की कुछ निजी कताई और जूट मिलों, जिन्हें बीमार घोषित कर दिया है, को भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम में मिलाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो जिन बीमार कताई और जूट मिलों का अधिग्रहण करना सरकार के विचाराधीन है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के बीमार एककों का आधुनिकीकरण करके भारतीय वस्त्र निगम अपने उत्पादन में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी करेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

न्यू बैंक आफ इंडिया की पंचशील एन्कलेव शाखा में डकैती

1732. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री हरीश रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली स्थित न्यू बैंक आफ इंडिया की शाखा से 10 जुलाई, 1985 को दिन दहाड़े 3 लाख रुपये लूटे गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सूत्र मिला है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाओं में अभी भी कड़े सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या और कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां । 3,01,560 रुपए की राशि लूट ली गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने-अपने परिसरों में सुरक्षा उपाय मजबूत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । बैंकों में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट भी बैंकों को भेज दी गयी है ताकि वे उसमें की गई सिफारिशों पर अमल करें । बैंकों द्वारा कार्यकारी दल द्वारा अनुशंसित विभिन्न सुरक्षा उपायों पर चरणबद्ध ढंग से अमल किया जा रहा है । लागत लाभ को देखते हुए नकदी और मूल्यवान वस्तुओं की अधिकतम हिफाजत के लिए सुरक्षा उपायों में लगातार सुधार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

पटना में नए बैंक खाते खोलना

1733. **श्री सरफराज अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में "पटना में नए खाते नहीं खुल रहे" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ग्राहकों द्वारा उठायी जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नए खाते न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पटना में बैंक निरन्तर नए खाते खोल रहे हैं, फिर भी जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के ध्यान में विशिष्ट शिकायतें लाई जाती हैं, उन पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 में जोड़े गये नये अध्याय III-ग का कार्यान्वयन

1734. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विधान के बारे में 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 5176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में [बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा] जोड़े गये नये अध्याय III-ग को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अनिगमित निकायों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्होंने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गयी दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंककारी विधि (संशो-

धन) अधिनियम, 1983 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में जोड़े गये अध्याय III-ग के उपबंध 15 फरवरी, 1984 से लागू हो गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1984 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया था कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक प्रवर्तन तंत्र की स्थापना करें ताकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(ध) के उपबंधों के उल्लंघन की जांच की जा सके। अब तक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने प्रवर्तन तंत्रों की स्थापना की सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर जोर से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, अध्याय III-ग के उपबंध प्रतिषेधात्मक हैं और इनमें अनिगमित निकायों के संबंध में आंकड़े संग्रह करने की परिकल्पना नहीं की गयी है। इसके अलावा ये उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत रीति से लागू किये जाते हैं।

केरल से वस्तुओं के निर्यात में कमी

1736. **श्री टी० बशीर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से पिछले वर्ष के दौरान किये गए विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी आई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल से निर्यात में आई उक्त कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य-वार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धारित किए गए शुल्कों को वसूल करने हेतु सरकार को अधिकार देने के लिए विधान

1737. **श्री अजय विश्वास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्धारित किए गए शुल्क जिनका भुगतान संबंधित कम्पनियों, न्यायालयों में दावों के विवादग्रस्त रहने की अवधि के बिना किसी ब्याज के रोके रखती है, वसूल करने हेतु सरकार को अधिकार देने के लिए विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं और कितनी धनराशि का भुगतान रोक लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अदालती मामलों में राजस्व की रकमें न फंसें, इस संबंध में सरकार के पास जो प्रस्ताव हैं उनमें से एक प्रस्ताव यह है कि जनता से उत्पादन शुल्कों को वसूली करके उसे सरकारी खाते में जमा कराए बिना रोके रखना कानूनी अपराध माना जाए।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित लगभग 7000 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इनमें से अधिकांश मामले, उत्पादों की शुल्क-दर के प्रभाव, उनके मूल्यांकन और उनकी उत्पादन-शुल्क्यता से संबंधित हैं। अलग-अलग मामलों में अंतर्ग्रस्त राजस्व की मात्रा बता पाना केवल तभी संभव होगा जब अदालती फैसले उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

नई खादी नीति

1738. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति के साथ-साथ नई खादी नीति भी अपनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के मामले में खादी का महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में खादी संबंधी नीति में कौन-सी नई बातें शामिल की गई हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) वस्त्र नीति विवरण ग्राम क्षेत्रों में रोजगार तथा आय उत्पादक सम्भाव्यता को, विशेषकर महिलाओं के लिए, देखते हुए खादी कार्यक्रम के महत्व पर जोर देता है। इसमें उत्पादन क्रिया को बेहतर बनाने, कामगारों की क्षमता को बढ़ाने, उत्पादकता को बढ़ाने, उत्पाद श्रेणी के विविधीकरण को तथा बाजार व्यवस्थाओं को बनाए रखने के प्रयास जारी रखने के लिए कहा गया है। ये बातें खादी क्षेत्र के वर्तमान विकास कार्यक्रम की आवश्यक बातें हैं।

[अनुवाद]

मेंढ़क/मेंढ़क की टांग/मेंढ़क की खाल के निर्यात का विरोध

1739. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारा देश मेंढ़क/मेंढ़क की टांग/मेंढ़क की खाल का निर्यात कर रहा है; यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में भार/संख्या और मूल्य, आदि सहित किस देश को निर्यात किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में देश में धार्मिक संस्थाओं द्वारा विरोध किया गया है; और

(ग) क्या मेंढ़क आदि की कमी से देश का पर्यावरण प्रभावित हुआ है और मलेरिया तथा अन्य रोगों के फैलने में वृद्धि हुई है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) विगत हाल में धार्मिक निकायों से कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। न ही मेंढ़कों की कमी के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त रिपोर्ट है।

जीवित मेंढ़कों/मेंढ़क की खालों का निर्यात वाणिज्यिक आधार पर नहीं किया जाता। तथापि, मेंढ़कों की टांगों के निर्यात की अनुमति मेंढ़कों को पकड़ने तथा संसाधित करने तथा कुल

निर्यात की अधिकतम सीमा संबंधी कठोर विनियमों के अध्यधीन दी जाती है ताकि उनके अंधाधुंध पकड़े जाने को रोका जा सके जिससे मेंढ़कों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ सकता है।

मेंढ़क की टांगों के निर्यात का विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में मेंढ़कों की टांगों के निर्यात ब्यौरे

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

जिस देश को निर्यात किया गया	वर्ष 1983-84		वर्ष 1984-85	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अल्जीरिया	31	8.80	—	—
बेल्जियम	158	48.96	565	174.36
कनाडा	13	2.15	—	--
जर्मन संघीय गणराज्य	4	0.96	9	2.35
फ्रांस	403	129.66	303	68.87
इटली	38	11.01	78	14.22
जापान	244	40.01	16	5.15
मेक्सिको	1	0.26	23	6.63
नीदरलैंडस	656	179.74	628	174.49
ओमान	—	—	13	3.56
साउदी अरब	13	1.16	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	72	6.56	—	—
सं० राज्य अमरीका	722	192.85	1031	292.00
ब्रिटेन	173	46.24	112	35.89
योग	2528	668.36	2778	777.49

[हिन्दी]

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की आशाओं की पूर्ति

1740. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के राष्ट्रीकरण से स्थिति में सुधार होने की आशायें

पूरी नहीं हुई हैं और क्या अब उसमें परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने कोयला व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है और गत तीन वर्षों के दौरान उसमें वर्षवार कितना घाटा हुआ है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य निगमों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण में पृथक.पृथक कितनी कोयला खानें हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिनांक 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवेश (ऋण+इंक्विटी) क्रमशः रु० 4832.17 करोड़ और रु० 335.90 करोड़ था (वर्ष 1984-85 के दौरान किए गए पुनः भुगतान को छोड़कर) । पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० को हुआ लाभ/घाटा निम्नलिखित है:—

(रु० करोड़ में)
(+) = लाभ
(—) = घाटा

वर्ष	कंपनियों को हुआ लाभ/घाटा	
	को० इं० लि०	सि० को० कं० लि०
1982-83	(+) 37.45*	(—) 14.37
1983-84	(—) 242.68	(—) 49.94
1984-85	(+) 13.83 (अनंतिम)	(—) 45.08 (अनंतिम)

*धारण की कीमत के समायोजन के बिना ।

(घ) इस समय को० इं० लि० और इसकी सहायक कंपनियों के अधीन 421 कोलियरियां हैं । सिं० को० कं० लि० के अधीन 58 कोलियरियां, 6 कोयला खानें टिस्को (टाटा आइरन एंड स्टील कं० लि० के अधीन, 3 कोयला खानें इस्को के अधीन और एक कोयला कान दामोदर घाटी निगम के अधीन है ।

[अनुवाद]

पटसन का अधिकतम मूल्य

1741. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पटसन के लिए पिछले वर्ष के न्यूनतम निर्धारित मूल्य के बजाय इस वर्ष अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय पटसन निगम और कृषि विपणन समितियां उत्तर बंगाल के जिलों में पटसन के मौसम के प्रारंभ में मण्डियों से अनुपस्थित रहीं और कच्चे पटसन के मूल्यों में काफी नीचे तक गिरावट आई; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उत्पादकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं। कच्चे जूट की अधिकतम कीमत थोड़े ही समय के लिए, 15-7-1985 तक निर्धारित की गई थी। सरकार ने वर्तमान जूट मौसम 1985-86 के लिए कच्चे जूट/मेस्टा की न्यूनतम कानूनी कीमतें भी घोषित कर दी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय जूट निगम समर्थन मूल्य कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, विभिन्न देहाती बाजारों में कच्चे जूट की बाजार कीमत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमत से आगे चल रही है। इसलिए भारतीय जूट निगम को अभी तक खरीदारी शुरू करने का मौका नहीं मिला।

1.25 प्रतिशत पर "बुलडाग" प्रत्याभूतियां जारी करने की सरकारी योजना

1742. **श्री अमल दत्त : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राजकोषीय प्रत्याभूतियों के इस समय के वापसी मूल्य से 1.25 प्रतिशत अधिक वापसी मूल्य वाली "बुलडाग" प्रत्याभूतियां जारी करने की योजना बना रही है, जिसकी अवधि 20 से 25 वर्ष होगी;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन निधियों, भविष्य निधियों, कर्मचारी राज्य बीमा निधियों, राज्य बीमा निधियों, अनिवार्य जमा योजना निधियों की राशियों तथा इस देश की बीमा कंपनियों और बैंकों की राशियों को उसी दर ब्याज देकर आकर्षित करने की भी कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बुलडाग प्रत्याभूतियां, लंदन के पूंजी बाजार में विदेशी ऋणकर्ताओं द्वारा निश्चित ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा और विशेष रूप से पौंड स्टलिंग उधार लेने का साधन है। भारत सरकार ऐसे निर्गम के लिए अभी तक बाजार में नहीं गई है।

(ख) और (ग) चूंकि बुलडाग बांड पौंड-स्टर्लिंग प्रधान हैं और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, इसलिए इसमें भविष्य निधियों, बीमा कम्पनियों, बैंकों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा अभिदान नहीं किया जा सकता। इन संस्थाओं के निवेश्य रुपया-साधनों का उपयोग यथासंभव सीमा तक सरकारी क्षेत्र की आयोजना के वित्तपोषण के लिए पहले से ही किया जा रहा है।

छोटे सिक्कों का उत्पादन

1743. **श्री अमल दत्त :**
श्री वी० एन० रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में छोटे सिक्कों के उत्पादन की बढ़ाई गई 61 प्रतिशत की दर वर्ष 1984-85 में जारी रखी गई;

(ख) यदि हां, तो इससे छोटे सिक्कों की कमी किस सीमा तक पूरी हुई; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को किन-किन कारणों से 1984-85 में सिक्कों के उत्पादन में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा और कितना कम उत्पादन हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए सभी सिक्कों के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	सभी सिक्कों का उत्पादन
	(लाख अदद में)
1982-83	6600.0
1983-84	10631.9
1984-85	13556.9

पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 1982-83 की तुलना में 1983-84 में प्रतिशत वृद्धि 61 प्रतिशत थी और वर्ष 1983-84 वर्ष की तुलना में 1984-85 में वृद्धि 27.51 प्रतिशत थी। 1983-84 में उत्पादन की ऊंची दर सरकार द्वारा किए गए बहुत से उपायों, जैसे कि प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने, कार्य के घंटों में वृद्धि करने आदि के कारण संभव हो सकी थी। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित विद्यमान तीन टकसालों की क्षमता सीमित होने के कारण 1984-85 में उतनी ही प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करना संभव नहीं था।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मांग 22,500 लाख अदद (सभी सिक्के) की थी जबकि उस वर्ष में सिक्कों का उत्पादन 13556.9 लाख अदद (सभी सिक्के) का था।

(ग) चूंकि उत्पादन में वस्तुतः वृद्धि हुई है इसलिए 1984-85 में उत्पादन में कमी किए जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

बेसिक एल्यूमिनियम के मूल्य बढ़ाना

1744. **श्री अमल दत्त :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने हेतु बेसिक एल्यूमिनियम के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने से समाज के निचले वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि वे लोग ही एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं अधिक प्रयोग करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सवाल ही नहीं उठते।

"रेलवे बांड इश्यू अण्डर स्कूटनी" शीर्षक से समाचार

1745. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 1985 के 'इकोनोमिक टाइम्स' (नई दिल्ली संस्करण) में 'रेलवे बांड इश्यू अण्डर स्कूटनी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समाचार के अनुसार सार्वजनिक बांड जारी करने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस विषय में कोई अंतिम निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है कि यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली में एअर कंडीशनरों में छुपाकर लाए गए सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

1746. **प्रो० मधु दण्डवते** :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई, 1985 को दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों ने राजनयिक सामान रूप में लाए गए एक एअरकंडीशनर में छुपाए गए लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य के 195 सोने के बिस्कुट पकड़े थे।

(ख) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने पुनः 28 मई, 1985 को गुड़गांव रोड स्थित निकासी गोदाम से कुवैत से आयातित एअरकण्डीशनरों में विशेष रूप से बनाए गए स्थानों में छुपा कर रखे हुये 60 लाख रुपए मूल्य के 221 सोने के बिस्कुट पकड़े थे;

(ग) क्या सोने की तस्करी के इन मामलों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात

सीमाशुल्क अधिकारियों ने 23 मई, 1985 को अफगान दूतावास में नियुक्त भारतीय गैर-राजनयिक (होम बेस्ड नान डिप्लोमेट) को भेजे गये दो वातानुकूलकों में से एक वातानुकूलक से विदेशी मार्के के सोने की दस-दस तोले वजन की 195 छड़े बरामद कीं और उनका अभिग्रहण कर लिया। इन छड़ों का कुल वजन लगभग 22.62 किलो ग्राम तथा कुल मूल्य लगभग 50 लाख रुपया है।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 29 मई, 1985 को 10 वातानुकूलकों की एक खेप की जांच की थी जो कुवैत से 24 मई, 1985 को पहुंची थी और अफगान दूतावास को भेजी गई थी। जांच किये जाने पर, तीन वातानुकूलकों से विदेशी मूल के सोने के 221 बिस्कुट बरामद किये गये थे, जिनका कुल वजन 25.76 किलोग्राम है और मूल्य 55.68 लाख रुपया है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस सिलसिले में, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली, के निवासी किसी श्री विश्वनाथ खन्ना को 25 मई, 1985 को गिरफ्तार किया गया था। यह पाया गया था कि इन मामलों में सोने की इस तस्करी के पीछे उक्त श्री विश्वनाथ खन्ना का हाथ था। इन मामलों में ग्रस्त पाये गये सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

विशाखापत्तनम में कम लदान के कारण खनिज और धातु व्यापार निगम को हानि

1747. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को लौह अयस्क का कम भन्डार होने तथा विशाखापत्तनम-दरगाह पर अयस्क का लदान कम किए जाने के कारण प्रतीक्षारत जापानी पोतों को विलम्ब शुल्क देने से 1-5 लाख अमरीकी डालर का भारी घाटा उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को मुख्यतः विशाखापत्तनम पत्तन पर अयस्क लदान को कम दर के कारण प्रतीक्षा कर रहे पोतों पर विलम्ब शुल्क के जरिये वित्तीय वर्ष 1985-86 के पहले तीन महीनों में 8.89 लाख अमरीकी डालर की हानि हुई है। सरकार ने अयस्क लदान की कम दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी अयस्क हैंडलिंग प्रणाली को ठीक करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इसके अलावा खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों की खरीद के लिए हाल ही में विजाग पत्तन को 3 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विजाग पत्तन न्याय के साथ परामर्श करके विजाग पत्तन पर अयस्क हैंडलिंग प्रणाली में कमजोर बातों का पता लगाने के लिए एक द्रुत अध्ययन का वित्तपोषण भी किया है।

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा धन के निजी हस्तान्तरण के मामलों में वृद्धि

1748. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों द्वारा भेजे गए धन के एक प्रमुख भाग सहित अदायगियों के निजी हस्तान्तरण के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) इन गैर कानूनी गतिविधियों के कारण विदेशी मुद्रा अर्जन में कुल कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) सरकार का इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशों में कार्यरत भारतीयों सहित विदेशों से गैर कानूनी माध्यमों से देश में आने वाले प्रेषित धन का कोई प्रमाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) इस संबंध में सतर्क रहता है तथा जब कभी भी उसकी जानकारी में ऐसे लेन-देन आते हैं उन पर उपयुक्त कार्यवाही करता है । इसके अलावा अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से भारत में आने वाले धन के प्रवाह को आकृष्ट करने के लिए पहले से किए गए विभिन्न उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है उनमें संशोधन के लिए उचित कार्यवाही की जाती है ।

सोवियत संघ को 25 करोड़ मीटर सूती कपड़े का निर्यात

1749. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1986 से 1990 के दौरान सोवियत संघ को 25 करोड़ मीटर सूती कपड़े निर्यात करने को सहमत हो गई है;

(ख) निर्यात समझौते की शर्तें क्या हैं और सोवियत संघ किस रूप में भुगतान करेगा;

(ग) सरकार ने इतने बड़े क्रयादेश को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को सोवियत संघ को सूती कपड़े की सप्लाई के प्रबन्ध करने को कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें वर्तमान क्षमता और मशीनों के आधार पर सूती कपड़े के निर्यात का प्रबन्ध करने में समर्थ हो सकेंगी; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार/राष्ट्रीय कपड़ा निगम का सोवियत संघ के लिए अपेक्षित विशिष्टता वाले सूती कपड़े का उत्पादन और सप्लाई के प्रबन्ध हेतु क्या कदम उठाने का विचार है और इन प्रबन्धकों का राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्यकरण और कार्य निष्पादन पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 1986 से 1990 के वर्षों के लिए सोवियत संघ के साथ व्यापार करार को अन्तिम रूप देने के लिए वार्ता प्रारंभ कर दी है ।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 1984 में सोवियत संघ को 39 मिलियन मीटर कपड़े का निर्यात किया । 1985 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सितंबर, 1985 तक सोवियत संघ को निर्यात के लिए 47.7 मिलियन मीटर का आदेश प्राप्त किया ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय वस्त्र निगम 1985 के दौरान विद्यमान क्षमता के आधार पर अनुबन्धित मात्रा की सप्लाई करने के योग्य होगा ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चाय के विकास की योजना

1750. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय बागान के विकास की कोई विशेष योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में अविकसित तथा अपेक्षित चाय बागानों के विकास के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चाय बोर्ड उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यमान चाय एस्टेटों को पुनर्जीवित करने तथा नए चाय बागान लगाने की संम्भावनाओं का पता लगाता रहा है । तथापि, राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने की समस्या है क्योंकि नए बागान लगाने में बन वृक्षों का गिराया जाना शामिल है । उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चाय बानानों की अनुसंधान तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करने के लिए पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सी० एस० आई० आर० का कम्पलैक्स स्थापित किया गया है। चाय उपजकर्त्ता चाय बागान के विकास के लिए विद्यमान उपदान तथा चाय बोर्ड की ऋण योजनाओं का उपयोग भी कर सकते हैं ।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूमों को लाभ

1751. **श्री हरीश रावत** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ में खोले गये राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूम अच्छा लाभ कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रानीखेत, बागेश्वर डीडीहाट, धारचूला, लोहाघाट आदि जिले तहसील मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूम खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो रूम क्रमशः 21 और 25 जून, 1985 को खोले गए थे । इतना जल्दी इन शोरूमों के लाभ का मूल्यांकन करना कठिन है ।

(ख) और (ग) पर्वतीय क्षेत्रों में और शो रूमों के खोले जाने पर मांग के मूल्यांकन करने और उपरोक्त दो शो रूमों के निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही विचार किया जाएगा । तथापि, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के सभी विकास ब्लाकों में शो रूम खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्ष

1752. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की वर्ष, 1984 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इसमें 115 करोड़ रुपये के जाली स्टिकी खाते हैं जैसा कि 7 जून, 1985 के "इकनोमिक्स टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इस प्रकार के जाली (स्टिकी) खाते किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक की विदेशी शाखाओं से भी पाए गए हैं; और

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के लेखापरीक्षकों के भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि लन्दन में कुछ ग्राहकों द्वारा देय 115.53 करोड़ रुपये की राशि (परिसमापनाधीन एक कम्पनी सहित) वसूली योग्य समझा गया है। उन्होंने ऐसा अपनी रिपोर्ट में गिनाई गई कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर माना है। बैंक द्वारा यह रिपोर्ट वर्ष 1984 के वार्षिक लेखाओं के साथ प्रकाशित की गयी है।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया के लेखा परीक्षकों ने भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि लन्दन के एक ग्राहक (परिसमापनाधीन) द्वारा देय 19.86 करोड़ रुपये की राशि की वसूली योग्य समझा गया है। उन्होंने ऐसा अपनी रिपोर्ट में गिनाई गयी कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर माना है। यह रिपोर्ट वर्ष 1984 के वार्षिक लेखाओं के साथ प्रकाशित की गयी है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के लेखा-परीक्षकों ने यह बताया है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में गिनाई गयी कुछ परिकल्पनाओं तथा बैंक द्वारा वर्ष 1984 के वार्षिक लेखाओं के साथ प्रकाशित रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा भुगतान शेष की समस्या से प्रभावित एक देश में अपने एक्सपोजर के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

करों की चोरी करने पर कम्पनियों और बड़े घरानों पर छापे

1753. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
प्रो० के० के० तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर, उत्पाद शुल्क और अन्य केन्द्रीय करों की चोरी करने पर विभिन्न औद्योगिक घरानों, कम्पनियों और व्यापारियों के घरों पर जनवरी से जून, 1985 के दौरान कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) कितनों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दायर किए गए; और

(ग) 10 लाख तथा इससे अधिक की राशि के करों का अपवंचन करने के लिए जिन

लोगों को आरोप पत्र दिए गए थे उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

1754. **श्री एम० एम० गुरड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मद्रास हवाई अड्डे पर 22 जून, 1985 को सिंगापुर के एक नागरिक से 22 किलोग्राम सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क समाहर्तालय, मद्रास के अधिकारियों ने दिनांक 25 मई, 1985 को सिंगापुर के एक राष्ट्रिक श्री आर० रामन् को, जो एयर इण्डिया की उड़ान सं० ए० आई०-415 के द्वारा सिंगापुर से आया था, रोक लिया था। उसके सूटकेसों में से एक सूटकेस की जांच किए जाने पर सिले-सिलाए कपड़ों के नौ बण्डलों के बीच छिपाई गई विदेशी मार्के की सोने की 28 छड़ें पाई गईं जिसमें प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम था। सीमाशुल्क अधिनियम के तहत 63.14 लाख रु० के मूल्य का 28 किलोग्राम सोना अभिगृहीत कर लिया गया। श्री रामन् को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उधार दी गयी राशि में पश्चिम बंगाल का हिस्सा

1755. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उधार दी गई राशि में पश्चिम बंगाल का कुल हिस्सा कितना था; और

(ख) यह उक्त वर्षों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को दी गई धनराशि की तुलना में कितना कम अथवा अधिक था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सबसे हाल के गत तीन वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों को मंजूर की गयी सदस्यता का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी

(करोड़ रुपये)
(अवधि अप्रैल से मार्च)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1. पश्चिम बंगाल	98.3	119.7	150.5
2. महाराष्ट्र	309.9	325.0	371.9
3. गुजरात	237.6	331.1	467.0
4. तमिलनाडु	300.3	226.0	277.4
5. कर्नाटक	110.3	155.7	188.3

आयातित पोलिएस्टर और फिलामेंट यार्न पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति

1756. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 जून, 1985 और 11 अप्रैल, 1985 के बीच किए गए निर्यात के बदले संपूर्ति लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए गए पोलिएस्टर और नायलोन फिलामेंट यार्न पर लगने वाले सभी सीमा-शुल्कों और अन्य शुल्कों को प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत से राजकोष पर कितना भार पड़ेगा;

(ग) निर्माताओं को नकद प्रतिपूर्ति भत्ता दिए जाने के बावजूद, इस दोहरी रियायत की क्या आवश्यकता है;

(घ) क्या इस रियायत से उन निर्यातकों को भारी लाभ होगा जिन्होंने इस अवधि के आयात लाइसेन्सों का उपयोग नहीं किया है और अब उसका उपयोग करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें जनता के नुकसान का उक्त अवसर देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 19.6.78 की अधिसूचना सं० 120/78-सीमाशुल्क और दिनांक 19.6.78 की अधिसूचना सं० 121/78-सीमा-शुल्क के अनुसार नायलान और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत को मूल सीमाशुल्क और उपसंगी शुल्क से उस स्थिति में छूट दी गई थी जब उनका आयात, विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के प्रति जारी किए गए पुनःपूर्ति लाइसेन्स के तहत किया गया हो। परन्तु उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगता था। तैयारशुदा निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के सम्बन्ध में प्रतिअदायगी अनुमत्य थी। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर, विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के सम्बन्ध में जारी किये गये पुनः पूर्ति लाइसेन्सों के तहत इन मदों का मूल सीमाशुल्क, उपसंगी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से मुक्त आयात किये जाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया था। तदनुसार, दिनांक 12-4-85 की अधिसूचना सं० 126/85-सीमाशुल्क और अधिसूचना सं० 127/85-सीमाशुल्क जारी की गई थीं। दिनांक 12-4-1985 की अधिसूचना जारी करने का आशय इन मदों को एक अवस्था पर आयात शुल्कों से छूट देना था। दिनांक 19-6-78 की पूर्ववर्ती अधिसूचना निष्प्रभावी हो गई थी और उसे रद्द कर दिया गया।

लेकिन, बाद में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रण से यह पता लगाया गया था कि 19-6-78 से 11-4-85 के दौरान जो विनिर्दिष्ट उत्पाद निर्यात किये गये थे उनके निर्यातों के लिए नायलान और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत के आयात के निमित्त पुनःपूर्ति लाइसेन्स जारी करने के सिलसिले में बहुत-से आवेदन पत्र बकाया पड़े हुए थे। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, दिनांक 17-6-85 की अधिसूचना सं० 198/85 और सं० 199/85 जारी की गई थीं जिनके द्वारा मूल तथा उपसंगी शुल्क की अदायगी के बिना इन मदों का पुनःपूर्ति लाइसेन्सों के तहत आयात किये जाने की अनुमति दी थी बशर्ते कि तैयारशुदा उत्पादों का निर्यात 19-6-78 और 11-4-85 के दौरान किया गया हो। वास्तव में, मूल सीमाशुल्क और उपसंगी शुल्क के सम्बन्ध में 12-4-85 से पूर्व जो छूटें उपलब्ध थीं, वे इस अधिसूचना द्वारा पुनः उपलब्ध कराई गईं।

(ख) इससे कोई अतिरिक्त हानि नहीं होगी क्योंकि इस अधिसूचना द्वारा

दिनांक 19-6-78 की तत्कालीन अधिसूचना के अधीन मूल सीमाशुल्क तथा उपसंगी शुल्क से उपलब्ध छूट को केवल पुनः उपलब्ध कराया गया था।

(ग) नकद प्रतिपूर्ति मोक योजना में सीमाशुल्क शामिल नहीं है और इसलिए इस योजना के तहत उन शुल्कों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। अतः व्यापारी-वर्ग को दोहरी रियायत का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चूंकि दिनांक 17-6-85 की अधिसूचना द्वारा मूल सीमाशुल्क और उपसंगी शुल्क से उस छूट को पुनः उपलब्ध कराया गया था, जो दिनांक 19-6-78 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधीन उपलब्ध थी।

कोकिंग कोयले की कमी

1757. **श्री श्याम लाल यादव** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में कोकिंग कोयले की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सप्लाई को सुगम बनाने और मूल्य भी कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्र कोककर कोयले के प्रमुख उपभोक्ता हैं और उनके पास दिनांक 1-7-1985 का 5.30 लाख टन कोककर कोयले का स्टाक था। परन्तु देश में कोककर कोयले की कुल उपलब्धता इसकी मांग की तुलना में कम ही है। यह कमी आयात करके पूरी की जा रही है। कोककर कोयले की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये झरिया कोयला क्षेत्र के विकास और पुनर्गठन को उच्चतर प्राथमिकता दी गई है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी पर रोक

1758. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए कुछ कड़े उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को तस्करी रोकने में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितने मूल्य का सामान बरामद किया गया और गत वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस सीमा पर किन-किन वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तस्करी को रोकने सम्बन्धी अभियान को तेज किए जाने के परिणामतः,

वर्ष 1985 (जून तक) के दौरान 1.58 करोड़ रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था और तस्करी के सिलसिले में 124 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जबकि जनवरी से जून, 1984 के दौरान 91.48 लाख रुपये का माल पकड़ा गया था और 57 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। (आंकड़े अनन्तिम हैं)

(घ) सोना, इलैक्ट्रॉनिकीय माल, संश्लिष्ट फैब्रिक तथा यार्न और नेपाली गांजा, नेपाल से भारत में तस्कर-आयात के आकर्षण की मुख्य मदें हैं, जबकि बकरी की खाल, ऊनी यार्न और पैट्रोलियम उत्पाद देश से तस्कर-निर्यात के आकर्षण की मुख्य मदें हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा नयी खानें खोलना/चालू करना

1759. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में नई खानों को चालू करने के सम्बन्ध में 5-11-1982 को एक बैठक हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, कोयला सचिव, ईस्टर्न कोलफील्ड के प्रतिनिधि तथा अनेक मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया गया था उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में लिये गये निर्णय और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में कुछ ऐसी नई खानों में स्थानीय युवकों को रोजगार देने के प्रश्न पर विचार किया गया था जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल में खोलना चाहता था।

(ग) से (ङ) यह निर्णय किया गया था कि 1980 में बनाए गए फार्मूले के अनुसार नई प्रस्तावित खानों में 30 प्रतिशत नौकरियां नई भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और शेष नौकरियों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पहले से ही उपलब्ध बेशी जनशक्ति को फिर यथास्थान लगाकर भरा जाएगा। इसी आधार पर समस्या की जांच-पड़ताल के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई थी। अंततः यह निर्णय किया गया कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जिन भू-वंचितों को दी जानी है उनके अलावा, 600 स्थानीय युवकों को रोजगार कार्यालय के जरिए तदर्थ आधार पर नौकरियां दी जाएं। यह नौकरियां खानों में जैसे-जैसे काम की प्रगति होती जाती वैसे-वैसे दी जानी थीं। इस निर्णय पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अमल कर रहा है। वहां 177 व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है। अब आगे लोगों को नौकरी देने में विलम्ब का कारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश हैं तथा एक अन्य कारण रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम मिलने में होने वाली देरी हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु वर्तमान पद्धति की समीक्षा

1760. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक शाखायें खोलने की मौजूदा पद्धति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब सरकार का इस प्रकार की कोई समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष, 1969 में बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से ही भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाईसेंसिग नीति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की ओर रही हैं। इस नीति तथा इसके कार्यान्वियन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे निदेश भी दिए हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए लाइसेन्सों के आधार पर खोले गए नए बैंक कार्यालयों के सम्बन्ध में नियमित रूप से स्वयं भी अपनी प्रगति की समीक्षा करें।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

दार्जिलिंग और अन्य चाय को मिलाना

1761. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री अजित कुमार साहा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी कम्पनियां मिश्रित चाय के पैकेटों पर उनमें दार्जिलिंग चाय की वास्तविक प्रतिशतता का उल्लेख किए बिना दार्जिलिंग चाय का नाम प्रयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर भारतीय चाय का दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचा जाना रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसा करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई विधान बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) हालांकि पैकेटों में बिकने वाली चाय की मिश्रण प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करना सामान्य व्यापार पद्धति नहीं है, परन्तु दार्जिलिंग चाय की नगण्य प्रतिशतता वाले ब्रान्डों में दार्जिलिंग नाम के प्रयोग की खबरें मिली हैं। चाल बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालय उपचारात्मक कार्यवाही के लिए उपभोक्ता देशों में समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में ऐसे मामलों को लाने के लिए खुदरा स्तर पर समय-समय पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जहां इस प्रकार की मिथ्या ब्रांन्डिग का पता चलता है उन देशों में लागू कानूनों के संदर्भ में ही कानूनी उपाय व्यवहार्य होंगे।

इंडियन टोबैको कम्पनी की ओर बकाया उत्पाद.शुल्क के मामले

1762. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसर्स इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड की ओर तीन वर्ष से अधिक समय से उत्पाद शुल्क की बकाया राशि पर तथा उस राशि पर भी, जिसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, ब्याज वसूल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और तद्धीन बनाये गये नियमों में, वसूली के लिए बकाया उत्पादन शुल्क की रकम पर ब्याज उगाहने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

शुल्क अपवंचन के बारे में इंडियन टोबैको कम्पनी के खिलाफ शिकायतें

1763. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी के खिलाफ उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के उल्लंघन और कदाचार के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उसके उल्लंघन की जांच करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मै० आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा शुल्क-अपवंचन किए जाने के बारे में दिनांक 10 जुलाई, 1985 को एक शिकायत मिली है । लेकिन, हाल ही में मै० आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी किए जाने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है । सिगरेटों की खुदरा बिक्री के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि बाट और माप मानक (पैक की हुई जिंसें) नियमावली, 1977 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए सिगरेटों के पैकेटों पर छपी हुई कीमत से अधिक कीमत पर उनकी बिक्री की जाती है ।

(ग) चूंकि शिकायत में किसी स्पष्ट मुद्दे का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस शिकायत के आधार पर विशेष कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सोने और इलेक्ट्रानिक सामान की तस्करी

1764. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान सोने और इलेक्ट्रानिक सामान की तस्करी में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तस्करी को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तस्करी की मात्रा का मामला मांग और पूर्ति संबंधी स्थिति लाभकारिता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर समयानुसार निर्भर करता है; और तस्करी का धन्धा चूंकि चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, इसलिए इसका परिमाण नहीं बताया जा सकता और न ही इसके तुलनात्मक आंकड़े ही दिए जा सकते हैं। वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान अभिगृहीत किए गए सोने और इलेक्ट्रानिकीय माल का मूल्य निम्नोक्त है :—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सोना	इलैक्ट्रानिकीय माल
1984	10.24	18.74
1985* (जून तक)	27.82	3.50

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) तस्करों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके तस्करी-निवारण हेतु अल्पावधिक और दीर्घावधिक, समुचित उपाय किए जाते रहते हैं। तस्करी और अभिग्रहण के तरीकों की सतत समीक्षा की जाती है ताकि यथापेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही की जा सके।

[हिन्दी]

भारत पाक व्यापार

1765. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार भारत द्वारा पाकिस्तान को आयात की गई वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) उसी अवधि में भारत द्वारा पाकिस्तान को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना है; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के लिए, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण संलग्न हैं।

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं को ज्ञात करने के लिए समय-

समय पर द्विपक्षीय बातचीत की जाती हैं। जुलाई, 1985 में नई दिल्ली में हुई भारत-पाकिस्तान उप-आयोग की पिछली बैठक में, प्रत्येक पक्ष को निर्यात हित के उत्पादों की निर्देशात्मक सूची का आदान-प्रदान किया गया तथा दोनों पक्ष बल्क वस्तुओं के वाणिज्यिक आदान-प्रदान को गहन करने के लिए सहमत हो गए ।

विवरण

1980-81 के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत के
व्यापार की प्रमुख वस्तुओं के आंकड़े

(मूल्य लाख रु० में)

वस्तुओं का विवरण	मात्रा की इकाई	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
(क) निर्यात (पुनः निर्यात) को छोड़कर			
लौह धातु अयस्क तथा धातु कतरन	—	—	—
क्रूड एनिगल तथा वनस्पति सामग्री	—	—	20
पत्थर, रेत तथा बजरी	—	—	8
रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	—	—	20
गैर-धात्विक खनिज विनिर्माण	—	—	4
लोहा तथा इस्पात	मै० टन	208	20
धातु से बनी वस्तुएं	—	—	1
मशीनरी तथा परिवहन उपकरण	—	—	18
विशेष सौदे तथा वस्तुएं जिसका किस्म के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया	—	—	—
विविध विनिर्मित सामान	—	—	—
अन्य सामान	—	—	11
कुल निर्यात	—	—	1,02
(ख) आयात			
फल तथा सब्जियां	—	—	2,75
वस्त्र रेशा तथा उसका अवशेष	—	—	—
कच्चे उर्वरक तथा कच्चे खनिज	—	—	68
कच्ची वनस्पति सामग्री	—	—	22

1	2	3	4
लोहा तथा इस्पात	000 मै० टन	4	82
मसालें	000 किग्रा०	5	3
अखबारी कागज	000 किग्रा०	—	—
चमड़ा	—	—	—
अन्य सामान	—	—	70,89
कुल आयात	—	—	75,39

(इसमें पी० ओ० एल० उत्पाद शामिल है)

1981-82 के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए भारतीय व्यापार के प्रमुख वस्तुवार आंकड़े

(मूल्य लाख रु०)

वस्तु विवरण	मात्रा की इकाई	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
(क) निर्यात (पुर्ननिर्यात के अलावा)			
धातु लौह अयस्क तथा धातु कतरन	—	—	1.84
क्रूड एनिमल तथा वनस्पति सामग्री	—	—	52
पत्थर, बालू तथा बजरी	—	—	8
रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	—	—	17
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	—	—	27
लोहा तथा इस्पात	टन	...	...
धातु उत्पाद	—	—	59
मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	...
विशेष सौदे तथा वस्तुएं जो किस्म के अनुसार वर्गीकृत नहीं की गई हैं	—	—	19
विविध विनिर्मित वस्तुएं	—	—	20
अन्य वस्तुएं	—	—	1,04
कुल निर्यात	—	—	4,94
(ख) आयात			
फल तथा सब्जियां	—	—	60

1	2	3	4
वस्त्र रेशा तथा अपशिष्ट	—	—	11,86
कच्चे उर्वरक तथा कच्चे खनिज	—	—	66
कच्ची वनस्पति सामग्री	—	—	82
लोहा तथा इस्पात	000 टन	79	9,96
मसाले	000 कि० ग्रा	92	21
अखबारी कागज	000 कि० ग्रा०	...	...
चमड़ा	—	—	20
अन्य वस्तुएं	—	—	30,39
कुल आयात		—	54,70

*इसमें पी ओ एल उत्पाद भी शामिल हैं।

1982-83 की अवधि के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार की प्रमुख वस्तुओं के आंकड़े

(मूल्य लाख रु०)

	1982-83		
प्रमुख मदें	मात्रा की इकाई	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
(क) निर्यात			
अन्य कच्चे खनिज	—	—	60
लौह अयस्क तथा सान्द्रण	000 मै० टन	258	4,76
रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	—	—	31
कांच का सामान	—	—	13
लोहा तथा इस्पात	मै० टन	326	31
धातु उत्पाद एन० ई० एस०	—	—	12
मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	95
अन्य	—	—	17
निर्यातों का योग	—	—	7,35
(ख) आयात			
फल तथा फलियां (तेल गिरी के अलावा)	—	—	1,40

1	2	3	4
ताजे सूखे मसाले	000 किग्रा०	24	6
अन्य कच्चे खनिज	—	—	73
कच्ची सब्जी सामग्री एन० ई० एस०	—	—	1,31
वस्त्र यार्न	000 किग्रा०	30	०
बुने हुए सूती वस्त्र	000 वर्ग० मी०	942	49
मानव निर्मित देशों के बुने हुए वस्त्र	,,	350	18
लोहा तथा इस्पात	000 मै० टन	180	23,21
जलपान तथा नावें	नं०	1	47
अन्य	—	—	9,60
आयातों का योग	—	—	37,54

*आंकड़े अनन्तिम हैं ?

[अनुवाद]

इस्पात के वितरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संशोधन का प्रस्ताव

1766. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात के वितरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ताकि इस प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके और वास्तविक प्रयोग को अधिक मात्रा में इस्पात की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके;

(ख) क्या इस्पात की वितरण प्रणाली सम्बन्धी नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत रूप देते समय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के कब तक जारी हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों से उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नये मार्गदर्शी सिद्धांतों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(घ) ऐसा अनुभव किया जाता है कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबन्धों के अन्तर्गत और आयात के लिए वर्तमान प्रक्रिया में सुव्यवस्थता लाने से उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग की काफी हद तक पूर्ति की जा सकती है।

नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

1767. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नागपुर (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रत्येक शाखा का क्या ब्यौरा है और क्या नागपुर (महाराष्ट्र) में आगामी दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों से नागपुर की आम जनता कितनी लाभान्वित होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1984 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 15 शाखाएं खोलीं।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दिए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार इस समय नागपुर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 97 शाखाएं कार्यरत हैं। नागपुर में और बैंक शाखाएं खोलने के प्रस्तावों पर सातवीं पंचवर्षीय आयोजन अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा।

विवरण

नागपुर (महाराष्ट्र) में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या

बैंक	शाखाओं की संख्या
1	2
1. भारतीय स्टेट बैंक	8
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर	1
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
4. स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
5. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
6. इलाहाबाद बैंक	5
7. आन्ध्रा बैंक	1
8. बैंक आफ बड़ौदा	8
9. बैंक आफ इंडिया	13
10. बैंक आफ महाराष्ट्र	14

1	2
11. केनरा बैंक	6
12. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9
13. कारपोरेशन बैंक	1
14. देना बैंक	3
15. इंडियन बैंक	1
16. इंडियन ओवरसीज बैंक	2
17. न्यू बैंक आफ इंडिया	1
18. आरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2
19. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1
20. पंजाब नेशनल बैंक	7
21. सिंडीकेट बैंक	3
22. यूनियन बैंक आफ इंडिया	5
23. यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	1
24. यूनाईटेड कर्मशियल बैंक	1
25. विजया बैंक	1
कुल	97

समुद्री सीमाशुल्क विभाग को तट रक्षक विभाग से अलग करना

1769. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी कार्यकलापों को तेज करने की दृष्टि से समुद्री सीमाशुल्क विभाग को, जिसका पहले तटरक्षक विभाग के साथ विलय कर दिया गया था; दोबारा अलग कर दिया गया है और उसे पुनः स्थापित किया गया है;

(ख) समुद्री सीमा-शुल्क विभाग तस्करी विरोधी कार्यकलापों को किस प्रकार तेज करेगा; और

(ग) तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को किस सीमा तक नियंत्रित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समुद्री सीमा शुल्क पक्ष का तट-रक्षक संगठन के साथ विलय किए जाने का एक निर्णय लिया गया था। परन्तु प्रशासनिक कारणों और अदालती मामलों आदि की वजह से यह विलय नहीं हो सका है। समुद्र/जल के रास्ते से होने वाली तस्करी की गतिविधियों को रोकने के सिलसिले में तेजी लाने के लिए सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के तहत अब एक नये समुद्री सीमाशुल्क संगठन का सृजन किया है।

(ख) सीमा शुल्क के बेड़े को एक चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ बनाने की योजना बनाई गयी है जिसमें अलग-अलग किस्म के मिले-जुले उत्कृष्ट जलयान होंगे। ये जलयान विशेष रूप से इस तरह के बनाए जाएंगे जिनकी वजह से तस्करी-निवारण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ-ही-साथ उन्हें भारतीय सीमा शुल्क के जल वाले एवं नदी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।

(ग) निगरानी और गश्त आदि कार्यों में तेजी लाये जाने के साथ-साथ सीमा शुल्क के बेड़े में वृद्धि किए जाने और उसमें सुधार लाये जाने के परिणामस्वरूप तटीय-क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाना

1770. **श्री नारायण चौबे :**
श्री राज कुमार राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबन्ध कब लगाया था;

(ख) उक्त प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण थे;

(ग) इस बीच केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इस नीति से कर्मचारियों पर काम का दबाव स्वीकृत मानदण्ड की तुलना में अधिक हो गया है जिससे काम की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ङ) क्या इससे बेरोजगारी की भारी समस्या पैदा हो गई है; और

(च) सरकार का इस प्रतिबन्ध को कब तक हटाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में जनवरी, 1984 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी, वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी।

(ग) इस विषय पर केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) अपवाद स्वरूप अनुकम्पा के आधार पर मूल कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों को एकमात्र पदोन्नति द्वारा भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। तथापि, प्रचलनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। यह आशा की जाती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी आर्थिक स्थिति में पूरी तरह से विस्तार और विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए।

(च) जिन परिस्थितियों में ये अनुदेश जारी किए गए थे तब से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उनमें किसी प्रकार की ढ़ील दी जा सके।

विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा चौथे वेतन आयोग को भेजा गया ज्ञापन

1771. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग को विभिन्न श्रमिक संघों और अन्य कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या आयोग में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की सुनवाई शुरू कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिनिधियों की सुनवाई हो चुकी है और कितने प्रतिनिधियों की अभी सुनवाई बाकी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग 1 मार्च, 1985 से संघों आदि के प्रतिनिधियों की सुनवाई कर रहा है। अभी तक आयोग के समक्ष 310 महासंघों/संघों/संस्थाओं के 1840 प्रतिनिधि मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित हो चुके हैं। संघों आदि के मौखिक साक्ष्य का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है।

पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले का उत्पादन

1772. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या था तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान कोयले का निर्धारित लक्ष्य के कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य और लक्ष्य की पूर्ति अर्थात् उत्पादित कोयला निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

	1983-84		1984-85	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
कोल इंडिया लि०	123.00	121.41	131.00	130.84
सिंको कम्पनी लि०	15.00	12.69	17.00	12.33
टिस्को/इस्को/ दा० घा० नि०	4.00	4.12	4.00	4.26
	142.00	138.22	152.00	147.43 (अनंतिम)

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण था, कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा बार-बार जल्दी-जल्दी हड़ताल करना। कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों

में से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में बिजली की कमी और अनुपस्थिति, आदि के कारण लक्ष्य की तुलना में उत्पादन कम हुआ ।

बैंकों द्वारा श्रम ठेका सोसाइटियों को अग्रिम देना

1773. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1983 से 1 जून, 1984 के दौरान श्रम ठेका सोसाइटियों को बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम राशियों के संबंध में शुद्ध नगद उधार (क्लीन कैश क्रेडिट) की मंजूरी के लिए प्रतिमान तथा सीमाएं क्या-क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस नीति में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस नीति में 1 जुलाई, 1983 से 1 जून 1984 के बीच कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सहकारी बैंकों द्वारा श्रम ठेका समितियों का वित्तपोषण किये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड जून, 1983 में उदार बना दिए गये थे । संशोधित मापदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार की गारंटी के बिना समिति के स्वामित्व के अधीन धनराशियों के बराबर की रकम की बेजमानती धकद ऋण सीमा मंजूर कर दी जाए और स्वामित्व की राशि की 3 गुना रकम की मंजूरी सरकार की गारंटी के साथ दे दी जाये ।

(2) उपर्युक्त के अलावा, निष्पादित ठेकों और सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों के पक्ष में तत्संबंधी लम्बित बिलों के 70% तक निभाव की मंजूरी दे दी जाये बशर्ते कि ऐसे बिल 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए लम्बित न हों ।

ये परिवर्तन इसलिए किये गये थे क्योंकि कुछ श्रम ठेका समितियों ने और उनके राज्य स्तरीय परि-संघों ने इन मापदण्डों में ढील दिये जाने की मांग की थी ताकि वे सहकारी बैंकों से अधिक रकमों की ऋण सीमाएं प्राप्त कर सकें । जून, 1983 से पूर्व केन्द्रीय सहकारी बैंकों को श्रम ठेका समितियों को उनके स्वामित्व के अधीन धनराशियों के बराबर बेजमानती ऋण सीमा मंजूर करने की अनुमति थी, जब ऐसे अग्रिमों के संबंध में सरकारी गारंटी द्वारा कोई कवच नहीं था और जब इस संबंध में सरकारी गारंटी उपलब्ध थी तब इन समितियों के स्वामित्व के अधीन दुगुनी राशियों के बराबर बेजमानती नकद ऋण सीमा मंजूर करने की अनुमति थी ।

(ग) वर्तमान सूचना प्रणाली से वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होती ।

पूर्वोत्तर दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु आई० डी० बी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि

1774. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ भाग, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या एक उपाय के रूप में सरकार का इन क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निमम द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1985 की स्थिति के अनुसार, देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 134 जिलों को श्रेणी "क" के जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन जिलों में उद्योग रहित जिलों और विशेष क्षेत्र के जिले आते हैं। उद्योग रहित और विशेष क्षेत्र जिलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्षेत्र	उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों की संख्या
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	42
2. दक्षिण क्षेत्र	5
3. पूर्वी क्षेत्र	20
4. उत्तर क्षेत्र	45
5. पश्चिमी क्षेत्र	4
6. मध्य क्षेत्र	18

(ख) संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को पूरा करने की सरकार की नीति के अनुसरण में, निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए कई प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इन प्रस्तावों में ये शामिल हैं : 25 लाख रुपये तक निवेश संबंधी केन्द्रीय आर्थिक सहायता, आधारभूत ढांचे के विकास के लिये प्रत्येक उद्योग रहित जिले के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता, औद्योगिक एककों के स्थानों और निर्धारित रेल स्थलों/पत्तनों के बीच औद्योगिक कच्चे माल और तैयार माल की परिवहन लागत को पूरा करने के लिए 75 प्रतिशत तक परिवहन आर्थिक सहायता, आयकर से उचित छूट, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, लाइसेंसों में प्राथमिकता आदि।

(ग) वित्तीय संस्थाएं अपने साधनों का क्षेत्रवार आबंटन नहीं करती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में संस्थागत सहायता का प्रवाह क्षेत्र विशेष से आने वाले अर्थक्षम परियोजनाओं के आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन वित्तीय संस्थाएं निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों को कई प्रकार के प्रोत्साहन देकर पहले से अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती हैं। वित्तीय संस्थाएं जो प्रोत्साहन देती हैं उनमें ये शामिल हैं : ब्याज की दर और हामीदारी की कमीशन में रियायत, प्रवर्तकों का कम अंशदान, वचनबद्धता, प्रभार का न लिया जाना या उसमें कटौती, लचीला ऋण इक्विटी अनुपात, परिवर्तनीयता की शर्त का लागू न किया जाना, विशिष्ट आधारभूत विकास की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुख्य ऋण आदि।

भारत का आर्थिक प्रबंध

1775. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री कमल नाथ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक को भारत के आर्थिक प्रबन्ध विशेषकर इसके सावधानी से विदेशों से

ऋण लेने और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे से बचने की सराहना की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 को विश्व विकास रिपोर्टों में भारत के सम्बन्ध में अन्य किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या अच्छे कार्य निष्पादन को देखते हुए विश्व बैंक भारत को और अधिक धन उदार शर्तों पर देने को सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985 की विश्व विकास रिपोर्ट में, व्यापार घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई उपयुक्त घरेलू आर्थिक नीति, आयात नियंत्रण को उदार करने और नवें दशक के आरम्भ में निवेश के लिए अधिक प्रोत्साहनों के लिये भारत की प्रशंसा की गई है। परिणामस्वरूप संवृद्धि दर में गति आई है और भारत अपने विदेशी ऋण और भुगतान शेष पर सुचारू रूप से नियंत्रण रखने में सफल हुआ है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक का उधार देने का कार्यक्रम उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए वार्षिक बजट पर आधारित है और ऋणों का देश-वार आबंटन बैंक के उधार देने के मानदण्ड के अनुसार किया जाता है। किसी देश विशेष को उधार दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी इसलिए नहीं की जाती कि उसका निष्पादन अच्छा रहा है।

वर्ष 1985-86 में एड-इंडिया कंसोर्टियम द्वारा भारत को सहायता

1776. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड-इंडिया कंसोर्टियम ने 19 जून, 1985 को भारत को वित्तीय वर्ष 1985-86 में 4 बिलियन डालर की सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से वास्तव में सहायता में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या "कंसोर्टियम" ने किसी अन्तिम निर्णय से भारत को अवगत कराया है; और

(घ) इसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जी, हां। 18 और 19 जून, 1985 को पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में विश्व बैंक सहित देशों द्वारा, अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति लेने के पश्चात् वर्ष 1985-86 के लिये लगभग 4 अरब डालर की आर्थिक सहायता देने के लिए अन्तरिम संकेत दिए गए थे। एस० डी० आर० की दृष्टि से, इस वर्ष दिए गए वचन 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। दाता देशों के साथ द्विपक्षीय करार के आधार पर इन वचनों को औपचारिक रूप दिया जाता है और वास्तविक संवितरण ऐसे करारों के निष्पादन के पश्चात् होता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक समझौता

1777. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के बीच हुई व्यापार वार्ता में

कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के बारे में विवादों को दूर करने और अन्तिम समझौता पर पहुंचने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) गाट में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत को परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने में पाकिस्तान की अनिच्छा का होना मुख्य कारण है। अभी पाकिस्तान ने भारत से आयात अपने सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों तक ही सीमित रखे हैं।

(ग) सरकार एक परस्पर सन्तोषजनक व्यापार करार सम्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी।

सोवियत संघ को निर्यात के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य

1778. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 की व्यापार योजना के अन्तर्गत सोवियत संघ के लिए निर्धारित भारत का निर्यात का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह मास्को में हुए द्विपक्षीय में व्यापार की पुनरीक्षा से यह पता चला कि 1985 के पहले पांच महीनों में सोवियत संगठन 1,900 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबन्धों पर हस्ताक्षर नहीं किए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1985 के पहले पांच महीनों के दौरान, सोवियत संघ को 1900 करोड़ रु० मूल्य के भारतीय निर्यातों की संविदाओं की सूचना मिली है जबकि व्यापार योजना लक्ष्य 2500 करोड़ रु० का है। वर्ष के शेष भाग के दौरान और संविदाओं पर हस्ताक्षर होने की आशा है।

उत्पाद-शुल्क लगाने के लिए उत्पाद कारखाना उत्पाद के मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर आकलन पद्धति

1779. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आधार पर समान रूप से उत्पाद शुल्क लगाने की दृष्टि से कारखाना उत्पाद के मूल्यांकन हेतु शीघ्र ही कोई कम्प्यूटर आकलन पद्धति लागू की जाएगी;

(ख) क्या वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और इसके अतिरिक्त बहुत से मुकदमे चल रहे हैं; और

(ग) कम्प्यूटर पद्धति कब से लागू किए जाने को सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) माल के उत्पादन के

बारे में और उत्पादन-शुल्क माल की निकासी तथा राजस्व-प्राप्तियों के बारे में सांख्यिकीय सूचना पहले से ही कम्प्यूटर पर केन्द्रीय स्तर पर संकलित की जा रही है। कुछेक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालियों में राजस्व सम्बन्धी आंकड़ों की संगणना करने के लिये हाल ही में ट्रेजरी चालानों पर आधारित एक पाइलेट परीक्षण शुरू किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शुल्क-मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए आंकड़ों के मिलान के वास्ते कम्प्यूटरों का और अधिक इस्तेमाल करने की एक योजना बनाई जा रही है। हालांकि यह सही है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मसलों से सम्बन्धित अनेक अदालती मामले विचाराधीन हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर के इस्तेमाल के बिना शुल्क-निर्धारण की मौजूदा प्रणाली के कारण मुकदमेबाजी पैदा होती है अथवा यह कि राजस्व की काफी हानि हुई है।

रुपए का मूल्य

1780. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 तथा 1970-71 की तुलना में आज रुपये का मूल्य क्या है;

(ख) इसका देश की अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से जनसाधारण के जीवन निर्वाह पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस प्रभाग को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (आधार 1960 = 100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी गई, रुपए की क्रय शक्ति 1960-61 में 98.04 पैसे, 1970-71 में 53.76 पैसे और मई, 1985 (अद्यतन उपलब्ध) में 16.67 पैसे थी।

सरकार कीमतों की स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखती है और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। उपायों में मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में समग्र नकदी (लक्वीडिटी) को नियंत्रण में रखना शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और काला-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां 1960-61 से 1984-85 के दौरान उपभोक्ता कीमतों में लगभग 470 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहां इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में (मौजूदा कीमतों के आधार पर) लगभग 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं (जैसे कि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम)।

लाख दाने की खरीद

1781. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1985 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि लाख दाने की खरीद में बाजार आसूचना में विफल

होने से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य व्यापार निगम को 99.42 लाख रुपये की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है और इस सम्बन्ध में जिम्मेदार कारणों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1983-84 संघ सरकार (सिविल) में, शामिल 'लाख की अधिप्राप्ति पर हानि' से सम्बन्धित पैरा पर भारत सरकार द्वारा इसके सभी पहलुओं के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

'साढ़े चार लाख का सोना बरामद' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1782. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1985 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में "साढ़े चार लाख का सोना बरामद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने दिनांक 4 जुलाई, 1985 को इंडियन एअरलाइन्स की उड़ान सं० आई० सी० 139 द्वारा मद्रास जाने वाले दो व्यक्तियों—सर्वश्री सुभाष जैन और अकबाल जैन को रोककर उनकी जांच-पड़ताल की थी जांच-पड़ताल के दौरान, उनसे, 4.66 लाख रुपए मूल्य का 2413 ग्राम वजन का प्राथमिक सोना बरामद करके अभिगृहीत किया गया था। अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान, दिनांक 4 जुलाई, 1985 को श्री सुशील जैन के आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई थी और कुल 5.21 लाख रुपए के मूल्य का प्राथमिक सोना और स्वर्ण आभूषण, बरामद करके उन्हें अभिगृहीत किया गया था। सर्वश्री सुभाष जैन, अकबाल जैन और सुशील जैन को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके अल्पावधिक और दीर्घावधिक, समुचित तस्करी निवारण उपाय किए जाते हैं। तस्करी और अभिग्रहण के तरीकों की सतत समीक्षा की जाती है ताकि यथापेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही की जा सके।

[अनुवाद]

अभ्रक की खानों के तेजी से बन्द होने के कारणों की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन

1783. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1972 के बाद से अभ्रक की खानों के तेजी से बन्द होते चले

जाने के कारणों की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने के लिए निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और देश में अभ्रक की खानों को घटाने के क्या कारण है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अभ्रक उद्योग की समस्याओं, जिनमें अभ्रक खानों के तेजी से बन्द होने की समस्या भी शामिल है, गहन अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार ने 7-7-80 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार उत्पादनरत खानों की संख्या 1969 में 561 से घट कर 1979 में 223 रह गई थी। उक्त रिपोर्ट तथा भारतीय खान ब्यूरो से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार अभ्रक खानों के बन्द होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

( ) निर्यात बाजार में मांग में कमी।

(ii) क्रूड अभ्रक उत्पादन की खनन लागतों में वृद्धि।

(iii) खानों में सेंधमारी (रिचिंग) के कारण, विस्तार और गहराई में अभ्रक का जमाव घट जाना।

(iv) अभ्रक खानों में रिसाव के कारण पानी भर जाना।

(v) उपयुक्त खनन मशीनरी का आसान वाणिज्यिक शर्तों पर न मिलना।

(vi) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता न मिलना।

(vii) धात्विक खान विनियमन की अपेक्षाओं के अनुसार तकनीकी दृष्टि से योग्य कार्मिकों को नियुक्त न करना।

कोयला खानों से कोयले की तस्करी

1784. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार राज्य में कोयला खानों से कोयले की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कोयला खानों से कोयले की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या धनबाद में अभी हाल ही में कोयले के तस्करी करने वालों पर मारे गए छापों के दौरान उच्च कोटि के कोयले का अवैध भण्डार पकड़ा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार के पास देश

की कोलियरियों से कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी, पिछले काफी समय से कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) अचानक निरीक्षण करना।

(2) पुलिस, निगरानी और चौकसी विभाग तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल कार्मिकों के मिले-जुले उड़न दस्तों के जरिए कदाचारों को पकड़ना।

(3) आठ किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर स्थित सभी गैर-सरकारी कोयला डिपो के लाइसेंस जिला अधिकारियों द्वारा रद्द करना।

(4) उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की सप्लाई पर अधिक कड़ा नियंत्रण करना।

(5) कोयला/कोक के खान-मुहानों से रेलवे साइडिंगों तक आंतरिक परिवहन का विभागीकरण करना।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को ऋण

1785. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक से ऋण के बारे में भारत के अभ्यावेदन पर कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण से कौन-सी परियोजनाओं पर धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के प्रबन्धकों को बैंक से तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि (1987 को समाप्त) के दौरान ऋण लेने से सम्बन्धित अपने आशय से अवगत करा दिया है। इस अवधि के दौरान भारत को दिए जाने वाले ऋण की वास्तविक राशि और उससे वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं पर बातचीत अभी चल रही है।

लोहा और इस्पात उद्योग पर सातवीं योजना में परिव्यय

1786. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात उद्योग सम्बन्धी कार्य दल ने मांग के अनुसार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13.141 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : जी, हां।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की कीमतों में गिरावट

1787. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की कीमतों में भारी गिरावट आई है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए चाय लगाने वाले देशों ने कोई सामरिक नीति बनाई है;

(ग) कीमतों को गिरने से रोकने के लिए भारत द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गए हैं; और

(घ) ब्यौरा यदि कोई है तो क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 1985 के आरम्भ से चाय की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिरावट का रुख दर्शा रही हैं।

तथापि उत्पादक देश चाय बाजार को स्थिर रखने के लिए अभी तक एक विस्तृत वस्तु करार करने में असफल रहे हैं।

भारत चाय विपणन योजना, 1985 के अन्तर्गत घरेलू कीमतों को स्थिर बनाए रखने और निर्यात आय को अधिकतम करने के उद्देश्य से निर्यातों का विनियमन कर रहा है।

एशियाई देशों में बैंकों की शाखायें खोलना

1788. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न बैंकों ने अनेक एशियाई देशों में अपनी शाखायें खोलने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों से कतिपय एशियाई देशों में शाखाएं खोलने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक तथा मेजबान देश की मंजूरी के बिना इन्हें विदेशों में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों की योजनाएं नहीं कहा जा सकता।

हस्तशिल्प कला के विदेशी बाजार

1789. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से एशियाई देशों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत अपने बहुत से विदेशी बाजारों को खो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विदेश बाजारों की पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि भारत हस्तशिल्पों के क्षेत्र में विभिन्न एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करता है फिर भी भारतीय हस्तशिल्पों की हाल की निर्यात प्रवृत्ति से निर्यात बाजारों की किसी प्रकार की समग्र हानि का पता नहीं चलता है। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात 1983-84 में 345.92 करोड़ रुपए (अनन्तिम) से बढ़कर 1984-85 में 397.37 करोड़ रु० के हुए हैं। तथापि, अन्य देशों में हस्त-शिल्पों के आयातों में भारत का भाग बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप से पश्चिम यूरोपीय और उत्तरी

अमरीकी देशों में भारतीय हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां करने पर काफी बल दिया जा रहा है। हस्त-शिल्पों के निर्यात संवर्धन के लिए अलग से एक कालीन निर्यात संवर्धन परिषद पहले ही स्थापित की जा चुकी है और अन्य हस्तशिल्पों के लिए भी एक अन्य निर्याय संवर्धन परिषद स्थापित की जा रही है। हाल ही में कालीन निर्यातकों के एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया।

[हिन्दी]

चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने तक अन्तरिम राहत राशि में वृद्धि

1790. **श्री विजय कुमार यादव :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने तक सरकार का विचार अन्तरिम राहत की राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों ने अन्तरिम राहत की एक और किस्त की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार की गई अन्तरिम राहत चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। अन्तरिम राहत की राशि में वृद्धि करने के प्रश्न पर चौथे वेतन आयोग की किसी और आगे की गई सिफारिश के आधार पर ही विचार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, कर्मचारियों के संघों/संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि अब स्वीकार की गई अन्तरिम राहत की राशि अपर्याप्त है। ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए चौथा वेतन आयोग ही उपयुक्त मंच है।

[अनुवाद]

केरल में अव्यावहारिक कताई मिल

1791. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ऐसी कताई और बुनाई मिलें हैं जो तकुओं की कमी के कारण वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक नहीं हैं;

(ख) क्या उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार का विचार पर्याप्त संख्या में

तकुए मंजूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस प्रकार की वर्गीकृत मिलों सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) विकास हेतु आवेदन-पत्रों पर चालू नीति के अनुरूप गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है ।

केरल से नारियल-जटा की वस्तुओं का निर्यात

1792. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन कार्यकलापों की कमी के कारण केरल के नारियल-जटा की वस्तुओं के निर्यात को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रबड़, खोपरा तथा नारियल के तेल के आयात

1793. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रबड़, खोपरा तथा नारियल के तेल के आयात को रोकने तथा आन्तरिक मांग की पूर्ण पूर्ति के लिए इन वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में इन वस्तुओं के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने कोई समय सीमा निश्चित की है जिसके बाद इन चीजों का आयात करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) इस समय रबड़ के आयात को रोकने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, (गिरी)/नारियल के तेल के आयात को रोकने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो कि इन तीन मदों के लिए एक सरणीबद्ध अभिकरण

है, ने पिछले 8 वर्षों में निम्नलिखित आयात किए हैः—

(सी० आई० एफ० मूल्य लाख रु० में)

	1982-83	1983-84	1984-85
1. रबड़	2480	4556	2825
2. गरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं*
3. नारियल का तेल	कुछ नहीं	कुछ नही	1200 (अनुमानित)

*दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार, मैसर्स इंडिया कोकोनट आयल इंडस्ट्रीज, कलकत्ता को 13-3-85 को 75 लाख रु० मूल्य के लगभग 1060 मे० टन धूप में सुखायी गई गरी के आयात के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रतिपूर्ति/अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के आधार पर निर्यात उत्पादन के लिए एक सीमित सीमा तक उपरोक्त मदों के आयात की अनुमति है जिनके आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र का कार्य शुरू करने के लिए की गई कार्यवाही

1794. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या इस्पात और खान मंत्री कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5158 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र के कार्य को शुरू करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) विजयनगर इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस परियोजना के कार्य की शुरूआत पूंजी निवेश संबंधी निर्णय पर निर्भर करेगी। पूंजी निवेश संबंधी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। हालांकि भूमि अधिग्रहण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय जांच, मिट्टी की जांच आदि जैसे कुछेक प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

बंगलौरमें राष्ट्रीयकृत बैंकों में चोरियां

1795. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से बंगलौर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी चोरियां हुई हैं;

(ख) इन चोरियों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) क्या सरकार का चोरियों को रोकने के लिए बैंकों में सशस्त्र कर्मी भर्ती करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की बंगलौर शाखा में 20,000 रुपये की चोरी हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को चोरी के प्रयास की एक वारदात की सूचना दी थी। हालांकि इस मामले में कोई नकद हानि नहीं हुई, फिर भी, कुल 725.60 रुपए की एक साइकिल और एक जेबी केल्कूलेटर चोरी हुआ था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकों को अपने सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिए कई उपायों की सलाह दी गयी है। इन उपायों में से एक उपाय बैंकों में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था करना है। अलबत्ता बैंकों द्वारा अमल किये जाने वाले सुरक्षा उपायों का निर्णय बैंकों द्वारा प्रत्येक शाखा की भेद्यता के आधार पर किया जाता है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के उपबंधों में विसंगति

1796. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय बिक्री कर लगाते समय डाक व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या डाक टिकट लगाना सरकार द्वारा बिक्री समझा जाता है; और

(ग) यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय बिक्री कर के उपबन्धों में संशोधन करके इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बिक्री कर मूलत: राज्य कराधान का विषय है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत माल के अन्तर-राज्यीय बिक्रियों पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर से प्राप्त आय को भी संविधान के अनुच्छेद 269(1)(छ) के अन्तर्गत राज्यों को सौंपा गया है तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 का प्रशासन भी कानून द्वारा राज्यों को सौंपा गया है। इस बात की व्याख्या कि "बिक्री मूल्य" क्या है, राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के निर्णय पर छोड़ा जाना होता है।

भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदने हेतु अनिवासी भारतीयों के भारतीय रिजर्व बैंक में लम्बित आवेदन-पत्र

1797. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीय के भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदने संबंधी कितने आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित हैं; और

(ख) सभी लम्बित आवेदन पत्रों को अनुमोदित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए कड़ी शर्तें

1799. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत को वित्तीय सहायता देने के लिए अधिक कड़ी शर्तें लगा रहा है;

(ख) इन शर्तों का ब्योरा क्या है तथा भारत को ये शर्तें किस सीमा तक स्वीकार्य हैं;

(ग) इन शर्तों का भारत के विकास पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इन शर्तों से बचने तथा विश्व बैंक से सामान्य शर्तों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी ऋण संबंधी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिवाए इसके कि पहली जुलाई, 1985 से ब्याज की दरें 9.29 प्रतिशत से घटाकर 8.82 प्रतिशत कर दी गई हैं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि

1800. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों को कौन-कौन-सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और किन-किन देशों को किस-किस वस्तु का निर्यात किया जाता है;

(ग) कितने मूल्य की प्रत्येक वस्तु का निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) निकट भविष्य में अन्य देशों के मुकाबले का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दक्षिणी सहारा अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु० में)

	निर्यात	आयात
1982-83	252.79	168.67
1983-84	186.44	313.56

(ख) तथा (ग) इस क्षेत्र के देशों के लिए अन्ततम उपलब्ध वर्ष के वस्तुवार निर्यात आंकड़े दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रख जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1295/85]

(घ) इस प्रयोजनार्थ अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें ऋण सुविधायें, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में सुधार और द्विपक्षीय आदान-प्रदान शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कोयला और लौह अयस्क भंडारों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

*1801. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कोयला और लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे भंडार पाये गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क)और (ख) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, लौह-अयस्क/हीमाटाइट के निम्नलिखित भंडारों का पता चला है :—

आदिवासी जिले का नाम	लौह अयस्क भंडार (मि० टनों० में)
1. बस्तर	1997.85
2. दुर्ग	283 76
3. खंडवा	0.12
4. खारगांव	0.07
5. सीधी	0.06

इसी प्रकार 23234 मि० टन कोयले के कुल भंडार का इन कोयला क्षेत्रों में अनुमान लगाया गया है—पेंच-कन्हान, तवा, वैलो, पाथाखेडा, सोनहाट, उमरिया, कोरार, सेंदुरगढ़, हसदेव, अरंद, तातापानी, रामकोलामन्ड, रायगढ़, जोहिला घाटी, विश्रामपुर, झिली-मीली, चिरीमिरी, कोरबा, सोहागपुर, लखनपुर और सिंगपाउली। यह क्षेत्र इन आदिवासी जिलों में पड़ते हैं—छिंदवाड़ा, बेतूल, होशंगाबाद, सरगुजा, शहडोल, बिलासपुर और रायगढ़।

स्व-रोजगार के अन्तर्गत ऋण देने के लिए बैंकों का सहयोग

1802. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बैंक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों

की स्वरोजगार योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने में अलग-अलग व्यक्तियों को पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। ऋण-आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के लिए, बैंकों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने में बैंक सहयोग दे रहे हैं और वे उन्हें सौंपे गये लय के अनुसार आवेदन मंजूर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आयकर अधिकारियों के लिए सरकारी आवास

1803. **श्री बी० बी० रामैय्या :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के लगभग 10 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन नहीं किया गया;

(ख) सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए इस विभाग के कर्मचारियों को औसत कितना समय लगाता है;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो छः वर्ष से अधिक से दिल्ली में हैं लेकिन जिन्हें सरकारी आवास नहीं मिला है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए किए गये अथवा प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में तथा आवास की उस टाईप, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी पात्र होते हैं, के संदर्भ में स्थिति अलग-अलग स्टेशन पर भिन्न-भिन्न है।

(ग) 1960.

(घ) निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय पूल में आयकर विभाग के अधिकारियों और स्टाफ के लिए उपलब्ध आवास के अलावा, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों और स्टाफ के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है और यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार प्राधिकरणों और प्राइवेट पार्टियों दोनों से चुनिंदा आधार पर निर्मित फ्लैट भी खरीदे गए हैं।

विश्व रुई बाजार में भारत की स्थिति

1804. **श्री बी० बी० रामैय्या :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व रुई बाजार में भारत का हिस्सा घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में अन्य देशों को कितनी मात्रा में रुई का निर्यात किया और वर्ष 1985-86 में कितनी रुई निर्यात करने का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारत का रुई व्यापार बढ़ रहा है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) चूंकि रुई वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है, अतः देश में उत्पादित अधिकांश रुई घरेलू वस्त्र उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। रुई की किस्में जिनका उत्पादन हमारी घरेलू आवश्यकताओं के बाद बेशी होता है, निर्यात की जाती हैं। चूंकि रुई का निर्यात घरेलू मांग तथा पूर्ति स्थिति पर निर्भर करता है, अतः निर्यात में प्रत्येक वर्ष में भिन्नता होती है। निर्यातक अभिकरण निर्यात बिक्रियों के लिए उत्तम कीमत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

(ग) 1983-84 तथा 1984-85 के रुई मौसम के दौरान रुई के निर्यात की मात्रा निम्नलिखित प्रकार है :

1983-84	—	3.54 लाख गाठें
1984-85	—	1.29 लाख गाठें (जून, 85 तक)

1985-86 के मौसम के दौरान निर्यात की जाने वाली सही मात्रा प्रदान करना सम्भव नहीं है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोवियत संघ, रुमानिया, पोलैंड, बल्गारिया तथा जापान को रुई का निर्यात सामान्यतः बढ़ रहा है।

विश्व बाजार में भारतीय वस्त्र

1805. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय वस्त्र निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय वस्त्रों के लिए विदेशी बाजार स्थापित किए हैं;

(ख) इस व्यवसाय द्वारा प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) उन मुख्य देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय वस्त्र बड़े लोकप्रिय हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) निर्यातों के निर्यातक-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 1984-85 के दौरान परिधानों के निर्यात 943.73 करोड़ रु० के हुए।

(स्रोत: वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) भारतीय परिधानों के लिए प्रमुख बाजार हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय, आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, सोवियत संघ, कनाडा, स्विटजरलैंड और स्वीडन।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत को उदार शर्तों पर ऋण देना

1806. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लघु सार्वजनिक सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करने और उनका दर्जा बढ़ाने जिसके कारण राज्य में प्रतिवर्ष 4 करोड़ अमरीकी डालर मूल्य का उत्पादन बढ़

जाने की आशा है, के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत को उदार शर्तों पर 9 करोड़ 90 लाख अमरीकी डालर का ऋण देने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को यह धनराशि कब तक मिल जाने की आशा है;

(ग) क्या सार्वजनिक पिछड़े क्षेत्र सुन्दरबन को भी पश्चिम बंगाल के उन जिलों में शामिल किया गया है जहां उक्त परियोजना चलाई जाएगी; और

(घ) इससे किसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों में इससे कृषक परिवारों का जीवन स्तर कितना ऊपर उठेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां । परियोजना का पूर्ण रूप से विकास हो जाने पर कृषि उत्पादन में लगभग 460.0 लाख अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष की वृद्धि होने की संभावना है ।

(ख) भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को मानक शर्तों के अनुसार ऋण की समय-समय पर उपयोग की गई राशि के आधार पर, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराएगी ।

(ग) कलकत्ता और दार्जिलिंग जिलों को छोड़कर यह परियोजना संपूर्ण राज्य में लागू की गई है । परियोजना कार्यों के लिए स्थल का चयन, राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों द्वारा पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) छोटे एवं सीमांत किसानों के लगभग 1,90,000 कृषि परिवारों को, इस परियोजना से सीधा लाभ प्राप्त होगा । परियोजना से प्रतिवर्ष कृषि श्रम रोजगार में 470 लाख अतिरिक्त कार्य-दिवसों तथा परियोजना निर्माण कार्यकलापों से निर्माण के क्षेत्र में लगभग 20,000 नौकरियों की व्यवस्था हो सकेगी ।

योरोपीय देशों में लौह अयस्क व्यापार का विस्तार

1807. **श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योरोपीय देशों में लौह अयस्क के व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों ने उक्त प्रयोजन से हाल ही में योरोपीय देशों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो उन विभिन्न योरोपीय देशों के नाम क्या हैं जिनका खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों ने दौरा किया था; और

(घ) उक्त देशों के लिए लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए पता लगी सम्भावनाओं और इस बारे में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) जी हां ।

(ख) से (घ) यूरोपीय देशों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात अधिकांशतः रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी तथा बुल्गारिया तक सीमित है ।

यूरोपीय देशों में लौह अयस्क का अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम यूरोपीय देशों में विभिन्न आयातकों के साथ संपर्क बनाए रखता है। वित्तीय वर्ष 1985 के लिए लौह अयस्क की मात्रा और कीमत के बारे में प्रारंभिक विचार-विमर्श करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों ने मई, 1985 में रूमानिया का दौरा किया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधिमंडल आजकल पुन: रूमानिया और बुल्गारिया का दौरा कर रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले का आयात

1808. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक कोकिंग कोयला आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कोकिंग कोयला आयात करने का अनुमान लगाया गया है;

(ग) कोकिंग कोल का किस देश से आयात किया जाएगा और उनमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोकिंग कोल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न कर सकने क्या कारण है; और

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'लो-ऐश' कोकिंग कोल का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० मटवर सिंह) (क) से (ङ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पिछले वर्षों में कोककर कोयले की निम्नलिखित मात्रा का आयात किया :

(मिलियन टन)

वर्ष	मात्रा
1980-81	0.444
1981-82	0.648
1982-83	1.380
1983-84	0.463
1984-85	0.665

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 198:-86 में लगभग 15 लाख टन कोककर कोयले के आयात करने की संभावना है।

सातवीं योजना के दौरान कोककर कोयले की उपलब्धिता से संबंधित कार्यकारी दल ने

कोककर कोयले के संभावित देशीय उत्पादन का हिसाब लगाया है। सातवीं योजना के दौरान कोककर कोयले की उपलब्धता से संबंधित इन अनुमानों के आधार पर लोहे तथा इस्पात से संबंधित कार्यकारी दल ने यह अनुमान लगाया है कि सातवीं योजना के तप्त धातु के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़िया किस्म के देशीय कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होगी। यह पता लगाया गया है कि वर्ष 1986-87, 1987-88 1988-89 और 1989-90 के दौरान बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की उपलब्धता में क्रमशः 0.438 मिलियन टन, 0.398 मिलियन टन, 0.577 मिलियन टन और 0.228 मिलियन टन की कमी होगी। आयात की वास्तविक मात्रा वर्षानुवर्ष के कोयले के वास्तविक उत्पादन और तप्त धातु के उत्पादन पर निर्भर करेगी।

किन-किन देशों से कोककर कोयला आयात किया जाएगा, यह अन्तिम रूप से होने वाले करारों पर निर्भर करेगा। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 के लिए अपनी आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति करने के लिए 88.70 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित कीमत से आस्ट्रेलिया मे 1.32 मिलियन टन कोककर कोयले का आयात करने के लिए आर्डर दे दिए हैं।

वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा बायो-गैस संयंत्रों का वित्त पोषण

1809. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बायो गैस संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्त पोषण करने वाले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की सहायता से अब तक कितने बायो गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं, और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं।

मार्च, 1985 के अन्त में उड़ीसा में कुल 1513 बायो गैस संयंत्र लगे थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में बायो गैस संयंत्रों की स्थापना का वित्त पोषण करने वाले बैंकों के नाम ये हैं :—

1. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक।
2. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों—ऋषिकुल्य, धेन कनाल, कटक, बालासोर, कोरापुट, पंचवटी और वैतरणी।
4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों—यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडीकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, आन्ध्र बैंक और बैंक आफ इंडिया।

उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक की शाखायें खोलना

1810. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में इलाहाबाद बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में 1985-86 के दौरान इलाहाबाद बैंक की कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी कितनी बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) उनमें से कितनी शाखाएं कोरापुट जिले में खोली जाएंगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1984 के अन्त में उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक की 31 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार इलाहाबाद बैंक के पास देश में शाखाएं खोलने के वास्ते 21 प्राधिकार पत्र थे। इस प्राधिकार पत्रों के आधार पर शाखाएं खोलने के वास्ते बैंक को 30.9.1985 तक का समय दिया गया है।

(ग) और (घ) 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार कोरापुट जिले सहित उड़ीसा में शाखाएं खोलने के वास्ते इलाहाबाद बैंक के पास कोई प्राधिकार पत्र लम्बित नहीं था।

कंप्यूटरीकरण के सम्बन्ध में रंगराजन समिति का प्रतिवेदन

1811. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के कंप्यूटरीकरण के सम्बन्ध में रंगराजन समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या बैंक कर्मचारियों के संगठन उक्त प्रतिवेदन की क्रियान्विति के लिए सहमत हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1983 में डा० रंगराजन की अध्यक्षता में गठित "बैंकिंग उद्योग का मशीनीकरण संबंधी समिति" ने अगस्त, 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श बैंकों से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की सलाह दी है।

(ख) समिति ने 1985-87 की अवधि के पहले चरण की सम्पूर्ण परियोजना पर (आधार-भूत लागत आदि सहित) कुल 150 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है।

(ग) रिपोर्ट तैयार करते समय रंगराजन समिति ने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को भारतीय बैंक संघ और मशीनीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण पर प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए समझौते के उपबंधों को भी ध्यान में रखा है।

पश्चिम बंगाल राज्य में करों से प्राप्त धनराशि

1812. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य से वर्ष 1984-85 के दौरान सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आयकर आदि से और अन्य कारणों से प्राप्त हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को वर्ष 1984-85 के दौरान दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) वर्ष 1984-85 के दौरान संघ सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा शुल्कों, उत्पादन शुल्कों तथा विभिन्न प्रत्यक्ष करों के रूप में प्राप्त हुई रकम

	प्राप्त रकम (करोड़ रुपयों में)
1	2
I. **अप्रत्यक्ष कर**	
(i) सीमा शुल्क	1014.02
(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	787.72*
II. **प्रत्यक्ष कर**	
(i) निगम कर सहित आयकर	463.92 (अनंतिम)
(ii) ब्याज कर	9.15 (अनंतिम)
(iii) धनकर	9.71
(iv) दानकर	0.93
(v) सम्पदा शुल्क	2.19

*इन आंकड़ों में सिक्किम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आंकड़े भी शामिल हैं।

(ii) वर्ष 1984-85 के दौरान संघ सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को दी गई रकम

1	2
केन्द्रीय करों के शेयर के रूप में	
(i) उत्पादन शुल्क	369.78
(ii) आयकर	78.74
(iii) सम्पदा शुल्क	3.91

	(करोड़ रुपयों में)
1	2
अन्य सहायता	
1. राज्य आयोजना के लिए सहायता	42.75
2. पूरक आयोजना के लिए सहायता	42.15
3. आयोजना से इतर सहायता (आयोजना भिन्न सहायता)	436.00
4. केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के लिए सहायता	75.26
5. केन्द्रीय आयोजना स्कीम के लिए सहायता	22.65
6. रेलवे पैसेन्जर किराया पर कर के स्थान पर अनुदान	2.00
7. प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए बकाया सहायता अनुदान	5.08

1985-86 में छोटे सिक्कों की मांग

1813. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1985-86 के दौरान भिन्न-भिन्न मूल्य के छोटे सिक्कों की अनुमानित मांग 2000 से 2500 मिलियन से अधिक की होगी;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में 16000 लाख सिक्कों के उत्पादन की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1985-86 के दौरान सभी सिक्कों की अनुमानित आवश्यकता 260 करोड़ अदद आंकी है ।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए 200 करोड़ अदद के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) कमी को पूरा करने के लिए 1985-86 में 200 करोड़ अदद सिक्कों का आयात किया जा रहा है । दीर्घावधिक उपाय के रूप में नोएडा, गाजियाबाद में 150 करोड़ अदद की क्षमता वाली एक नई टकसाल की स्थापना की जा रही है ।

[हिन्दी]

आयकर विवरण देने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध

1814. **श्री शान्ति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 44-क (ख) के अन्तर्गत दी गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान को न समझ पाने के आधार पर आयकर विवरण देने के लिए निर्धारित 30 जून, 1985 की तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस आशय का दिनांक 19-6-1985 का परिपत्र जारी किया है कि धारा 44-क ख की अपेक्षा का पालन नहीं करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271-ख के अन्तर्गत उन मामलों में कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में दाण्डिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जाएंगी जहां :—

(i) नियम 6-छ के साथ पठित धारा 44-क-ख के अन्तर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1985 तक प्राप्त हो गई हो; और

(ii) अधिनियम की धारा 140-क के अन्तर्गत स्वत: निर्धारण कर, अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत आय की विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित सामान्य अवधि के भीतर अदा कर दिया गया हो।

राजस्थान के ग्रामीणों को बैंक द्वारा ऋणों की अदायगी न करना

1815. **श्री शान्ति धारीवाल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1985 के नवभारत टाइम्स में "सरकारी कर्जों के मारे राजस्थान के देहात" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी समितियों और बैंकों द्वारा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के ग्रामीणों को दिए गए ऋणों की अदायगी न करने पर समितियों के अधिकारियों और बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन ग्रामीणों द्वारा ऋणों की अदायगी न करने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह शिकायत अनिवार्य रूप से सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋणों की वसूली के लिये अपनाये गये तरीकों के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 2000 रुपये तक की अतिदेय राशियों के लिए समाज के कमजोर वर्गों की भूमि को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की अनुमति के बिना नीलाम न करने के वास्ते हिदायतें मौजूद हैं। राज्य सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 1984 में राजस्व अधिकारियों की देखरेख में बोगस ऋणों और बकाया रकमों की अदाएगी न करने की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने का एक अभियान शुरू किया था। राज्य सरकार ने यह बताया है कि जब कभी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट अथवा निरीक्षण के परिणामस्वरूप धोखे और अन्य अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आते हैं तब दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि सहकारी बैंकों को ठीक अवस्था में रखने के लिए वसूली का अच्छा होना बहुत जरूरी है।

लघु औद्योगिक एककों को बैंक ऋण देने की प्रक्रिया

1816. **श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य अनुसूचित बैंक लघु औद्योगिक एककों को बैंक ऋण

देने के मामलों में अत्यन्त लम्बी प्रक्रिया अपनाते हैं जिनको निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लघु औद्योगिक एककों के मालिकों को ऋण देने की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है और उसका विचार उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिभूति मांगे बिना ऋण देने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर निदेश जारी किए हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निदेश नीचे दिए गए हैं :—

(i) 25,000 रुपए तक और 25,000 रुपए के ऋणों के लिए बैंकों को सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्षीय गारंटी नहीं मांगनी चाहिए ।

(ii) बैंकों को लघु उद्योग एककों के ऋणकर्ताओं के लिए समान मानक आवेदनों का उपयोग करना चाहिए । ये फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ।

(iii) शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त विवेकाधिकार दिये जाने चाहिए ताकि ऋण प्रस्तावों का एक बड़ा भाग शाखा स्तर पर ही निपट जाए ।

(iv) बैंकों की विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के लिए संयुक्त ऋणों के रूप में 25,000 रुपए तक की ऋण राशि की मंजूरी दे देनी चाहिए ।

ब्यावर और विजयनगर (राजस्थान) की कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

1817. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्यावर और विजयनगर (राजस्थान) की कुछ कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इनसे से प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या ये मिले अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर रही हैं;

(घ) क्या ये मिलें पूरे 7 दिन तथा तीन पारियों में भी कार्य नहीं कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने ब्यावर में दो मिले तथा विजयनगर (राजस्थान) में एक रुग्ण मिल अपने नियन्त्रण में ले ली थी । हर एक की क्षमता नीचे दिये अनुसार है :—

	तकुवे	करघे
1. महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर	15640	400
2. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	19080	370
3. श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर (केवल कताई)	17772	कुछ नहीं

(ग) हर एक का क्षमता उपयोग नीचे दिये अनुसार है : —

	1984-85		मई, 85	
	कताई	बुनाई	कताई	बुनाई
महालक्ष्मी मिल्स	67.2%	78.7%	69.8%	78.3%
एडवर्ड मिल्स	68.8%	77.6%	76.2%	80.02%
विजयनगर मिल्स	70.8%	—	74.4%	—

बिजली की स्थिति ने उपयोगिता पर बुरा प्रभाव डाला है ।

(घ) से (च) 1984 के दौरान, रुई की उपलब्धि, बिजली की स्थिति वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एन० टी० सी० द्वारा राजस्थान में सप्ताह में 6 दिन मिल चलाने का निर्णय लिया गया और समय-समय पर एन० टी० सी० द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

विजयनगर, अजमेर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलना

1818. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एग्रीकल्चर मार्किट, विजयनगर, अजमेर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य के विजय नगर, जिला अजमेर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने के लिए सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 15195 (1981 की जनगणना के अनुसार) की जनसंख्या वाले उक्त केन्द्र में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया और बैंक आफ राजस्थान लि० की एक-एक शाखा से इस केन्द्र की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जाती है और इस समय वहां बैंक की एक और शाखा के लिए कारबार नहीं होगा ।

[अनुवाद]

नई कोयला परियोजनाओं के लिए जिन लोगों से भूमि खरीदी अथवा अधिग्रहण की गई उनको रोजगार देना

1819. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नई कोयला परियोजनाओं के लिए जिन लोगों की भूमि खरीदी गई थी अथवा अधिग्रहण की गयी थी उनको रोजगार देने के बारे में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पत्र के बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 7 जून, 1985 के पत्र का विषय था, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में उन व्यक्तियों को रोजगार देना जिनकी भूमि का कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को दिनांक 15 जुलाई, 1985 को उत्तर भेज दिया गया था। इस पत्रोत्तर में उक्त विषय पर उन वर्तमान दिशा-निर्देशों की पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी गई है जो इस विषय पर जारी किए गए हैं तथा कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी सहायक कम्पनियों और विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर लागू किए गए हैं।

आयातित बेकार जलयानों के वितरण के मानदण्ड

1820. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेटल स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन द्वारा आयातित बेकार जलयानों कबाड़ी बाजार में वितरित करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में उन मानदण्डों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन परिवर्तनों के ब्यौरे और उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या कथित परिवर्तन सम्बन्धी फार्मों से परामर्श करके किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए, आयातित बेकार जहाजों के वितरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यथासम्भव सभी पंजीकृत जहाज तोड़ने वाले एक समान टन भार के आबंटन के लिए पात्र होंगे। हालांकि, यदि एक समान टन भार के पर्याप्त जहाज उपलब्ध नहीं हैं तथा कुछ जहाज तोड़ने वालों को शुरू में अन्यों की तुलना में अधिक टनभार के जलयान आबंटित किये जाते हैं तो आबंटित किये गये अधिक

टन-भार की मात्रा को 24 महीनों के दौरान उन्हें बाद में आबंटित किये जाने वाले टनभार में समायोजित किया जाएगा।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष के दौरान वितरण के मानदण्ड ये थे कि जहां जहाज तोड़ने वाली इकाई स्थिति हो, उस स्थल पर उपलब्ध "ड्राफ्ट" के अनुसार, जहाज तोड़ने के काम में लगी सभी इकाइयों में से प्रत्येक इकाई को एक जलयान आबंटित किया जाता था। चालू वर्ष के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में जहाज तोड़ने का कार्य करने वाली सभी इकाइयों को एक समान टन भार का वितरण करने की व्यवस्था है, जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में बताया गया है।

(घ) से (च) सरकार द्वारा ये मार्गदर्शी सिद्धान्त मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन से परामर्श करके तथा अभिरुचि रखने वाली पार्टियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने से बाद बनाये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि

1821. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा के भण्डार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वृद्धि मुख्यतया अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों से धन के प्रेषण को बढ़ावा देने हेतु क्या और कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विदेशो मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) जो 31 दिसम्बर, 1984 को 6250.3 करोड़ रुपए का था, उसमें 429.5 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई और इस प्रकार जून, 1985 के अन्त में वह 6679.8 करोड़ रुपये का हो गया।

देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में आने वाली रकमें सभी प्रकार के विदेशी लेन-देन का परिणाम होती हैं और इसमें विदेशी में रहने वाले भारतीयों से प्राप्त प्रेषणाएं भी शामिल हैं। इस अवधि में विभिन्न खातों की प्राप्तियों का विश्लेषण तत्काल उपलब्ध नहीं है। भारत में अधिक से अधिक धनराशियों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी तथा जैसा आवश्यक समझा जाता है, उपर्युक्त उपचारात्मक तरीके अपनाए जाते हैं।

अधिक कर वसूली के फलस्वरूप बजट घाटे की पूर्ति

1822. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा कर वसूली अधिक होने के फलस्वरूप बजट के घाटे को पूरा करने की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार कर वसूली में सुधार करने और इस प्रकार कम से कम आंशिक रूप से बजट के घाटे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गम्भीर है।

(ख) बेहतर कर वसूली के लिए अभी तक किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(i) बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) अपवंचन/परिहार्य/तस्करी को रोकना;

(iii) करों के बकाया की वसूली;

(iv) कर एकत्र करने के लिए विभाग के हक में अदालत के फैसलों पर तुरन्त कार्यवाही करना;

(v) ऐसे अदालती मामलों का शीघ्रता से निपटान करना जिनमें सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व अवरुद्ध है।

(vi) स्टाफ को दूसरी ओर लगाना ताकि ऐसे मामलों पर केन्द्रित किया जा सके जिनमें बहुत अधिक राजस्व आदि ग्रस्त हो।

दार्जीलिंग चाय के उत्पादकों को "नाबार्ड" द्वारा धन का वितरण

1824. **श्री सुधीर राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जीलिंग चाय को, जिससे विदेशी मुद्रा की अच्छी आमदनी होती है, कम उत्पादकता के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि दार्जीलिंग के चाय बागानों के पुनर्नवीकरण हेतु 40 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से "नाबार्ड" ने अब तक केवल 32 लाभ रुपये वितरित किये हैं; और

(ग) इस उद्योग को पुनःस्थापित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) दार्जीलिंग में चाय उद्योग कई कठिनाइयों जैसे कि स्थलाकृति तथा कृषि जलवायु कारणों की वजह से कमजोर हो गया है। दार्जीलिंग चाय उद्योग की कम उत्पादकता का कारण यह है कि अधिकतर चाय झाड़ियां बहुत पुरानी और उनकी भरपूर उत्पादकता का समय काफी पहले बीत चुका है। उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए 43 करोड़ रुपये की कुल व्यय राशि के साथ ब्याज उपदान योजना को स्वीकृति दे दी गई है। अब तक 29 योजनाओं को जिनमें 7 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक वित्त शामिल है, नाबार्ड द्वारा स्वीकृति दी गई। वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली प्रारम्भिक अदायगी 35.68 लाख रुपये की है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला और खान विभाग का मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्तात

1825. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खपत होने वाले कोयले की अधिकतम मात्रा बिहार में धनबाद, झरिया,

बोकारो और अन्य खानों से प्राप्त की जाती है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में कोयला और खान विभाग का मुख्यालय स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कोयला और खान विभाग का मुख्यालय बिहार के मुख्य शहरों (धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दतिया, रांची) में से किसी शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सरकार को इस सम्बन्ध में कौन-कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। भारत के कोयला उत्पादक राज्यों में बिहार का पहला स्थान है। वर्ष 1984-85 में कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित कुल कोयले का 38.8 प्रतिशत कोयला बिहार में उत्पादन किया गया।

(ख) से (घ) कोयला विभाग और खान विभाग अथवा कोल इण्डिया लि० का मुख्यालय बिहार में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोल इण्डिया लि० की दो कोयला उत्पादक कंपनियां बिहार में हैं। यह हैं—सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० जिसका मुख्यालय रांची में है और भारत कोकिंग कोल लि० जिसका मुख्यालय धनबाद में है। इसके अलावा कोल इण्डिया लि० की एक अन्य सहायक कम्पनी अर्थात् केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० का मुख्यालय रांची में है और इस प्रकार यह कम्पनी भी बिहार में ही काम कर रही है। कोल इण्डिया लि० धारक कम्पनी है और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है तथा यह अपनी सहायक कंपनियों के काम का समन्वय करती है। इन परिस्थितियों में कोल इण्डिया लि० का मुख्यालय बिहार में स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत और फ्रांस के बीच भारतीय कोयला उद्योग को विकसित करने के लिए करार

1826. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत और फ्रांस के बीच भारतीय कोयला उद्योग के निष्पादन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली विशिष्ट योजनाएं कौन-कौन-सी हैं;

(ग) इस करार से कोयला खानों के आधुनिकीकरण में हमें कहां तक सहायता मिलेगी;

(घ) क्या राख वाले अंश (ऐश कन्टेंट्स) के बेहतर परिष्करण के लिए कोई व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कोयला खनन परियोजनाएं इस प्रोटोकोल में आती हैं :—

(1) अनंत भूमिगत
(2) नंदिरा भूमिगत
(3) केंडबाडीह भूमिगत
(4) चोरा
(5) ईस्ट कटरास
(6) परासिया
(7) मोइरा
(8) तीरप लेडो
(9) अमलाबाद
(10) गोदावरी खानी 10 इन्क्लाइन

फ्रांसीसी पक्ष से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे कोटाडीह भूमिगत खान के लिए केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि०, रांची द्वारा बनाई गई साध्यता रिपोर्ट में जिस तकनॉलाजी का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में अपनी सलाह दें।

(ग) फ्रांस के विशेषज्ञों ने मोटी कोयला सीमों से कोयला निकालने की तकनालाजी का विकास किया है। फ्रांसीसी सहयोग से जिन कोयला खनन परियोजनाओं का विकास किया जाना है उनमें से लगभग सभी में मोटी कोयला सीमों से ही कोयला निकालना होगा।

(घ) और (ङ) फ्रांसीसी पक्ष से अनुरोध किया गया है कि वह अनंत भूमिगत खान कोयले से राख के अंश की सफाई के लिए विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन तैयार करें।

वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित रबड़ देना

1827. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1985 तक वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित रबड़ की कितनी मात्रा दी गई है; और

(ख) जुलाई, 1985 के पश्चात रबड़ की कितनी मात्रा दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जून, 1985 के दौरान वास्तविक प्रयोक्ताओं को 4.500 मे० टन मात्रा आबंटित की गई थी।

(ख) 1 जुलाई, 1985 से 16,430 मे० टन मात्रा दी जाएगी।

उड़ीसा में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

1828. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन परियोजनाओं को सहायता दिए जाने का विचार है;

(ख) देश में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं का ठीक समय पर कार्यान्वयन सहायता राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा सरकार की क्षमता और परियोजनाओं के कार्यान्वयन और

विकास दर का सर्वोत्तम रिकार्ड देखते हुए उड़ीसा के शहरों विशेषकर कटक और जैपुर शहरों में पीने के पानी नालियों आदि की सुविधाएं प्रदान करके उनका विकास करने में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का विचार है। उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं की धनराशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक परियोजनाओं का परिवीक्षण आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जब कभी भारत सरकार को यह पता चलता है कि कोई परियोजना पिछड़ रही है तो परियोजना प्राधिकारियों और राज्य सरकारों को इस बात के लिए सतर्क कर दिया जाता है कि वे धनराशियों के उपयोग में सुधार लाएं।

(ग) हमें उड़ीसा से सम्बलपुर, कटक और भुवनेश्वर में जलपूर्ति/मल निकासी के लिए पांच परियोजनाओं के सम्बन्ध में रूपरेखा प्राप्त हुई थी। इन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा तकनीकी दृष्टि से विचार किया जाता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पास सीमित संसाधन होने और उनकी पूर्व पूर्ण वचनबद्धताओं के कारण इन परियोजनाओं को आगामी 2-3 वर्षों में विश्व बैंक समूह द्वारा वित्त-पोषित किए जाने की कोई संभावना नहीं है। उड़ीसा सरकार ने हमसे यह भी अनुरोध किया है कि कटक शहर को बाढ़ की विध्वंसता से बचाने के लिए एक संघटक चालू महानदी बराज परियोजना के अन्तर्गत ऋण के लिए शामिल कर लिया जाए। इस संघटन की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता पर इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिससे इस बात का निर्णय किया जा सके कि क्या इस संघटक को विश्व बैंक के सामने रखा जा सकता है।

विवरण

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

(लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि	
		अ० वि० सघ	अ० पु० वि० बैंक
1	2	3	4
1.	अपर इन्द्रावती पन-बिजली परियोजना	1700.0	1564
2.	सालन्दी सिंचाई परियोजना	80.0	—
3.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना	580.0	—
4.	महानदी बराज	830.0	—
5.	उड़ीसा सिंचाई—द्वितीय	1050.0	—
6.	उड़ीसा कृषि विकास परियोजना	200.0	—

1	2	3	4
7.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—प्रथम	106	—
8.	*बहुराज्यीय द्वितीय राष्ट्रीय सीड	*160.0	—
9.	*बहुराज्यीय अन्तर्देशीय मीन उद्योग	*200.0	—
10.	*बहुराज्यीय काजू परियोजना	*220.0	—
11.	*बहुराज्यीय एन० सी० डी० सी०—तृतीय परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	*2200.0	—
12.	*बहुराज्यीय एन० सी० डी० सी०—प्रथम	*300.0	—

*यह एक बहुराज्यीय परियोजना है जिसमें उड़ीसा भी लाभानुभोगी राज्य है। सहायता की राशि परियोजना के लिए कुल मिलाकर दी जाती है और किसी भी परियोजना के लिए उड़ीसा का हिस्सा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

अ० वि० संघ = अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अ० पु० वि० बैंक = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

1829. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में आई कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन में आई कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र के नवीकरण और बेहतर प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 198५) में राउरकेला इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित रहा :

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1983-84	8.63
1984-85	10.13
1985-86 (अप्रैल-जून 1985)	1.04

उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाए गए कड़े प्रतिबन्धों के कारण चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 1985) के दौरान उत्पादन में कमी हुई है जिससे इस अवधि के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 146,800 टन की कमी हुई।

(ग) इस कमी पर काबू पाने के लिए जून, 1985 के महीने के अन्त से आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई प्राप्त की गई है। दीर्घावधि उपाय के रूप में 120 मेगावाट क्षमता का एक गृहीत विद्युत संयंत्र राउरकेला में स्थापित किया जा रहा है।

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने का नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने के लिए एक योजना तैयार कर ली गई है और इस समय यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

इस योजना पर पूंजी निवेश संबंधी निर्णय सातवीं योजना में इस्पात क्षेत्र के लिए आबंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा।

छोटे सिक्के ढालने के लिए ब्रिटिश प्रौद्योगिकी

1830. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे सिक्के ढालने के लिए ब्रिटिश प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश में छोटे सिक्के ढालने के लिए ब्रिटिश प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है। तथापि सरकार ने टकसालों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में मैसर्स वर्सेन इण्टरनेशनल लिमिटेड से हाल ही में सिक्का ढालने की 22 प्रेसों का आयात किया है।

रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

1831. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1984 के दौरान कितनी रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया;

(ख) सन् 1985 (30 जून तक) के दौरान कितनी रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण किया गया;

(ग) सन् 1984 तथा 1985 के दौरान कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी दी गई;

(घ) क्या कोई ऐसी एकक है जो समय पर सरकारी सहायता मिलने पर ठीक तरह से चल सकती है;

(ङ) इस प्रकार की एककों की संख्या कितनी है; और

(च) उनका ब्यौरा, यदि कोई है तो ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार

ने 1984-85 (जून 30 तक) के दौरान किसी सूती वस्त्र एकक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। चूंकि इस अवधि के दौरान कोई एकक राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है अत: वित्तीय तथा अन्य सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) नई वस्त्र नीति के अनुसार प्रत्येक रुग्ण/बन्द पड़े एकक के पुनरुद्धार हेतु अपेक्षित उपाय उन कारणों के विस्तृत तथा विषयपरक अध्ययन पर जोकि उसकी रुग्णता के लिए सहायक थे और रुग्ण एकक के पुनरुद्धार हेतु आवश्यक उपायों के अभिज्ञात करने पर आधारित होंगे। संभाव्य रूप से अर्धक्षम एककों के मामले में समुचित वित्तीय पैकेज के हिसाब लगाए जाने की आवश्यकता होगी। इस पैकेज को तैयार करने और उसके प्रबन्ध के लिए एक शीर्ष अभिकरण बनाया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में भण्डार

1832. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को किन-किन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में 60 दिन के उत्पादन से अधिक माल जमा था;

(ख) प्रत्येक उद्यम में इस प्रकार जमा माल का मूल्य क्या था; और

(ग) इतना बड़ा भण्डार रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 1984-85 के लेखों को विभिन्न अवस्थाओं में अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं लेखा-परीक्षा की जा रही है। अतः वांछित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक उद्यम में भण्डार उत्पादन मूल्य आदि के आंकड़े "लोक उद्यम सर्वेक्षण" में दिये जाते हैं जिसे हर वर्ष सभा-पटल पर रखा जाता है। आशा है कि वर्ष 1984-85 का "लोक उद्यम सर्वेक्षण" अगले बजट सत्र तक तैयार हो जायेगा तथा इसमें भण्डार आदि सम्बन्धी ब्यौरा दिया जायेगा।

आदिवासी गांवों का चयन

1833. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा आदिवासी गांवों के चयन और आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदिवासी विकास डिवीजन द्वारा दी जाने वाली सहायता से चलने वाली योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) राज्यवार कितने गांवों का चयन किया जायेगा और अब तक कितने गांवों का चयन किया गया है; और

(ग) गांव विकास कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारम्भ किया जायेगा; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी और इसके लिये धनराशि जारी करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्यों (आयोग की

सिफ़ारिशों में संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं किए गए थे) को जारी किए गए मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार, आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा और संचार के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के मामले में अग्रता दी जानी है। राज्यों से कार्यवाही योजनाएं तैयार करने और उन्हें स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ख) एक बिवरण-संलग्न है।

(ग) आदिवासी गांवों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की योजना 1985-86 से लागू की गई है।

(घ) आदिवासी गांवों में आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 1985-86 से 1988-89 तक राज्यों को 38.45 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के कुल लागत का 25% "खाते में अदायगी" के आधार पर 1985-86 में अदा कर दिया जाएगा। शेष राशि की गई प्रगति के सन्दर्भ में जारी की जाएगी।

विवरण

आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए चुने जाने वाले आदिवासी गांवों (राज्यवार) की संख्या और राज्यों द्वारा अभी तक पता लगाए गए आदिवासी गांवों की संख्या

राज्य	गांवों की संख्या	
	चुने जाने वाले	अभी तक पता लगाये गए
1. आंध्र प्रदेश	65	65
2. असम	37	
3. बिहार	157	
4. हिमाचल प्रदेश	5	5
5. केरल	3	3
6. मध्य प्रदेश	214	214
7. मणिपुर	13	
8. उड़ीसा	184	
9. राजस्थान	42	
10. सिक्किम	1	
11. त्रिपुरा	5	
12. उत्तर प्रदेश	1	1
13. पश्चिम बंगाल	42	
जोड़ :	769	288

विदेशी विशेषज्ञों का भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरना

1834. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री विदेशी तकनीशियनों के मूल्यांकन के बारे

में संसद को लोक लेखा समिति (1980-81) के 26 वें प्रतिवेदन के पैरा 1.24 में की गयी सिफारिश के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति के 79 वें प्रतिवेदन (1981-82) (26वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन) के पैरा 1.9, 1.10 और 1.11 में की गई अग्रेतर सिफारिशों, जिनमें पहले की गई सिफारिशों को दोहराया गया है, के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कई विदेशी विशेषज्ञ भारत में अपने समकक्ष विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के बाद भी भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के बावजूद भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए हैं;

(ग) ऐसे विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है जो देश में पांच वर्षों से अधिक समय तक ठहरे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इन विशेषज्ञों के देश के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किये गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ख) सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है।

(ग) इस संबंध में सूचना नहीं रखी जाती।

(घ) सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है।

विवरण

पैरा 1.9	किए गए उपाय
1	2
समिति को इस बात का खेद है कि विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त किये जाने संबंधी आंकड़े एकत्र करने के बारे में, जिससे इन आंकड़ों की सहायता से देश में बढ़ रही तकनीकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए इन तकनीशियनों को नियुक्त करने के बारे में एक नीति तैयार की जा सके, मंत्रालय ने उदासीनता दिखाई है। जैसा कि लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा बताया गया है, ऐसी नीति के अभाव में ऐसे मामले नजर में आये हैं कि तकनीशियनों को नियुक्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है या तकनीशियनों को नियुक्त किए जाने के काफी समय पश्चात् "किन्हीं कर रियायतों के बिना" शब्दों के द्वारा शर्त	विदेशी तकनीशियनों को उपलब्ध छूट की गुंजाइश तथा सीमा की सम्पूर्ण स्थिति के संबंध में 1969 में व्यापक समीक्षा की गई थी। यह समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से उपलब्ध सूचना एकत्र करने के बाद की गई थी। उसके अनुसरण में, इन व्यक्तियों के पारिश्रमिक की कर-छूट योजना में अनेक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया था तथा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 के जरिदे अधिनियमित किया गया था। ये संशोधन मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में विदेशी तकनीशियनों पर भारतीय उद्योग की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से किये गए थे जहां योग्य और अनुभवी भारतीय तकनीशियन उपलब्ध थे। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 के जरिये आयकर अधिनियम में संशोधनों द्वारा किये

1	2

लगाकर ऐसी मंजूरी दी जा रही है। यह भी बताया गया है कि मंजूरी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं तथा प्रपत्रों में यह अपेक्षा नहीं की गई कि यह बात स्पष्ट की जाये कि बिना किसी छूट के धारा 10(6)(vii-क) के अंतर्गत देय आयकर का कौन भुगतान करेगा अर्थात तकनीशियन, यदि कोई हों, भारतीय पार्टी या विदेशी नियोजक, में से कौन आयकर की अदायगी करेगा तथा कर की मात्रा क्या होगी।

गए परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है :—

(i) "विदेशी तकनीशियन" की परिभाषा को दो दिशाओं में संशोधित किया गया था। पहले, उक्त परिभाषा का इस प्रकार विस्तार किया गया जिससे उसके अधीन ऐसे विदेशी तकनीशियन भी आ जाएं जिन्हें कृषि, पशु-पालन, डेरी-उद्योग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा पोत निर्माण के क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त हो ताकि इन क्षेत्रों में हमारे खाद्य-साधनों तथा पोत निर्माण उद्योग के विकास के लिए विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सके। दूसरे, औद्योगिक अथवा व्यापार प्रबंध व्यवस्था के विशेषज्ञों और साथ ही विद्युत अथवा किसी अन्य प्रकार की विद्युत की शक्ति के वितरण (उत्पादन से भिन्न) के संबंध में विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को "तकनीशियन" शब्द के सीमा क्षेत्र से निकाल दिया गया।

(ii) कर छूट की सीमा और अवधि, दोनों को कम कर दिया गया। इससे पूर्व किसी विदेशी तकनीशियन को मिलने वाले कुल पारिश्रमिक को 36 महीनों की कालावधि के लिए कर से छूट प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त, जहां विदेशी तकनीशियन भारत में अपने आगमन की तारीख से 36 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी भारत में नौकरी पर बना रहा हो और उसके नियोक्ता ने उसकी वेतन-आय पर देय कर का भुगतान सरकार को कर दिया हो तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा उसके बकाया करों के भुगतान के रूप में परिलब्धि आगे और 60 महीनों की अवधि के लिए तकनीशियन के पास कर से छूट प्राप्त होती थी। इस प्रकार, एक विदेशी तकनीशियन 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः कर से छूट प्राप्त करता था। उन विदेशी तकनीशियनों के संबंध में, जो 31.3.1971 के बाद भारत में नौकरी पर आते हैं उनके लिए कर से छूट पाने योग्य पारिश्रमिक की राशि केवल

1	2
	4,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर-छूट की अवधि को भी तीन वर्षों से घटा कर 2 वर्ष कर दिया गया। उन मामलों में जहां विदेशी तकनीशियन उस प्रारम्भिक अवधि के बाद भारत में नौकरी पर बना रहता है जिस अवधि के लिए उसके पारिश्रमिक को कर से छूट दी गई थी और भारतीय नियोक्ता ने उसके पारिश्रमिक पर देय कर का भुगतान कर दिया हो तो वहां नियोक्ता द्वारा अदा किए गए कर के रूप में परिलब्धि की कर से छूट की अवधि को पूर्ववर्ती कानून के अंतर्गत 60 महीनों के मुकाबले 24 महीनों तक कम कर दिया गया है।
	(iii) ऐसे उद्यमों अथवा एजेंसियों की श्रेणियों का, जो विदेशी तकनीशियनों को नौकरी देकर कर से छूट प्राप्त करते हैं, उन्हें उपलब्ध कर रियायतों के प्रयोजनार्थ विस्तार किया गया जिससे अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं और निकायों को सम्मिलित किया जा सके।
	(iv) सभी मामलों में सरकार द्वारा सेवा की संविदा का अनुमोदन अनिवार्य बनाया गया जबकि पहले की स्थिति में विदेशी तकनीशियन साधारणतया बिना किसी ऐसे अनुमोदन के एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्राप्त कर सकता था।
	इससे पहले, सितम्बर, 1967 में आर्थिक सचिवों की समिति ने भारत में विदेशी तकनीशियनों को कर से छूट देने से संबंधित उपबंधों को लागू करने पर विचार किया था और उनके निर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे, जिनमें यह व्यवस्था थी कि किसी विदेशी तकनीशियन को केवल तभी नियोजित किया जाए, यदि :
	(क) जिस परियोजना पर तकनीशियन को कार्य करना है, उसकी विशेष आवश्यकताओं तथा तकनीशियन की विशेष योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी तकनीशियन का नियोजन

1	2
	अपरिहार्य है;
	(ख) अपेक्षित योग्यता और अनुभव प्राप्त भारतीय कार्मिक उपलब्ध नहीं हों;
	(ग) विदेशी तकनीशियन के अधीन भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सन्तोषप्रद प्रबंध कर लिए गए हैं, ताकि वे विदेशी तकनीशियन की सेवा समाप्त होने से पूर्व कार्यभार सम्भाल सकें;
	(घ) वेतन में किसी ऐसी वृद्धि के लिए, जो अपना देश छोड़ने के लिए प्रलोभन के रूप में दी जानी अनिवार्य हो, गुंजाइश रखने के बाद दिया जाने वाला वेतन उपयुक्त हो;
	(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि विदेशी तकनीशियन अपने पारिश्रमिक पर भारत में या अपने देश में कर की अदायगी न करे।
	इस प्रकार ऊपर उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किसी विदेशी तकनीशियन की सेवा संविदा को अनमोदित करने से पूर्व उन्हें स्वयं इस बात की तसल्ली करनी होती है कि ऊपर उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। ऐसा मात्र अपने तकनीकी सलाहकारों के परामर्श से किया जा सकता है। तकनीकी प्राधिकारी की सलाह पर ही प्रशासनिक मंत्रालय विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति अनुमोदित या अस्वीकृत करता है। इस प्रकार, इस बात का निर्णय लेना प्रशासनिक मंत्रालय का काम है कि कोई छूट दी जानी है या नहीं। यदि वह निर्णय लेता है कि इस प्रकार की छूट नहीं दी जानी है तो तकनीशियन को किसी अन्य अनिवासी की तरह भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर की अदायगी करनी होगी।
	धारा 10(6) (7-क) के अन्तर्गत प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने की स्थिति में किस व्यक्ति द्वारा कर की अदायगी की जानी है, उस व्यक्ति के बारे में कानून में शब्दावली एकदम स्पष्ट है। ऐसे मामलों में प्रतिमास

1	2
	4,000 रुपए से अधिक के पारिश्रमिक पर कर की अदायगी स्वयं तकनीशियन द्वारा की जाएगी। परन्तु नियोक्ता को यह छूट होगी कि वह कर पर कर सम्बन्धी उपबन्धों को लागू किए बिना तकनीशियन की तरफ से कर की अदायगी कर सके। इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति सभी मंत्रालयों को स्पष्ट कर दी गई है। तथापि, जिन मामलों में पूर्वोक्त धारा के अन्तर्गत कोई छूट प्रदान नहीं की गई हो तो वहां अनिवासियों पर लागू आयकर अधिनियम के सामान्य उपबन्ध लागू होंगे। विदेशी तकनीशियन का मामला उस स्थिति में भारतीय नियोक्ता से भिन्न नहीं होगा जहां सेबा-संविदा स्वीकृत नहीं हुई हो।
पैरा 1.10 समिति ने यह भी बताया था कि विदेशी तकनीशियनों को दी गई कर संबंधी छूट के बारे में संगत उपबन्ध काफी जटिल हैं और उनके समुचित रूप में क्रियान्वित किए जाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत तथा सरल बनाया जाना चाहिए। मन्त्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि सरकार ने इस सिफारिश के बारे में क्या कार्यवाही की है। समिति चाहती है कि इस सम्बन्ध में मन्त्रालय द्वारा किए गए अध्ययन, यदि कोई किया गया है, के परिणामों से उसे अवगत कराया जाए।	सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया था कि वे विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति के संबंध में उनके द्वारा जारी किए गए स्वीकृति-पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी और प्रकाशन) को भेज दें। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की जाए जिससे विद्यमान उपबन्धों को और अधिक सरल बनाने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सके।
पैरा 1.11 जैसा कि पहले सिफारिश की गई है, वित्त मंत्रालय को विदेशी तकनीशियनों की सेवा-संविदाओं के बारे में विस्तृत रिकार्डों तथा अन्य ब्यौरा रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए ताकि सभी संगत जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके और इन तकनीशियनों को नियुक्त करने सम्बन्धी नीति अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों से हट कर किए गए कार्य या उनके उल्लंघन के बारे में आसानी से पता चल सके।	जैसा कि उपर पैरा 1.10 के संबंध में पहले ही बताया जा चुका है, निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी और प्रकाशन) से कहा गया था कि वह विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी स्वीकृति-पत्रों के ब्यौरों का व्यापक रिकार्ड बनाएं। इसके अलावा, ऐसे अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं जिनके अन्तर्गत आयकर अधिकारियों को इस बात की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए कि विदेशी तकनीशियनों को लाभ प्रदान करने से पहले आयकर अधिनियम की धारा 10(6)(vii-क) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की गई हैं या

1	2
	नहीं चाहे सम्बन्धित मंत्रालय औपचारिक स्वीकृति पहले ही दे चुका हो।

दक्षिण अफ्रीका को माल का निर्यात

1835. **श्री वी० तुलसी राम :**
डा० गौरीशंकर राजहंस :
डा० चन्द्रशेखर वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1985 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में दक्षिण अफ्रीका को माल निर्यात करते हुए दो व्यक्ति पकड़े गए" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का विवरण क्या है तथा उस कम्पनी/कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा यह माल दक्षिण अफ्रीका निर्यात किया जा रहा था; और

(ग) सभी दोषी लोगों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चला है कि श्री तारो वजीरानी, निदेशक, मैसर्स अरेबी शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०, जो कि हांगकांग में पंजीकृत मैसर्स गोल्ड स्टार लाइन के एजेण्ट हैं, को तथा श्री नारायण बहेटी, निदेशक, मैसर्स अकाई इम्पैक्स प्रा० लि०, बम्बई को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत दिनांक 29 जून 1985 को गिरफ्तार किया गया था। श्री तारो बजीरानी शिपिंग दस्तावेजों में हेराफेरी करके इस कम्पनी के जलयानों के जरिए बम्बई से दक्षिण अफ्रीका को माल का निर्यात किया करते थे और श्री नारायण बहेटी ने तो वास्तव में अफ्रीका को माल का निर्यात किया था।

अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु, दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करने के धंधे में कार्यरत संदिग्ध पार्टियों के परिसरों की तलाशी दिनांक 3.7.1985 को ली गयी थी। इस सम्बन्ध में, दिनांक 4.7.1985 को, निर्यात करने वाली सात फार्मों के आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। मैसर्स गोल्ड स्टार लाइन के "एम० वी० अटाइर" नामक जलयान को और वास्तविक रूप में बम्बई से दक्षिण अफ्रीका को भेजे जाने वाले माल को, जोकि 45 आधानों में जलयान में लदा हुआ था, कोलम्बो जाते हुए कोचीन में रोक लिया गया था। जलयान को दिनांक 13.7.1985 को बैंक गारण्टी के साथ नौ लाख रुपए के एक बंध-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर छोड़ दिया गया था।

चूंकि मामले की जांच-पड़ताल चल रही है, इसलिए इस समय और विवरण देना उचित नहीं होगा।

मध्य पूर्व को दूध का निर्यात

1836. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मध्य पूर्व देशों को दूध का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दूध का निर्यात किया गया;

(ग) कौन-कौन से राज्य मध्य पूर्व देशों को दूध का निर्यात कर रहे हैं; और

(घ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। निर्यातों की वर्तमान नीति के अन्तर्गत दूध के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रुग्ण एककों को पुनः सक्षम बनाने के लिए बोर्ड

1837. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्ण एककों को पुनः सक्षम बनाने के लिए बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार रुग्ण औद्योगिक एककों से निपटने के लिए एक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन करने के विधान पर विचार कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे आपके ध्यान में एक मानवीय समस्या लानी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवस्था के प्रश्न हैं, तो मैं एक-एक करके आपके व्यवस्था के प्रश्न सुनूंगा।

जी, श्री आचार्य ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इक्वाडोर से एक शिष्ट मण्डल, वे ठहर रहे हैं······
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पहले ही ले लिया है। मैंने इसे पहले ही ले लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : वे लन्दन में ठहरे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपसे पहले ही वचनबद्ध हूं। मैंने आपसे बात की थी। मुझे यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है। मैंने पहले ही तथ्य मांग लिए हैं। जब वे आ जायेंगे मैं सभा में चर्चा करवा दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कम से कम गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी चर्चा करा दूंगा। जी नहीं, इसमें गृह मंत्री जी नहीं आएंगे। यह विदेश मंत्री जी का विषय है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे ले रहा हूं। जी हां, गुप्ता जी ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं इसकी गंभीरता को जानता हूं। श्री तिवारी जी, मैंने आपके नोट पर भी विचार किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देंगे ? कम से कम गृह मंत्री जी को इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ? गृह मंत्री जी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में अनुच्छेद 311(2) पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विशेष प्रश्न पर चर्चा के लिए इस सदन में किस प्रकार अनुमति दी जायेगी, इस बारे में क्या आपने कोई निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केवल एक ही रास्ता है और वह संविधान में संशोधन करना है। हमने कल कार्य मंत्रणा समिति में इसकी चर्चा की थी और मैंने आज श्री दंडवते द्वारा कुछ उल्लेख किए जाने की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल उल्लेख से कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक उल्लेख की अनुमति दे दी है। जो कुछ आता है मैं इसकी अनुमति दूंगा। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है मैं देखूंगा। हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। और जो कुछ आता है हम उसे आपको बताएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सदन को इस पर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी है ? सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप कुछ देंगे...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान में संशोधन करना होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और काश्मीर राज्य के लगभग 3,000 लोगों की एक शिकायत है जो हज तीर्थयात्रा को जा रहे थे...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिख कर कुछ दिया है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कृपया मुझे सुनिए। मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती अकबर जहान बेगम और मैंने एक शिकायत प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप मुझे लिखकर दीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उस स्थान से आ रहा हूं। वहां पंखे नहीं हैं, पानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आपको यह मुझे लिखकर देना होगा। इस तरह नहीं।

अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कोई उग्रवादी चर्चा नहीं कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। कृपया आप मेरी बात सुनिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया आप मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात सुनने जा रहा हूं। परन्तु पहले आपको मुझे सुनना चाहिए। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि आपको कुछ लिखकर देना होगा ताकि मैं कुछ कर सकूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह समस्या ऐसी है जो अभी पता चली है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम वहां गए। दिल्ली में, कोटला लेन में 3,000 लोग टीन शेड में रह रहे हैं और मुझ पर हमला हुआ था। वहां पंखे नहीं हैं। वहां पर पानी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह कह रहे हैं कि जब वह उनके साथ बात करने गए तब उन पर हमला किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है। उन्हें मुझे लिखकर देना चाहिए। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिखकर दें। आप मुझे सुनिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप कृपया मुझे सुनिए। यह बहुत गंभीर मामला है। मुझ पर हमला किया गया था। मैं आपको लिखकर दूंगा परन्तु कृपया आप मुझे सुनें।

मेरा जीवन खतरे में है। कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें। अकबर जहां बेगम साहिबा तथा मुझे शिकायतें मिलीं कि लगभग 300 हाजी दयनीय अवस्था में हैं। अतः हम वहां गए। वहां जाकर हमने देखा कि वे टीन के शेडों में थे······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के मामलों की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब वे दिल्ली पहुंचे तो उन्हें टीन के तीन शेडों में पशुओं की तरह ठूंस दिया गया है। वहां पर पानी भी उपलब्ध नहीं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह गलत है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब मैंने चेयरमैन को इस बारे में बताया तो मुझ पर हमला किया गया। दो गुंडे मुझ पर हमला करने आये। मेरा जीवन खतरे में पड़ गया था······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज। शान्त रहिए। मुझे यह मालूम करने दीजिए कि यह कैसे हुआ है। यदि आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे तो मैं उसका उपचार कैसे कर सकता हूं। मुझे आपका, आपके विशेषाधिकारों का, आपकी भावनाओं का संरक्षण करना है। परन्तु आप मुझे कुछ लिखित रूप में दें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं लिखकर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखकर दें। मैं कार्यवाही करूंगा ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। इस आन्दोलनात्मक रवैये से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप व्यर्थ ही अपना तथा सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि मेरी आपके साथ सहानुभूति है, मुझे कोई नोटिस दें ताकि मैं उस पर आगे कार्यवाही कर सकूं। (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : इस सभा के कुछ सदस्यों, जिनमें श्री तिवारी भी हैं, को उग्रवादियों ने पत्रों द्वारा धमकी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री तिवारी से पहले ही बात कर चुका हूं। मुझे स्थिति का पता है। ऐसी बातें यदा-कदा होती ही रहेंगी। मुझे स्थिति की पहले से ही जानकारी है और मुझे श्री तिवारी से उस पत्र की एक प्रति मिली है। मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री ने इसे नोट कर लिया है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैंने नोट कर लिया है।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : केरल में हर जगह राष्ट्रगान को समाप्त किया जा रहा है। एक विशेष स्कूल में "जनगण मन अधिनायक" का गान इसलिए नहीं गाया जा रहा है, क्योंकि वह एक प्रान्तीय भाषा-'बंगला' में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य एकत्र करूंगा। आप मेरे पास आएं।

श्री बृजमोहन महन्ती : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और आपको संरक्षण देना है……

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : सर, इण्डियन एअर-फोर्स का एक लड़ाकू जहाज श्रीनगर में क्रैश हुआ है, उससे 14 दिन पहले एक और जहाज क्रैश हुआ है…यह एक्सीडेंट डिफेंस प्वाइंट ऑफ व्यू से गम्भीर विषय है……

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा……

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, मैंने इस सम्बन्ध में कालिग अटेंशन मोशन भी दिया हुआ है···यह गम्भीर विषय है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ लिखित रूप में दीजिए । मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने आपको नियम 193 के अधीन विदेशी प्रौद्योगिकी की तुलना में देशी प्रौद्योगिकी की बार-बार उपेक्षा किये जाने की घटनाओं के बारे में नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध······

अध्यक्ष महोदय : आप किसी ऐसे सदस्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते जो दूसरी सभा के नेता हैं। इससे दूसरे लोगों को भी बहुत परेशानी हो सकती है ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने एक नोटिस दिया है। मेरे पास एक प्रकाशन है जोकि पीपल्स यूनियन आफ डेमोक्रेटिक राइट्स तथा पीपल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज ने प्रकाशित किया है । ये दो संगठन विभिन्न प्रकार के मामलों की तथाकथित जांच करते रहते हैं। दिल्ली के दंगों की उन्होंने स्वयं जांच की । उन्होंने दिल्ली के कांग्रेस (इ) के संसद सदस्यों की सूची प्रकाशित की । वे लोग हिंसा तथा आतंकवाद के लक्ष्य बन गये । ये लोग सी० आई० ए० के एजेंट हैं । उन दोनों सगठनों को सी० आई० ए० पैसा दे रहा है और उनकी आतंकवादियों के साथ मिलीभगत है । अतः हमारी मांग है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं । यहां नहीं । अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसे मैं आपकी बात सुनता हूं उसी तरह से मैं उनकी बात भी सुनूंगा······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं । आप सभी एक साथ हल्ला क्यों कर रहे हैं । मैं मामले की छानबीन करूंगा······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मामले की जानकारी है । मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य-गण, कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक हो गया । अब आप बैठ जाइए ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं सीमा से बाहर नहीं जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । यदि एक साथ पांच अथवा छः व्यक्ति जोर-जोर से शोर मचाने लग जायेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा ? मैं इसकी छानबीन करा सकता हूं । मैं इसे गृह मंत्रालय के पास भेज दूंगा तथा यदि इसमें कोई बात होगी तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा इस पर व्यवस्था का एक प्रश्न है । **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कृपया हमें इस मामले पर चर्चा करने का अवसर दें ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे । मैं एकदम कुछ नहीं कह सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यदि देश में बहुत से नागरिक स्वतन्त्रता संगठन हैं या कोई अन्य संगठन है जिसे सी० आई० ए० एजेंट कहा जाता है तो क्या आप इस सभा में इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी व्यक्तिगत राय है । यह न तो मेरी राय है न सभा की ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है, मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको एक पूर्व दृष्टांत बताऊंगा । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, साहब, ऐसा नहीं चलेगा । उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है···उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अतः यह बात रिकार्ड में आ जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : हां, यह बात रिकार्ड में जायेगी । यह उनकी व्यक्तिगत राय है । यह मेरी तथा सभा की राय नहीं है । यह असंसदीय भी नहीं है । मैं ऐसा नहीं समझता ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप सिविल लिबर्टीज या किसी और संगठन की सभा में सी० आई० ए० एजेंट कहने देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जलियांवाला कांड हुवा था तो एक सार्वजनिक जांच हुई जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि ये समाज विरोधी तत्त्व हैं······ **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इसे अस्वीकृत किया जाता है······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी व्यक्तिगत राय है······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में कई लोगों को सी० आई० ए० एजेंट कहा गया है······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैं किसी का मुंह बन्द नहीं कर सकता। यह असंसदीय नहीं है। सभा में बहुत से व्यक्तियों को सी० आई० ए० एजेंट कहा गया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसे आरोप लगाता रहा है। मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। यह मेरी तथा सभा की राय नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सदस्यों को संयम बरतने का परामर्श दें, अन्यथा मुझे भी किसी को श्री सी० आई० ए० का एजेंट कहने की स्वतन्त्रता है। परन्तु ऐसे संगठनों पर, जोकि नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए कार्य करते हैं, इस तरह के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब यह सदस्यों के सोचने की बात है। बस, मैं सदा उनसे संयम बरतने और सीमा में रहने को कहता हूं तथा इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि वे संगत बात ही कहें। अब श्री पुजारी।

12.13 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसूचनायें और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत, लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 598 (अ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1243/85]

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 558 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें मीरजा स्टेट बैंक लिमिटेड, मीरज का यूनियन बैंक आफ इण्डिया के साथ विलय करने की योजना दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1244/85**]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 612 (अ), जो 19 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 'लो डेंसिटी पोलिएथिलीन मोल्डिंग पाउडर तगा ग्रेन्यूलों' को, जब उसका भारत में आयात किया जाये, मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 613(अ), जो 29 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पाउण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को पाउण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय-दर के बारे में है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1245/85**]

(4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, बम्बई, के वर्ष 1984 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, बम्बई, के वर्ष 1984 के कार्यकरण की सरकार द्वारा, समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1246/85**]

(5) मई, जून और जुलाई, 1985 में चालू किए गए बाजार-ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1246 (क)/85**]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी सीमित, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी समिति, बम्बई, का 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन

पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1247/85**]

(ख) (एक) यूनाइटिड इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी सीमित मद्रास, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी सीमित, मद्रास, का 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष संबंधीं वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1248/85**]

(ग) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी सीमित, कलकत्ता, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी सीमित, कलकत्ता, का 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1249/85**]

(घ) (एक) ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी सीमित, नई दिल्ली, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के के बारे में एक विवरण।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी सीमित, नई दिल्ली, का 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1250/85**]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनायें

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1985, जो 4 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 507(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) का० आ० 508(अ), जो 4 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 7 और 19 इस्पात और लोहे की श्रेणियों को अथवा, यथास्थिति, ऐसे स्क्रेप पर लागू होंगे, जिसे अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जिसे उक्त अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद किसी व्यक्ति ने अर्जित किया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1251/85]

12.14 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 5 अगस्त, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन, 1985 का निरनुमोदत चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1985 पर विचार एवं पारित करना।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना : --

(क) बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक, 1985

(ख) काफी (संशोधन) विधेयक, 1985

(ग) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1985

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985

(ङ) भारतीत यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985

(च) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(छ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 1985

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा निवेदन है कि लोक सभा में अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न मदें सम्मिलित की जायें।

देश के सभी शांतिप्रिय तथा देशभक्त लोगों ने पंजाब समझौते का स्वागत किया है। उम्मीद की जाती है पंजाब में, जिसे कि पिछले 2½ वर्षों में काफी हानि उठानी पड़ी है, पुन: पूर्ण शान्ति स्थापित होगी।

चूंकि जम्मू और काश्मीर की सप्लाई लाइन पंजाब से होकर गुजरती है तथा श्रीनगर के साथ और कोई संपर्क नहीं है, इसलिए पंजाब में जो अशांति है उसका प्रभाव जम्मू काश्मीर पर पड़ता

है। 2½ वर्ष पहले पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां शुरू होते ही वैष्णो देवी और काश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई। विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी घट गई। परिणाम यह हुआ है कि पर्यटन से सम्बन्धित सभी उद्योगों को भारी हानि हुई है। चूंकि पर्यटन काश्मीर की अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख साधन है, इसलिए काश्मीर की समूची अर्थ-व्यवस्था को गहरा धक्का लगा है। केन्द्रीय सरकार को हानि का मूल्यांकन कराकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जायें।

थिप्पामोंडानाहल्ली अपवाह क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण बंगलौर शहर में पानी की भारी कमी है।

बंगलौर शहर के नागरिकों को न्यूनतम जल सप्लाई के लिए 240 करोड़ रुपये लागत वाली कावेरी तृतीय चरण योजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया तथा उसे 1989 तक पूरा किया जाना होगा।

कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि विश्व बैंक से 80 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाये तथा पहले से शुरू की गई कावेरी तृतीय चरण योजना को विशेष अनुदान मंजूर किये जायें।

परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के अलावा यह अत्यन्त आवश्यक है कि बंगलौर शहर में पानी की कमी की समस्या निपटाने के लिए शीघ्र ही विश्व बैंक ऋण सहायता तथा केन्द्र से विशेष अनुदानों की व्यवस्था की जाये।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह के सरकारी कार्य की सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :

पियरलैस की व्यापारिक गतिविधियां जनहित के विपरीत हैं। यह धारणा सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ-साथ आम नागरिक भी समझने लगे हैं। पियरलैस ने देश के लगभग दो करोड़ परिवारों से 500 करोड़ रु० से अधिक जमा किए हैं। 134 करोड़ रुपये से अधिक के सर्टिफिकेट पहले ही लैप्स हो चुके हैं। इस रकम को कम्पनी ने दूसरी कंपनियां बनाकर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कि आगे चलकर पियरलैस को बीमार बनाया जा सके और इस प्रकार गरीब लोगों की मोटी रकम हजम की जा सके।

इसीलिए कर्मचारी संघ ने भी मांग की है कि पियरलैस का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाए। सरकार फौरन कंपनी की व्यवस्था को भी शीघ्र ही अपने नियन्त्रण में ले ले जिससे कि कंपनी कोई गड़बड़ी न सक सके। इससे हजारों कर्मचारी बेरोजगारी का शिकार होने से बच जायेंगे और लाखों सर्टिफिकेटधारियों के हितों की भी रक्षा हो सकेगी।

विषय-2

लोक सभा के गत सत्र में विधि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की

सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। केन्द्र सरकार सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए।

इसी प्रकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना भी जरूरी है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं चाहती हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जायें :—

(1) मैसर्स मैनी शिपिंग कम्पनी के दो जहाजों 'नित्यराम' और 'नित्यनायक' जिन पर कर्मी दल के 40 सदस्य सवार थे, का लापता होना तथा इस मामले को जांच के लिए तुरन्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने की आवश्यकता।

(2) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा इस आशय के परिपत्र को पुनः जारी करने की आवश्यकता है, कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति एक ही स्थान पर की जाय, तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इसका पालन करने की आवश्यकता।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :

लोगों में आजकल पर्यटन का काफी शोक है। पर्यटन से कई सामाजिक और आर्थिक लाभ हुए हैं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि, रोजगार के अवसर मिलना, क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त होना, देश के भीतर नए विकास केन्द्र खुलना, विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि, व्यापार और वाणिज्य का आदान-प्रदान तथा नए विचारों और तकनीकी का प्रभाव आदि। कला और वस्तु शिल्प के क्षेत्र में भारत अन्य सभी देशों से अग्रणी है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के प्रसिद्ध मंदिर और गुफायें वस्तुशिल्प के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उड़ीसा में अभी कोणार्क मंदिर है जो संभवतः मानव द्वारा निर्मित एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। उड़ीसा में भुवनेश्वर और पुरी स्थित दो अन्य मन्दिर विश्व के सभी भागों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह चिलका झील और समुद्र तट पर स्थित गोपालपुर भी उन्हें आकर्षित करते हैं। गंजम जिला, उड़ीसा में समुद्र तट पर बसे गोपालपुर में पर्यटकों के ठहरने आदि के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की सुविधायें गर्म पानी के चश्मों वाले स्थान तप्तपानी पुरुषोत्तमपुर के निकट जाओगाडो, बुगुदा क्षेत्र, जहां काले हिरन स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते हैं, सूर्य मन्दिर और बुगर्दा के समीप बुदाखोले, भंजनगर में मानव-निर्मित झील, फूलबनी जिला में कलिंग की पहाड़ की चोटी पर बनाई गई वन-पौधशाला में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। संक्षेप में भारत के विभिन्न भागों में बने मन्दिर, गुफायें, स्मारक और इमारतें हर समय और हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। भारत सरकार ने पर्यटन के तेजी से विकास के लिए कुछ विशेष उपाय किये हैं। तथापि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

(1) उत्तर बंगाल के विभिन्न सुरम्य स्थलों में विदेशियों के जाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रतिबन्ध के कारण राज्य के पर्यटन विभाग को बहुत नुकसान हो रहा है। इसका कारण यह है कि कठोर प्रतिबन्धों के कारण विश्व के विभिन्न

भागों से आये यात्रियों के पूर्वी हिमालय के सुन्दर दृश्यों का आनन्द उठाने के लिए बंगाल से आने पर रोक लगी हुई है। हाल ही में दार्जिलिंग में हुए हिमालय पर्वतारोहण और पर्यटन सम्मेलन में इस पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। हमने देखा है कि विदेशों से आने वाले युवा दलों की इसमें बहुत रुचि है और वे दार्जिलिंग में संडकफू-फलूट और अन्य स्थानों के सुगम्य मार्गों पर साहसिक चढ़ाई का आनन्द उठाना चाहते हैं। प्रतिबन्ध लगे होने के कारण मिरिक मार्ग, जिसकी पर्वतारोहण सम्मेलन के दौरान विदेशी पर्यटकों ने बहुत सराहना की है, पर जाने में भी विदेशियों को मनाही है। इस मामले पर भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय को गृह मन्त्रालय से बात करनी चाहिए।

(2) देश के विभिन्न भागों में नौ औद्योगिक इकाइयों में रेलगाड़ी के डिब्बे (वैगन) बनाए जा रहे हैं। इनमें से चार इकाइयां—ब्रेठवाइट बर्न स्टेन्डर्ड (दो कारखाने) जेप्सीप और टेक्समाको पश्चिम बंगाल में हैं। इन इकाइयों में देश में वैगनों के उत्पादन की कुल क्षमता का 70-75% उत्पादन किया जाता है।

रेलवे द्वारा चार पहिए वाले वैगन बनाने के आर्डर में कटौती करने की घोषणा किए जाने के कारण समूचे वैगन उद्योग को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है।

यह उद्योग पूर्णतः रेलवे पर निर्भर है। आर्डर में कटौती की घोषणा किए जाने के कारण वहां बहुत कठिनाई हो गई है और इस उद्योग में काम कर रहे 10,000 श्रमिकों का भाग्य अधर में लटका पड़ा है।

साथ ही हावड़ा-दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में चलने वाले सम्बद्ध उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप वैगन निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों से भी कई गुना अधिक श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने रेल मंत्री के समक्ष यह मामला रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि वैगन उद्योग एक श्रमिक बहुल उद्योग है अतः वहां कार्य-भार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वहां कई मानवीय समस्यायें पैदा होंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय इतना लम्बा कैसे हो सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सम्भवतः उन्होंने वक्तव्य दो बार पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही लगता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

(1) बहुत बड़ी मात्रा में अंडे, मछली, सब्जियां रेल द्वारा विजयवाड़ा से हावड़ा भेजे जाते हैं। रेलवे द्वारा किया गया वर्तमान प्रबन्ध अपर्याप्त है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि विजय-वाड़ा से हावड़ा तक प्रतिदिन एक मालगाड़ी चलाए जाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें।

(2) लिंक एक्सप्रेस को न चलाने के कारण विजयवाड़ा क्षेत्र के यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हुई है। नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कारण इस्पात नगर कहलाता है, तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जानी चाहिए ताकि विजयवाड़ा क्षेत्र और आंध्र के तटीय क्षेत्र के लोगों की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए—

बिना जांच किए सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय तथा उसके द्वारा की गई संविधान की धारा 311 की व्याख्या से कार्यपालिका को जन हित तथा जनता की भलाई का बहाना बनाकर बिना जांच किए सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इस स्थिति से बचा जा सकता है और संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान की धारा 311 में उचित संशोधन करके ही सरकारी कर्मचारियों को नैसर्गिक न्याय दिलाया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उचित विधेयकों के सम्बन्ध में पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि तकनीकी रूप से सभी औपचारिकताएं निभाने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा, मेरा सुझाव है कि इससे संबंधित नियम स्थगित कर दिए जाएं और लोक सभा के इसी सत्र में सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने डिस्मिसल का तो खतरा नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सभा से मुझे केवल आप और सदन ही बर्खास्त कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रोजगार नीति में भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा इसके शिलान्यास तथा अन्य अवसरों पर दिए गए इन आश्वासनों और वचनबद्धताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है कि विस्थापित व्यक्ति के परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया जाएगा। कुल 13,000 विस्थापित परिवारों में से अभी तक करीब 1300 ऐसे व्यक्तियों को इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया गया है। यह बताया गया है कि इस्पात संयंत्र के श्रमिक पहले और दूसरे चरण के पूरा होने पर 5000 से अधिक व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जा सकेगी जिसका अर्थ होगा कि 8000 परिवारों को पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद रोजगार नहीं मिल पायेगा। और ऐसा इस तथ्य के बावजूद कि इस्पात संयंत्र के लिए भूमि अर्जन के बाद उन्हें अपने मकानों और भूमि दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। यह बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला आदि, स्थित इस्पात संयंत्रों, जहां अधिकांशतः सभी विस्थापित लोगों को नौकरी दी गई, में अपनाई गई नीति के विपरीत है। सरकार को यह भी पूरी तरह से पता नहीं है कि कब और किस चरण में 5000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का काम 1980 में शुरू हुआ था। 1981-82 में जब 147 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई, 541 विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी थी। 1982-83 में जब 294 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे तो 583 विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति की गई जबकि 1983-84 में केवल 150 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जबकि उस वर्ष 445

करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। 1984-85 के दौरान केवल 9 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे जब कुल आबंटन 587 करोड़ रुपए किया गया था। इस तरह यह आशंका है कि विस्थापित व्यक्तियों के मामले की उपेक्षा की जाती है और इसलिए इस समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए पुन: वचन देने और इसके कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा किए गए सुझावों को बड़े ध्यान से सुना है और मैं वे सुझाव कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। प्रो० मधु दण्डवते द्वारा उठाये गये मामले को पहले ही कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अत: मैं ये सभी मामले कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यह न समझा जाए कि यह तैयार उत्तर था इसलिए उन्होंने मेरा हवाला दिया।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको पुन: विश्वास दिलाता हूं कि मैंने ये सभी मामले बड़े ध्यानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक सुने हैं।

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : महोदय, इनकी याददाश्त कितनी अच्छी है।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मैंने यहां विशेषाधिकार का मामला उठाया था। **(व्यवधान)**।

12.30 म० प०

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयला कम्पनियों के लिए खरीदी गई मशीनरी के सम्बन्ध में दिनांक 20-3-84 के तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर में शुद्धि करने तथा इसमें विलम्ब होने के कारणों को बताने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 327, दिनांक 20 मार्च, 1984 के भाग (ख) का उत्तर देते समय, कोल इण्डिया लिमिटेड में बुनियादी भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी की उपलब्धि का प्रतिशत और उपयोग के रूप में उपलब्धि का प्रतिशत विवरण II में दिया गया था।

2. अब कोल इंडिया लिमिटेड ने हमें सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े अनन्तिम थे, जो कि उस समय उनके पास उपलब्ध थे। अब उन्होंने इन आंकड़ों को परिवर्तित कर एक संशोधित विवरण भेजा है। संशोधित विवरण-II वक्तव्य के साथ संलग्न है।

3. कोल इंडिया लिमिटेड ने अब इस असंगति की इस विभाग को सूचना दी है। अत: इन्हें सही किया गया है।

4. उपरोक्त कारणों की वजह से सही आंकड़े सभा में पेश करने में देरी हुई; जिसका खेद है।

विवरण-II

कोल इण्डिया लिमिटेड की ओपेनकास्ट परियोजनाओं में बुनियादी भारी मिट्टी उठाने वाली मशीनरी की उपलब्धता का प्रतिशत—देखिये पैरा 2

	डम्पर			शावेल			डोजर			ड्रिल		
	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84
ई० को० लि०	74	70	74	79	74	69	64	63	76	82	79	69
भा० को० को० लि०	74.4	73.5	66.4	74.1	71.3	71.2	71.7	69.5	69.8	62.2	68.2	64.6
से० को० लि०	68	69	70	74	76	76	62	64	66	70	75	78
वे० को० लि०	64	65	64	80	78	77	68	67	70	69	69	69

कोल इण्डिया लिमिटेड की ओपेनकास्ट परियोजनाओं में बुनियादी भारी मिट्टी उठाने वाली मशीनरी की उपलब्धता के उपयोग का प्रतिशत

	डम्पर			शावेल			डोजर			ड्रिल		
	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84
ई० को० लि०	58	63	56	58	60	62	55	57	58	53	58	55
भा० को० को० लि०	64.5	56.8	57.4	62.8	66.1	60.7	64.4	63.5	59.5	39.2	39.9	41.6
से० को० लि०	70	72	71	74	74	74	69	67	65	56	52	51
वे० को० लि०	61	63	61	71	75	75	75	82	59	62	65	59

12.31 म० म०

समिति के लिए निर्वाचन

राज भाषा समिति

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : महोदय, मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री जमीलुर्रहमान के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री जमीलुर्रहमान के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.32 म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

नवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 1 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किये गये नवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 1 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किए गए नवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.33 म०प०

मूल्यों में भारी वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : अध्यक्ष महोदय……

अध्यक्ष महोदय : कीमतें बढ़ने के साथ आप भी खड़े हो जाते हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, बजट के बाद कीमतों में खासकर सब्जी, चीनी, खाद्य तेल तथा अन्य महत्वपूर्ण मदों की कीमतों में 15% से 50% तक की वृद्धि हुई है। खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कीमतों में 15% वृद्धि हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। भारत हर साल 10 मिलियन टन चीनी-उत्पादन की क्षमता रखता है। लेकिन 1984-85 के दौरान हम केवल 6.25 मिलियन टन चीनी ही पैदा कर सके।

12.34 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

1980-81 के दौरान हमने 8.5 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था। ऐसा क्यों हुआ? गन्ना उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य नहीं दिया गया। गन्ने के लिए उन्हें समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। उन्हें गन्ना जलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आगामी वर्ष में कितनी चीनी, गेहूं तथा खाद्य तेल की जरूरत पड़ेगी और इसी आधार पर योजना बनाई जानी चाहिए। लेकिन इन तथ्यों को देखते हुए कि कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा लगता है कि इस संबंध में सरकार के पास कोई संपूर्ण योजना नहीं है। हम हर साल 1,000 करोड़ रुपये मूल्य का तेल आयात करते हैं। भारतीय किसान तिलहन उगा सकते हैं। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश तिलहन निगम, आंध्र प्रदेश तिलहन निगम तथा गुजरात तिलहन निगम से तिलहन नहीं खरीद रही। इसे खरीदने का सरकार का कोई विचार नहीं है। अगर सरकार किसानों को बता दे कि उन्हें कितनी पैदावार उगानी है तो वे उतना तिलहन उगा सकते हैं। वे तो तिलहन ही नहीं बल्कि दालें भी उगा सकते हैं। लेकिन सरकार किसानों को वार्षिक उत्पादन योजना के बारे में नहीं बता रही और उन्हें समर्थन मूल्य भी नहीं दे रही जिससे कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार की रुचि विदेशों से तेल, यहां तक चीनी का आयात करने में है। हमारे किसानों में तिलहन और गन्ना उत्पादन की क्षमता भी है लेकिन सरकार उसे खरीद नहीं रही और विदेशों से खरीद रही है। मालूम नहीं ऐसा करने के पीछे क्या कारण है?

सरकार के पास तिलहन का ही नहीं बल्कि किसी भी चीज का विनियमित बाजार नहीं है। भारत में किसान फसल उगाता है और उसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं। भारत के केन्द्रीय स्थल दिल्ली में भी एक नया बाजार है जो कि विनियमित नहीं है। हम आंध्र प्रदेश केरल या कर्नाटक की बात नहीं कर रहे। हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। यहां विनियमित बाजार नहीं है। दिल्ली में केवल फल तथा सब्जी बाजार विनियमित हैं। शेष बाजार विनियमित नहीं हैं।

मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम देश में हर स्थान पर, इस बात पर विचार किए बिना कि वह राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय अथवा तालुक मुख्यालय है, विनियमित बाजार स्थापित किए जाएं। सबसे पहले यह काम किया जाना चाहिए।

सब्जियों आदि के लिए सरकार को शीत गृहों की व्यवस्था करनी चाहिए। शीत गृह होने पर वह किसानों द्वारा उगाई सब्जियों को यहां स्टोर कर सकेगी। सरकार को चाहिए कि वह किसानों से सीधी खरीद कर ले और फिर उसे सार्वजनिक वितरण सुविधाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण ही हमारे पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं। कुछ बिचौलिए इससे भारी लाभ उठा रहे हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने तथा उन्हें और खेतिहर मजदूरों की सहायता करना सुनिश्चित करे।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि तिलहन, गन्ना तथा सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिए जाएं। तभी कीमतें कम होंगी और तब ही देश में पर्याप्त खाद्य-तेल तथा चीनी उपलब्ध हो सकेगी। किसानों को लाभकारी मूल्य देने से ही हम इस दिशा में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : जनाबेवाला, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जल्दी-जल्दी आपके सामने अपने कुछ प्वाइन्ट्स रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि यह प्राइसेज का जो मसला है वह बड़ा नाजुक है। इसमें एक तरफ तो जो प्रोड्यूसर है, जो पैदावार करता है, उसको तो कीमत पूरी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो चीजें इस्तेमाल करता है, उसको बहुत ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। प्रोफेसर दण्डवते जी ने यह बहुत अच्छा किया कि इस मसले को वे इस सदन के सामने ले आए। इस पर हमारे बहुत से दोस्तों ने, इस हाउस के मेम्बरों ने अपने प्वाइन्ट्स सामने रखे हैं उनमें कोई अलग एक प्वाइन्ट ऐसा नहीं है जिस पर अमल करने से इस मसले का हल निकल आए बल्कि इसमें सभी बातें मुश्तरका तौर पर इकट्ठा करके देखें तो एक ऐसी सिच्युएशन पैदा हो गई है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिनकी तरफ अगर तवज्जह नहीं दी गई तो हमारा समाजी, एक्तिसादी और सियासी ढांचा दरहम-बरहम हो जाने का अन्देशा है। इस बात को हमारे वित्त मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। यह चीज अपनी स्टेट में तो खूब वाकिफ है और बाकी जगहों से भी उन्हें जानकारी है। ऐसी बात नहीं है कि वे इस बात से बेखबर हैं, उनको खबर जरूर है। लेकिन वे अपने विभाग से संबंधित आंकड़े ठीक तरह से पेश कर रहे हैं। थोक की मार्केट में शायद तेजी कम है। यह ग्राफ से अच्छी तरह जाहिर होता है। आप जब पर्चून की मार्केट में जाते हैं, तो वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाव छलांग लगाते हुए बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले को कैसे रोका जाएगा, कैसे इस समस्या का हल किया जाएगा, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यह काम सिर्फ अकेले केन्द्रीय सरकार का नहीं है। इस काम को राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार और हम सब लोगों को मिल कर करना है। खास तौर से विपक्षी दल के लोगों को इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर सरकार का साथ देना चाहिए। जब तक हम इस चीज को मुद्दे नजर रखते हुए इस समस्या का हल तलाश नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। समय के साथ-साथ हर चीज में तबदीली आती है। आज पुराना वक्त नहीं है। पुराने वक्त में पढ़ी हुई इकानोमिक्स आज के वक्त में काम नहीं देती है। अनएम्पलायमेंट और दूसरी कमजोरियों की वजह से लोगों का टैम्परामेंट तेज हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से सोच-समझ कर इस पर एक्शन लेना चाहिए।

यह ठीक है कि संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए हैं। मगर

लोगों की भलाई के लिए पूंजी वे केन्द्र से लेते हैं और उसके बाद आप चुप बैठ जाते हैं। आप यह पता करने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन दिशाओं में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर किस कार्यक्रम में क्या काम हो रहा है, खर्चा कैसे हो रहा है, यह कोई नहीं देखता है। कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। चीजों के भाव ब्लैक मनी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट में उनको ऊंचे भावों पर बेचा जा रहा है। अभी खांड और चावल का इम्पोर्ट किया गया है, लेकिन वे चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो सकता है। जब तक राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता नहीं करेंगी तब तक केन्द्रीय सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी। हैल्थी कोआपरेटिव के बगैर भी यह काम नहीं हो सकता है। कन्ज्यूमर को-आपरेटिव बनें, प्रोड्यूर्स को-आपरेटिव बनें, तो इसका लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि मिडिल मैन बीच में न आ सके। को-आपरेटिव लीडर लोगों की दिक्कत को नहीं देख रहे हैं। जब तक इन लोगों को वेस्टेड इन्टरेस्ट खत्म नहीं होगा, इस पर आप केन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसकी अहमियत को समझिए, और बैठ कर इस मसले को हल कीजिए। राज्य सरकारों को इसमें इन्वाल्व कीजिए। उनके सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में खांड 5.70 रु० किलो के हिसाब से आई है, लेकिन लोगों को पता न होने की वजह से वे बाहर से 8-9 रु० किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। चावल 3 रु० किलो परवल मिल रहा है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। लोगों को इसके बारे में पूरी सूचना मिलनी चाहिए। जिस जगह पर लोगों को जैसी चीज की आवश्यकता हो, वैसी ही चीज आपको वहां के लोगों के लिए मुहैया करानी चाहिए। गरीब आदमी को मुश्किल हो रही है। प्राइस जब बढ़ जाती है, तो उनको अनाज मिलने में परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों को इन्वाल्व कीजिए। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सही करवाइए।

मुझे आपसे यही कहना है कि आपको व्यापारियों पर दारोमदार नहीं रखना चाहिए। तो अब पुराने किस्म की वैल्यूज नहीं हैं। वह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्राफिटीयरिंग नहीं होनी चाहिए। रेल का किराया बढ़ता है तो भाव बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो भाव बढ़ जाते हैं, मिट्टी के तेल का होर्डिंग कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक आउट-लेट दीजिए ताकि तमाम ब्लैक मनी सामने आ जाए और आइन्दा के लिए बन्द हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होगे। अगर आप कैश को पकड़ेंगे तो वे काइण्ड में होर्डिंग करना शुरू कर देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि आप पकड़ नहीं सकेंगे और साथ ही मार्केट में चीजों की कमी हो जाएगी।

आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वक्त चूंकि वक्त कम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि जब आपने इस काम को अपने हाथ में लिया है और आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो मुझे यकीन है आप सब कुछ कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वाल्व करके इस मसले को हल कीजिए। लेकिन इसकी तरफ पूरी तवज्जह दीजिए, तनदेही से काम कीजिए। अगर हम इस मसले को हल कर सके तो अन्दरूनी तौर पर मजबूत हो सकेंगे और बैरूनी ताकतों का ज्यादा बहादुरी से मुकाबला कर सकेंगे। अगर आम आदमी की तसल्ली होगी तो वह खुश होगा और उसको महसूस होगा कि हम वाकई उसके लिए कुछ कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, हमारा उद्देश्य इस बहस के माध्यम से किसी को दोष देना नहीं है। हम तो उस सामान्य आदमी की, जिसके प्रति सरकार और हम सबका कमिटमेंट है, तकलीफों को, परेशानियों को, इस बहस के जरिये माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहते हैं। आंकड़ों से हम एक-दूसरे को तो सन्तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका कितना महत्व बाहर है, जिसको हम सबको सन्तुष्ट करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज वास्तविकता यह है कि थोक मूल्य सूचकांक चाहे न बढ़े हों, लेकिन वस्तुओं के जो थोक मूल्य हैं, पिछले बजट की प्रस्तुति के बाद उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जिस प्रकार की हमारी अर्थ-व्यवस्था है, उसमें मूल्य वृद्धि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में यदि कहीं पर कोई नट-बोल्ट ज्यादा ढीला हो जाता है तो कुछ आइटम्ज के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। आज उस बोल्ट को कसने की जरूरत है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा ढीला हो गया है।

पिछले बजट में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई, रेल के भाड़ों में वृद्धि हुई, लेकिन उसकी आड़ को लेकर जिस तरीके से राज्यों में डिफरेन्ट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशंज, प्राइवेट ट्रांसपोर्टज, ट्रक ओनर्स ने जिस तरह से भाड़े बढ़ाये उसका परिणाम यह हुआ कि रिमोट एरियाज में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में वस्तुओं के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इस आस्पेक्ट पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

बजट के बाद एक वातावरण बना था और हम सब महसूस करते थे कि सरकार ने जो छूटें दी हैं उनका प्रभाव व्यापारियों तथा उद्योगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर वे लोग ईमानदारी से इन छूटों के महत्व को समझते तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनका कुछ कट्रीब्यूशन होता और वे इस दिशा में पूरी कोशिश करते। मगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारियों ने इन विभिन्न छूटों का यह अर्थ लगाया कि उन्हें एक प्रकार से खुली छूट दे दी गई है।

इस समय प्राइस राईज की यह हालत है कि इसका जो परसेन्टेज है वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यदि कुछ चीजों में उत्तर प्रदेश में प्राइस राईज या मूल्य वृद्धि 15 फीसदी हुई है तो गुजरात में 10 फीसदी हुई है और केरल में उन्हीं वस्तुओं में मूल्य वृद्धि 4-5 प्रतिशत हुई है। यह अपने आपमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको हम साधारण आरगुमेंट देकर सिद्ध नहीं कर सकते।

एक ही राज्य में एक ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रकार से हुई है। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां एक शहर में एक ही वस्तु के तीन मूल्य प्रचलित हैं। जब मैंने जिले के कलक्टर से यह कहा कि यहां एक ही वस्तु के तीन मूल्य हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें किसी प्रकार की स्टेच्युटरी पावर्स नहीं हैं जिनसे कि हम व्यापारियों को बाध्य कर सकें कि वे इन-इन वस्तुओं की मूल्य सूची अपनी दुकानों पर टांगें। जब मैंने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने एस० डी० ओ० से कह कर व्यापारियों और कंज्युमर्स की एक मीटिंग बुलाई। उसका यह प्रभाव हुआ कि जो वहां अलग-अलग मूल्य चल रहे थे उन अलग-अलग मूल्यों के अन्तर को कम करने की बात को व्यापारियों ने माना।

मैं अपने वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि बजट के बाद कम से कम उन्हें राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अपने-अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस सम्बन्ध में सजग करें और उनसे कहें कि चीजों के मूल्य न बढ़ने पाएं। सब्जियों के मूल्य इस बीच बहुत बढ़े हैं,

मीट के मूल्य बहुत बढ़े हैं और भी दूसरी जरूरी चीजों के मूल्य बढ़े हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब तक वे मुख्य मंत्रियों को कह कर के जिला के एडमिनिस्ट्रेशन को सजग नहीं करेंगे कि वे इस बात को देखें कि वस्तुओं के भाव जरूरत से ज्यादा न बढ़ने पाएं और जो अनावश्यक मूल्य वृद्धि हो रही है उसको देखें तब तक आप आंकड़े देकर अपनी बात को बेशक सिद्ध कर दें और हम लोग अपनी देखी हुई तस्वीर को आपके सामने रख कर बेशक अपने दिल के बोझ को हल्का कर लें लेकिन इस मूल्य वृद्धि से जिस वर्ग पर भार पड़ रहा है, उसके बोझ को हम हल्का नहीं कर सकते।

एक हमारी शुगर पालिसी है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार सदन में रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्पादन से लेकर शुगर बनने तक की सारी पालिसी को रिव्यू करने की आवश्यकता है। वास्तव में शुगर केन पहले जितने एरिए में बोया जाता था, वह एरिया धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अब किसान शुगर केन की जगह पाम आयल सीड या इस तरह की दूसरी चीजों को बोने लगा है और इसलिए बोने लगा है कि उनसे उसे अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस तरह से शुगर केन का प्रोडक्शन कम होता जायेगा और किसान यह महसूस करने लग जायेगा कि शुगर की बजाए हमें दूसरी आइटम्स में अच्छी कीमत मिल सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे यहां शुगरकेन का उत्पादन कम होने लगेगा और आप शुगर का आयात करके भी इस स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे।

मैं अभी यह समझता हूं कि शुगर की जो समस्या है वह इसकी उपलब्धता के कारण से नहीं है बल्कि राज्यों द्वारा इसको समय पर न उठाने के कारण से है। अगर राज्य या होलसेलर्स चीनी को समय पर नहीं उठाएं तो इसको देखने का काम किसका है। यदि मैं अलमोड़ा या पिथौड़ागढ़ में और आप इलाहाबाद में जाकर इस बात को कहें कि राज्य के होलसेलर चीनी नहीं उठा रहे हैं तो सामान्य आदमी आपको यही कहेगा कि हम आप और राज्यों में कोई अन्तर नहीं करते। आप कृपा करके भविष्य में इस बात को देखें कि जितना कोटा राज्य सरकारों को अलोट किया जाता है, उसे वह समय पर उठाएं और होल सेलर्स उसको लेवी की दुकानों या रिटेल सेन्टर तक समय पर पहुंचाएं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रियब्युशन सिस्टम है। इसको और अधिक स्ट्रेंगदन करने की जरूरत है, और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है, और अधिक आइटम्स को इसमें जोड़ने की जरूरत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज्यादा आइटम बिक्री के लिए रखे जाएं, अगर इसमें आवश्यकता पड़े तो सबसिडी देनी चाहिए। को-आपरेटिव मूवमेंट का इसमें बहुत अधिक रोल है। हमारे यहां यू० पी० बिहार में को-आपरेटिव सोसायटीज की हालत बहुत खराब है। राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अपनी को-आपरेटिव सोसायटीज की माली हालत सुधारें और वे अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करें।

कंज्यूमर मूवमेंट की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बहुत भार है और इसी कारण सरकार प्राइसेस कंट्रोल करने में असमर्थ रहती है। इसका एक ही तरीका हो सकता है कंज्यूमर मूवमेंट को बलशाली बनाएं। इसके लिए जितना समय और पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो, उसको किया जाना चाहिए, इसको स्ट्रेंगदन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, अभी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन

सारी समस्याओं का यही एक इलाज हो सकता है, इसको बलशाली बनाएं। आशा है मंत्री महोदय इन सारी बातों पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कीमतों में तीव्रता से हो रही वृद्धि से संबंधित कल हुई चर्चा में लगभग 19 सदस्यों ने भाग लिया। इसी से पता चलता है विषय कितना महत्वपूर्ण है तथा स्थिति कितनी गम्भीर है। आज चर्चा में और अधिक सदस्य भाग लेंगे। माननीय मन्त्री जी को जब मैंने यह कहते सुना कि कीमतें नियंत्रण में हैं तो मैं सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैंने अखबार पढ़े। मुझे कुछ दिन पूर्व एक अनुभव हुआ था, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी बाजार से रसोईघर का कुछ सामान खरीदने गए। हमने 300 रुपए में जो सामान खरीदा उसे एक छोटी सी टोकरी में रखा जा सकता था। मेरी पत्नी ने टिप्पणी की कि कुछ साल पहले इतना ही सामान 50 रुपए में खरीदा जा सकता था। हर आदमी यही बात महसूस करता है। इस बारे में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय वित्त मन्त्री जी अगर अपनी पत्नी के साथ जाएं तो उन्हें भी इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

डा० ए० के० पटेल : हो सकता है काम की व्यस्तता के कारण उन्हें बाजार जाने का समय नहीं मिलता हो। तथ्यों तथा आंकड़ों के बारे में मैं ब्योरा नहीं दूंगा क्योंकि माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते कल की चर्चा के दौरान विस्तार से ब्योरा, तथ्य और आंकड़े दे चुके हैं।

अब मैं बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ ? पिछले साल 1984-85 के दौरान कीमतों में 5.2% तक की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि शुरू के छह महीनों में रही। सितम्बर 1984 तक इसे नियंत्रित कर लिया गया क्योंकि चुनाव होने की सम्भावना थी। सरकार ने सप्लाई को बनाए रखकर मूल्य नियंत्रित रखे—चाहे ऐसा चीनी या खाद्यान्न का आयात अधिक करके या आम जरूरत से कहीं अधिक सप्लाई करके किया गया। आम धारणा यहीं थी कि चुनावों के बाद कीमतों में फिर वृद्धि होगी। कीमतें तो निश्चय ही बढ़ती हैं अगर उनके बढ़ने की आशा की जाए।

महोदय, सरकार द्वारा अस्वाभाविक ढंग से 1984-85 के बाद के छह महीनों में कीमतों का स्तर नीचा रखा गया जबकि इस अवधि के दौरान मुद्रा-पूर्ति—करेंसी नोट आदि की कुल सप्लाई—तेजी से बढ़ रही थी। उदाहरण के लिए पिछले साल मुद्रा-पूर्ति 17.2% बढ़ी। करेंसी में 3307 करोड़ रुपए अर्थात् 18% की वृद्धि हुई। राजकोष के बिल 16.756 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,287 करोड़ रुपए हो गए अर्थात् 5250 करोड़ रुपए या 33% की वृद्धि हुई। मुद्रा स्फीति के ऐसे दबाव के कारण, पिछले साल कीमतों में 15% वृद्धि हुई होती लेकिन राजनैतिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अस्भाविक ढंग से कीमतें कम बनाए रहने के कारण से यह 5.2% ही बढ़ी।

1.00 म० प०

इसका अर्थ है कि मांग बढ़ रही थी जो कि दामों में तेजी से वृद्धि करने के लिए जोर लगा रही थी लेकिन कुछ अस्थायी कारणों की वजह से दामों को बढ़ने से रोक दिया गया था, मूल्य वृद्धि को दबाया गया था। मार्च के आरम्भ में यह स्थिति थी, जब सरकार ने केन्द्रीय बजट पेश किया था।

केन्द्रीय बजट ने मूल्य वृद्धि को रोकने की बजाय नीति संबंधी ऐसे उपाय किये, जिससे मूल्यों में अचानक भारी वृद्धि हुई, इसका पहला कारण था कृत्रिम कारणों का हट जाना और दूसरे अप्रत्यक्ष कर लगाना, अभूतपूर्व घाटे की वित्त व्यवस्था और सातवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारी निवेश करने की महत्वांक्षों योजना की इसलिए कोई हैरानी नहीं हुई कि मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से भारी वृद्धि हुई।

10 मार्च, 1985 को बजट पेश करने से यह बात स्पष्ट हो गई। पहले थोक मूल्य सूचकांक 339.7 था जोकि 31 मार्च, 1985 को बढ़कर 344.9 हो गया। आजकल यह 355 के आसपास है, जिससे पता चलता है कि मुद्रा स्थिति की दर इस वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक है। मूल्यों में अभी और वृद्धि होगी और कई कारणों से इसे रोका नहीं जा सकेगा। अब सरकार ने पुनः बड़ी-बड़ी योजना बनाने की नीति अपनाई है, जिससे योजना का स्वरूप और विस्तृत हो जाएगा, जबकि स्रोत अपर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मद पर थोड़ा-थोड़ा खर्च किया जाएगा जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पहले ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर काफी पैसा व्यर्थ कर रही है। 1982-83 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम में 97 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जोकि अगले वर्ष बढ़कर 137 करोड़ रुपए हो गया और 1984-85 में पुनः बढ़कर 171 करोड़ रुपए हो गया है। 1979-80 में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्चे में 6.12% का अन्तर था जोकि 1985-86 में इसके बढ़कर 25% होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन वास्तव में शायद यह 25 से 30% हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

डा० ए० के० पटेल : मैं और विस्तार में नहीं बोलूंगा। माननीय मंत्री एक योग्य व्यक्ति हैं और इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करें ताकि आम व्यक्ति शांति से रह सकें। अगर दरों में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी और मुझे डर है कि इससे कई मुश्किलें पैदा होंगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 10 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

2.10 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री 2.30 म० प० पर उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष जी, भारतवर्ष आजादी के बाद विकास की दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर हुआ है। जहां पहले इस देश में सुई तक का निर्माण नहीं हुआ करता था वहां आज यह महान् देश उपग्रह की दुनिया में पहुंच चुका है। इस महान् देश में पानी के जहाज, हवाई

जहाज, बड़े-बड़े उद्योगों के कारखाने स्थापित हुए हैं। हमने खेती और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। जहां पहले भारतवर्ष अन्न बाहर से आयात किया करता था वहां आज भारतवर्ष खेती में स्वावलम्बी है सक्षम है और वह विदेशों को अनाज समय-समय पर भेजता रहता है। पेट्रोलियम में अगर देखें, तो हमारे देश की स्थिति पेट्रोलियम की वजह से बिगड़ती नजर आती थी। इस क्षेत्र में हम दूसरे देशों की तरफ देखा करते थे, लेकिन आज हम सक्षम हैं और लगभग 70 प्रतिशत पेट्रोल अपनी क्षमता का हम इस देश में अभी उत्पादित कर रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम उसमें भी सक्षम हो जाएंगे।

जहां तक प्रश्न महंगाई का है, हमको उस दृष्टि से भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी मुख्य वजह इस देश में महंगाई का बढ़ना है क्योंकि आजादी के बाद इस देश में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। महंगाई के मूल में आबादी का बढ़ना भी मुख्य कारण रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पापुलेशन के कुछ आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहता हूं। सन् 1971 में आबादी हमारे देश की 54 करोड़ 81 लाख 59 हजार 652 थी जो पिछले दस वर्षों में बढ़कर 70 करोड़ हो गई। पिछले दस वर्षों में ही आबादी डेढ़ गुनी बढ़ी है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। जो आज हम महंगाई देखते हैं, यह उस आबादी की बढ़ोत्री के कारण ही है। आज इस कमर तोड़ महगाई का जो सवाल संसद में उठा है और विचार चल रहा है, वह इस बढ़ती हुई पापुलेशन के कारण है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मैंने आज ही यहां मालूम किए हैं, रिफाइंड आयल पिछले वर्ष 275% रुपए था आज 260 रुपए प्रति टिन है, सरसों का तेल, रेपसीड़ आयल 190 से 175, घी 230 से 237 हुआ है। चीनी में जरूर कुछ महंगाई हुई है। चीनी 480 रुपए से 825 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। चने की दाल महंगी हुई लेकिन यह महंगाई चने की दलहन की खेती पर निर्भर करती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जलवायु का असर बहुत पड़ता है। अरहर की दाल 550 से 475 रुपए हुई, दाल मसूर 600 रुपए से 540 हुई। इसके अलावा आलू, प्याज, चावल और कौफी के दामों में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आई है।

कपड़े का उत्पादन बढ़ा है। सस्ते कपड़े के सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इसकी वितरण प्रणाली में अवश्य सुधार होना चाहिए। जहां तक सिन्थैटिक क्लाथ का प्रश्न है, उसमें भारतवर्ष ने बहुत तरक्की की है और वह इस देश को काफी कम दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं हैं।

जहां तक छोटे-मोटे एंटरटेनमैंट के साधनों को उपलब्ध कराने की बात है, ट्रांजिस्टर, टी० वी० और टेप-रिकार्डर इत्यादि के दामों में काफी कमी हुई है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो थोक विक्रेता और अधिकारी इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भी आप खबर लें। मैंने रेलवे बजट पर और स्टील-माइन्स की मांगों पर भी कहा था कि जब हमारे राजनीतिक लोगों को रासुका में बन्द किया जाता है तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रासुका क्यों नहीं लगाई जाती? इनको उसमें बन्द किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए।

इनकम-टैक्स और सेल्स टैक्स में आप देखें, मैं समझता हूं कि लगभग 50 फीसदी आय को ये लोग हड़प जाते हैं। अन्त में मैं इतनी ही मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त महाटा (पुरुलिया) : भारत एक विकासशील देश है। इसने कुछ प्रगति की है। लेकिन देश के सामने एक ज्वलंत समस्या है। प्रत्येक दफा, जब संसद के सामने बजट पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि यह विकासोन्मुख बजट है, इससे मूल्य स्थिर रहेंगे और सारी अर्थव्यवस्था नियन्त्रण में रहेगी।

(व्यवधान)

लेकिन लोगों की भिन्न राय है। बजट पेश करते समय वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि इससे जन-साधारण पर असर नहीं पड़ेगा और आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन बजट पेश किए जाने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दस से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार मध्यम आय वर्ग के लोगों, जिनकी मासिक आय, 1500, हैका खर्चा प्रति माह 150 रु० तक बढ़ गया है।

कुछ अधिकारियों ने कहा है कि मूल्य वृद्धि मौसमी है, कुछ समय के लिए है, और कुछ ही समय में इस पर नियन्त्रण कर लिया जाएगा। लेकिन आम आदमी की धारणा यह है कि एक दफा अगर मूल्य वृद्धि हो जाती है तो यह पुनः मूल्य नीचे नहीं आते।

मैं विस्तृत आंकड़े नहीं देना चाहता। मैं केवल चुनिंदा मदों के मूल्य उद्धृत कर रहा हूं। चावल-मोटे चावल 7 से 8 रु० प्रति किलो, घटिया किस्म का कोयला 30 रु० का 40 किलोग्राम, सरसों का तेल 18 रु० प्रति कियोग्राम, चीनी 8-9 रु० प्रति किलोग्राम बिक रही है।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या मैं जान सकता हूं कि चावल कहां सात रुपए किलो बिक रहे हैं ?

श्री चित्त महाटा : खुले बाजार में, बिजली की दरों में भी 30% की वृद्धि हुई है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : वे बासमती चावल की बात कर रहे हैं।

श्री चित्त महाटा : रेलवे के किराये-भाड़े में 10% से 15% तक की वृद्धि की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : बासमती चावल 13 रु० प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है।

श्री चित्त महाटा : लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। मेरे विचार से मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण काला-बाजारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों को सजा देने में सरकार की असमर्थता है। हालांकि ई० एस० एन० ए० और एन० ए० एम० ए० जैसे कानून मौजूद हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, काले धन की समांतर अर्थ-व्यवस्था, जो कि मूल्य वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बन्धक पत्र जारी करने से काला धन सफेद नहीं बन जाता। अब भी करीब 40 हजार करोड़ रु० का काला धन प्रचलन में है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इतनी अधिक मात्रा में काला धन किसी भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस-नहस करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे देश में सरकार इन लोगों से निपटने के लिए काफी कमजोर है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

करीब 28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें आधा पेट भोजन भी नहीं मिल पाता, और अपने दिन अकथ मुश्किलों और घोर व्यथा में व्यतीत कर रहे हैं।

गरीबी हटाओ या प्रत्येक परिवार के लिए रोजगार जैसे नारे आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार निम्नलिखित उपाय करे :—

(1) 14 आवश्यक वस्तुओं में मूल्य निर्धारित किए जाएं।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त, प्रभावी बनाया जाए। पिछले दिनों खाद्य और पूर्ति मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास चीनी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन राज्य सरकार इसे उठा नहीं रही है। लेकिन राज्य सरकार पर आरोप लगा देने मात्र से समस्या हल तो नहीं हो जाती। आम व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। सरकार को पता लगाना चाहिए कि राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम से चीनी और अन्य सामान क्यों नहीं उठा सकी। राज्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत करके इस समस्या को हल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के विषय में बड़े विस्तार मे सदन में दो दिन से चर्चा चल रही है और यह सच्चाई है कि कभी-कभी हमारे अधिकारी, जिनपर हम भरोसा करते हैं, इतने गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और देश को गुमराह करते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो जेल में बन्द करने की बात कही है, वह नाकाफी है। मैं अभी अपने रेजिडेंट कमिश्नर का एक बयान ले आया हूं, जिस पर इसी सदन में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चीनी नहीं उठाई। मेरे पास वह आंकड़ा प्रस्तुत है, जिसमें उसने कहा है कि मुझे चीनी दी हीं नहीं गई।

श्री जैनुल बशर : कौन से रेजिडेंट कमिश्नर का बयान है ?

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का बयान है। ऐसे भ्रामक आंकड़े, ऐसे गलत बयान और ऐसे गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यह दुखद और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से आम आदमी को यह फैस करना पड़ रहा है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जिन्दगी में काम में आने वाली हर चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। यह कहकर कि पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ी हैं यह सोचकर सन्तोष नहीं करना चाहिए कि भारत में आजादी के बाद देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए विदेशी कोलेबरेशन में खरबों-अरबों रुपये की मोनोपलाइजड़ इंडस्ट्री कायम की गई और उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन उन उद्योगों ने हजारों और करोड़ों रुपये के प्रति वर्ष घाटे भी दिखाये हैं और उन घाटों को पूरा करने के लिए मार्च के महीने में अरबों रुपये के टैक्स आम आदमी से वसूल किये जाते हैं। इस प्रक्रिया को माननीय वित्त मन्त्री को बन्द करना चाहिए और प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जो मिव एण्ड टेक की पालिसी पर विश्वास नहीं करते, जो उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर करोड़ों-करोड़ रुपये लग्जरी और उनके ठाठ-बाट पर खर्च करना कतई इस प्रजातन्त्र में बाजिब नहीं है।

मान्यवर, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में चोरबाजारी और कालाबाजारी एक बड़ा जबरदस्त रोल अदा कर रही है। मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में सात वस्तुयें बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत उन नियन्त्रित वस्तुओं की दुकानों में जानी चाहिए जहां से वह आम आदमी को मिलती हैं, लेकिन साफ्ट कोल और रैपसीड आयल पिछले 3-4 सालों से ग्रामीण अंचलों में चल रही दुकानों में कभी पहुंचा नहीं है। पता नहीं इनका क्या होता है, कौन बेच लेता है ? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोआपरेटिव

सोसायटीज और निजी व्यक्तियों द्वारा दुकान चलाने के बारे में कांट्रोवर्सी चलती रहती है। न तो कोआपरेटिव सेक्टर ने इमानदारी से चीजों को कामन-मैन तक पहुंचाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है और न ही निजी व्यक्तियों ने। मेरा मन्त्री जी को सुझाव है कि इसके सम्बन्ध में कानून को कठोर बनाया जाए और वस्तुओं की आर्टिफिशल स्केरसिटी न होने पाए। जब तक वस्तुओं की आर्टिफिशल स्केरसिटी होती रहेगी तब तक स्टाक होने के बावजूद सामान्य जन को आवश्यक वस्तुयें नहीं मिल पायेंगी।

शुगर के दामों में वृद्धि का होना यहां पर एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। इस पर अक्सर डिस्कशन होता रहा है। शुगर के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, साथ ही साथ अन्य जो दैनिक उपयोग की वस्तुयें हैं उनके मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसी अनुपात में किसान द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे देश की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और वह खेती से अपना जीवन-मापन करती है, वह आज विशेष रूप से फ्रस्ट्रेटेड है। आज किसान अधिक गन्ना बोने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है और जब किसी चीज का उत्पादन ही नहीं होगा तो वह आयेगी कहां से ?

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डेफसिट बजट के बारे में बहुत कहा जाता है, लेकिन अरबों का डेफिसिट रखकर और कामन मैन पर टैक्स लगाकर व वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर आप देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पायेंगे। आज आप जो इण्डस्ट्रीज रन कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन और वेजेज में एक सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : श्रीमन्, सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है और यह बात सामने आई है कि देश में मूल्य वृद्धि से आम जनता का जीवन काफी अस्त-व्यस्त हो गई है। अतः मैं कम ही बोलूंगा। मैं मन्त्री महोदय को बोलने के लिए समय देना चाहता हूं। वह देश के 'प्रताप' हैं। देश अब उन्हें और उनके प्रताप को सुनना चाहता है ताकि वे जान सकें कि देश में बढ़ती हुई मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं। अतः मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं और उनका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। प्रश्न ये हैं :—

(1) क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार क्षेत्र के लिए योजना आयोग का 180,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसलिए अटका हुआ है कि लागत में वृद्धि हुई है और संसाधनों की लगातार कमी अनुभव हो रही है।

(2) क्या यह सत्य नहीं है कि अब संसाधनों में अन्तर का अनुमान 50,000 करोड़ रुपये आंका गया है ? आप इस अन्तर को कैसे पाटेंगे ?

(3) हमारी सुखद खाद्य उत्पादन की स्थिति के बावजूद हमारा व्यापार अन्तर बढ़ता जा रहा है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं है कि जमा की राशि में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक औसतन वृद्धि दर का अनुमान अधिक महत्वाकांक्षी था और वर्तमान मूल्य वृद्धि की परिस्थितियों के कारण इसे प्राप्त करना मुश्किल है ?

(5) क्या यह सत्य नहीं है कि गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा

रही है और हमारी कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है ?

(6) क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ समृद्ध लोगों को छोड़कर, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण, लोगों का जीवन स्तर कम होता जा रहा है, और 1985-86 के बजट के बाद औसतन परिवार को गुजारा करने के लिए 30 प्रतिशत अधिक व्यय करना पड़ रहा है ।

(7) एक ओर जहां केन्द्र स्वयं मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ओवरड्राफ्टों पर ही निर्भर है तो राज्य सरकारों को इसे न लेने के लिए कहना कहां तक सही है ?

(8) सरकार ने कहा है कि वे काले धन का पता लगायेगी—कैसे ?

(9) क्या यह सत्य है कि इस समय 50 हजार करोड़ रुपये का काला धन बाजार में है और यह बढ़कर कुछ ही वर्षों में 90 करोड़ रुपये हो जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है । खासकर तब जब इसी सदन में चीनी की मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा हो रही थी । जब देश की उत्पादन क्षमता घटेगी, किसान हताश होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मूल्य वृद्धि होगी ।

बिहार प्रदेश के उत्तरी इलाके में पिछले तीन सालों से सात शुगर फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हुई हैं । इस बारे में बहुत से लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है । किसानों ने जो उत्पादन किया वह फैक्ट्री को दिया । उत्तरी बिहारी की 75 प्रतिशत आबादी ईख पर निर्भर करती है । फैक्ट्री में उत्पादन देने के पश्चात् जितने बड़े मिल-मालिक हैं, जैसे···*···जिनकी पांच-छः फैक्ट्रियां चलती हैं वे सभी किसानों का पैसा लेकर भाग गए । स्थिति यह हुई कि किसानों की जो उत्पादन क्षमता थी, वह नित्य-प्रतिदिन कम होने लगी । किसान हताश हो गए कि हम उत्पादन करके क्या करेंगे, क्योंकि उत्पादन का सही मूल्य तो मिलता नहीं है । सरकार ने भी कोई कोशिश नहीं की । आपसे तो खास उम्मीद है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । हम बिहार के सीमावर्ती इलाके से आते हैं । आपके यहां कानून व्यवस्था बहुत प्रबल थी । जब आप भारत सरकार मे वित्त मंत्री के रूप में आए तो हिन्दुस्तान के आवाम को यह आशा जगी कि हम लोग काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं और आपकी सरकार विश्वनाथ के स्वरूप में लोगों को देखेगी । लेकिन सारी आशा धूमिल हो गई, क्योंकि नित्य प्रतिदिन देश में काला-बाजारी और काला धन बढ़ता जा रहा है ।

मैंने आपसे तस्करी के बारे में शिकायत की कि रक्सोलपुरा में नित्य प्रतिदिन तस्करी हो रही है । इसका अंजाम यह हुआ मैंने फोटो-स्टेट की कापी के साथ प्रमाण दिया···*···उनका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पटना से उठाकर उनको बम्बई भेज दिया गया···*···जो तस्करी में संलग्न था, जिसकी फोटो-स्टेट कापी सहित मैंने आपको प्रमाण दिया, उसने अपनी बेटी और वाइफ के नाम से···*···दस-बीस बैंकों में खाते खोल रखे हैं । हमें उम्मीद थी, आपसे न्याय मिलेगा, लेकिन उसको पटना से उठाकर बम्बई एयरपोर्ट पर पदस्थापित कर दिया गया । रक्सोलपुरा में बड़े जोरों से तस्करी हो रही है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह मूल्य वृद्धि की व्यवस्था के कारण हो रही है । हमारे पास चीनी का पिछला स्टाक था और हमारे यहां 62 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ । इसके साथ ही

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

हमने 10 लाख टन चीनी का आयात किया। इतनी चीनी होने पर भी उसमें मूल्य वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, जबकि हुई।

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि डालर के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई है—इस बात को मैं मानता हूं। पेट्रोल के आयात के परिणामस्वरूप हमें विदेशी निर्यातकों को एक सौ करोड़ रुपए अधिक देने पड़े। इसलिए सरकार को देश में पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने पड़े। यह धन उपभोक्ताओं से वसूल करना पड़ा। डीजल के भाव बढ़ने से खास कर किसान प्रभावित हुए। अगर किसान को खेती की लागत में अधिक खर्च करना पड़ेगा और उसको मिलेगा कम तो किसान हताश होगा। किसान को उसकी लागत का पूरा मूल्य मिलना चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में दो दिन से लगातार बहस हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के लिए जो सबसे पहला कदम आपने उठाया वह था—पेट्रोल, डीजल और केरोसीन के दाम बढ़ाना। आपने देखा होगा, जिस रोज से इन वस्तुओं के दाम बढ़े उसी रोज से सब जगहों पर माल-लाने-ले जाने के दाम बढ़ गये, जिसकी वजह से हर वस्तु के दाम बढ़ गये। स्पष्ट बात है जब ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर हर वस्तु पर पड़ेगा, चाहे मशीनरी हो, कपड़ा हो, खाद्यान्न हो, या कोई भी चीज हो, सब पर उसका असर पड़ेगा। आप आंकड़े देते हैं—अपने आंकड़ों को आप जानें, हम तो यह समझते हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ गई है।

आप दूध को लीजिए—सरकारी डीपो से जो दूध मिलता है उसका मूल्य कितना बढ़ गया है—एक परिवार पर 40-50 रुपये का असर पड़ा है······

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दूध पर हमने कहां टैक्स लगाया है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : टैक्स की बात नहीं है, आपकी नीति की वजह से दाम बढ़े हैं। ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े हैं, इसलिए दूध के दाम बढ़े हैं। दूध भी ट्रकों से आता है, दूसरे राज्यों से आता है, हमारे राजस्थान से आता है, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं।

इतना ही नहीं, आपने जो कीमतें बढ़ाई वह तो एक तरफ, राज्य सरकारों ने भी मनमाने टैक्स बढ़ा दिए। हमारे राजस्थान में 100 करोड़ रुपये के टैक्स बिजली पर बढ़ा दिए गए। इण्डस्ट्रीज पर बढ़े, छोटी बड़ी सब इण्डस्ट्रीज पर बढ़े, इतनी ही नहीं कंज्यूमर पर बढ़े, एग्रीकल्चरिस्ट्स पर बढ़े। हमने कहा—कम-से-कम एग्रीकल्चरिस्ट्स और कंज्यूमर को छोड़ दो, दूसरों की कोई बात नहीं है उन पर लगा दो, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। राजस्थान में साढ़े तीन करोड़ लोग रहते हैं, एक आदमी पर तीस रुपये की एवरेज आती है, इसके अलावा सेल्ज टैक्स बढ़ा, दूसरे टैक्स बढ़े। दस परसेन्ट महंगाई तो आपके बजट की वजह से आई और दस परसेन्ट राज्य सरकारों ने जो टैक्स बढ़ाये उनकी वजह से आई। आपने सोचा, चुनाव हो गए हैं, इसलिए अब आसानी से टैक्स बढ़ा दो। आपने बढ़ाये सो बढ़ाये, लेकिन राज्य सरकारें भी पीछे नहीं रहीं। किसी ने 100 करोड़ बढ़ाये, किसी ने डेढ़ सौ करोड़ बढ़ाये, हर जगह टैक्सों की भरमार हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ है कि जब हम गांवों में जाते हैं तो हमें लोगों से तरह-तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप हमको हर चीज सही दामों पर और आसानी से दिलायेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को देखिये—अभी कल-परसों ही राव साहब ने बतलाया, किस तरह से चीनी बाहर भेज दी गई। यहां पर लोगों को चीनी मिल नहीं रही है, आप राशन में 4 रु० 40 पैसे में देते हैं, लेकिन खुले बाजार में 8 रुपये किलो में मिल रही है। बाहर से चीनी मंगाकर 5 रुपये किलो में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबको नहीं मिल रही है, आम आदमी को आठ रुपये किलो में खरीदनी पड़ रही है। आज हर आदमी यह कह रहा है कि आपकी पार्टी की नीति के आधार पर हमने आपको चुनकर यहां भेजा है लेकिन आपने आते ही हम पर इतने भयंकर टैक्स लगा दिये। आप बतलाइये हम उन लोगों को क्या जवाब दें।

आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज राजीव जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पंजाब का समझौता किया, सारे हिन्दुस्तान में उनकी जयजयकार हो रही है। वित्त मंत्री जी आप भी कुछ इस तरह से काम कीजिए जिससे जनता को कुछ सहूलियत मिल सके और उसको यह कहने का मौका मिल सके कि आपने भी कुछ काम किया है। एक भाई कह रहे थे कि कपड़े के दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि कोई चीज बाकी नहीं रही है जिसकी कीमत न बढ़ी हो। हर चीज की कीमत बढ़ी है। आप गांवों के अन्दर जा करके देखिये कि लोग क्या सोचते हैं। माननीय मंत्री महोदय आज हमारी हालत किस तरीके से खराब है उसका अन्दाजा आप अपने आंकड़ों से नहीं लगा सकते हैं। हमारी हालत आज यह नहीं है कि हम लोगों को जाकर कह सकें कि स्थिति अच्छी है। मंत्री जी आप इन चीजों पर ध्यान दें। मैं तो आपसे कहूंगा कि बेशक आप काला-बाजारियों, चोर-बाजारियों और बड़े-बड़े व्यापारियों को इकट्ठा करके जेल में रख दें ताकि सारा देश ठीक हो सके।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मेरे मित्रों ने जो बातें कही हैं, मैं उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के लिए कुछ एक ऐसे कारण भी हैं जोकि अब पैदा हो रहे हैं। ऐसा ही एक कारण रेजगारी की कमी है। मैं नहीं जानता कि रेजगारी की कमी व आम आदमी को सामान खरीदने के लिए छोटे सिक्के न मिल पाने के कारण, मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। अगर किसी वस्तु की कीमत 75 पैसे है और उपभोक्ता यदि एक रुपये का नोट देता है तो दुकानदार उसे बकाया पैसे नहीं देता। इससे मूल्यों में सीधे वृद्धि होती है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है। रेजगारी की भारी कमी है और इससे भी मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि हुई है, इसी कमी की वजह से जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, उन्होंने जानबूझकर ऐसी वृद्धि की है।

हमारे देश में कृषि उत्पादन इतना कम नहीं है कि आम लोगों की आवश्यकताएं पूरी न हो सकें। लेकिन विडम्बना यह है कि हमारे देश में केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या देश के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हड़प कर जाती है, अंततः इससे भी मूल्य वृद्धि होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उत्पादन और वितरण में, कृत्रिम कमी पैदा की जाती है। इसके अलावा एकाधिकारिक प्रवृत्तियों से भी मूल्य वृद्धि होती है।

मैं आपका ध्यान महंगाई बढ़ाने वाली एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करता हूं। हमारे देश में पैसा बनाने का देशी तरीका है। हमारे देश में एक ऐसी प्रथा प्रचलित है जिसमें एक रुपये पर एक पैसा प्रतिदिन ब्याज पर रुपया उधार दिया जाता है। यह शर्त ऋणदाता लगाता है। मिसाल के तौर पर यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन एक पैसा ब्याज पर सौ पैसे उधार दे तो एक वर्ष का

ब्याज 365 पैसे बनेगा। इस प्रकार देश के प्रत्येक भाग में प्रचलित इस तरीके से धन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? इस प्रथा से देश में कितनी मुद्रा स्फीति होती है आपने इस पहलू का अध्ययन किया है या नहीं, मैं नहीं जानता।

मुद्रा प्रसार के इस ढंग का मुख्यत: निश्चित आय वर्ग की क्रय शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कारखाने में या कार्यालय में कार्यरत निश्चित आय पाने वाला एक व्यक्ति इन देशी साहूकारों से इसलिए ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि उसकी मजदूरी में वृद्धि महंगाई के अनुपात में नहीं होती। धन कमाने के इस तरीके को जब तक समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं निकाला जाता तब तक महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी और लोग कठिनाई का सामना करते रहेंगे। इसलिए मंत्री महोदय को चाहिए कि जिन पहलुओं का मैंने उल्लेख किया है वह उन पर विशेष ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस पर बोलते हुए तफ्सील में नहीं जाऊंगा लेकिन दो-चार बातें जरूर कहना चाहूंगा।

असली बात मैं यह सोचता हूं कि जो होर्डर्स हैं, जो ब्लेक मार्किटियर्स हैं, या सोसायटी में इस तरह की दूसरी ताकतें हैं, सरकार जब तक उनका मुकाबला नहीं करेगी तब तक इस तरह के सवाल हल नहीं हो सकेंगे। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले सरकार के पास विल होनी चाहिए, तभी इनका मुकाबला किया जा सकेगा।

हमने मेम्बराने पार्लियामेंट ने जैसा कि कहा कि हमारे मुल्क में 50 हजार करोड़ रु० से ज्यादा ब्लेक मनी के तौर पर पैदा हुए हैं और ब्लेक मनी की एक पेरेलल इकोनोमी इस मुल्क में चलाई जा रही है। जब तक इन तिजारों को, मुनाफाखोरों को, बड़े सरमाएदारों को रोका नहीं जाएगा, तब तक हालत ठीक नहीं हो सकती। इनको रोकने के लिए ताकत चाहिए। मोहतरम मिनिस्टर साहब की खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी मुसीबत का आगाज इलेक्शन से शुरू होता है। इलेक्शन में पोलिटिकल पार्टीज सरमाएदारों से, कारखानेदारों से, होर्डर्स से, मिल-ओनर्स से करोड़ों रुपया लेती हैं और उसमें रूलिंग पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। इस पैसे के जोर पर इलेक्शन लड़ा जाता है। अपोजीशन पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो करप्ट रिजीम हैं, वे जहां भी हों, उनको सरकार सबसे पहले देखे। जिन रियासतों में करप्शन पाया जा रहा है, उसको मिटाना चाहिए। जहां पर चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको रोकना हमारा फर्ज है। हमारी अपनी रियासत में सबसे ज्यादा प्राइस-राइस हो रहा है और हम लोग बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में···**··· को हमारे सिर पर बिठा दिया गया है और कांग्रेस पार्टी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आज वे भी यह मान रहे हैं कि कहां का···**···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है। उन्हें अब अपना भाषण खतम करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों को सहूलियत नहीं दी जा रही है। करोड़ों, अरबों रुपया सरकार को टैक्सेस के रूप में मिल रहा है, लेकिन उसका फायदा बराबर-बराबर कैपिटलिस्ट्स को और गरीब आदमी को जा रहा है। सरकार को गरीब आदमी को प्रायरिटी देनी चाहिए। आपका उद्देश्य सोशलिज्म है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीब आदमी को प्रायरिटी दीजिए और हमारे यहां बीस सूत्रीय कार्यक्रम की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

[شری عبدالرشید کابلی (سرینگر)] :- ڈپٹی اسپیکر صاحب میں بزنس پر بولتے ہوئے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن دو چار باتیں ضرور کہنا چاہوں گا۔

اصلی بات میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہورڈرس ہیں، جو بلیک مارکیٹرس ہیں یا سوسائٹی میں اِس طرح کی دوسری طاقتیں ہیں، سرکار جب تک اُن کا مقابلہ نہیں کریگی تب تک اس طرح کے سوال حل نہیں ہو سکیں گے۔ اُن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے سب سے پہلے سرکار کے پاس ول ہونی چاہیئے، تبھی اُن کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔

ہمارے ممبرانِ پارلیمینٹ نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے ملک میں ۵۰ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ بلیک منی کے طور پر پیدا ہوئے ہیں، اور بلیک منی کی ایک پیرلیل ایکونومی اس ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ جب تک ان تاجروں کو منافع خوروں کو بڑے سرمایہ داروں کو روکا نہیں جائے گا، تب تک حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ان کو روکنے کے لئے طاقت چاہیئے۔ محترم منسٹر صاحب کی خدمت میں مَیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مصیبت کا آغاز الیکشن سے شروع ہوتا ہے۔ الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز سرمایہ داروں سے، کارخانے داروں سے، ہورڈرس سے، مِل اونرس سے کروڑوں روپے لیتی ہے، اور اسمیں رُولنگ پارٹی چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اِس لئے اُس کی ذمّے داری سب سے زیادہ ہے اِس پیسے کے زور پر الیکشن لڑا جاتا ہے۔ اپوزیشن پارٹی بھی اِسمیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن حکمراں پارٹی اُس کے لئے سب سے زیادہ ذمّہ دار ہے۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرپٹ رجیم ہیں، وہ جہاں بھی ہوں اس کو سرکار سب سے پہلے دیکھے۔ جن ریاستوں میں کرپشن پایا جا رہا ہے اُسکو مٹانا چاہیئے۔

جہاں پر چیف منسٹر بھرشٹاچار کر رہے ہیں، انکو روکنا ہمارا فرض ہے۔ ہماری اپنی ریاست میں سب سے زیادہ پرائس رائز ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بڑی مصیبت سے گذر رہے ہیں جموں کشمیر میں.. ** ..... کو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا ہے، اور کانگریس پارٹی کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیئے آج وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ کہاں کا ** .....

Mr. Deputy Speaker : This will not go on record.

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member's time is over. He should conclude now.

لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیس سوتری کاریہ کرم کے انترگت غریبوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ سرکار کو ٹیکس کے روپ میں مل رہا ہے لیکن اسکا فائدہ برابر برابر کیپٹلسٹس کو اور غریب آدمی کو جا رہا ہے۔ سرکار کو غریب آدمی کو پرائیورٹی دینی چاہیئے۔ آپکا آدیش سوشلزم ہے اِس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غریب آدمی کو پرائیورٹی دیجئے اور ہمارے یہاں ۲۰ سوتری کاریہ کرم کی اور زیادہ دھیان دینا چاہیئے۔]

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए चन्द मिनट का समय दिया है। मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लिखित रूप में दिया था कि "मैं दो मिनट का समय चाहता हूं।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल सभा के विचारार्थ एक बात रखना चाहता था कि हमें वृक्षों के कारण वन को नहीं भूलना चाहिए। अब यही हो रहा है। सारी सभा इसकी निन्दा कर रही है। मूल्यों में भारी वृद्धि का कारण, चाहे वह इसे स्वीकार न करें, मेरी राय में इस सरकार की नई वित्तीय और आर्थिक नीतियां तथा नया बजट है। यहां बैठे सभी लोग, सभी सदस्य सरकार से उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं, जिन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वह कटिबद्ध हैं। यह कैसे हो सकता है? यह जो कुछ हो रहा है उसको मापने का एक ही पैमाना शेयर बाजार है। मंत्री महोदय जानते हैं कि शेयर बाजार में अभूतपूर्व तेजी आई है। ऐसी तेजी पहले कभी नहीं आई थी और यह एक निश्चित संकेत है, एक पैमाना है, मुद्रा स्फीति (अर्थात उच्च लाभ) अत्यन्त तीव्र गति से हो रही है। इस महंगाई और मुद्रास्फीति से सभी प्रभावित नहीं हैं। केवल कम आय वर्ग वाले या बिना आय वर्ग वाले सामान्य नागरिक ही कष्ट उठा रहे हैं। परन्तु एक ऐसा वर्ग—बड़े

**Not recorded.

व्यवसाय गृह, एकाधिकारी आदि भी हैं—जो सुखी हैं। वे इससे प्रसन्न हैं और इसका पता शेयर बाजार से चलता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि एक बार अब आपने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी कि सरकार यथासंभव सभी नियन्त्रण प्रतिबन्ध और सब कुछ हटाना चाहती है। और सरकार ने ऐसा कर भी दिया है। निगमित क्षेत्र के करों में भारी कमी की गई है और उन्होंने इनमें और कमी का वायदा किया है। मेरे विचार में किसी भी वित्त मंत्री ने पहले से ही अगले वर्ष के लिए यह घोषणा नहीं की होगी कि वह निगमित करों में और कमी करेंगे। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जिसमें कीमतों में वृद्धि अनिवार्य है। इसका केवल एक कारण है कि कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा, कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। हमने एक व्यावहारिक नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया है। यह नीति उन वर्गों की सहायता करती है जिनको दबाने का अनुरोध मेरे मित्र उन्हीं से कर रहे हैं, यह एक विरोधाभास है। यह कैसे किया जा सकता है? अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि धूम्रपान करते हैं या नहीं······(**व्यवधान**) माचिसों की कीमत में भी वृद्धि की गई है चाहे वह कानूनी है या गैर-कानूनी। किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। इस माचिस की कीमत अब बढ़कर 30 पैसे हो गई है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, वह सभा में विस्फोटक चीज लाए हैं।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आप धूम्रपान त्यागने का प्रयास कर सकते हैं परन्तु माचिसों का इस्तेमाल केवल धूम्रपान करने वाले नहीं करते, धूम्रपान न करने वाले भी करते हैं। माचिसों की कीमत कुछ दिन पहले 20 पैसे थी और उससे पहले कभी 10 पैसे थी और अब यह बढ़कर 30 पैसे हो गई है। मैंने एक दुकानदार पान-बीड़ी वाले छोटे से दुकानदार से पूछा कि वह तीस पैसे क्यों ले रहा है? उसने कहा क्या माचिस पर कहीं कुछ लिखा है? उसने कहा :

[हिन्दी]

नहीं-नहीं, अब ठीक हो गया। आपको तीस पैसे देने पड़ेंगे। लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए।

[अनुवाद]

मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि यह एक प्रकार की मानसिकता बन गई है और इसका स्रोत ऊपर है। कुछ माह पूर्व ही नए बजट पर मुद्रास्फीति दबाव बढ़ा है, जिसके कारण सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और यदि इस नीति का पालन किया जाता रहा तो भविष्य में भी कीमतें बढ़ती रहेंगी। शासक दल के सदस्यों को बढ़ती कीमतों का अहसास हो रहा है परन्तु पहले उन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजट का बड़े जोश से समर्थन किया था, परन्तु ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। एक दूसरे का अनुसरण कर रहा है। अतः अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार की इस बुनियादी नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता, और मेरे विचार में वे करेंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें कोई जल्दी नहीं है वे तो व्यापारी वर्ग को, उद्योगपतियों को, और निजी क्षेत्र को पूरा अवसर देना चाहते हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि उत्पादन बढ़ाने में सरकार से सहयोग कर रहे हैं, तो कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। वास्तव में, उन्होंने

अब तक कुछ नहीं किया है और मेरे विचार में कुछ करेंगे भी नहीं। परन्तु इस देश का आम आदमी तब तक कठिनाइयों का सामना करता रहेगा, कष्ट उठाता रहेगा जब तक इनके मुख्य स्रोत में अर्थात नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता। मैं यही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, इसमें विरोधाभास है। कल वे इस महंगाई का विरोध कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया बैठ जाइये।

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कुछ पैरे पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो इसी सभा में बोले गए हैं :

"अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने समय-समय पर पिछले कुछ महीनों में हुई मूल्य वृद्धि के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यह खुशी की बात है कि इस वर्ष वृद्धि की दर पिछले चार वर्षों के किसी भी वर्ष की अपेक्षा कम रही है। फिर भी, कुछ वस्तुओं की कीमतों में, विशेष रूप से चावल, दालें, खंडसारी, गुड़, फल और सब्जियों तथा चाय की कीमतों में इस दौरान काफी वृद्धि हुई है।"

यह इस वर्ष की कार्यवाही में से नहीं है। यह 1983 की कार्यवाही में से है और यह मेरे योग्य पूर्व मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण है।

इसी सभा में 1984 में उन्होंने अपने विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किए थे :—

"कीमतों का आम आदमी पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतः मैं मूल्य वृद्धि के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमति प्रकट करता हूं और इस विषय पर चर्चा के इस अवसर का स्वागत करता हूं। मूल्यों में मौसमी वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1979-80 में मई से जून तक तीन महीनों में थोक मूल्यों में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हुई, 1980-81 में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, 1981-82 में 4.2 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1982-83 में 6.1 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 1983-84 में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई।"

"जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनमें दालों, आलू, मछली, काफी, गुड़ तथा कुछ अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।"

महोदय, मेरे विचार में सभी वित्त मंत्रियों की यही नियति रही है। ये उनके शब्द थे मेरे नहीं। ऐसा लगता है कि निरन्तर……

प्रो० मधु दण्डवते : आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी वित्त मंत्री असफल रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दण्डवते जी केवल वित्त मंत्री पर निर्भर करते हैं। आप देखिए 1979-80 में क्या हुआ। उन्होंने 1977 और 1979 के बीच के आंकड़े उद्धृत किए हैं और कहा है कि मुद्रास्फीति उस समय 2.5% थी। मैं नही जानता कि 1978 के आंकड़े कैसे सच्चे हो गए और वर्तमान आंकड़े कैसे झूठे हैं। आप जानते हैं कि ये आंकड़े उसी तन्त्र ने उपलब्ध कराए हैं जिसने आपको कराए थे। परन्तु दण्डवते जी के लिए वह समय सच्चाई का समय था

और अब झूठ का है। मैं नहीं जानता कि उनका विश्वास इतनी जल्दी कैसे बदल गया। क्या मैं यह निवेदन······

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री जी, आपके तर्क इस पर आधारित होंगे, यह मैं जानता हूं। क्या आप मुझे आधे मिनट का समय देंगे ?

मैंने यह नहीं कहा कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, वे गलत हैं। मैंने तो यह कहा है कि यदि आप कुछ सप्ताह या कुछ महीनों की प्रवृति को आधार बनाएंगे और उससे वर्ष भर के लिए सामान्य निष्कर्ष निकालेंगे तो आपके गलत दिशा में जाने की संभावना है। जिस प्रकार एक सप्ताह या दो सप्ताह कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहने पर आप वर्ष भर के लिए ऐसी उम्मीद लगा लें तो यह गलत होगा और इसके बिगड़ने की संभावना है। मैंने यह नहीं कहा कि आपके आंकड़े गलत हैं। परन्तु यदि आप एक अल्प अवधि के आंकड़े लेंगे तो उससे देश की आम स्थिति स्पष्ट नहीं होगी क्योंकि हमें केवल तीन महीने नहीं बल्कि पूरा साल गुजारा करना है। यह हमारा दुर्भाग्य है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं दण्डवते जी को बधाई देता हूं। कम से कम उन्होंने पहले वाक्य में तो यह माना है कि मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं। वह कम से कम मेरे आंकड़ों को तो सही मानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तो आरम्भ से ही उन्हें सही माना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने कहा है कि हमने एक अल्पावधि के आंकड़े लिए हैं और उन्होंने मेरे प्रेम पत्र का उल्लेख किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : सामूहिक रूप से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि प्रेमी द्वारा लिखे गए पत्र को सही ढंग से न पढ़ा जाए तो प्रेम दुर्भाग्यवश असफल हो जाता है। प्रो० दण्डवते ने भी यही किया है। अर्थात पूरे वर्ष की औसत मुद्रास्फीति दर तो दी गई है। यदि मैं दीर्घ अवधि को भी लेना चाहूं तो वह भी तीन महीने होगी क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष के अभी तीन महीने ही गुजरे हैं और मैं इन्हें खींच-खांच कर छः महीने नहीं बना सकता। परन्तु, जैसा कि आपने कहा है, मेरे पास मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के आंकड़े भी हैं और यदि मैं जुलाई, 1985 को समाप्त होने वाले 12 महीनों को लूं तो मुद्रास्फीति की दर छः प्रतिशत से कम या छः प्रतिशत है। इसलिए हमने इस अवधि के आंकड़े लिए हैं। परन्तु मैं इसकी तकनीकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा।

कल कृष्णा अय्यर जी ने पूछा था जब अधिकारियों द्वारा ये आंकड़े दिए जाते हैं तो मंत्री जी अपने अधिकारियों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दिए जाते। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम मंत्रालय देता है। थोक मूल्य सूचकांक उद्योग मंत्रालय देता है। खुदरा मूल्य कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। परन्तु प्रश्न मेरे विश्वास करने का नहीं है। जहां तक महंगाई भत्ते के आंकड़ों का संबंध है, इस देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और आप भी जब उनकी ओर से महंगाई भत्ता देने की मांग करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दिए गए आंकड़ों पर विश्वास किया जाता है। आप तथ्य जानते हैं। मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं।

3.00 म० प०

उनके द्वारा ही टाइप किए जाते हैं। आप कहते हैं उनमें धोखाधड़ी होती है, परन्तु यह एक निरर्थक बात है। मुझे इस पर वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रो० मधु दण्डवते इससे सहमत नहीं हैं। वास्तव में न तो हमारी तरफ से किसी ने और ना ही उस तरफ से किसी ने इन्हें सही माना है, हम इन्हें सारहीन मान लेते हैं। मैं इन्हें डाल नहीं बनाऊंगा न ही इनके आधार पर राजनीतिक आक्षेप लगाए जाने चाहिए। हम जानते हैं कि और भी कई पद बीच में आ जाते हैं और आप तो सरकार में रहे हैं। उस ओर बैठे सदस्य, सरकार में रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारा जीवन सार्वजनिक है। सार्वजनिक जीवन में हमें सच्चाई को और सही स्थिति को सामने रखना चाहिए। ग्राफ हल के रूप में नहीं दिए जाते बल्कि विश्लेषण के लिए दिए जाते हैं। परन्तु जब यह कहा जाता है कि इन आंकड़ों से सही स्थिति प्रकट नहीं होती है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आंकड़ों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाता। आंकड़े सही होते हैं। परन्तु आंकड़ों की एक सीमा होती है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जो कुछ परिलक्षित होता है उसकी एक सीमा है। ये संकलित संकेत हैं। इनसे केवल सूक्ष्म स्तर का पता चलता है। परन्तु जब ये पारिवारिक बजट के सूक्ष्म स्तर पर आते हैं तो ये संगत नहीं होते। यह पारिवारिक बजट के अनुरूप है। इस ओर से और उस ओर से काफी आलोचना की गई है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है परन्तु इनमें एक आंशिक अन्तर हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कुछ वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है। हो सकता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक सामान्य ही रहे। समाज के दोनों वर्गों को कठिनाई हो सकती है। चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। जूट के मूल्य सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु जूट उत्पादकों और चीनी उपभोक्ताओं दोनों को कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में हम सूक्ष्म स्तर पर आते हैं। मैं थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हूं। हमें चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्य सूचकांक को देखना होगा क्योंकि परिवार के लिए व्यक्ति सामान थोक नहीं खरीदता। वह कुछ वस्तुएं ही खरीदता है। यदि उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है तो हमारे लिए यह उचित होगा कि हम इसकी जांच करें और कार्यवाही करें, मैं इस प्रकार की कुछ गलत धारणाओं को स्पष्ट करना चाहता हूं। ग्राफ हल के रूप में नहीं दिया गया है बल्कि निदान के लिए दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे निरर्थक हैं। जब आप मुद्रा प्रसार के प्रभाव का करों के प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं अथवा यह आपत्ति करते हैं कि किसी वस्तु विशेष के मामले में यह कभी नहीं हुई है तो उस समय ये उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार यदि आप इन कारकों का इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में विश्लेषण करें तो इस अर्थ में यह मामला संगत बन जाता है। क्या इन मामलों ने मूल्यों पर सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ा है, इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

आम आदमी को जो चीज सर्वाधिक प्रभावित करती है, वह है अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य और हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। यही वह भावना है जिसके साथ मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कल हंसराज जी ने कहा—आंकड़ों से पेट नहीं भरता, उन्होंने सही कहा है। टैम्परेचर चार्ट

जो है, उसको देख लेने से टैम्परेचर नहीं उतरेगा। टैम्परेचर चार्ट तो खाली रोग का निदान है कि मलेरिया है या टाइफाइड है। अगर वह निदान आप नहीं करेंगे, तो टाइफाइड वाले को कुनेन दे देंगे और मलेरिया वाले को क्लोरोमाइसिटीन दे देंगे।

तो इन आंकड़ों या ग्राफ की इतनी ही उपयोगिता है कि हम उसका सही निदान करें, उसको समझें। मरीज को तो मतलब खाली बुखार उतर जाने से है।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : टैम्परेचर से यह पता नहीं लग सकता है कि मेलेरिया है या टाईफायड है। यह तो ब्लड एम्जामिनेशन से ही पता लग सकता है। आंकड़े जो आप दे रहे हैं लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि सस्ते भाव पर सामान मिलेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कहां कह रहा हूं कि आप विश्वास कीजिए। यह तो आप अपनी ओर से कह रहे हैं। मै तो कह रहा हूं कि जहां तक कामन मैन का सवाल है, मरीज का सवाल है वह तो खाली कहता है कि बुखार उतार दीजिए। आप एक्सरे लेते हैं या क्या करते हैं, इससे उसको मतलब नहीं है।

डा० गौरीशंकर राजहंस : हम तो इसमें इन्टरेस्टेड हैं कि दाम कम हों।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसमें हम लोग एक साथ हैं, न इधर हैं न उधर हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक आप खून में से रोगाणुओं को खत्म नहीं करेंगे तब तक बुखार नीचे कैसे आ सकता है ?

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पहले सामान का भाव उतारो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बजट पर बोलते समय मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा, अभी नहीं।

फुटकर मूल्यों पर आता हूं। मैंने माननीय सदस्यों को विभिन्न मूल्यों सम्बन्धी एक अखिल भारतीय अध्ययन प्रस्तुत किया है क्योंकि वाद विवाद सामान्यत: थोक बिक्री मूल्य सूचकांक पर है लेकिन इसमें सभी मदों को ले लिया जाता है। आप परिशिष्ट 'ई' में दस्तावेज देखेंगे; यह देश के विभिन्न भागों से है और चावल, गेहूं, चीनी नारियल का तेल आदि जैसी विशेष मदों के बारे में है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप किन पत्रों का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे सदन के पटल पर रख दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों को यह मिल गया है···

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, हमने प्राप्त कर लिये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आय फुटकर मूल्य देखें तो चावल के मामले में गत वर्ष की तुलना में बहुत थोड़ी-सी वृद्धि हुई है, खरीफ के मौसम में नई फसल के आने से पहले हमेशा कुछ वृद्धि होती है गेहूं के मूल्य इतने ही हैं जितने कि पिछले वर्ष थे चीनी के मूल्य बढ़े हैं, गुड़ की कीमत बढ़ी है। मूंगफली के तेल के मूल्य न्यूनाधिक रूप से गत वर्ष जितने ही रहे हैं। चने के मूल्य बढ़े हैं। अन्य दालों की कीमत गत वर्ष की ही तरह रही। आलू के मूल्य बढ़े हैं परन्तु गत वर्ष की तुलना में प्याज के मूल्य कुछ कम हुए हैं। मांस की कीमत बढ़ी है और मछली के मूल्य भी बढ़े हैं लेकिन यह सामान्य लोगों का आहार नहीं है।...

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : मछली छोड़कर तो हमारा काम चलता ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मांस सामान्य लोगों का आहार नहीं है...

एक माननीय सदस्य : जी नहीं। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। मांस के मूल्य बढ़े हैं । परन्तु कपड़े के मूल्य थोड़े परिवर्तन के साथ गत वर्ष की तरह ही रहे। यह स्थिति पूरी तरह से विश्वसनीय है।

कल श्री वी० सी० जैन ने तीन मदें अर्थात चीनी, सब्जियों और दालों को दोषी के रूप में बहुत सही ढंग से पेश किया।

एक माननीय सदस्य : मिर्च भी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : देश भर में हजारों वस्तुएं है । आप किसी न किसी वस्तु को ले सकते हैं।

मूल रूप से जो बात श्री वी० सी० जैन ने बताई थी......

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : इस भाव पर सामान मिलेगा भी ? यहां दाल 8 रुपए से कम नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राइस बासमती खाइए तो उस रेट पर नहीं मिलेगा जिस रेट पर लिखा है। रेट कामन आदमी के लिए लिखा है।

[अनुवाद]

अत: यह सामान्य बात है। आगे भी विश्लेषण किया गया है। हम सहमत हैं कि फलों, सब्जियों, चीनी और खण्डसारी में जो वृद्धि हुई है उससे थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है । यदि आप अनुबन्ध-ग देखें तो फलों और सब्जियों के मूल्यों के कारण इसमें 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खण्डसारी के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से 71 प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि चीनी और सब्जियों के मूल्य पर बजट नीति या दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है। यह एक गैर बजट वस्तु है। अब चीनी पर

आते है। यहां बजट के लागू किये जाने के कारण मूल्य में वृद्धि हो सकती है। यह कृषि सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हो सकती है। यह मुनाफाखोरी के कारण हो सकती है। वितरण प्रक्रिया में रुकावट सप्लाई की कमी के कारण भी हो सकती है। इसके विभिन्न पहलू हैं । जहां तक चीनी का सम्बन्ध है इसमें मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण इसकी खपत और सप्लाई के बीच का अन्तर है। हमने 80 लाख टन से ऊपर उत्पादन स्तर प्राप्त किया है। अब यह 80 लाख टन से ऊपर उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसकी खपत 80 लाख टन से ऊपर हो गई है। 20 लाख टन चीनी का अन्तर है। यह मूल्य का मुख्य प्रभावकारी भाग है और जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, इसके मूल्यों के बारे में स्थिति यह है।

सब्जियों के मूल्यों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि अधिकांशत : मौसम के कारण है। यदि आप अनुबन्ध 'ख' को देखें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 24 प्रतिशत; 30 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 37 प्रतिशत और पिछले वर्ष 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा, यदि आप इसे मौसमी वृद्धि नहीं कहते तो मैं इस पर शर्त लगाने को तैयार हूं, जब अक्तूबर का महीना आएगा तब देखना। यदि आप कुल मूल्य स्तर नहीं लेना चाहते तो उस समय यह मत कहना कि इसमें मौसम के कारण गिरावट आई है। परन्तु मूल रूप से यही मुद्दा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह और अधिक संगत है। हमें तीन काम करने होंगे—सप्लाई बढ़ानी होगी, वितरण व्यवस्था सुधारनी होगी और जमाखोरी को रोकना होगा। जहां भी नियमित रूप से मुनाफाखोरी है, उसे रोकना होगा। अब हमें यह देखना है कि इसे किस तरह स्वीकृति मिलती है। चीनी की सप्लाई में वृद्धि की जा सकती है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास स्टाक हो, हमें इसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सप्लाई को बढ़ाने की कोई समस्या नहीं है। यह अल्प समय की समस्या है। लम्बे समय में इसका हल किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ समस्याएं है। राज्यों से माल उठाने की स्थिति में सुधार हुआ है। जुलाई महीने के लिए 1,25,000 टन का आबंटन था । उन्होंने पहले से ही 46,000 टन को उठा लिया है। इस स्थिति में सुधार हो रहा है।

अब मैं जमाखोरी के रोकने पर आता हूं। यह वह क्षेत्र है जहां बड़े स्तर पर कर की चोरी की जाती है। यह निश्चित है कि हम इस पर सावधानी बरत सकते हैं। परन्तु मूल रूप से यह अनिवार्य वस्तु अधिनियम है । खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और जो राज्य के साथ समन्वय रखता है। वे कार्यवाही करते हैं।

हम अल्प समय में सब्जियों की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं। पूरे देश में सब्जियों को एक रात या 15 दिनों में उगाया नहीं जा सकता। जहां तक सब्जियों का सम्बन्ध है इसकी जमाखोरी सम्भव नहीं है। सब्जियों की लम्बे समय तक जमाखोरी नहीं की जा सकती :

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उत्पादकों को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चीजें अधिक समय तक नहीं रहती हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अल्पकालिक नीति है। मैं कह रहा हूं कि आप 15 या 20 दिनों में और अधिक नहीं उगा सकते । यहां, विवरण की प्रणाली में बाजार की प्रतिस्पर्धा का विकल्प होना चाहिए जहां आपको सुविधाएं मिली हों ताकि आप उत्पादन बढ़ाएं और कम दामों पर इसे बेचें। हम इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं।

जब हम चीनी पर आते हैं तब पूरे विश्लेषण आदि का प्रश्न दूर चला जाता है। हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हमने निर्णय लिया है कि आयातित चीनी के मूल्य को राज्य सरकारों द्वारा 5.40 रुपए से 5.20 रुपए तक घटाया जाये। राज्य सरकारें मौजूदा 6 रु० प्रति किलो के स्थान पर 5.00 रुपए से कम कीमत पर आयातित चीनी को खुले बाजार में बेचेंगी। आयातित चीनी में इसी प्रकार की छूट को एफ० सी० आई० द्वारा नीलामी में दी जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप किस कीमत पर चीनी का आयात कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 50 हजार टन की अतिरिक्त आयातित चीनी को अगस्त के महीने में लेवी चीनी के रूप में पहले से ही उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक परिवार को 4.40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अधिक चीनी मिलेगी। खाद्य मंत्री ने निर्बाध बिक्री के लिए 50 हजार टन स्वदेशी चीनी देने का विचार किया है। इस प्रकार अगस्त महीने में निर्बाध बिक्री के लिए चीनी कुल 4 लाख टन तक कर दी गई है। हम इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।

कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रश्न यह है कि आपको चीज किस कीमत पर मिलती है और आप किस कीमत पर बेचते हैं ? 4.40 रुपये लेवी मूल्य है जिसे हमने उत्पादकों के लिए गन्ने की लागत के आधार पर आंका है। अगले वर्ष क्या आप इसे इसकी सीमा से नीचे रखना चाहते हैं जिससे उत्पादक को नुकसान होगा ? यह एक मुद्दा है, इस पर हमें भावी मूल्य नीति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

क्या मैं पूछ सकता हूं, यदि आप गेहूं के मूल्य पर वृद्धि अर्थात् भारतीय खाद्य निगम के निर्गम मूल्य के बाद जो मूल्य बढ़ा है उसे देखेंगे तो आप यह पायेंगे कि यह कर्नाटक में 28 रुपए बढ़ा है। यह देश में करीब सबसे अधिक बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में 24 रु० बढ़ा है······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसके बाद ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह भारतीय खाद्य निगम के मूल्य के अलावा है जो 172 रुपए है। लेकिन पश्चिम बंगाल में गेहूं पर 172 रुपए पर बढ़ोतरी 24 रुपए हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह इतनी अधिक क्यों है ? यह सबसे अधिक है। कर्नाटक में यह 28 रुपए है। हमें इन पर विस्तार में नहीं जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आप वस्तु कहां देते हैं ? इसके बाद परिवहन तथा रखरखाव खर्चे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अन्य राज्यों में भी हैं जहां बहुत कम दाम बढ़े हैं। ये मैदानी राज्य हैं न कि पहाड़ी क्षेत्र।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : यह बहुत अधिक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केरल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लेकिन हमें इन वस्तुओं के बारे में दीर्घकालिक दृष्टि से देखना है। इसके बाद अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के बीच विवाद है। उदाहरण के लिए चीनी का आयात करके चीनी के मूल्य को कम किया जा सकता है। हम इसका हल कर सकते

हैं क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। यह पूरी तस्वीर है जिसे हमें ध्यान में रखना है—गन्ना उत्पादकों का मूल्य, चीनी का मूल्य, इसका आधुनिकीकरण और कई मुद्दों पर नजर डालनी होगी और यह लम्बे समय के लिए समाधान है। दूसरा उदाहरण खाद्य तेल का है। मूल्यों को हमें नीचे करना होता है परन्तु उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए और जैसा कृषि मन्त्री जी ने भी कहा है कि उत्पादक के लिए थोड़ा अधिक मूल्य रखना होता है और कुछ समय के बाद मूल्य सूचकांक बढ़ सकता है। इसके द्वारा उत्पादक को कुछ अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और लम्बे समय की समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी-कभी इसका राजनीतिकरण हो जाता है और कई उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन हमें उस पर संतुलन रखना होगा और अल्पकालिक तक दीर्घकालीन पहलुओं पर नजर रखनी होती है।

चोरबाजारी के विरुद्ध उठाए गए कदमों के बारे में इन्द्रजीत गुप्त जी ने अभी कहा है कि इसे रोकने के लिये हममें दृढ़ इच्छा की कमी है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष पकड़े गये निषिद्ध माल की मात्रा पिछले वर्ष पकड़े गये माल की 3 गुना है। 101 करोड़ रुपए के मूल्य का माल पकड़ा गया है। इस वर्ष 30 करोड़ रुपए मूल्य का सोना पकड़ा गया जबकि पिछले वर्ष यह केवल 10 करोड़ रुपए था। केवल यही नहीं, हमने हाल ही में 'आप्रेशन केतु' भी चलाया था जहां विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले लोगों को, जो अवर और अत्याधिक बीजक बनाने में लगे हुए थे, पकड़ा गया था। वे ऐसे क्षेत्र में सामान भेजते थे जहां उसे भेजने पर प्रतिबन्ध था और एक बड़ी कार्रवाई की गई थी तथा कई करोड़ रुपयों की अवैध राशि के साथ इन सभी को पकड़ा गया था। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम ढीले नहीं हो रहे हैं। हम कानूनों को बना रहे हैं और हम इस सदन में आएंगे तथा उसके जो कमियां हैं, उन्हें दूर करेंगे। हम एक राजस्व आसूचना विभाग बना रहे हैं और इसमें कोई ढिलाई नहीं होने जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : काला धन 37,000 करोड़ रुपए तक हो गया है, हमें बताइए कि इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : **थोड़ा टेम्परेचर कू उतारिए न ?**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात नहीं है कि यह अभी बढ़ा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि काला धन है। विभिन्न उपाय किये जायेंगे। आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक स्तर पर भी हमें इससे जूझना पड़ेगा। (**व्यवधान**) चौबे जी छिप कर काम करने वाले राजनैतिक कदाचारियों को आप मुझसे अधिक अच्छा जानते होंगे।

[**हिन्दी**]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कितने लोगों को आपने जेल भेजा है ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, इस वर्ष 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 60% अधिक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितनों पर मुकदमे चलाए गए या दोषी ठहराया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कोफेपोसा के अन्तर्गत हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को जेलों में बन्द किया है।

अब हम पैसा पानी की तरह बहाये जाने के पूर्ण रूप से प्रभाव तथा कर लगाने पर आ रहे हैं। मुद्रा स्फीति की दर पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। यह थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में वृद्धि की बात है। आपके पास अनुबंध 'ख' है। यहां जैसा कि प्रो० दंडवते ने कहा कि यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे के अनुरूप नहीं है बल्कि यह वित्तीय वर्ष के तीन महीनों की अवधि में थोक विक्री मूल्य सूचकांक में बढ़ने की बात है। वह प्रतिशत सबसे कम है। यदि हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें, अर्थात अनुबन्ध 'क', जनवरी से मार्च के महीनों में वर्ष 1980 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—1 था; 1981 में +12; 1982 में —3; 1983 में +5; 1984 में —1 और 1985 में—2 था। अतः यह उसी क्रम में है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनुबन्ध 'क' अप्रैल से जून, 1980 (यह प्वाइंटों में है) +13, 1981 में+19, 1982 में+13, 1983 में+31, 1984 में+16 और 1985 के अप्रैल-मई में+14 है। यह पिछले वर्ष की तरह उसी क्रम में है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो रेखाचित्र दिए है मैं उनका उल्लेख करता हूं। 1981 से 1985 तक लगातार इसमें वृद्धि दिखाई गई है। यह 3.7; 3.9; 4.6 और 5.1 है। यह लगातार बढ़ रहा है और यह प्रवृत्ति बनी हुई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सही नहीं है। 1983 में मुद्रा स्फीति की दर 7.2 थी; 1984 में यह 9.3 और 1985 में यह 5.6 है।

(व्यवधान)

महोदय, वह कहते हैं कि उनके पास 5 वर्षों के आंकड़े हैं। 1981 से 1985 तक मुद्रा स्फीति की दर 6.5 प्रतिशत आती है। मैं समझता हूं उनके पास 5 वर्षों का अवसर कभी भी नहीं होगा। उनके पास तीन वर्षों का अवसर था और यह स्वर्ण काल था।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : तीन वर्ष भी नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे पास 2+2+1 की तरह 5 हो सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब हम घाटे की वित्त व्यवस्था पर आते हैं। क्या विकल्प हैं ? जितने आपने संसाधन जुटाये हैं उसमें से व्यय की गई राशि निकाल दें तो घाटा उसके बराबर होता है। या तो आप और अधिक साधन बढ़ाएं, या आप व्यय कम करें। कराधान द्वारा या सरकारी क्षेत्र से राजस्व बढ़ाकर अतिरिक्त साधनों को जुटाया जाता है। कर के बारे में प्रतिशतवार हम लगभग अन्तिम सीमा तक पहुंच गए हैं। हम अधिक कर वसूल सकते हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के आन्तरिक साधनों के 35,000 करोड़ रुपए पर हम निर्भर कर रहे हैं। हमें सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है और हम ऐसा कर रहे हैं।

व्यय में कटौती के प्रश्न पर आता हूं। चूंकि सरकारी क्षेत्र की और हमारे गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों की बहुत आलोचना हुई है, अतः हम व्यय में कटौती नहीं कर सकते हैं।

आपके गैर-योजना कार्यक्रमों में रक्षा, ब्याज तथा राज सहायता पर आपके कुल खर्च का 73 प्रतिशत है। क्या आप अपना रक्षा खर्च कम करेंगे ? क्या आप खाद्य सामग्री तथा खाद पर

राज सहायता कम करने जा रहे हैं? यह कहा गया है कि हम अनुपूरक मांगें लाये हैं और इससे घाटा और बढ़ जायेगा। क्या मैं यह बता सकता हूं कि गत वर्ष 1982-83 में बजट प्राक्कलन 1375 करोड़ रुपये का था, अनुपूरक मांगें 2202 करोड़ रुपये की आई थीं? बजट प्राक्कलन और अनुपूरक मांगें दोनों को मिलाकर कुल 3577 करोड़ रुपये बनते हैं तथा अन्तिम घाटा 1656 करोड़ रुपये है। 1983-84 में बजट प्राक्कलन घाटा 1586 करोड़ रुपये का था, 2940 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगे आई थीं। दोनों को मिलाकर कुल योग 4526 करोड़ रुपये होता। तथा अन्तिम घाटा 1417 करोड़ रुपये था। यही स्थिति वर्ष 1984-85 की थी। जब हम अधिक सार्वजनिक खर्च करते हैं तो, उसमें से कुछ धन, उसका सरकारी एक भाग सरकार और निगमित क्षेत्र को वापिस आ जाता है। लगभग 52 प्रतिशत कर क्षेत्र के एककों से आता है। अतः इसे वापिस लगा दिया जाता है। अन्यथा, हमारा घाटा बजट प्राक्कलनों और अनुपूरक मांगों दोनों की राशि से दुगना हो गया होता। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ है।

प्रो० मधु दंडवते : वर्ष 1984-85 के लिए यह 3985 करोड़ रुपये है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं वास्तविक घाटे को बता रहा हूं। आपको वास्तविक घाटे का कभी पता ही नहीं चला है। मेरी यही कठिनाई है।

प्रो० मधु दंडवते : वह वर्ष 1984-85 के लिए आकड़े कैसे दे सकते हैं? आपके पास तो सिर्फ संशोधित आंकड़े हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्ष 1984-85 के लिए बजट प्राक्कलन 1773 रुपये था और अनुपूरक मांगें 3612 करोड़ रुपये की थीं। उन दोनों का योग 5385 करोड़ था और अन्तिम घाटा 3742 करोड़ रुपये का था। अब, देश के बाहर मुद्रास्फीति की बात उठाई गई थी, अर्थात, दूसरे विकासशील देशों में और यहां। मैं उस बात का उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु अवश्य ही विकासशील देशों में विकसित देशों या पश्चिमी देशों की तुलना मे मुद्रास्फीति 34 प्रतिशत और 37 प्रतिशत के बीच है। यूरोप में यह 17.3 प्रतिशत हैं, मध्य-पूर्व में लेटिन अमरीका में यह 113 प्रतिशत है और विकासशील देशों में यह 34 और 37 प्रतिशत के बीच है। विरोधी पक्ष की ओर से एक बात उठायी थीं कि सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर भारत में है। माननीय सदस्य, श्री जायनल अबेदिन ने यह बातें कही थीं। इसी कारण मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं।

अब मैं ओवर-ड्राफट इत्यादि को छोड़ रहा हूं क्योंकि हमने इस स्रोत को समाप्त कर दिया है। इस सम्बन्ध में बहुत कहा गया है कि बड़ी रियायतें दी गई हैं। क्या किसी ने उसको गिना है? प्रत्यक्ष करो में, सिर्फ 200 करोड़ रुपये निजी-कर के तौर पर थे। 4500 करोड़ रुपये की राशि में से जो यह 200 करोड़ रुपये दिये गए हैं उसमें से कम आय वर्ग को 50 करोड़ रुपये की रियायत और दूसरे आर्य वर्ग में 70 करोड़ रुपये की रियायत दी गई थी। अतः कुल 130 करोड़ रुपये दर्शाये गए थे और उसे बहुत बड़ी रियायत बताया गया है।

एक माननीय सदस्य : निगमित करों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निगमित करों के संबंध में, हमने 250 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। रियायतें मुख्यतः अपने अप्रत्यक्ष करो में सरकारी क्षेत्र, विद्युत उपकरणों तथा उर्वरक से आयात के लिए दी गई हैं। इससे आर्थिक व्यवस्था की लागत में कमी आयेगी न कि प्रत्यक्ष करों में।

प्रो० मधु दंडवते : छूट सीमा जो एकाधिकार घरानों के लिए बढ़ाई गयी है, वह भी एक प्रकार की रियायत है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कर-प्रस्ताव नहीं है। परन्तु हमने पूंजी की दृष्टि से कुशल कार्य किया है। अब मूल्यों के बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, परन्तु सभी सदस्यों ने एक बात पर जोर दिया है, और यह इतने अधिक वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है बल्कि कार्यवाही करने का है और वह कार्यवाही हम करेंगे। अगर वर्षा ठीक-ठाक होती है—क्योंकि यह एक ऐसा घटक है जिस पर कोई भी वित्त मंत्री नियंत्रण नहीं कर सकता—तो मैं स्थिति को नियंत्रण में रखने की स्थिति में दूंगा। यह आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं और हमें आशा है कि हम नियंत्रण कर सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इन्होंने श्रीमती बी० पी० सिंह को इसके बारे में आश्वस्त कर लिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह स्वयं बाजार जाकर किराना संबंधी खरीद करती हैं और वास्तव में उसने ही मुझे चीनी का मूल्य 7 रुपये प्रति किलो बताया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदस्यों को अपनी धर्मपत्नियों के बारे में चिंता है।

प्रो० मधु० दंडवते : वास्तविकता यह है कि वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी विरोधी दलों में सम्मिलित होना चाहती है। मैं इन्हें यह गुप्त सूचना दे रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं स्वीकार करता हूं कि हर नाश्ते के समय उनके साथ मेरा एक विरोधात्मक वाद-विवाद होता रहता है।

3.31 म० प०

दंड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

3.32 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म० प०

सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता देने संबंधी संकल्प

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : **अब सभा श्री जनक राज गुप्ता द्वारा 17 मई, 1985 को पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करेगी।**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही अपना भाषण जारी रखेंगे—वह मौजूद नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिजोल्युशन है जिस पर कि यहां चर्चा हो रही है, इसमें यह कहा गया है कि सारे हिन्दुस्तान में सूखे का असर पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ड्राट का सबसे ज्यादा असर राजस्थान में पड़ता है। हमारे मंत्री जी, श्री बूटा सिंह जी यहां बैठे हैं, इनके एरिए में तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे राजस्थान में जितने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने में आता है। इनके अलावा जो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं दक्षिण राजस्थान में वे भी ड्राट से अप्रभावित नहीं है।

सौभाग्य से हमारे जो मंत्री जी यहां बैठे हैं वे भी हमारे यहां के रहने वाले हैं। आप हमारे यहां के मंत्री हैं, आपको चाहिए कि आप हमारे यहां के ड्राट एरियाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं। आप इतना फायदा राजस्थान को पहुंचाइये जिससे कि वहां के लोगों की हालत अच्छी हो, उनकी अवस्था ठीक हो। उनके यहां आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के स्रोत वहां सूख गये हैं वहां बरसात भी बहुत कम मात्रा में होती है। चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, सभी में बरसात की कमी है। इसलिए वहां पर जितने जलस्रोत हैं वे सब के सब सूख गये हैं। वहां लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहां पर पब्लिक डिस्ट्रयब्यूशन सिस्टम में जो फेअर प्राइस शाप्स खुली हुई हैं उनसे लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। राजस्थान के लोगों को कई प्रकार की तकलीफ उठानी पड़ रही हैं। आप जब तक ड्राट से लोगों को राहत नहीं दिलायेंगे तब तक वहां सारी व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए तो पूरा फ्री का रुपया पैसा देते हैं लेकिन जो हमारे यहां के ड्राट एरियाज हैं उनके लिए पूरा का पूरा पैसा लोन के तौर पर देते हैं। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे जैसे प्रान्त में, जहां हर साल सूखा पड़ता रहता है और हमारे यहां का जो प्लान का पैसा है वह पूरा का पूरा इन ड्राट एरियाज में

खर्च हो जाता है। इन ड्राट एरियाज में राहत पहुंचाने में जब पैसा खर्च हो जाता है तो हमारे यहां जो डवलपमेंट के काम हैं वे सारे के सारे ठप्प पड़ जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह से आप फ्लड एरियाज में आर्थिक सहायता के रूप में पैसा देते हैं उसी तरह से आप ड्राट एरियाज के लिए भी पूरा का पूरा पैसा दीजिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लड से लोग मरते नहीं हैं फसलें बरबाद नहीं होतीं, हालांकि कहते हैं कि फ्लड की वजह से 6 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। हम राजस्थान में कहते हैं कि फ्लड आ जाए तो दोनों फसलों का अनाज एक ही दफा पैदा कर लें, इतना फायदा हमारे यहां फ्लड से होता है। फ्लड में पैसा देते हैं, ड्राउट में नहीं, जबकि ड्राट सारी फसल सूख जाती है, घास सूख जाती है, अनाज पैदा नहीं होता है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती, इसके बावजूद किसी प्रकार का फायदा भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को नहीं मिलता है। ऐसे प्रांतों को कोई फायदा नहीं मिलता है जहां पर सूखा पड़ता है। 6 अरब रुपये का नुकसान टीम ने अध्ययन करके बताया है, इरीगेशन मिनिस्टर साहब बता रहे थे, लेकिन इसकी वजह से रबी की पैदावार कितनी बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा पैदावार होगी फ्लड एरिया में, इससे उस नुकसान की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ड्राउट के बाद पूर्ति होने के बजाय घर-बार सब बिक जाता है, किसान की जमीन बिक जाती है, जानवर बिक जाते हैं, घर में जितने जेवरात होते हैं, सब बिक जाते हैं, सब प्रकार की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, इस प्रकार ड्राउट की वजह से यह हाल होता है, इसके बावजूद हम लोगों को जो व्यवस्थाएं और रियायतें मिलनी चाहिए वे नहीं मिलती हैं, बल्कि समय पर पैसा भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिल सकती। जहां पर ड्राउट होता है वहां पर खेती-बाड़ी नहीं होती हैं, इसीलिए वहां पर रोजगार की निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनको व्यवस्थित तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। इतनी पापूलेशन को रोजगार मिलना चाहिए ताकि पावर्टी लाइन के नीचे, गरीबी की सतह के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम लोग, जिनके पास साधन नहीं हैं, खेती के सिवाए कोई नौकरी नहीं है, उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम, आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम, जितने भी चलते हैं, उनमें भी इन लोगों को अब तक किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला है। ऐसी अवस्था में ये लोग कैसे अपना जीवनयापन करेंगे। प्लानिंग मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए, खास-तौर से राजस्थान का, क्योंकि वहां पर ड्राउट की वजह से नुकसान होता है, इसलिए उसको सहायता मिलनी चाहिए, भारत सरकार की तरफ से अभी सहायता नहीं मिल रही है। मैं बराबर 6 साल से पार्लियामेंट में इस बात को कहता आया हूं और जितने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मेंबर यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी बराबर इस बात की पैरवी की है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब तो हमारे यहां से जालौर के मंत्री बने हुए हैं, इनको यह काम करना चाहिए। फ्लड में जिस प्रकार से आप सबसिडी देते हैं उसी प्रकार से फेमिन में भी सबसिडी दी जाए और इतना पैसा दिया जाए जिससे कि तमाम लोगों को रोजी-रोटी आराम से मिल सके और इस कठिन परिस्थिति में वे अपना गुजर-बसर कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था की शीघ्र आवश्यकता है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को शीघ्र करना चाहिए।

जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, प्लानिंग मिनिस्टर साहब आपके पास में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से

प्रस्ताव आया था, इससे जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर आदि बड़े-बड़े शहरों में पाने के पानी की व्यवस्था हो सकती है। इन शहरों में पीने के पानी का कोई उचित स्रोत नहीं है, लेकिन उस बीसलपुर बांध को बनाने की स्वीकृति अभी तक प्लानिंग मिनिस्टर साहब नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से आज इन शहरों के अन्दर लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है पीने के पानी के लिए। बूटा सिंह जी, आप भी कहिए।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं कह रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बीसलपुर बांध को जल्दी से जल्दी स्वीकृति देकर इन बड़े-बड़े शहरों को पीने का पानी ठीक प्रकार से उपलब्ध कराया जाए। ब्यावर, अजमेर, जयपुर में आज क्या हालत है, एक घंटा पानी मिलता है, इतनी खराब परिस्थिति है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद यहां पर मंत्री महोदय के कान पर जूं तक नही रेंगती है। आज तमाम बड़े शहरों के लोगों में भयंकर असंतोष हो कहा है। वे लोग कहते हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार है, केन्द्र में हमारी सरकार है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है और कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से पीने के पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। इससे पाने के पानी की पूर्ति हो सकती है, सिंचाई के साधन बढ़ाए जा सकते हैं तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मराफत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ड्राउट में कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। आप एक परिवार का सर्वेक्षण करके देख लीजिए, गांवों में जाकर देख लीजिए। ड्रॉट की वजह से उन लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता। सैंकड़ों मील दूर जाकर के जानवरों को चराना पड़ता है। जब वे वापिस आते हैं तो उसमें से पचास परसेंट भी नहीं रह पाते, इस प्रकार की हालत है। वैस्टर्न राजस्थान में पानी लेने के लिए दस-दस किलो मीटर दूर तक जाना पड़ता है। एक परिवार का एक आदमी इसी काम के लिए रखना पड़ता है। पीने के पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। रोटी के बिना तो जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर कैसे रहा जा सकता है। आपने क्राइटेरिया बना रखा है कि 1.6 किलो मीटर पर पानी मिलेगा। क्या आपने राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमारे वृद्धि चन्द्र जी यहां पर बैठे हुए हैं। एक-एक गांव सौ-सौ वर्ग मील पर बना हुआ है। अगर गांव में एक कुंआ हो तो उससे इतने बड़े क्षेत्र की पूर्ति कैसे कर पायेंगे। एक गांव के किनारे से दूसरे गांव के किनारे तक बीस-पच्चीस किलो मीटर का फर्क पड़ता है। आपने जो 1.6 किलो मीटर का क्राइटेरिया है, उसकी पूर्ति कर दें तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के लोगों को आराम होगा। हमारे राजस्थान में दूध तथा दूसरी वस्तुएं बहुत होती हैं लेकिन पानी की कमी है। पानी की पूर्ति करने के लिए हम लोग यहां पर कई सालों से चिल्ला रहे हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। पैसा भी ऊंट के मुह में जीरे के समान दिया जाता है। दस-पन्द्रह करोड़ मिल जाता है। उससे पूर्ति नहीं होती है। सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो कम से कम चार सौ करोड़ रुपया लम्प-सम दीजिए ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प, नहरें या अन्य प्रकार के कार्यक्रम तभी पूरे हो सकते हैं जबकि आप लम्प-सम में पैसा उपलब्ध कराएं। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी सहायता करने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान में जानवरों की पापुलेशन राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा है। वहां

पर कितनी मुश्किलात में जानवरों को पाला जाता है, उसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते। चारे के अभाव की वजह से बड़ी भारी संख्या में हर साल जानवर नष्ट होते जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। इतने कीमती जानवर बहुत ही कम उपलब्ध हो पाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वैस्टर्न राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवैल या बड़े-बड़े घास के मैदान तैयार करवाएं ताकि उसके जरिए से कीमती जानवरों को बचाया जा सके। इस व्यवस्था को मजबूती से करना चाहिए। राजस्थान में काम देने की व्यवस्था को भी जरूर करना चाहिए। राजस्थान में साढ़े तीन करोड़ की आबादी में से एक करोड़ की आबादी के ऊपर आज भी असर पड़ रहा है। जब तक आप कोई स्थाई व्यवस्था नहीं करेंगे, उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी।······(**व्यवधान**)

माननीय उपाध्यक्ष महोदत, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राजस्थान में तो आप माकूल रोजगार की व्यवस्था करवाइये और उसके लिए पूरा पैसा दीदिए जिसके जरिए से लोगों को काम-धन्धा उपलब्ध हो सके और वे अपनी जीविका, अपनी रोजी-रोटी चला सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, श्री जनक राज गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

[**अनुवाद**]

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : महोदय, मैं श्री जनक राज गुप्ता द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। इस समय हमारी चर्चा का विषय सिर्फ सूखे की स्थिति तथा उससे हुई हानि तक सीमित है, अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि, तूफान इत्यादि को बिल्कुल अलग रखा गया है।

कृषि भारत की मुख्य आर्थिक गतिविधि है और भारतीय कृषि में एक कमी है। प्रकृति तथा वर्षा पर कृषि की निर्भरता एक निर्विवाद स्वीकार्य आम तथ्य है। भारत में सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा वर्षा पर निर्भर रहने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है। नहर सिंचाई योजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई योजनाओं में से एक है। परन्तु वर्षा के दौरान भी उत्पादन न्यूनतम है, जलस्तर बहुत ही नीचा है क्योंकि यह वर्षा पर निर्भर करता है। यह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है तथा योजना अपूर्ण तथा दोषी है।

इस संदर्भ में हमें सूखे और इससे हमें तथा समाज को कितनी हानि उठानी पड़ी है इसका जायजा लेना होगा, एक विनाशपूर्ण घटना के तौर पर जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं का बहुत जोर है। बाढ़ और सूखा भारत में आम तौर पर चलता रहता है। हमारे देश के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए वहां सूखा पड़ जाता है। हमारे देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है, और वहां बाढ़ आ जाती है। देश के कुछ और अन्य भागों में वर्षा कम हुई है। कुछ दूसरे भागों में वर्षा सामान्य हुई है। जब कभी भी वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी हो जाती है। इसके लिए हमारे देश की सरकार तथा योजना बनाने वालों को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। अतः प्रत्येक वर्ष हम प्राकृतिक आपदाओं—बाढ़ अथवा सूखे का अनुभव करते हैं। 1979 से लेकर अब तक हम सूखे के परिणामों को भुगत रहे हैं। 1984-85 के दौरान सूखा पड़ा। इस वर्ष भी सूखा फिर पड़ा है।

1984-85 के दौरान 9 राज्यों में 170 जिलों में 160 मिलियन लोग सूखे से कुप्रभावित हुए थे तथा 321- लाख से भी अधिक हैक्टर फसल क्षेत्र पर सूखे का कुप्रभाव पड़ा था। आन्ध्र प्रदेश में 36.45 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 49.05 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभाविय हुआ था; हिमालच प्रदेश में, 21.52 लाख लोग तथा 1.98 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था; कर्नाटक में, 136.43 लाख लोग तथा 38.74 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभा-वित हुआ था; मध्य प्रदेश में, 119.95 लाख लोग तथा 52.45 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था; महाराष्ट्र में, 182.40 लाख लोग तथा 83.93 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था; उड़ीसा में, 75 लाख लोग तथा 13.83 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था; राजस्थान में, 92.10 लाख लोग तथा 40.32 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था एवं उत्तर प्रदेश में, 289.67 लाख लोग तथा 40.54 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। अत: इन राज्यों में सूखे से इतनी अधिक हानि हुई है।

1985-86 के दौरान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक ने अपना दूसरा ज्ञापन सूखे तथा इससे हुई हानि के बारे में दिया था। हरियाणा में भी सूखा पड़ा और वहां 75 लाख लोग तथा 85 लाख हैक्टर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। पश्चिम बंगाल से भी हमें टेलीप्रिन्टर संदेश संख्या 8959 दिनांक 25-7-1985 (8.30 म० प०) को तथा संदेश संख्या 8970-71 दिनांक 25-7-85 (6.21 म० प०) को प्राप्त हुआ था, जो इस प्रकार है :

> "अप्रैल 1985 के दौरान दक्षिण मध्य तथा उत्तर बंगाल के बहुत से जनपदों से व्यापक सूखे की स्थिति की खबरें प्राप्त हुई थीं। सभी जनपदों में जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां पेज जल का अभाव हो गया है। पटसन तथा गर्मी के चावल की बुवाई में देरी हो गई हैं तथा खड़ी फसलें और वनस्पतियां सूख गई हैं।"

जूट और ग्रीष्मकालीन धान की बोआई में देरी हो गयी और खड़ी फसलें तथा सब्जियां सूख गईं।

जून और जुलाई, 1985 के महीनों में पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में सामान्य वर्षा हुई थी। परन्तु गंगा के तट वाले पश्चिम बंगाल के जिलों मे वर्षा कम हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करिए। आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं।

श्री गदाधर साहा : अत: वर्षा अनिश्चित और बहुत ही अनियमित रूप से किसी स्थान विशेष में ही हुई और इससे जिलों में प्रतिरोपण के कार्य पर असर पड़ा। जिलों में प्रतिरोपण का कार्य सिर्फ 25 प्रतिशत ही हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूखा सहायता नकदी और वस्तुओं के रूप में मंजूर की। केन्द्रीय सरकार को इस व्यापक प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय मसला समझ कर हल करना चाहिये। केन्द्र और राज्य सरकार को एक साथ मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिये। केन्द्र को इन राज्यों के लिए पर्याप्त सूखा सहायता देने की मंजूरी देनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने की प्रक्रिया मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं मानदण्डों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इनकी समीक्षा की जानी चाहिये तथा दीर्घकालीन उपायों, जैसे कि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, छोटी सिंचाई कार्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम सामाजिक वानिकी जल आपूर्ति योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में एक-तिहाई एरिया ड्राउट-प्रोन है। एवरेज में कम-से-कम 2,000 करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है। सरकार 200 करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च करती है।

पहला सवाल यह है कि जितना रुपया इस पर खर्च हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके बता दें कि कितना रुपया फैमिन पर खर्च हो गया है और कौन-कौन से अब तक एस्सैट्स बन गये हैं। यह रुपया ठीक जगह पर जाता है, ठीक उपयोग होता है या नहीं ?

राजस्थान में 26 जिले हैं। जिस क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर होगा या मंत्री होगा, वहां पर अकाल घोषित कर दिया जायेगा। अकाल घोषित करना एक पटवारी के हाथ में है। पटवारी रेवेन्यु रिकार्ड दर्ज करता है कि यह हिस्सा ज्यादा है, इतने गांव इफैक्टेड हैं। उस एरिये को अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके एरिये को ले लीजिए और बताइये कि उनके क्षेत्र में कितना रुपया अकाल के नाम पर खर्च हुआ है ? उनकी कांस्टीटुएन्सी मजबूत हो गई है।

श्री जैनुल बशर : आपके क्षेत्र में भी मिनिस्टर रहे होंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे क्षेत्र में कोई आया ही नहीं, बहुत मुश्किल की बात है।

सरदार बूटा सिंह : अब तो एक ही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो एक ही हैं, दूध में पानी मिल गया है। आप दूध हैं और हम पानी हैं, लेकिन मेहरबानी करके जब बंटवारा करें तब ठीक कर दें।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अकाल की हालत क्या है। यह फैमीन मैन-मेड कैसे है। जहां पानी होता है, वहां अकाल कैसे होता है। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर डूंगरपुर के हैं, वहां अकाल हो गया है।

4.00 म० प०

वहां पर अकाल के कारण यह हालत होती है। क्या कभी भारत सरकार ने सोचा है कि जितनी हम धनराशि देते हैं, क्या उस धनराशि का ठीक उपयोग हुआ है या नहीं। इसको आपको देखना चाहिए, इसकी आपको समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी वहां जाकर देखते ही नहीं हैं कि कितने गांव एफेक्टीड हुए हैं। वह अपने घर में बैठकर ही गांव के नाम दर्ज करते हैं और अनुमान लगाकर कह देते हैं कि इतना नुकसान हुआ है। यहां से जो स्टडी टीम जाती है वह स्टडी टीम डाक बंगले में ही रहती है, वह वहां बैठकर अच्छा खाना खाती है। फैमीन के नाम पर यह डाक बंगले बन गये, इंजीनियर्स के मकान बन गये। वह अधिकारी जोकि यह कहते हैं कि फैमिन में अरबों रुपया लग गया क्या आपने कभी उसको देखा है। राजस्थान में अगर बांध बन जाता या डैम बन जाता तो कितना फायदा होता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुल कितना रुपया आज तक फैमिन पर खर्च हुआ।

राजस्थान की हालत तो यह है कि वहां पर जाकर देखने की किसी को फुरसत ही नहीं है। मंत्री लोग भी उस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं।

राजस्थान में 1979-80 में 1094, 1980-81 में 21379, 1981-82 में 23246 और 1982-83 में 22572 गांव एफैक्टीड हुए, इस साल भी काफी नुकसान हुआ। आंकड़े देखने से पता चल जायेगा कि हमारे राजस्थान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। हम देखते हैं कि आउट आफ 18 इअर अजमेर 40 टाइम्स, अलवर 12 टाइम्स, भरतपुर 12 टाइम्स, भीलवाड़ा 14 टाइम्स, बूंदी 10 टाइम्स, पाली 13 टाइम्स, जालौर 13 टाइम्स। इस तरह से आप देखिए कि 18 साल में कितनी-कितनी बार अकाल पड़ा। उस एरिया के लिए आठवें फाइनेन्स कमीशन के आधार पर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि 50 परसेन्ट ग्रान्ट दी जायेगी। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसके जवाब में आपने लिखा है कि फार्मर्स के लिए पानी का इन्तजाम होना चाहिए। आज देश में इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा, जितना पानी देश में है उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। पानी का वेस्टेज हो रहा है। साइंटिफिक ढंग से ड्रेनेज नहीं बनी हुई हैं। पानी का आज तक प्रबन्ध नहीं किया गया है और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में लासेज हो रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने जो सबसे पहले स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। पैसे का सदुपयोग क्या होगा, यहां तो पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है केवल कुछ लोगों के लिए। इधर अकाल पड़ा हुआ है उधर एक आदमी मोटा हो रहा है और दूसरा दुबला हो रहा है। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सात रुपए मिलने चाहिए एक मजदूर को लेकिन वहां मजदूर को कह दिया जाता है कि 5 फिट लम्बा, तीन फिट चौड़ा जमीन का टुकड़ा काटो, उसको वह पूरा नहीं कर पाता है कि उससे कहा जाता है कि तीन रुपये ही मिलेंगे हालांकि हाईकोर्ट का जजमेंट है कि सात रुपये मिनिमम मिलने ही चाहिए। मेरे पास आंकड़े हैं, उनको साढ़े तीन रुपये चुकाए जा रहे हैं। फेमीन कोड नयी नहीं बनाई गई है। यह भी नहीं सोचा कि इस बात का वेल्युएशन कराया जाए कि फेमीन में जो पैसा खर्च हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है और उसको कितना सदुपयोग किया गया है।

जो ड्राउट-प्रोन एरियाज हैं उनमें एक नयी बात और भी होती है। स्टडी-टीम जो रिपोर्ट देती है उस पर एक हाई लेवल कमेटी अपना निर्णय दे देती है कि इतना मंजूर और उससे कोई जाकर

4.06 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

नहीं कह सकता कि इतना मंजूर कैसे किया है। दूसरी बात यह कि किन गांवों में अकाल के लिए काम शुरू किए जाएंगे, जहां मिनिस्टर कहेगा वहीं शुरू किए जाएंगे। कलक्टर चाहे कुछ भी कहता रहे कि किस-किस गांव में अकाल है। अकाल में भी पालिटिक्स चलती है। जो गांव अकाल से प्रभावित होंगे वहां पर काम शुरू नहीं होगा बल्कि वह काम दूसरी जगह खोल दिए जाएंगे जहां अकाल नहीं है। इस तरह से अकाल में भी राजनीति चलती है। मिनिस्टर के यहां कोई एम० एल० ए० आया, मिनिस्टर ने उससे पूछा क्या चाहिए तो उसने कहा दो तालाब, दो मिनिस्टर ने कहा खोदे जाएंगे, कलक्टर चाहे कुछ भी कहता रहे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जरा डिटेल में जाकर विचार कीजिए कि यह जो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है इसको कैसे दूर किया जाए। आज राज्य सरकारें फेमीन, फ्लड, अकाल के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहती हैं। सरकार बैठी हुई कुछ नहीं सोच पाती है। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि सरकार के रिकार्ड पर रिपोर्ट लिखी हो कि हमने इतना पैसा खर्च किया और इतने काम हुए हैं। कभी संसदीय समिति बैठाई हो, जो जांच करें कि बाढ़ और सूखे पर इतना खर्च हुआ और ये-ये काम हुए। अरबों-खरबों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई काम सामने नहीं आता है। हम लोग रोज यहां पर आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई फल सामने नहीं नजर आता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरफ ध्यान दें।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री जनक राज गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वैसे तो कई संसद सदस्य इस पर प्रस्ताव पर बोले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिस वक्त किसान खेत में मेहनत करके फसल बोता है और वह फसल थोड़ा-थोड़ा उभर कर ऊपर आती है, तो बारिश न होने की वजह से सूख जाती है। इस प्रकार किसान की सारी मेहनत पर पानी पड़ जाता है। इस वजह से उसको बहुत नुकसान होता है और कई सालों तक इस प्रकृति की मार के कारण नहीं पनप सकता है। जब सूखा पड़ता है, तो किसान सोच नहीं पाता है कि वह क्या करे। दिन भर काम करता है. इसलिए कि खर्चा कहां से चलेगा, बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, बच्चों के लिए कहां से कपड़े लाएगा, अनाज कहां से आएगा, पशुओं के लिए चारा कहां से आएगा। इस बात को देखते हुए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की ओर ध्यान दें। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत हर तरह से किसानों को सहायता देने की कोशिश की है। किसानों को लोन मिलता है, ट्यूबवैल बहुत-सी जगहों पर लगाए हैं। जो बारानी जमीन थी, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की। जब बारिश का पानी आता है, वह बहकर दरिया में जाता है और फिर समुद्र में जाता है। इस पानी का उपयोग करने के लिए आपको जगह-जगह पर बांध लगाने चाहिए। वहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाल कर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस वक्त सूखा पड़ता है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पाता है। बहुत दूर-दूर से चारा लाना पड़ता है। वह भी इतना अच्छा चारा नहीं होता है, जितना कि उसके खेत में अच्छा चारा पैदा होता है। लाए गए चारे में मिट्टी होती है, कंकड़-पत्थर होते हैं, जिनकी वजह से दुधारू गाय दूध नहीं देती है। एक-चौथाई दूध दूध देने वाली गायों का रह जाता है। यदि हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की ओर ध्यान देंगे, तो सूखा कम रहेगा और खेती की पैदावार बढ़ेगी और हरा-भरा चारा पशुओं के खाने के लिए मिलेगा।

आप जानते हैं किसानों के साथ-साथ गांव में काफी आबादी ऐसी भी है, जो भूमिहीन हैं या हरिजन हैं। जिनका कि खेती में काम करके गुजारा होता है वे लोग जिस वक्त फसल तैयार होती है, उस वक्त रात-दिन मेहनत करके, कटाई करके, छः महीने तक ही गुजारा कर पाते हैं। लेकिन फसल कट जाने के बाद वे भी बेरोजगार हो जाते हैं। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। भारतवर्ष में जिस वक्त जहां भी सूखा पड़ता है, गांव के सब परिवार उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे मौके पर सरकार उनकी सहायता करती है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, उनको चारे के लिए पैसे देती है, बीज के लिए पैसे देती है, हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब मदद उसके नुकसान या उसकी जरूरत से बहुत कम होती है। इतना ही नहीं, जब अगले साल बारिश हो और वह मेहनत करके काफी अनाज पैदा करे तब उसको उस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है।

हमारे यहां 113 मिलियन हैक्टेअर जमीन बारानी है, सिंचाई की नहीं है। हमारी सरकार ने 60 मिलियन हैक्टेअर में सिंचाई के साधन बनाये हैं लेकिन अभी भी जमीन की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बारिश पर निर्भर है। इसलिए जितनी जमीन में सिंचाई के साधन बढ़ायेंगे सूखा कम होता जाएगा। बारिश का यह हाल है कि कई जगह बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां बाढ़ आने से तबाही हो जाती है, जैसे बिहार में ज्यादा फ्लड आते हैं लेकिन राजस्थान में सूखा ज्यादा पड़ता है। जिसकी वजह से किसान हर तरह से तबाह हो जाता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, वह एक किसान की हैसियत से इस मसले पर गौर करें, वह पंजाब के हैं और पंजाब की हर तरह से मदद करते रहे हैं, सिंचाई के साधनों को ज्यादा से ज्यादा मुहिया करने की तरफ ध्यान

दें। गांवों के किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें और इस काम के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मंजूर करें। जहां सूखा पड़ता है वहां तकाबी दी जाए, लगान की उगाही माफ कर दी जाए, जिससे किसानों पर बोझ कुछ कम पड़े और वह अगले साल मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश करे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, मैं भाई जनक राज जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके संकल्प के माध्यम से हम लोगों को कुछ राज्यों में जो सूखे की स्थिति है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का मौका मिला। इस वर्ष देश के कई भागों में सूखे की स्थिति पैदा हुई है। इनमें से कुछ भाग ऐसे हैं, जहां सामान्य तौर पर सूखा नहीं पड़ता था। उसका कारण क्या है, और उन कारणों का निराकरण कैसे होगा या सरकार इसमें क्या कर सकती है, इस विषय में तो विशेषज्ञ लोग ही अपनी राय दे सकते हैं। मगर मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सूखे की स्थिति के नाम पर जो धनराशि दी जाती है वह धनराशि इतनी देर में दी जाती है कि उसका उपयोग उन लोगों के लिए बहुत कम रह जाता है जिनकी मदद के लिए वह धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा और उसमें भी मेरा क्षेत्र, जहां शायद इतिहास में सूखे की स्थिति पहली बार पैदा हुई है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पहले जब माननीय सदस्य सूखे की बात यहां पर उठाते थे, तो हमें उतना अहसास नहीं हो पाता था, जितना अहसास इस वर्ष हमें खुद सूखे से पीड़ित होने पर हुआ है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं······

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सत्य है, सच्चाई है।

श्री हरीश रावत : जब श्रीमान् ने इसको सत्य बतला दिया है, तब कुछ कहने को नहीं रह जाता है। क्योंकि श्रीमन् स्वयं भी कुछ समय पूर्व उसी महकमे में थे, जो सूखे का काम देखता था। जब वे इस महकमे में थे तो उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला, बावजूद सूखे के। इसलिए मैं अब माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का स्थिति आरिफ साहब के वक्त में पैदा हुई थी, वैसी स्थिति अब पैदा न हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैमोरेण्डम भी समय पर सबमिट कर दिया है। उसके लिए रिमाइण्डर भी भेज दिया है। आपने करीब उनको 30 करोड़ रुपये के लगभग दिया भी है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में जहां 32-34 जिले पूरी तरह से सूखे से प्रभावित हों और 8-10 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हों, उसको इतनी राशि देकर कोई बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इतनी राशि दे कर के तो आपने उनकी तकलीफ को और बढ़ाया है। अगर आप उनकी तकलीफ को कम करना चाहते हैं तो जितनी राशि उन्होंने चाही है उतनी राशि देने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दीर्घकालीन योजना भी आपके पास भेजी है। आपका अध्ययन दल भी वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए गया था। उसके सामने भी यह योजना रखी थी। जिला स्तर पर भी वहां के प्रशासन ने उस अध्ययन दल को सुझाव दिया था। मुझे आशा है कि आपको अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई होगी। जिस तेजी से आपने वहां अध्ययन दल भेजा, आपकी उस भावना की कद्र करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अध्ययन दल की रिपोर्ट भी शीघ्र प्राप्त करके कार्यवाही करें।

सभापति महोदय : सूखा तो अब खत्म हो गया है।

श्री हरीश रावत : सूखा तो अब खत्म हो गया है।

सभापति महोदय : मेरा जिला भी सूखे से प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब सूखा खत्म हो गई है, अब मैं बाढ़ को देख रहा हूं।

श्री हरीश रावत : यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समय सूखा होता है उस समय हमको मदद नहीं दी जाती है। उस वक्त हमको मदद की ज्यादा जरूरत होती है। इस समय बाढ़ है। आज हम कहते हैं कि बाढ़ में मदद कीजिए तो मदद उस समय पहुंचेगी जब सारा कारवां गुजर गया होगा।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दीर्घकालीन उपाय के तौर पर जो आपसे राशि मांगी है वह भी आप उसे उपलब्ध कराने की कृपा करें।

गफूर साहब इस समय यहां बैठे हैं। उनको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और राजस्थान के भी कुछ जिलों में पीने के पानी की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। जब उनके सामने यह सवाल उठाया गया तो उन्होंने बहुत सुन्दर उत्तर दिया था—"जब खुदा ही मेहरबान नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं ?" मैं समझता हूं कि बूटा सिंह जी यह नहीं कहेंगे। अगर पूरा मंत्रिमण्डल मिलकर हमारी अर्ज को, हमारी भावना को खुदा तक पहुंचाये तो खुदा भी हम पर मेहरबान होगा। हमें खुदा की मेहरबानी प्राप्त करने के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल की मेहरबानी चाहिए। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल को स्ट्रीम लाईन होना होगा। अगर आपने हमें समय पर मदद पहुंचा दी तो हम समझेंगे कि खुदा भी हम पर मेहरबान हो गया।

माननीय अधिष्ठाता जी, यदि हमने सूखे की स्थिति का मुकाबला करना है और भविष्य में सूखे की स्थिति पैदा हो न हो इसके लिए काम करना है तो हमको ऐसे क्षेत्रों को जिनमें लगातार सूखे की प्रवृत्ति रहती है, आईडेन्टिफाई करना चाहिए। उन एरियाज में फिर सूखे की स्थिति न हो सके उसके लिए दीर्घकालीन उपाय के रूप में जो भी प्रबन्ध करने की आवश्यकता हो वह करने चाहियें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो ड्राईलैण्ड फार्मिंग की बात है उस तरफ देश का ध्यान नहीं है। उसके लिए बोर्ड भी बन गया है, मगर जो पैसा इसके लिए रखा गया है वह बहुत कम है। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० में फारेस्ट्री के लिए धनराशि को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो इम्लीमेंटिंग एजेंसी है उस एजेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल न होने के कारण फारेस्ट्री के नाम पर, वन्यकरण के नाम पर वहां पर ऐसे-ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो उस क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के बजाए, वहां पर कोनीफरस के पेड़ लगाकर पानी को और कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर यू०के० लेपिटस लगाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ पैदा की जाती है, इससे सरकारी कागजों पर तो हरा-भरा दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से आपने पंचायतों को और ग्रामीण स्तर के लोगों को इसमें शामिल किया है, एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत जो पैसा देते हैं, उनके लिए यह भी जरूरी होना चाहिए राज्य सरकारों के लिए कि इस पैसे से उन पौधों को लगायें जिनसे गांवों के लोगों की फाडर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वहां के क्षेत्र को जिससे हरा-भरा बनाया जा स । वहां पर चीड़ इत्यादि लगाकर आंकड़ों को पूरा करने से काम नहीं होगा।

दूसरा सुझाव माननीय मन्त्री जी को यह दूंगा कि एन० आर० ई० पी० में उन्होंने राज्यों को धनराशि दी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये ।

श्री हरीश रावत : मैं समाप्त करने ही वाला हूं । और अब मुझे तुरन्त अभी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं । मैं तीन मिनट के अन्दर समाप्त करूंगा ।

[हिन्दी]

मैं निवेदन कर रहा था कि एन० आर० ई० पी० में जो धनराशि दी गई है उस धनराशि में राज्य सरकारों का जो शेयर होता है, वे उसको समय पर मुहैया नहीं कराती हैं । इसके कारण एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत चलने वाले कामों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । आर० एल० ई० जी० पी० में स्थिति यह है कि राज्य सरकारों से समय पर प्रोजेक्ट आपके पास न आने के कारण समय पर सेंक्शन नहीं मिल पा रही हैं, इसके कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य नहीं चल पा रहे हैं और जिस तेजी से लोगों को सांत्वना मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है । मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने सूखे की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षित किया है, मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, बावजूद इसके कि गाजीपुर और बहराइच में कम सूखा पड़ा है, मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जहां बहुत अधिक सूखा पड़ा है, जहां पर लोग आज भी राहत के लिए तरस रहे हैं, मुझे आशा है कि सरकार यथासंभव कोशिश करेगी, उनको राहत पहुंचाने की ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उड़ीसा के एक बड़े भाग में मेरा मतलब है कोलाहांडी में पड़े और पड़ रहे सूखे की ओर दिलाना चाहूंगा । यह एक अच्छा समाचार है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया । महोदय, समाचार पत्रों में खबरें छप रही हैं तथा उड़ीसा विधान सभा में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा चल रही है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : प्रधान मन्त्री के जाने के बाद वहां बरसात हुई है ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : अगर श्री बूटा सिंह वहां जायें तो ज्यादा वर्षा होगी । मैं उनसे वहां जाने का अनुरोध कर रहा हूं ।

इसी प्रकार से, समाचार मिले हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में दो अथवा तीन वर्षों से निरन्तर भारी सूखा पड़ रहा है तथा लोग वहां पर लूट-पाट कर रहे हैं, वहां के लोगों ने अपने पशु और गहने बेचने शुरू कर दिये हैं तथा वे अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं । यह अच्छी बात है कि श्री राजीव जी वहां गये । जब तक राजीव जी नहीं जाते सरकारें कुछ नहीं करतीं । यह बहुत ही दुखद बात है । जब राजीव जी वहां जाते हैं तो कुछ नलकूप लगाये जाते हैं, कुछ सड़कें बनाई जाती हैं तथा और ये सभी काम किये जाते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से इन दो स्थानों का स्वयं दौरा करने के लिए अनुरोध करूंगा । इस प्रकार के क्षेत्र अधिकांशतः जनजातीय हैं । अगर आप इन लोगों को घर छोड़ने से बचाना चाहते हैं तो सरकार को राज्य सरकारों से वहां कुछ कार्य करने के लिए कहना चाहिए तथा खान-पान (ग्रूल-किचिन) व्यवस्था करने के लिए केन्द्र को धन देना चाहिए ।

कभी पश्चिम बंगाल में हमें खान-पान (ग्रूल किचिन) की व्यवस्था करने का कुछ अनुभव था। 1967-68 में पश्चिम बंगाल में हमने सूखे की स्थिति देखी है। उस समय सरकार ने काफी बड़ी संख्या में ग्रूल किचिन खोले थे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य सरकारें भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 'ग्रूल किचिन' खोल दे।

4.31 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

राज्यों को सूखे एवं अकाल, आदि से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता वहां हुए नुकसान के अनुसार नहीं है। इतनी ज्यादा सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा देना मुमकिन भी नहीं है। परन्तु जो कुछ भी पैसा केन्द्र द्वारा दिया जाता है उसे राज्यों द्वारा समुचित रूप से खर्च नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें कि जो कुछ पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है वह सही रूप में उसे खर्च करें। आज ही आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत केरल में धन कम करने के सम्बन्ध में एक खबर छपी है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी आज के **'टाइम्स आफ इंडिया'** में प्रकाशित समाचार को पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि नामावलि पूरी तरह गलत है। उपस्थित नामावलि में यह उल्लेख है कि इतने लोगों को 29, 30 तथा 31 फरवरी को भुगतान किया गया था। किस प्रकार से उन्हें 30 और 31 फरवरी को भुगतान किया जा सकता है?

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उस समय वर्तमान विपक्षी दल सत्ता में था।

श्री नारायण चौबे : वर्तमान अथवा पिछली सरकार किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेती हूं। अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया था तो मैं उन्हें भी दोषी ठहराऊंगा। मैं नहीं कहता कि मेरे दल के लोग अच्छे हैं और आपके दल के बुरे।

(व्यवधान)

पश्चिम बंगाल में अभी तक सूखा पड़ना शुरू नहीं हुआ है। हमें आशंका है कि कई जिलों में सूखा पड़ेगा। मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया और दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है। इस वर्ष समुचित वर्षा नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि सूखा पड़ना आरम्भ हो गया है। माननीय मंत्री जी से मैं अब अपील कर रहा हूं कि सूखे की स्थिति में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए तथा उचित समय पर मदद करनी चाहिए, हमारे क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा हुई है।

प्रधान मंत्री, कृषि एवं पर्यावरण विभाग के सभी लोगों द्वारा सूखा पड़ने का यही कारण बताया गया है कि जहां 33 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहिए वहां वास्तव में बहुत ही कम भूमि में हैं।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बहुत ही अस्पष्ट जवाब दिया है। हमसे कहा गया है कि रिकार्ड के अनुसार इतनी वन भूमि वहां पर है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई वन-भूमि नहीं है। यहां तक कि हिमालय-क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एव पश्चिमी बगाल में वनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लगभग सभी राज्यों में पूरी तरह वनों का सफाया कर दिया गया है। मध्य प्रदेश या कहीं और आप जायें तो आपको वहां पर जंगल नजर आयेगा जहां पर पहले जंगल हुआ करते थे।

सामाजिक वानिकी के नाम पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह जो कुछ हमने खोया है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी-अभी बताया है कि सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लगाये गये पेड़ कभी-कभी मिट्टी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। सामाजिक वानिकी में यूकलिप्टस के पेड़ उगाये जाते हैं जो कि मिट्टी से ज्यादा पानी सोखते हैं तथा पारम्परिक साल का पेड़, जो अब यहां नहीं हैं, की तुलना में यह मिट्टी को ज्यादा शुष्क बनाता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार ने शुष्क भूमि को वन भूमि में बदलने के लिए कदम उठाये हैं परन्तु अगर यह कार्यवाही सिर्फ कागज तक ही सीमित रहेगी तो इसमे हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक और मुद्दा श्री मूलचन्द डागा ने बताया है कि भारत का काफी बड़ा हिस्सा वर्षों से सूखा प्रवण क्षेत्र रहा है और अगले कई वर्षों तक यह सूखा प्रवण क्षेत्र रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन क्षेत्रों का पता लगायें। आपके पास जो योजनायें हैं—पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना, आदि। आपको सूखा प्रवण क्षेत्रों को सुनियोजित ढंग से अच्छे क्षेत्रों में बदलना चाहिए। चूंकि हमारा देश ज्यादा समृद्ध देश नहीं है तथा हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वर्ष चरणवार सूखा प्रवण क्षेत्रों को वास्तव में अच्छे क्षेत्र में परिवर्तित किया जाये।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि सूखे प्रवण क्षेत्रों में जहां पर अकाल की स्थिति है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, 'ग्रूल किचिन' खोले जाने चाहिए। जिन लोगों के पास जमीन है वे जमीन बेच सकते हैं, जिन लोगों के पास बरतन हैं वे उन्हें बेच सकते हैं, जिनके पास गहने हैं वे उन्हें बेच सकते हैं, जिनके पास पशु हैं वे पशु बेच सकते हैं परन्तु कृषि मजदूरों, जो कि अधिकांशतः जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोग हैं, के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ष वे कठिनाई उठाते रहते है। माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा: ऐसी जगहों पर जहां अधिकांशतः लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहियें। आप हमें उचित दर की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न दिला रहे हैं। मेरा उससे मतलब नहीं है। इन लोगों को विशेष कार्ड दिए जाने चाहिए, ताकि पूरे वर्ष इन लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो सके। उनसे मेरी यही अपील है।

मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि न सिर्फ प्रधान मंत्री जी परन्तु आप भी कालाहांडी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा करें।

इन शब्दों के साथ, मैं यह अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : माननीय सभापति जी, जो संकल्प यहां श्री जनक राज गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उस पर 17 मई को चर्चा आरम्भ हुई और उस समय देश भयंकर सूखे की लपेट में था। समयान्तर से वर्षा हुई और सूखे से राहत मिली लेकिन देश के कई भागों में अभी भी सूखा है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हर बार जब सूखे की स्थिति पर बहस होती है तो एक-दो मुद्दे सामने आते हैं: उनमें से एक यह होता है कि केन्द्रीय सरकार जो सहायता भेजती है, उसका सदुपयोग नहीं होता। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ उपाय सोचने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सभी प्रदेश सरकारें एक-सा

व्यवहार करती हों बल्कि कुछ जगह तो अच्छा काम भी होता है लेकिन इस आलोचना में वह अच्छा काम भी डूब जाता है। मुझे याद है पिछले दो-तीन महीनों में हमारे प्रदेश में बहुत सूखा पड़ा और पीने के पानी का अभाव हो गया लेकिन प्रदेश सरकार ने समय पर कदम उठाये, ट्रकों के जरिए पानी भेजा और ऐसे-ऐसे गांव में पानी भेजा गया जहां पर सारे पानी के स्रोत सूख गए थे। इस तरह से जो अच्छा काम कहीं होता है, उसकी सराहना भी होनी चाहिए। जहां काम ठीक नहीं हुआ, जहां पर रिलीफ का पैसा दूसरे कामों पर खर्च कर दिया गया या किसी की जेब में चला गया उसकी अवश्य निन्दा होनी चाहिए।

पैसे का ठीक उपयोग हो, इसका उपाय यही हो सकता है कि जिस तरह आपने समस्त विधिवत विभागों के अन्दर, रैगुलर डिपार्टमैंट्स के अन्दर मूल्यांकन प्रोसीजर बनाया हुआ है, इवैल्यूऐशन प्रोसीजर बनाया हुआ है, उसी तरह से इस राशि के लिए भी, जो आप केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को भेजते हैं, मूल्यांकन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उसका प्रौपर इवैल्यूऐशन होगा तो सहायता राशि का दुरुपयोग रोका जा सकता है और प्रौपर इवैल्यूएशन तभी होगा जब आप की कोई परमानैन्ट मशीनरी वहां पर होगी। जैसे कहीं सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया और उस सिल-सिले में प्रदेश सरकार की जन-प्रतिनिधियों की डिमाण्ड आपके पास आई और आपने यहां से टीम भेजने का आश्वासन भी दे दिया लेकिन जब तक वह टीम वहां पहुंचती है, फ्लड वापस हो जाता है या वर्षा हो जाती है और सूखा हट जाता है और इस तरह से समय का अन्तराल टाइम-गैप, आपके अच्छे काम को भी निकृष्ट बना देता है या इन-इफैक्टिव बना देता है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते कि प्रत्येक राज्य में, क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां फ्लड न आती हो या किसी साल सूखा न पड़ता हो, बल्कि कई प्रदेशों में तो किसी साल दोनों विपदाएं आती हैं. किसी-किसी में तो एक साल में दो-दो बार प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए यही तरीका हो सकता है, यदि हम गम्भीरता से सोचें कि हमारे कृषि मन्त्रालय की तरफ से, जो एक तरह से राहत-मन्त्रालय बन कर रह गया है, वहां पर एक परमानेंट मशीनरी, इवैल्यूएशन सैल कायम की जाए। वह यह देखे कि जो पैसा दिया जा रहा है, उसका ठीक से उपयोग होता है या नहीं।

अब एक फिलौसफी चली है कि सूखे के लिए या बाढ़ के लिए जो रुपया दिया जाए उससे परमानेन्ट असैट्स क्रिएट किए जाएं...

उससे ऐसे काम किए जाएं, जिससे लोगों को मजदूरी मिले, मैनडेज क्रिएट किए जाएं, तो उसका एक आस्पेक्ट तो ठीक है कि आपके कुछ काम चल पड़ते हैं और लोगों को मजदूरी मिल जाती है, रुपया कमाने को मिलता है, लेकिन दूसरा आस्पेक्ट यह है कि जिसका नुकसान होता है, उसको तो कुछ नहीं मिलता। जिसकी फसल खराब हो गई, उस फेमिली को, उस परिवार को तो कुछ नहीं मिला। वहां के प्रधान को कुछ पैसा मिल गया, उसने पंचायत-घर बना दिया, कोई स्कूल बना दिया, कुछ तालाब बना दिए। ये तो जनरल कम्युनिटी के वर्क्स हैं, अच्छी बात है, बनने चाहिएं। लेकिन जो लोग प्रभावित हैं, उनको भी कुछ मिला या नहीं मिला, इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए और उनको भी कुछ मिलना चाहिए। जब तक उनको कुछ नहीं मिलता है, तब तक उनकी तसल्ली नहीं होती है। तो इस लिहाज से मैं यह कहूंगा कि इस एप्रोच को जो नई बनाई है, इसको मोडिफाई किया जाए, इसको संशोधित किया और इसमें यह भी लगाइए कि जिस गांव में थोड़ा इसका प्रभाव पड़ा है, जो धन दिया जा रहा है, उसमें से उन परिवारों को राहत मिले, जो अफेक्टेड हैं। यह ठीक है कि सब-सिडी पर आप चारा देते हैं, आप कभी सबसिडी पर अनाज भेजते हैं, लेकिन उससे भी तो समस्या हल

नहीं होती। जिसकी सारी फसल खत्म हो गई और जैसी कि गांवों में कहावत है कि बीज डालकर बीज भी वापिस नहीं मिला, तो उसको आपके इतने प्रोग्राम में, चाहे आपने 100 करोड़ दिया चाहे 200 करोड़ भेजा, उसका कोई फायदा उसे नहीं हुआ। इसलिए देखना यह है कि जो बहुत ज्यादा अभावग्रस्त हैं, जो सीरियसली अफेक्टेड हैं, उनको भी कुछ मिले।

महोदया, इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि आप एक परमानेंट मशीनरी क्रिएट कीजिए, एक इवेल्यूएशन सेल बनाइए। ताकि यह हमेशा की शिकायत कि इतना दिया, उतना दिया यह दूर हो। यह परमानेंट मशीनरी इस चीज को देखे और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह ठीक है, जैसा डागा जी ने कहा और शिकायत की कि होड़ लग जाती है अधिकारियों में, जो प्रभावशील व्यक्ति है, चाहे वह मंत्री है, चाहे वह सांसद हो चाहे वह विधायक हो, उसको खुश करने के लिए तो यह होड़ नहीं होनी चाहिए। यह एक परिपाटी बन गई है कि यहां पर ज्यादा पैसा आएगा और प्रभावशाली व्यक्तियों को खुश करने में ये अधिकारी लगे रहते हैं। इसमें जो अभावग्रस्त हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको तो कुछ मिलता नहीं है। इसमें अनफेयर कम्पटीशन, अनफेयर ड्राइव शुरू हो जाता है जिससे कि पैसा ज्यादा से ज्यादा अट्रेक्ट किया जाए, एक ब्लॉक के लिए, एक जिले के लिए, एक कांस्टीट्यूएंसी के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े देश में जहां पर बहुत बड़े कार्यक्रम चलते हैं, जहां बहुत बड़े पैमाने पर काम चलते हैं, वहां पर कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं। लेकिन उन त्रुटियों के कारण हम उन सारे कामों को निकृष्ट नहीं कह सकते हैं, सारे प्रोग्राम को हम कंडेम नहीं कर सकते हैं।

हमारा कृषि मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, हमारे बहुत से राज्यों में अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे प्रशासन में काफी सारे ऐसे कमिटेड आफिसर्स हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। उन सबको अगर हम एक ही ब्रश से टार्निश कर दें, ब्लैक कर दें कि कुछ काम नहीं हुआ, सारा पैसा गड़बड़ हो गया, बेड़ा गर्क हो गया तो यह प्रशासन के लिए फेयर नहीं होगा और यह विकास की गति के लिए भी ठीक नहीं होगा···

श्री हरीश रावत : डागा साहब, यहां पर नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं?

प्रो० नारायण चन्द पराशर : नहीं, वे सामने होते, तो भी मैं यही कहता। यह क्या बात हुई, आप अच्छे काम की सराहना नहीं करेंगे और एक ही ब्रश से सब कामों को डार्क कर देंगे, यह बात ठीक नहीं है। जो अच्छी बात है, उसको तो कहना चाहिए, जिससे अच्छे कामों को प्रोत्साहन मिले।

तो मैं मन्त्रालय को बधाई दूंगा, जहां कहीं से भी पुकार आई है, मन्त्री जी खुद पहुंचे हैं, टीम्स गई हैं, चाहे देर से गई हैं। लेकिन जहां कमियां हैं, उनकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसका आप समाधान कीजिये और परमानेंट मशीनरी क्रिएट कीजिये ताकि ऑन द स्पॉट वैरिफिकेशन हो, उसके बाद उस स्थिति का मूल्यांकन भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदया, वैसे इस देश में समय-समय पर सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा होती रहती है और गुप्ता जी ने जिस समय यह प्रस्ताव लाया, यह बात सही थी कि उस समय देश के बहुत से हिस्सों में सूखे का व्यापक प्रकोप था। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी को धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर हमको इस गंभीर समस्या के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाने का अवसर प्रदान किया है।

महोदया, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं तो देश में शुरू से ही पड़ती रही हैं, लेकिन हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी ने और प्लानिंग कमीशन ने एक प्रकार से अस्थाई हल के लिए, इन समस्याओं को छः भागों में बांटा। एक पिछड़े क्षेत्र, दूसरा हिल्स, जिसके बारे में रावत जी का प्रस्ताव आएगा, तीसरा डैजर्ट था जिसमें डागा जी का प्रस्ताव है, चौथा ड्राउट प्रोन एरिया, पांचवां फ्लड एरिया और छठा सायक्लोन एरिया। सायक्लोन एरिया में उड़ीसा वगैरह आते हैं। लेकिन महोदया, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने उन सारे क्षेत्रों में, जिसमें हमारा क्षेत्र, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर का इलाका है, और मध्य प्रदेश का इलाका भी था। उसके लिए एक डी० पी० ए० पी० की योजना बनी थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि जो योजनाएं उसके अन्तर्गत ली गई थीं, अब केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए धन देना बन्द कर दिया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहां सोनलिफ्ट योजना का शुभारम्भ हुआ था, एक बकरबेलनडाईवर्जन स्कीम की शुरुआत हुई। हमारे जिले मिर्जापुर में एक 36 बन्धियों के निर्माण की बात हुई जो कि 2, 4 गांवों की सिंचाई कर सकते थे, उनकी शुरुआत हुई। लेकिन छठी योजना के अन्त में केन्द्रीय सरकार इनके लिए संसाधन नहीं दे सकी। उस योजना के अन्तर्गत हमारे जिले में गंगा नदी से पानी देने की बात हुई।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मुझे सभा से निवेदन करना है कि समय 45 मिनट और बढ़ाया जाये। आबंटित समय समाप्त हो चुका है। मन्त्री महोदय 5.15 पर उत्तर देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : यह मामला महत्त्वपूर्ण है, आप समय बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : मैं यह कह रहा था कि इसके अन्तर्गत कई परियोजनाएं बनीं, लेकिन आश्चर्य है कि जब जनता शासन आया तो उन्होंने उन सारे महत्वपूर्ण इलाकों को पोलिटिकल आधार पर डी० पी० ए० पी० से अलग कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आमतौर से जितने जिले सूखाग्रस्त रहते हैं, ड्राउट-प्रोन रहते हैं, वहां के लिए आप एक स्थायी योजना बनाइये। इस बात को भी देखें कि अगर फ्लोइंग रिवर्स हों तो कैसे उनका पानी उठाकर सूखे इलाके में सिंचाई के लिये दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था करें। यह बहुत जरूरी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मिर्जापुर जनपद की योजनाएं अधूरी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि किसी पर 75% और किसी पर 50% खर्च हो चुका है लेकिन अब आप धन नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमैंट्स के पास धन नहीं है जिससे वह खर्च कर सकें। मेरा सुझाव है कि जो योजनाएं ली गई हैं, उनको पूरा करना चाहिए। उनके लिए अगर स्टेट गवर्नमैंट संसाधन नहीं जुटा पा रही हैं तो उसके लिये आप उचित व्यवस्था करें। क्योंकि जब आये दिन सूखा पड़ता है तो उस समय करोड़ों रुपया तात्कालिक सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार का चला जाता है। अगर समय से उनको स्थायी कर दिया जाये तो इससे उन क्षेत्रों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

इन तमाम प्रयासों के बावजूद अभी हमने देश में 26 परसेंट सिंचाई की योजनाएं पूरी की हैं। आज सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इन सूखा क्षेत्रों में हम इन योजनाओं को पूरा करें।

जब सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो उसके बारे में सहायता देने के जो नार्म्स हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पूरा नहीं करती हैं। इसमें उधर की ही नहीं, कई हमारी सरकारें भी हैं जो कि समय से

मैमोरैंडम नहीं भेजती हैं। 1982 में जब सूखा पड़ा था तो उसने 21 करोड़ की आबादी को प्रभावित किया था और 5 करोड़ हैक्टर भूमि उससे प्रभावित थी। 700 करोड़ रुपया देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसके लिए रखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश को उसमें से एक पाई भी इसलिए नहीं मिल सकी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय से मैमोरैंडम नहीं दिया। यह जो भी टैक्नीकल बातें रही हों, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई स्टेट लापरवाही करे, तो जनता तो सारे भारतवर्ष की एक ही है, हम उसको कैसे मरने देंगे ? आप कोई ऐसा फार्मूला इंवाल्व करें कि अगर कहीं स्टेट गवर्नमैंट ढील करती है, आपकी केन्द्रीय टीम तो वहां जाती है। अगर वह टीम संतुष्ट है कि वहां क्षति सूखा, बाढ़, ओले से हुई है तो कोई कारण नहीं है कि उसको सहायता न दी जाये।

सूखा और बाढ़ के लिये जो सहायता देते हैं, उसके लिए मौनिटरिंग होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर सूखा और बाढ़ के लिए रुपया जाता है, जिले के अधिकारी उसमें से रुपया खाते हैं, अभी पाराशर जी बोल रहे थे, यह ठीक है लेकिन सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं। अभी मंत्री महोदय आप रुपया स्टेट गवर्नमैंट को देते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जिले में जाकर उसकी जांच करें और कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको सजा दिलवा सकें। यह सारा काम अभी स्टेट गवर्नमैंट देखती हैं। एक ऐसा नियम बने कि सैंट्रल गवर्नमेंट से जो धन परियोजनाओं के लिये जाये, आपको अधिकार होना चाहिए कि सैंट्रल गवर्नमैंट के अधिकारी वहां जायें और वहां जाकर उनकी जांच करें।

अब मैं पीने के पानी के बारे में कुछ कहूंगा। इस साल अप्रत्याशित गर्मी हिन्दुस्तान में पड़ी है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं, हमारे यहां डाला क्षेत्र में 4 रुपया टीन पानी बिकता है। यह अच्छा है कि निर्माण और आवास मंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है, लेकिन साथ में आप यह भी देखें कि यह रुपया ठीक खर्च हो रहा है या नहीं। साथ में जो जल निगम की योजनाएं चल रही हैं, उस पर भी आप निगाह रखें।

अन्त में मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि आप बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई स्थायी हल निकालें।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया, मार्च, 1985 के दौरान मैंने इसी मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। उस समय मैंने अपने राज्य कर्नाटक को ही मुख्यतः लिया था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मुझे पहले की बात दोहरानी पड़ रही है क्योंकि हालात बदले नहीं हैं। चार वर्षों से लगातार मानसून हमें विफल कर रही है तथा राज्य को गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। गत रविवार को मंत्री महोदय श्री बूटा सिंह बंगलौर में थे......

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उसी दिन वहां पर वर्षा हुई।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं यह कहने ही जा रहा था। यदि आप सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में बस जाएं तो सभी इसका स्वागत करेंगे।

जैसा कि मैं कह रहा था कि चार वर्षों से लगातार मानसून विफल रही है आप वहां के लोगों की शोचनीय दशा का अनुमान लगा सकते हैं। कर्नाटक सरकार भरसक यत्न कर रही है। वे राहत कार्य कर रही है। परन्तु सीमित आपके साथ राज्य सरकार क्या कर सकती है ? पिछले तीन वर्षों से

राज्य सरकार एक के बाद एक ज्ञापन देती रही है परन्तु दुर्भाग्य से अपने मानदण्ड के कारण केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता नहीं दे पाई। गत दो वर्षों में राज्य सरकार लगभग 250 करोड़ रु० खर्च कर चुकी है और उन्होंने केन्द्र से अनुरोध किया है। केन्द्र केवल 40-45 करोड़ रुपये ही दे पाया। इस वर्ष हालत और भी भीषण हैं। सभापति महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि आपने यहां पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। स्थिति का तुरन्त सामना करने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये आवश्यक हैं। इस गम्भीर स्थिति के कारण मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वहां की गम्भीर स्थिति के कारण आवश्यक मात्रा में सहायता दें। कर्नाटक में बार-बार अकाल पड़ता है। यह आवश्यक है कि केन्द्र निर्धारित मानदण्ड पर निर्भर न कर विशेष सहायता दे।

इस वर्ष मानसून ठीक शुरू हुआ परन्तु यह सहसा बन्द हो गया। वास्तव में प्रकृति हमारे प्रति निर्दयी है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार मामले की पुनरीक्षा करे तथा हमारी सहायता करे।

जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है अभी पिछले दिन मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय कहा था कि जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है कर्नाटक ने अच्छा कार्य किया है परन्तु अभी भी कुछ गांव रह गये हैं। और भी बुरी बात यह है कि हम पशुओं के लिए चारे की सप्लाई नहीं कर पाये।

हम प्रति वर्ष सूखे पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से ध्यान देना होगा और स्थायी उपाय करने होंगे ताकि अकाल के हालात फिर पैदा न हों। यह आवश्यक है कि लोगों की सहायता के लिए हम सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लें। कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं, और मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार······

श्री एस० बी० सिदनाल : कर्नाटक सरकार बिल्कुल कार्य नहीं कर रही।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : उस ओर बैठे माननीय सदस्य इसलिए इस तरह बोलते हैं क्योंकि इस ओर से मैं वैसे नहीं बोल सकता। मैं सदा सोद्देश्य बोलता हूं। वह कह रहे थे कि कर्नाटक कार्य नहीं कर रहा। एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि कर्नाटक के लोगों ने सिद्ध किया था कि सरकार कार्य कर रही है। ऐसा उन्होंने भली प्रकार प्रदर्शित किया था। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र में उद्योग लगाने पर ध्यान दे क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को हम कब तक राहत दे सकते हैं। अतः सरकार को इन क्षेत्रों में उद्योग अवश्य स्थापित करने चाहिए। महोदय, भारत सरकार के नियमों के अनुसार आप गेहूं और चावल के लिए श्रमिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता देते हैं। कर्नाटक में लोगों का प्रधान आहार 'रागी' और 'ज्वार' है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय कर्नाटक के लोगों को, जो भयंकर अकाल का सामना कर रहे हैं, खुशी की खबर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदया, हमारे देश को प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है कि देश के किसी भाग में कभी सूखा रहता है और किसी भाग में कभी बाढ़ रहती है। अनेकों भाग तो ऐसे भी हैं जहां सूखा भी रहता है और बाढ़ भी रहती है। मैं जिस भाग से आता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश वह और बिहार के हिस्से किसी वर्ष सूखे से प्रभावित रहते हैं और किसी वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। कोई वर्ष ऐसा भी होता है जब सूखा और बाढ़ दोनों से ही प्रभावित रहते हैं।

उस वर्ष सूखा भी आता है और बाढ़ भी आती है। प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का नुकसान सूखा और बाढ़ से होता है, इसका अन्दाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि इस देश में कोई ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनना चाहिए जो बाढ़ और सूखे का मुकाबला कर सके। राहत कार्यों के लिए जितना रुपया हम देते हैं और पहले देते रहे हैं यदि उसको जोड़ दिया जाए तो उससे सूखे और बाढ़ का मुकाबला करने की स्थाई व्यवस्था हो सकती है। खुशी की बात यह है कि यदि हमारे देश में बाढ़ कन्ट्रोल करने के लिए काम किया जाए तो उसी से बाढ़ भी कन्ट्रोल की जा सकती है और सूखे का भी मुकाबला किया जा सकता है। दोनों नेचुरल कैलेमिटीज—बाढ़ और सूखा—का मुकाबला बहुत हद तक एक ही कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। बरसात में हमारी नदियों का पानी समुन्दर में बेकार चला जाता है, बाढ़ की तबाही अलग से लाता है—जनधन की तबाही, जानवरों और फसलों की तबाही--उस पानी की रोक-थाम के लिए यदि व्यवस्था की जाए, उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए, बड़े-बड़े डैम्स बनाए जाएं तो उस पानी से सूखे के दिनों में तथा आम दिनों में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, पीने का पानी मिल सकता है तथा और भी बहुत कुछ हो सकता है। जब तक हमारे देश में ऐसा कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं बनाया जायेगा, जब तक नदियों के पानी की रोक-थाम की व्यापक व्यवस्था नहीं होगी तब तक देश सूखे और बाढ़ से हमेशा त्रस्त

5.00 म० प०

रहेगा। लगभग प्रत्येक सैशन में, जब भी पार्लियामेंट का सैशन होता है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। मुझे याद नहीं कोई ऐसा सैशन बीता हो, जिसमें बाढ़ के बारे में चर्चा न हुई हो या सूखे के बारे में चर्चा न हुई हो। हमेशा हर सत्र में किसी न किसी रूप में हम बाढ़ और सूख के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। आगे आने वाले जाड़े के सैशन में भी कहीं पर बारिश नहीं होगी और कहीं पर सूखा पड़ेगा, तो फिर चर्चा होगी। मैं बहुत विस्तार में न जाकर केवल मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी बहुत सक्रिय मंत्री हैं वे अपने कार्यकाल में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जरूर बना दें जिसमे कि बाढ़ और सूखे दोनों की रोकथाम हो सके। बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। राहत कार्य के लिए हम पहले भी पैसा देते आए हैं, दस-बीस साल आगे भी आने वाले समय में देते रहेंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाता इतना पैसी देने के बावजूद भी हम इसका समाधान कर सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार इस कार्यक्रम के लिए भी पैसों की व्यवस्था की जाए। आप इस बात का अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई तो कितने लोगों को राहत मिलेगी, कितनी फसल पैदा होगी, कितनी इस देश में सम्पन्नता आएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे बाढ़ की बड़े पैमाने पर रोक-थाम हो सके। वही रोक-थाम बाढ़ का ही नहीं बल्कि सूखे का भी मुकाबला कर सकती है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदया, वाद विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

5.03 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

यह देश सदा मानसून पर निर्भर करता रहा है। किसानों को बीज बोने के बाद मानसून की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह बात इस देश के लिए प्रायः निश्चित है कि इसके कुछ भाग या तो

सूखे से या बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राज्य के कई भाग नियमित रूप से सूखे से प्रभावित होते हैं तथा कुछ राज्य नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जबकि केन्द्रीय सरकार को तथा राज्य सरकारों को काफी धन बिना मास्टर प्लान बनाये व्यय करना पड़ता है, अब समय आ गया है कि हम मास्टर प्लान पर विचार करें। यदि हम मास्टर प्लान तैयार करते हैं और उसके लिए नियमित रूप से धन आबंटित किया जाता है तो हम काफी रचनात्मक कार्य कर पाएंगे तथा ऐसी परिसम्पत्तियां तैयार कर पाएंगे जोकि गरीब लोगों को सूखे तथा अन्य आपदाओं में सहायता दे सकेंगी तथा हम उन्हें कुछ रोजगार भी दे पाएंगे। अन्यथा बहुत-सा सरकारी धन अपव्यय होता है तथा सड़कों आदि का निर्माण केवल कागजों पर ही हो पाता है। उस प्रकार सरकारी धन का मात्र अपव्यय होता है।

अभी तक हम छः सात लाख गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाये जबकि लोगों के लिए यह परम आवश्यक है। यह तो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। जो गरीबी की रेखा के निचले स्तर पर रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं। वे लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। जब हम इन गरीब लोगों को सूखे के समय तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय रोजगार देने की बात करते हैं जैसाकि मेरे दूसरे मित्रों ने उल्लेख किया, उनके पास पूरा पैसा नहीं पहुंचता, उसका आधा भाग भ्रष्ट अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा ले लिया जाता है। यह दुःखद बात है, परन्तु ऐसा होता है।

मेरे मित्र श्री कृष्ण अय्यर कह रहे थे कि कर्नाटक सरकार काफी कार्य कर रही है। यह केवल लीपापोती है। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम पर पिछले दो वर्ष में कोई बैठक भी नहीं बुलाई। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : आप कृपया योजना आयोग का प्रतिवेदन पढ़िए।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं आपके माध्यम से सम्बद्ध सरकार से निवेदन करता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी समिति की, जोकि वास्तव में गरीब लोगों के लिए है, बैठक बुलाएं। अतः, महोदय, जब भी सूखा पड़ता है उससे अधिक प्रभावित होने वाले वे लोग होते है जो गरीबी की रेखा से निचले स्तर पर जीवन-यापन करते हैं। उन्हें उचित राहत नहीं दी जाती। जो भी सहायता दी जाये उसका नियमित रूप से सावधिक और कड़ाई से पर्यवेक्षण होना चाहिए। मैं कृषि मंत्री से दृढ़ पर्यवेक्षण करने की अपील करता हूं। पर्यवर्णीय असमानताओं के कारण कुछ क्षेत्र सदा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अतः हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवा में नियोजित करके मास्टर प्लान बनाना है तथा वनों में तथा उन क्षेत्रों में जहां अभी वृक्ष नहीं हैं, निरन्तर वृक्ष लगाने हैं। इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को सहायता मिलेगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं श्री जनक राज गुप्त द्वारा रखे गये संकल्प का समर्थन करता हूं। परन्तु मुझे खेद है कि अपने राज्य में वह काश्मीर राज्य को भूल गये क्योंकि वह केवल जम्मू में सूखे से चिन्तित हैं। निःसन्देह मुझे जम्मू में पड़े सूखे की चिन्ता है। मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा, की वह स्थिति का जायजा लें तथा जम्मू और अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद करें। हाल में ही हमने देश में प्राकृतिक आपदाओं पर विस्तार से चर्चा की थी। उस समय मैंने कहा था हमारा देश विशाल है जिसके कुछ भागों में सूखा पड़ सकता है तथा अन्य भागों में बाढ़ आ सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या 'शाह' सरकार प्राकृतिक आपदा है अथवा अप्राकृतिक विपत्ति है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पूरी तरह अप्राकृतिक, तथा यह बात कृषि मंत्री को भली प्रकार विदित है। उस दिन कृषि मंत्री ने हर्षित कर देने वाली बात कही थी। पहले वह हमारे साथ सहमत हो गये थे। यह बात समाचार पत्रों में भी छपी थी। मंत्रियों को साहसी होना चाहिए तथा कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। उन्होंने इसे छिपाया नहीं है तथा उन्होंने स्वीकार किया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में काफी धन का अपव्यय हुआ है तथा बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब मैंने जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सांसदों को भी जिला योजनाओं से सम्बद्ध किया जायेगा, और इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय संकल्प पर ध्यान देते हुए सभा में दिए अपने आश्वासन को स्मरण रखेंगे। उन्होंने मुझे विशेष रूप से उस दिन आश्वासन दिया था कि वह उन राज्यों की यात्रा करेंगे जहां से ये शिकायतें मिलीं और जहां सूखे तथा बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। जहां तक जम्मू और काश्मीर का प्रश्न है वहां सितम्बर में बहुत अच्छा मौसम होगा। श्री जनक राज गुप्त तथा मैं उन्हें जम्मू तथा काश्मीर की यात्रा के लिए नियंत्रण देते हैं। मैं यात्रा से राजनीतिक लाभ नहीं उठाऊंगा तथा मैं उन लोगों को मिलवाऊंगा जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं तथा वे लोग ओलों से फसलों की हुई हानि के बारे में बताएंगे। यह बहुत लम्बी कहानी है जो 1982 में शुरू हुई थी और 1983, 1984 और 1985 तक चलती रही। यद्यपि धन का अपव्यय हुआ है तथा भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ राहत दी गई है। लेकिन काश्मीर में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगों के लिए और जम्मू में सूखा से पीड़ित लोगों को और अधिक राहत दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि जब मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे वह इस बात की घोषणा करेंगे कि वह जम्मू तथा काश्मीर का कब दौरा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं बड़ा मशकूर हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया। असल बात यह है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इस दफा जो सूखा पड़ा है, उसका प्रभाव सारे हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है। वहां पर जो नदी-नाले हैं उन सब में पानी सूख गया है। और जो आलू की फसल थी, गन्दम की फसल थी वह सारी की सारी तबाह हो गई। पिछले साल सेब की फसल बर्बाद हो गई थी। सेब में स्केप की बीमारी लग गई थी। इस बार हमारा आलू बर्बाद हो गया है। आपने जो हिमाचल प्रदेश सरकार को पांच करोड़ रु० दिया है वह रुपया बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इससे फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो वहां के गरीब लोग हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है उनके कर्जे का ब्याज कतई माफ कर देना चाहिए और छोटे किसानों से जमीन पर जो रेवेन्यु की वसूली की जाती है वह भी माफ होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे राष्ट्र के अन्दर, जैसा कि दूसरे मेम्बरों ने भी कहा, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, ड्राट के पैसे में से मजदूरी के तौर पर रुपया देते हैं। लेकिन इससे किसी इंडीविजुअल का फायदा नहीं होता है। जिनका वास्तव में नुकसान होता है उनको इसमें से कंसेशन मिलना चाहिए।

कश्मीर में सूखे की बाबत जो प्रस्ताव आया है वह प्रस्तावक महोदय ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले सूखा पड़ा, अभी हाल में वहां बारिस हुई। इसकी वजह से सारे पंजाब

के अन्दर कई करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। उसमें होशियारपुर का इलाका, जालन्धर का इलाका, रोपड़ की तहसील को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में नदी-नालों पर चैक डेम बना दिये जायें जिससे कि वहां से मिट्टी का बहाव रुक जाए तो मैदानी इलाकों का इतना नुकसान न हो। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए धन खर्च कीजिए जिससे कि वहां से मिट्टी का बहाव रुके और निचले इलाकों में बाढ़ आने से रुके।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों से जो मिट्टी आ रही है उनसे हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को भी खतरा पैदा हो गया है। हमारे बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं वे बर्बाद हो जायेंगे। पहाड़ी मिट्टी आकर उन डेमों को भर रही है। इससे भाखड़ा डेम और खुदरी माजरी डेम जिससे कि उत्तर प्रदेश को बिजली और पानी मिलता है, को खतरा पैदा हो गया है क्योंकि पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आ रही है। अगर आपको इनको बचाना है तो आपको नदी-नालों पर प्लांटेशन करना चाहिए और चेक डेम बनाने चाहिएं जिससे कि पानी के बहाव के साथ मिट्टी बहकर न आये।

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि वहां की सरकार नदी-नालों पैर मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए प्रबन्ध कर सके।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपकी स्टडी टीम जाती है उसको लोकल लोगों से भी सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक रुपया देंगे ताकि जो वहां की स्थिति खराब हो गई है उसका वहां की सरकार मुकाबला कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं श्री जनकराज जी गुप्ता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, जब अकाल की बात चलती है तो राजस्थान का नाम स्वाभाविक तौर पर जाता है। लेकिन राजस्थान के ईस्टर्न और साऊथ ईस्टर्न पार्ट के बारे में बहुत कम लोग अकाल के सन्दर्भ में सोचते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान के ईस्टर्न और साऊथ ईस्टर्न पार्ट में भी और खासतौर पर झालावाड़ के क्षेत्र में बहुत कम बरसात हुई है और वहां पर अकाल की स्थिति बनी हुई है। वहां अब तक हजारों मवेशी मर चुके हैं। पानी का अभाव है और अकाल के लिए कोई राहत कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

झालावाड़ के लिए यह नई बात है। यह सही है कि अगर आप वहां का वर्षा का एवरेज लेंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछले कई सालों से वहां वर्षा समय पर नहीं हो रही है। कभी 15 दिन बाद होती है, कभी तीन सप्ताह बाद। यह एक रेगुलर फेनामिनी बन गया है। बरसात समय हर नहीं आ रही है। दूसरी बात उस क्षेत्र में देखने को मिलती है कि जितनी एवरेज रेन फाल इस एरिया में होती थी, जब उससे 50 परसेंट कम रेन फाल होने लगी है और तीसरी बात जो आप देखेंगे, वह यह है कि वहां के जंगल कट गए हैं, इसलिए फ्लश-फ्लड आता है, जंगलों के अभाव में बरसात का पानी सारा का सारा एक साथ नदी में चला जाता है, नदियों में सिल्टिंग होने लगी है, रेत जमा होने लगी है और यहां की नदियों का जल स्तर कम होने लगा है, जितना पानी रहता था, उतना अब नहीं रहता है। मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए स्टडी कराइए कि जो इकलाजिकल इंबेलेंस इस

एरिया में पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप कोई व्यवस्था करें। मेरा ऐसा अनुमान है कि राजस्थान के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में करीब 25 परसेंट के करीब जंगल हुआ करते थे, लेकिन पिछले दो-तीन डीकेट्स में जंगलों की बुरी तरह से कटाई हुई है और वहां पर करीब-करीब डेजर्ट की परिस्थिति बन गई है जिसकी वजह से इरोजन भी काफी बढ़ गया है। इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने लगी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब राहत कार्य शुरू हों तो राजस्थान के इस भाग के लिए एफारस्टेशन के लिए कार्य किया जाए। वहां पर फारेस्टरी जो उपयोगिता है, सोशल फारेस्टरी की मैं बात नहीं करता, जो ट्रेडीशनल फारेस्टरी है, उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए; जो वहां पर बरसों से चली आ रही थी, जिनको गलत पालिसी की वजह से समाप्त कर दिया गया है, उनको वापिस इस्टेबलाइज करने का प्रयत्न करें, ताकि यहां पर जो एक तरह से अकाल की परिस्थिति साल-दर-साल बनती जा रही है, वह रिपीट न हो। इस परिस्थिति को बढ़ने नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय, और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का एक भाग जो हमेशा हरा-भरा और सरसब्ज रहता था, उसकी परिस्थिति बदल रही है। अगर समय रहते इसका इंतजाम नहीं किया गया तो हमें भी डेजर्ट की परिस्थिति का सामना करना पड़ जायेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले यह कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी विभागों को अनुमति देता है कि अल्पावधिक ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में बदल दिया जाये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले दीर्घावधिक ऋण की किश्तों की अदायगी किसान सूखे, तूफान तथा प्राकृतिक आपदाओं के वर्ष में नहीं दे पाएंगे। अतः उस किश्त की अदायगी अगले वर्ष के लिए आस्थगित कर दी जानी चाहिए।

एक और महत्त्वपूर्ण बात है। आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वहां किसान को कुआं लगाने के लिए 30 से 40 तथा कई मामलों में 50 हजार रुपए व्यय करने पड़ते हैं। रायलसीमा में पांच वर्षों में तीन वर्ष सूखा रहता है। अतः मेरा निवेदन है इसके स्थायी रूप से सूखाग्रस्त होने के कारण सरकार को छोटे किसान की परिभाषा बदल देनी चाहिए। 2 हैक्टेयर सिंचित भूमि को, जो कि वर्तमान कसौटी है, 4 हैक्टेयर तथा सूखेग्रस्त क्षेत्रों में 8 हैक्टेयर भूमि कर दी जानी चाहिए। सीमान्त किसानों की परिभाषा भी बदली जानी चाहिए, उसे एक हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 2 हैक्टेयर भूमि और 4 हैक्टेयर बारानी भूमि कर दी जानी चाहिए, अन्यथा हम रायलसीमा के छोटे तथा सीमान्त किसानों के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सुझावों की जांच करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक किसान महिला होने के नाते हमारे सौराष्ट्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूं। आज देश में कई जगहों पर बाढ़ आ रही है लेकिन हमारे यहां बारिश बहुत कम हुई है। उसकी वजह से किसानों ने जो बीज बोये थे, वे भी खराब हो गये हैं। किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान को जीने के लिये खेती का ही सहारा है, इसके लिए कुछ न

कुछ करना चाहिए। कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह किसानों की मदद करें। हमारे युवा प्रधान मंत्री किसानों और मजदूरों के लिए बड़े चिंतित हैं। उसके लिये बीस सूत्री कार्यक्रम भी बनाया गया है। कुछ अधिकारियों की वजह से किसान उसका लाभ नहीं उठा सकते। उनको परेशान किया जाता है। किसान को सरकार की ओर से खाद व अन्य सामग्री मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, ऐसी कोई योजना बनाई जाए। हमारे यहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चल रहा है। वहां पर यूकेलिप्ट्स और साग के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। उनको लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनसे छाव भी नहीं मिलती है। उन पेड़ों की वजह से पानी का सतह भी नीचे चला गया है। कई जगहों पर बोरिंग किया गया है फिर भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मेरी बिनती है कि गांव या शहर में जो भी वृक्ष लगाए जाएं उनका फायदा किसानों को मिलना चाहिए। हरियाली के लिए ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जिससे किसान और आम जनता को लाभ मिले। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री जनक राज गुप्त, श्री वृद्धि चन्द जैन तथा श्री चिन्तामणी पाणिग्रही को इस अति महत्त्वपूर्ण मामले पर सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा कि श्री जैनुल बशर ने बताया है, कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर संसद के लगभग प्रत्येक सत्र में विचार किया जाता है, यह स्वाभाविक भी है चूंकि इससे लोगों के जीवन का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से है जो सुखी अवस्था में नहीं हैं। प्रत्येक राज्य के पिछड़े जिलों जो अधिकांशतः सूखाग्रस्त रहते हैं, सम्बन्ध है, अतः यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है जिस पर सभा को अवश्य विचार करना चाहिए।

मैं श्री जनकराज गुप्त तथा अन्य सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बड़ी चिन्ता व्यक्त करते हुए इस मामले पर अपने उद्‌गार किये हैं। मैं उनके विचारों व भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। वर्तमान संकल्प द्वारा श्री गुप्त अपने जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए सिंचाई तथा पीने के पानी की पूर्ति के बारे में कहा है। मुझे सभा को सूचित करना है 1984-85 के दौरान आठ राज्यों में सूखा पड़ा। ये राज्य हैं, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सहायता के लिए ज्ञापन दिये थे और इन राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में 200.66 करोड़ रुपए मंजूर किये गये। इस धन में से पीने के पानी के लिए 54.03 करोड़ रुपए दिये गये और इस वर्ष 1985 में 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

जैसा कि लगभग सभी सदस्यों ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय दल राज्यों की यात्रा करता है, उन्होंने राज्यों की यात्रा के बाद बताया है कि दस राज्यों में से आठ राज्यों में सूखे की स्थिति है, जिसके लिए 181.71 करोड़ रुपए मंजूर किये गये हैं। उस राशि में से 47.67 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए मंजूर किये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश के मामले में—प्रो० पराशर कुछ समय पहले सभा में थे—केन्द्रीय दल ने प्रतिवेदन दिया है जो विचाराधीन है। इस बीच राहत कार्य के साधन जुटाने के लिए हमने 15 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

इसी प्रकार राजस्थान का एक ज्ञापन विचाराधीन है। और हम 10 करोड़ रुपए राहत कार्यों के लिए राजस्थान को देने जा रहे हैं, तथा एक केन्द्रीय दल राज्य में निरन्तर बनी हुई सूखे की स्थिति का अध्ययन करने जा रहा है। मैं श्री गिरिधारी लाल व्यास की इस बात से सहमत हूं कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। परन्तु यह प्राथमिक स्तर की है तथा जब केन्द्रीय दल वहां का दौरा करेगा तथा क्षति के बारे में बताएगा तब हम और अधिक सहायता दे पाएंगे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन दो वर्षों में सूखे की स्थिति ने इस वर्ष 169 जिले प्रभावित हुए हैं और 146 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्र मे 661 लाख मानव जनसंख्या तथा 516 लाख पशु प्रभावित हुए हैं।

जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं हमारे देश में जलवायु एवं विवध स्थिति विज्ञान की दृष्टि से अनेक मौसम और विभिन्न परिस्थितियां विद्यमान हैं तथा किसी भी कार्यक्रम को मानक के रूप में तैयार करना कठिन है। मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है जिनमें यह सहमति है कि सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना चाहिए। निश्चय ही यह राष्ट्रीय समस्या है तथा जब तक राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटा नहीं जायेगा इसका समाधान नहीं होगा। यदि हम अपने देश के विस्तार को देखें तो हमारे पास 140.17 हैक्टेयर संचित भूमि ऐसी है जिसपर खेती नहीं होती है। इसमें वर्षा पर निर्भर 10.122 करोड़ हैक्टर भूमि है जबकि सिंचित भूमि 3.95 करोड़ हैक्टर रह जाती है, अर्थात् हमारी भूमि का एक बहुत बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर करता है तथा हमें विधिवत् ऐसी योजना तैयार करनी है जिसके अन्तर्गत हम सिंचाई की भूमि को बढ़ा सकें। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब इससे राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जाये। जैसा कि आप जानते हैं आयोजना शुरू करने के समय सिंचित भूमि का क्षेत्र 2 करोड़ हैक्टेयर था जो छठी योजना के दौरान 6.2 करोड़ हैक्टर हो गया जिसे हम अगली योजना के दौरान 7.5 करोड़ हैक्टर करना चाहते हैं। छठी योजना के दौरान सिंचाई पर 10899 करोड़ रुपए व्यय किये गये। श्री डागा जी मुझसे पूछ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। निःसन्देह 200.66 करोड़ रुपए सभी राज्यों को आंशिक धन के रूप में दिये जा रहे हैं। सिंचाई पर व्यय किये जा रहे धन पर ध्यान दें। सूखे की स्थिति पर यह प्रत्यक्ष हमला है। छठी योजना के दौरान 10899 करोड़ रुपये व्यय हुए। और इसलिए हम समस्या से निपटने का यत्न कर रहे हैं और इससे निपटने का कोई एक तरीका नहीं है। हमें दीर्घकालीन उपायों के रूप में अनेक प्रयास करने होते हैं, सिंचाई कार्य ऐसा कार्य है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

उसी प्रकार हम बहुत से क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं—जैसे श्री पाणिग्रही जी ने उल्लेख किया था—और ये देश समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं जो 'जोनों' में बटे हुए हैं तथा इनके सम्बन्ध में कार्यवाही बड़े ऊंचे स्तर पर की जा रही है। श्री पाणिग्रही समझते हैं कि हमने इसको छोड़ दिया है। यह कार्य जारी है।

डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार पहले ही इस समस्या से निपट रही है। यह कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था तथा छठी योजना के अन्त तक 13 राज्यों के 70 जिलों के 511 ब्लाकों को इसके अन्तर्गत लिया जा चुका है। यह केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजित योजना है तथा इसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक को 15 लाख रुपए आबंटित किये जाने हैं। छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर 311.02 करोड़ रुपए व्यय किये गये थे जिसमें से केन्द्र का भाग 166.08 करोड़ रुपए है। इसकी भौतिक उपलब्धियां अत्यन्त संतोषजनक रही हैं जो इस प्रकार हैं मृदा और नमी संरक्षण 3952.39 हैक्टर, पैदा की गई सिंचाई क्षमता—3245.86 हैक्टर—वानिकी और चारागाह विकास—3748.48 हैक्टर—दुग्ध समितियां गठित की गईं—3001।

एक मुद्दे पर मैं डागाजी से सहमत हूं कि क्रियान्वयन पूरा नहीं हुआ है। हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं कई बार बता चुका हूं। इस बात पर प्रो० सोज मुझसे सहमत हैं। स्पष्ट तथ्यों को छिपाने का क्या लाभ है? यदि मैं सभा में कोई बात कहता हूं तथा लोग धरती पर उसे वैसा नहीं पाते तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सच है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति, जिनका उद्देश्य गरीबी हटाना था। यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर उतना संतोषजनक नहीं रहा है। परन्तु यह कहना भी उतना ही गलत होगा कि इन योजनाओं से सहायता नहीं मिली। इसलिए, जैसा कि मैंने इसमें पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस सभा में कहा था कि सभी सदस्यों और सभी राजनैतिक दलों का यह विचार है कि सख्त सतर्कता और निगरानी बरती जानी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि, चाहे वे पंचायत अथवा समिति के सदस्य हों, या विधान सभा के सदस्य हों या इस सम्मानीय सभा के सदस्य हों, उन्हें इन योजनाओं के कार्यान्वयन से अवश्य सम्बद्ध करना चाहिए व अन्यथा ऐसी सम्भावना हो सकती है कि नौकरशाह या अधिकारीगण लालफीताशाही तरीके से कार्य करेंगे जो गलत बात होगी। यदि आप एक बार एक योजना को साधारण तरीकेसे ही चलाएं तो वह बिगड़ जायेगी। और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता है। अगर आप जन-प्रतिनिधियों को इन योजनाओं के कार्यों में सम्बद्ध करते हैं तो इसने इन योजनाओं में अपेक्षित सतर्कता आएगी। और हमें निगरानी-एजेंसी जरूर रखनी चाहिए। हम इस बात पर राज्य सरकारों के साथ गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि केन्द्र और राज्यों के लिए कोई संगठन बनाया जाए जो इनकी निगरानी रख सके। हालांकि हमें मासिका, ि-माही और वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। न तो श्री डागा और न ही प्रो० सोज इस बात को शायद मानेंगे कि जिला स्तर पर प्रावधान किये जाने की वजह से, स्थान का चयन, परियोजना का चयन, ये सभी बातें आत्मनिष्ठ रूप में भी की जाती हैं। इन्हें निष्पक्ष रूप से किया जाना होगा। यह तभी हो सकता है जब इसमें जन-प्रतिनिधि भी सम्मिलित व सम्बद्ध किए जाएं।

राजस्थान के सम्बद्ध में वर्ष 1984-85 के दौरान प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

मृदा और नमी संरक्षण—518 हैक्टेयर; सिंचाई सम्भाव्यताएं उपलब्ध कराना—126 हैक्टेयर; वनरोपण और चरागाह विकास—194 हैक्टेयर; भेड़ सोसाइटियां स्थापित की गईं—906।

श्री डागा जानना चाहते थे कि कितनी परिसम्पत्तियां बनाई गईं। मैं केवल उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं जो मेरे पास हैं और जो राज्य सरकार की रिपोर्ट से भी देखे जा सकते हैं और हमारी निगरानी व अन्य प्राप्त स्रोतों से हमने इकट्ठे किये हैं।

राजस्थान में 38 सड़क परियोजनाएं आरम्भ की गईं। जल निकासी समेत 25 छोटी सिंचाई योजनाएं आरम्भ की गईं। इसी प्रकार 15 मृदा जल संरक्षण परियोजनाएं थीं और 21 सामाजिक वनखंड परियोजनाएं थीं। राजस्थान में (आर० एल० ई० जी० पी०) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस प्रकार लागू किया गया।

दीर्घावधि उपाय के रूप में हमने मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किये हैं। योजना के अनुसार मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम, एकीकृत जलसंभर प्रबन्ध योजना के आधार पर तैयार किया गया है। इससे संरक्षण योजना को सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों से जोड़ दिया गया है। इस नीति के ये उद्देश्य हैं:—

(एक) प्राथमिक उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढ़ाना;

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना;

(तीन) भूमि और जल संचन चक्र में लाभदायक सम्बन्ध बनाये रखना; और

(चार) अधिकाधिक उत्पादकता प्रबन्ध प्रणाली के लिए बंजर भूमि और बिना प्रयोग या कम प्रयोग की गई भूमि का पता लगाना।

इसी प्रकार हमारी अन्य योजनाएं हैं—नदी घाटी योजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों से मृदा संरक्षण योजनाएं और समेकित जल प्रबन्ध योजनाएं तथा बारानी खेती जैसी योजनाएं, जिनका हमारे कई सहयोगियों ने जिक्र किया है। जैसा कि मैंने अभी कहा, निम्न प्रदेशों में कुल कृषि क्षेत्र में से बारानी खेती के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

कर्नाटक	86 2 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	87.5 प्रतिशत
महाराष्ट्र	89.5 प्रतिशत
राजस्थान	80.5 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	45.1 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	73.2 प्रतिशत

दीर्घावधि योजनाओं के तहत हम ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, अपने-अपने राज्यों में सूखे की लगातार स्थिति के बारे में ठीक ही चिन्तित थे। एक सन्तोषजनक बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ सफलों पर काफी परिश्रम किया है, जो सूखे की स्थिति में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं और हमने अधिकांश सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इन बीजों को उपलब्ध कराया है। इससे हमें अपना कृषि उत्पादन बरकरार रखने में सहायता मिली है और अधिकांश कठिन क्षेत्रों में भी कृषि का विकास करने में काफी सफलता मिली है।

इसी प्रकार, जैसाकि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, हम इस वर्ष से फसल बीमा योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। फसल बीमा योजना से ऐसे क्षेत्रों के किसानों को जहां लगातार सूखा पड़ता रहता है, सीधी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष, 1984 में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, कुल 12 राज्यों ने फसल बीमा योजना आरम्भ की। यह योजना, ज्यादातर ऐसे ही क्षेत्रों के लिए ही है, तथापि, ज्वार, कपास, मूंगफली, चना, मक्का, जौ, तिलहन, गेहूं, धान, रागी, आलू आदि जैसी वर्षा पर आधारित फसलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। यह हाल ही की योजना है जिसमें इन कई फसलों को शामिल किया गया है, यद्यपि इससे पहले यह केवल मार्गदर्शी (पायलट) योजना ही थी। इसे अब समान रूप से सारे देश में लागू किया गया है।

राज्यों के स्तर पर फसल बीमा निधि स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिससे फसल बीमा योजना को सीधे मदद मिलेगी, केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक केन्द्रीय फसल बीमा निधि भी स्थापित करने का विचार है जो केन्द्र के हिस्से का प्रावधान करेगा। भारत

सरकार इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करेगी और इस योजना के अधीन इस कार्यक्रम पर निगरानी रखेगी।

इसके अलावा बारानी खेती के लिए कुछ योजनाएं जारी हैं। इसी प्रकार, जैसा कि मैंने कहा, हमारे वैज्ञानिक काफी परिश्रम कर रहे हैं और ऐसी फसलों को विकसित करने में लगे हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सफल सिद्ध हो सकें।

राज्य क्षेत्र में और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जनसंभर विकास की दृष्टि से पायलट परियोजनाओं के लिए हमारे कुछ विकास कार्यक्रम हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हमारी कुछ क्षेत्र विकास परियोजनाएं हैं, जैसा कि श्री सुल्तानपुरी ने कहा है, हिमालय के निचले क्षेत्रों में हैं। पंजाब में इस योजना को कान्डी जलसंभर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी कतिपय योजनाएं हैं जिनकी सहायता से हम राष्ट्रीय स्तर पर सूखे की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में, श्री जनक राज गुप्त ने प्रश्न किया है। जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है इस राज्य में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या में कमी आई है। और मैंने कहा है कि सूचना मिलने पर एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था। और अब श्री गुप्त और श्री सोज ने कहा है कि मैं भी राज्य का दौरा करूं, और इस राज्य का दौरा हमेशा ही आकर्षित रहा है, मैं शीघ्र ही वहां का दौरा करने का प्रयास करूंगा। अपने दौरे के दौरान मैं वहां जन-प्रतिनिधियों से मिलना चाहूंगा। इस समय मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि प्राकृतिक आपदा आने पर निर्धारित मापदण्ड के आधार पर, अपनी ओर से उनसे निपटने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसाकि मैंने पिछले दिनों कहा, कि ये मापदण्ड काफी पुराने हो गये हैं और देश की वर्तमान स्थिति में उनका शायद ही कोई महत्त्व रह गया है। अतः, हमने फैसला किया है कि मापदण्ड निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की जाए जो देश की वर्तमान परिस्थितियों में संगत हो। सचिव (कृषि) उस दल के अध्यक्ष हैं और हमें वर्तमान स्थिति की आवश्यकतानुरूप इन मापदण्डों को लाने का प्रयास करना होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या हम समझें कि आप सितम्बर में राज्य का दौरा करेंगे?

सरदार बूटा सिंह : यथाशीघ्र।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : महोदय, फ्लड में तो 50 परसेंट देते हैं, लेकिन फैमिन में नहीं देते हैं।

सरदार बूटा सिंह : रिलिफ सिर्फ काम करने के लिए देते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनको नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

सूखे से निपटने हेतु निम्न मदों के लिए सहायता दी जाती है जिन्हें मैं पढ़कर सुनाता हूं—

जिन स्थानों पर पीने का पानी सूख जाता है, वहां टैंकरों, ट्रकों और यातायात के अन्य साधनों द्वारा पीने के पानी की तत्काल सप्लाई की जाती है।

प्राकृतिक विपदा के शिकार लोगों को और ऐसे बेरोजगार युवकों को, जिनके जीवनयापन का कोई साधन नहीं है, निःशुल्क सहायता दी जाती है। इसमें उन वर्गों के लोग भी शामिल हैं जिनका उल्लेख श्री चौबे और श्री पनिका ने किया है।

पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था।

गन्दे और असुरक्षित पानी की वजह से पेचिश, दस्त, आन्त्र-शोथ, मोतीझारा, यकृत-शोथ जैसी बिमारियों के फैलने को रोकने के लिए दवाइयां, विसंक्रामक, कीटनाशी और टीके आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

उपयोगी पशुओं का दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाना।

छह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और गर्भवती तथा स्तन्यपान कराने वाली माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम का संवर्धन करना, क्योंकि सूखे की वजह से खाद्यान्न और सब्जियां की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है।

पशुओं के चारे में अतिरिक्त पौष्टिक तत्व प्रदान करना, ताकि पशुओं में कुपोषण के प्रभावों को रोका जा सके और महामारी के विरुद्ध पशुओं को टीके लगाने की व्यवस्था करना।

सूखे से नष्ट फसल की पुनः बुआई करने के लिए सस्ती दरों पर उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की व्यवस्था करना।

जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं उन्हें सस्ती दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि-आदान आदि उपलब्ध कराना, जिससे वे सहायक फसल या दूसरी फसल पैदा कर सकें।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे योजना कार्यों में तेजी लाना और अतिरिक्त मंजूर योजनाओं को आरम्भ करना, ताकि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

भारत सरकार ने सूखा सहायता के अन्तर्गत इन कुछ मुख्य मदों को सम्मिलित किया है।

श्री चौबे ने सुझाव दिया था कि जिन क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ता है, वहां के लोग, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, उन्हें सस्ती दरों पर भोजन या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्योंकि आपने कर्नाटक राज्य का दौरा किया है, अतः मैं आपसे इस राज्य की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा।

सरदार बूटा सिंह : 1980-85 के दौरान कर्नाटक राज्य को बाढ़ के लिए 14 करोड़ रुपए और सूखे के लिए 76 करोड़ रुपए की राहत सहायता राशि प्रदान की गई। और 1985-86 में सूखे के लिए 22.16 करोड़ रुपए थे। यह अन्तिम था। अभी तक हमें राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

एक बात माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद, माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों पर मैं विचार कर सका हूं। क्या मैं अब श्री जनक राज गुप्ता जी से अपने संकल्प पर ओरःन देने का निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि हम उनके साथ हैं? आपस में कोई मतभेद नहीं है।

गुप्ता जी ने जो कुछ कहा है उसको नोट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सुझाव दूसरे माननीय सदस्यों ने दिए हैं उनको भी नोट कर लिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि कहां तक उन सुझावों को हम लागू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि फ्लड में जो पैसा केन्द्र की तरफ से स्टेट गवर्नमेन्ट्स को सब्सीडी के रूप में दिया जाता है वह फेमीन में आप क्यों नहीं देते हैं? आप इस मामले को कमेटी के पास रेफर कर दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : अभी जो नार्म्स हैं उन पर काम चल रहा है। कमेटी उसके ऊपर सोचेगी।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : समूचे देश में रायलसीमा में न्यूनतम वर्षा हुई है। इससे कम कहीं नहीं हुई है। कोई अन्य स्थान ऐसा नहीं है जहां इतनी कम वर्षा हुई हो। क्या माननीय मंत्री महोदय एक विशेष मामले के तौर पर कृपया छोटे तथा सीमांत कृषकों की परिभाषा को बदलने पर विचार करेंगे?

सरदार बूटा सिंह : मैंने आन्ध्र प्रदेश का भी उल्लेख किया था। और रायलसीमा आन्ध्र प्रदेश का ही एक अंग है।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : सभापति महोदय, मैंने जो रेजोल्यूशन दिया था, मैं मशकूर हूं बहुत से साथियों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इसकी ताईद की—वे चाहे रूलिंग पार्टी के हों या अपोजीशन के हों। इसके अलावा मैं मशकूर हूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, जनाब बूटा सिंह का, जिन्होंने मान लिया कि मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है और जो तजावीज बाकी आनरेबल मेम्बर्स ने हाउस में रखी हैं, वह वाकई दुरुस्त हैं और उन्होंने यह भी मान लिया है कि शायद वे एक कमेटी बनाएंगे जो नार्म्स फिक्स करेगी।

मैं एक-दो बातें आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। जहां तक खुश्कसाली का ताल्लुक है वह मुल्क के बहुत से हिस्सों में हुई और उससे काफी लोग मुतास्सिर हुए, खास तौर पर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जहां पर ज्यादातर कण्डी और पहाड़ी इलाका है वहां पर खुश्कसाली से लोग मुतास्सिर होते हैं और कश्मीर की वादी में बारिश से लोगों का काफी नुकसान होता है। यह बात भी सही है कि सरकार ने काफी इम्दाद भी दी है लेकिन मैं समझता हूं अभी और भी बहुत कुछ करने की गुंजायश है ताकि लोगों को ज्यादा रेलीफ मिल सके और लोग अच्छे ढंग से अपनी गुजर कर सकें। हमारे उस इलाके में जो कण्डी एरिया है या पहाड़ी एरिया है वहां ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहां दस-दस किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। यह बात भी काफी दुरुस्त है कि पुराने समय के मुकाबले में अब सरकार ने काफी अरेजमेन्ट किया है जिससे काफी फर्क पड़ा है लेकिन जहां तक पीने के पानी का सवाल है या खेतों को सैराब करने का सवाल है, उसमें अभी काफी कुछ करने की गुंजायश है। हमने यह देखा है कि जितना भी कण्डी, पहाड़ी या मैदानी एरिया है कहीं-कहीं पर तो पानी बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है। यह नहीं कि पानी की कमी हो, वहां पर नदियां हैं लेकिन उसका इन्तजाम करने की जरूरत है, चैनल्स बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी अगर अच्छे ढंग से चैनल्स बनाई जाएं तो इस मसले को काफी हद तक हल किया जा सकता है। माननीय कृषि

मंत्री जी ने कहा है कि वे एक कमेटी बना रहे हैं, जो नॉर्म्स फिक्स करेगी। मैं यह चाहता हूं कि किसानों को जो भी रिलीफ दिया जाता है, जैसे तकावी लोन दिया जाता है, या लैंड रिवेन्यू है, या दूसरे कोई आबपाशी पर लोन मिलता है, तो वह माफ होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है, कहीं खुशकसाली होती है या दूसरी तरह से नुकसान होता है तो उसको ससपैंड कर देते हैं और जब रिकवरी करनी होती है तो ज्यादा इन्टरैस्ट लगाकर वसूल किया जाता है। इस प्रकार किसान की कमर टूट जाती है। यह कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि यह उसके लिए बोझ बन जाता है। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं, को-आपरेटिव का कर्जा है या दूसरा कर्जा है। मैं मिनिस्टर साहब, श्री बूटा सिंह जी, से दरख्वास्त करूंगा कि वे उस कमेटी में नॉर्म्स परमानैंटली फिक्स करें, जब भी ऐसी कोई नेचुरल कलैमिटी होती है, तो आटोमैटिकली किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि वे इसको बर्दाश्त कर सकें। आई० आर० डी० पी० के तहत उसको काम मुहैया होना चाहिए, ताकि वह अपने बाल बच्चों को पाल सके। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या मवेशियों के लिए चारे की होती है, उनको चारा नहीं मिलता है। पैसा न होने की वजह से वे कहीं बाहर से भी नहीं ला सकते हैं। इस बारे में भी थोड़ा सोच-विचार करना चाहिए। ताकि यह मसला हल हो सके। यह समस्या हर साल पैदा होती है, यह कोई टैम्पोरेरी मसला नहीं है, यह परमानैंटली फिनोमिना बन चुका है। हर साल फ्लड्स आते हैं, खुशकसाली होती है, इस समस्या से बचने के लिए किसानों को राहत देने के लिए सोच विचार करना चाहिए। मुझे यकीन है, सरदार साहब, जरूर मदद करेंगे। पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, जब भी हमें मदद की जरूरत पड़ी है, उससे हमारी सहायता की है। मैं मन्त्री जी का मशकूर रहूंगा, जैसा मैंने और प्रो० सोज जी ने कहा है, यदि वे खुद हमारे क्षेत्र का दौरा करें और वहां की सूखे की स्थिति का जायजा लें। पहले भी वे जाते रहे हैं और हमारी मदद करते रहे हैं, लेकिन अब भी आकर वे देखें कि खुशकसाली और फ्लड्स से हमारे किसानों का कितना नुकसान हुआ है। मन्त्री महोदय ने सारे हाउस को यकीनदानी दी है और वे मेरे रिजोल्यूशन से मुत्तफिक है। इसलिए यकीनदानी के पेशेनजर मैं अपना रिजोल्यूशन प्रैस नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डागा जी, आपने अपना संशोधन पेश किया है। क्या आप उसे वापस ले रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : इसको वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। अगर वह तैयार नहीं हैं तो मैं भी तैयार नहीं हूं। अतः मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा।

मैं अपने संशोधन को सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री जनक राज गुप्ता : महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

5.53 म० प०

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगले संकल्प पर विचार आरम्भ करेंगे। श्री हरीश रावत प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार उनके विकास का समूचा व्यय वहन करे और—

(क) संबंधित मंत्रालयों में पर्वतीय विकास कक्ष स्थापित करे;

(ख) केवल ऐसे ही क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित करे;

(ग) एक विशेष ऊंचाई से ऊपर के स्थानों में उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन तथा निवेश की सहायता अधिक दे; और

(घ) वन भूमि की खेती के लिए सहायतानुदान ऋण दे तथा विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता से बागान, वानिकी, भू-संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन आदि योजनाएं, आरम्भ करे।"

[हिन्दी]

पांचवी पंचवर्षीय योजना से पहले पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए जो रास्ता हमने अपनाया, उससे कुछ क्षेत्रों में और कुछ सोशियो इकानॉमिक ग्रुप्स में जितनी उनकी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी तरक्की नहीं हो सकी है और ऐसा एक एरिया पर्वतीय क्षेत्र भूभाग भी है। जो देश के बहुत सारे क्षेत्रों में है। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और दूसरे वे जो पूरे राज्य हैं। जिनमें जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नार्थ-ईस्ट के कुछ प्रान्त हैं और कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो किसी राज्य के अंग हैं, आंशिक रूप से उन राज्यों का कुछ भाग पर्वतीय है। लेकिन दोनों क्षेत्रों की चाहे पूर्ण पर्वतीय राज्य हों या जो राज्यों के साथ जुड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र हों, एक प्रकार की कठिनाइयां हैं और उन क्षेत्रों की न केवल वहां रहने वाले लोगों की सोशियो-इकानामिक कण्डीशन्ज एक प्रकार की हैं बल्कि सोशियो-कल्चरल कन्डीशन भी एक ही प्रकार की हैं। आज हमको यह कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद इन क्षेत्रों की तरक्की के लिए बहुत बाद में सोचा गया, वास्तविक रूप से देखा जाय तो इन क्षेत्रों की तरक्की का काम पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ हुआ है। इसलिए जहां देश के अन्य भाग बहुत पहले से तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हुए, ये भाग बहुत देर से तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हुए।

हमारे सदन के कई माननीय सदस्य जो राजस्थान और देश के दूसरे भागों के हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। जैसे उनके यहां डैजर्ट एरियाज हैं, ट्राइब्ल एरियाज हैं, लेकिन उन क्षेत्रों की तुलना पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं के साथ नहीं की जा सकती है। क्योंकि उन क्षेत्रों में कई प्रकार के परिवहन के माध्यम हैं, संचार के माध्यम हैं और जो पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी परिवहन और संचार की सुविधाएं बहुत कम हैं। परिवहन की सुविधाओं के नाम पर तो केवल रोड़

ट्रांसपोर्ट है। आजादी के पहले अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों में ट्रेन सुविधाएं अपनी सुख सुविधा के लिए पहुंचाई थीं, जैसे शिमला और दार्जिलिंग आदि। मगर देश के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी रेलें नाम मात्र को पहुंच पाई हैं जो हमारे विकास और सोशियो इकानॉमिक डवेलपमेंट का बहुत बड़ा माध्यम हो सकती हैं। लेकिन वे भी आज उनको उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के छः जिलों में आज भी रेलें नाम मात्र की हैं और जहां तक अंग्रेजों ने उनको छोड़ा था, वहां से आगे नहीं बढ़ पाई हैं।

नार्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में डवेलपमेंट का कुछ काम जरूर हुआ है, खास तौर से रेल लाइनें बिछाने का काम हुआ है। लेकिन उसके लिए कहा जा सकता है कि असम में जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था, उस आन्दोलन के कारण उस क्षेत्र के विकास की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। चाहे हम आन्दोलन के मुद्दों से सहमत न हों, तौर-तरीकों से सहमत न हों, लेकिन उसने देश का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। नार्थ-ईस्ट में जो प्राबलम पैदा हुई, उसकी एफिनिटी देश के दूसरे भागों में इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देश के दूसरे भागों से उनका सम्बन्ध बहुत कम था और यही स्थिति आज देश के अधिकांश क्षेत्रों की है। न केवल देश के साथ बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ, उन प्रान्तों के शेष जिलों के साथ बहुत बड़ी एफिनिटी, जिसको आत्मीयता कह सकते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं इसलिए वे लोग बराबर इस बात को महसूस करते हैं कि उनके विकास के लिए जितनी रुचि ली जानी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं ली गई है। हिल्स की जो इकोलॉजी है, वहां की जो सोशियो कल्चरल प्राब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रख कर योजना लागू की जानी चाहिए। उसको ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को ठीक तरह से स्टडी करके, माइक्रो स्टडी करके, कोई योजना नहीं बनाएंगे और उस योजना को लागू करने के लिए जोश-खरोश से काम नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे जितना पैसा वहां खर्च करें, उसका अपेक्षित लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को नहीं मिल सकता है। पहाड़ों की इकानॉमी को हमें मैदानी क्षेत्रों से जोड़ कर देखना पड़ेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अनाज पैदा नहीं होता है, अनाज के लिए उनको मैदानी क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं, वे भी पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत हद तक निर्भर हैं। अधिकांश नदी-नालों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से होता है। उनका कैचमैंट पर्वतों में होता है। यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों, वहां के नेचुरल रिसोर्सिज को ठीक तरह से डवलप करके यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि मैदानी क्षेत्रों की इकोनोमी का, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के नेचुरल रिसोर्सिज से संबंधित है, विकास भी ठीक तरह से हो सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

6.03 म०प०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962

की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 247/85 सीमा-शुल्क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 2 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा काफी पर निर्यात शुल्क 415 रुपये प्रति क्विंटल से कम करके 300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1252/85]

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 अगस्त, 1985/14 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53